राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] बारहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का अट्ठाइसवां दिवस [संख्या : 14

मंगलवार :

27 जुलाई, 2004

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : प्रश्न मेरा है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, प्रसन्नता की बात है कि मुख्य मंत्रीजी के आज पोता हुआ है इसलिए बधाई देने की बात है। (व्यवधान) नहीं, किस तरह की पार्टी चाहिए?

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नम्बर पर मेरा नाम है।

श्री अध्यक्ष : सारी। श्री संयम लोढ़ा, प्रश्न संख्या 34।

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रस्तावित पुलिस आयुक्त प्रणाली

34. **श्री संयम लोढ़ा (सिरोही), श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) एवं श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार "पुलिस आयुक्त प्रणाली" लागू करने का विचार रखती है?

(2) उक्त प्रस्ताव किस स्तर पर विचाराधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

गृह मंत्री (श्री गुलाब चन्द कटारिया) : (1) जी नहीं, राज्य सरकार "पुलिस आयुक्त प्रणाली" लागू करने का विचार नहीं रखती है।

(2) इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से सिर्फ दो बातें निवेदन करना चाहता हूं। एक तो राजस्थान सरकार को पूर्व के वर्षों में पुलिस विभाग से पुलिस आयुक्त प्रणाली के सम्बन्ध में कब प्रस्ताव हुआ, उस पर क्या कार्यवाही की गई और उसको अस्वीकृत करने के क्या कारण थे। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 19वीं सदी में जब हमारे मुल्क में पुलिस आयुक्त प्रणाली पहली बार तीन प्रेसीडेंसी टाउन में लागू की गई तब यह सोचा गया कि रूरल पुलिसिंग की जगह खास पुलिसिंग की जरूरत है। इन शहरों में और जिस वक्त कलकत्ता, मद्रास ओर बोम्बे जैसे शहर जिनमें पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई उस समय कलकत्ता का एरिया था मात्र 48 मील, मद्रास का 27 मील, बोम्बे सिटी का 22 मील और जनसंख्या कलकत्ता की थी शहरी और अन्य दोनों मिलाकर 6,56,458 मद्रास की थी, 4,05,808 बोम्बे की थी 7,73,196 और पुलिस बल था कलकत्ता का...

श्री अध्यक्ष : आप सूचना ले नहीं रहे, आप तो दे रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा : मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह माननीय गृह मंत्रीजी की जानकारी में यह लाना चाहता हूं कि उसके बाद हमारे देश में जो विकसित प्रदेश हैं।

श्री मदन दिलावर (सहकारिता मंत्री) : यह स्वतन्त्र भारत में गुलामी की बात कर रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा : मैं सदन की जानकारी में सिर्फ यह तथ्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, लाना चाहता हूं कि उनके बाद देश के विकसित प्रदेश हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु, केरल उन सारे राज्यों ने अपने बड़े शहरों के लिए पुलिस आयुक्त प्रणाली को लागू किया। और आज जो विकासशील प्रदेश हैं व उनको बैक्वर्ड स्टेट कहना चाहिए जैसे यू.पी., राजस्थान उन्होंने इसको नहीं अपनाया। आज देश की केपिटल दिल्ली में भी पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारे बड़े

(श्री संयम लोढ़ा)

शहरों में इस प्रणाली को अच्छा मानते हुए, बेहतर मानते हुए इसको लागू किया। आज जयपुर की आबादी इतनी बढ़ गई है, जयपुर में क्राइम इतने बढ़ गये, जयपुर में पुलिस फोर्स इतनी है, चार-चार आई.पी.एस. आपने यहां बिठा रखे हैं, उनके ऊपर एक आई.जी. बैठा रखा है फिर आप इसको क्यों नहीं लागू करना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मूल प्रश्नकर्त्ता का उत्तर आने दीजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह बात सच है कि इस विषय की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में विशेषकर जयपुर में इस प्रणाली को लागू करने के लिए 1986 में प्रस्ताव आया, 1991 में भी प्रस्ताव आया। इस पर काफी गहनता से चिन्तन हुआ, कई बार इसकी बैठकें हुई, 18.4.1992 को एक कांफ्रेंस में उस समय के मुख्य मंत्री आदरणीय भैरोंसिंहजी ने सैद्धान्तिक रूप से इस बात की स्वीकृति भी दी और केबिनेट में इसको आगे के लिए तय करने के हिसाब से छोड़ा। 26.8.1992 को मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई।

श्री अध्यक्ष : यह किसका मोबाइल बोला?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अक्टूबर, 1992 तक लागू करने का मानस बनाया।

श्री अध्यक्ष : इतना कहने के बाद भी असर नहीं है आप लोगों में?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसके बाद एक बालकृष्ण कमेटी की रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने दिल्ली की कमीशनरी के बारे में कुछ प्रश्न चिन्ह लगाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर से विचार के लिए इस बात के लिए मंत्रिमण्डल ज्ञापन तैयार हुआ 21.10.1992 को. उसके बाद फिर चार मंत्रियों की एक कमेटी बनी, उसको यह काम सुपुर्द किया गया उसके बाद में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। उस समय जो एडवाइजरी कौंसिल थी। (व्यवधान) कमाल ही है क्या करते हैं?

श्री अध्यक्ष : आपको बन्द नहीं करना आता है तो फिर आप घर छोड़कर आया करें। अब टी.टी. का बोल रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं जब्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, जब्त करके यहां रखिए आप इसे। आप मंत्री होकर नियमों का पालन नहीं करते हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : चार मंत्रियों की एक कमेटी बनी उसको यह काम सुपुर्द किया। राष्ट्रपति शासन जब लागू हुआ तो एडवाइजरी कौंसिल ने 20.5.1993 को इस पर फिर विचार किया। उसके बाद उस समय के तत्कालीन राज्यपाल महोदय ने कहा यह बहुत बड़ा नीतिगत फैसला है इस कारण से चुनी हुई सरकार के आने के बाद इस विषय पर विचार होगा, इसके बारे में कोई निर्णय किया जाएगा। उसके बाद 26.8.1994 को फिर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने अपनी जो लास्ट फाइडिंग दी उसमें कहा कि इस समय इसकी राजस्थान में आवश्यकता नहीं है। ऐसा प्रतिपादित किया, उस पर गृह मंत्री महोदय ने अपनी सहमति दी। और जो स्ट्रक्चर उस समय अपन सोच रहे थे कि कमेटी बनेगी तो यह-यह पद होगा उसी के आधार पर राजस्थान में आई.जी., पांच एस.पी. और 17 डीवाई.एस.पी. और इस प्रकार की जो कुछ भी स्टाफ की कमी को तो पूरा करने का प्रयास किया। लेकिन यह सच बात है कि कमीशनरी का काम करने का ढंग अपना अलग है। जिसमें इसको न्यायिक अधिकार भी हैं और वैसे भी हैं। निश्चित रूप से इस विषय पर काफी गहनता से विचार हुआ है। और आपने इस पर फिर से ध्यान केन्द्रित किया है, तो निश्चित रूप से आज सदन में मैं आप सब की मंशा के आधार पर जरूर इस प्रकार विचार करेंगे कि इसको हम अपने यहां लागू कर सकते हैं नहीं कर सकते। एक बार फिर चिन्तन प्रारम्भ इसमें निश्चित रूप से होगा।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले शहरों के लिए पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने की सिफारिश की थी? और क्या यह भी सही है कि पिछले 10 वर्षों में जयपुर में अपराधों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है और जो व्यवस्था अभी वर्तमान में आपने लागू कर

(श्री कालीचरण सर्राफ)

रखी है उससे अपराधों में अंकुश नहीं लग रहा है? तो क्या आप यह महसूस करते हैं कि पुलिस आयुक्त प्रणाली पद्धति पर हमें पुनर्विचार करना चाहिए? यह पुनर्विचार करना चाहिए तो इसके लिए आप कोई कमेटी बनाएंगे, कमेटी बनाकर इसको कब तक लागू करेंगे? इन दो बातों पर आप बताने की कृपा करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जनसंख्या का आधार एक प्रमुख आधार रहा है। लेकिन चूंकि उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में अभी इस प्रणाली को स्वीकार नहीं किया, केवल दिल्ली में इसको स्वीकार किया, गुजरात के कुछ शहरों में है, महाराष्ट्र के कुछ शहरों में है। बाकी बचा हुआ जो क्षेत्र है उसमें अभी यह प्रणाली लागू नहीं हुई। यह बात सच है कि अपराधों की संख्या और जयपुर के विस्तार के हिसाब से निश्चित रूप से बढ़ी है। और उसको ठीक प्रकार से नियन्त्रित करने के लिए मैं सोचता हूं कि जो मैंने बात पहले ही कही थी, आप इस विषय को आज ध्यान में लाये हैं, तो निश्चित रूप से सरकार एक बार फिर से इसके सारे गुण दोष को ध्यान में रखते हुए विचार प्रारम्भ करेगी।

श्री सुरेश मीणा (करौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष : अब क्या बाकी रह गया? नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री मुरारी लाल मीणा।

श्री सुरेश मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल था।

श्री अध्यक्ष : सारे प्रश्नों का जवाब तो सब बातों का दे दिया, अब आप क्या पूछना चाह रहे हैं? अब क्या पूछना चाहते हैं? मुरारी लाल मीणा।

श्री सुरेश मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक मामला था ऐसा ही।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरारी लाल मीणा।

श्री सुरेश मीणा : सम्मानित कर रहे हैं उन अधिकारियों के बारे में था।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, कृपया बैठ जाएं। श्री मुरारी लाल मीणा।

विद्यालयों का क्रमोन्नत/स्थापना

35. श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई), **श्री रामचन्द्र सराधना** (जमवारामगढ़) एवं **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार वर्ष 2004-2005 में नये राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो तहसील स्तर पर प्राथमिक विद्यालयों के खोले जाने के मानदण्ड क्या हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार वर्ष 2004-2005 में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या इसके लिए सरकार ने कोई नीति/मानदण्ड निर्धारित किये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) कितने विधान सभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां विद्यालय क्रमोन्नत नहीं किये गये? क्या इन विधान सभा क्षेत्रों में उक्त विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

शिक्षा मंत्री (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : (1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004 -2005 में 1661 प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं। ऐसे तहसील स्तर पर प्राथमिक विद्यालय खोलने के पृथक से कोई मानदण्ड नहीं हैं। अपितु ग्राम की जनसंख्या, अध्ययन हेतु उपलब्ध छात्र संख्या, भवन की उपलब्धता, एक किलोमीटर परिधि में अन्य शिक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं होना, जनप्रतिनिधियों की मांग आदि गुणावगुणों पर समग्र विचार कर राज्य सरकार की वित्तीय उपलब्धतान्तर्गत नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाते हैं।

(2) जी हां। सरकार विद्यालयों को क्रमोन्नत करते समय गांवों की जनसंख्या, विद्यालय की छात्र संख्या, अन्तिम कक्षा की छात्र संख्या, फीडर विद्यालय की दूरी, निकटतम सुविधा, गांव की भौगोलिक स्थिति, जनप्रतिनिधियों की मांग आदि गुणावगुण आदि पर समग्र विचार कर राज्य सरकार की वित्तीय उपलब्धतान्तर्गत विद्यालय क्रमोन्नात किये जाते हैं।

(3) शिक्षा सत्र 2004-05 अभी प्रारम्भ हुआ है। क्रमोन्नति किये जाने का कार्य प्रगति पर है अत: सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।

श्री मुरारी लाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जिस हिसाब से उन्होंने प्राइमरी स्कूल 1661 बड़े भेदभावपूर्ण तरीके से क्रमोन्नत किये हैं उसी हिसाब से मिडिल स्कूल, सैकण्डरी स्कूल या सीनियर सैकण्डरी स्कूल क्रमोन्नत करेंगे या उसमें विधान सभा क्षेत्र वाइज जितनी स्कूल सरकार द्वारा स्वीकृत हैं, बराबर का बंटवारा करेंगे?

दूसरा मेरा प्रश्न है, विधान सभा वाइज वहां एक किलोमीटर में स्कूल नहीं है, दूसरा मेरा प्रश्न है कि जिन सैकण्डरी स्कूलों में आलरेडी सरकार द्वारा कन्या छात्रावास बनाये जा चुके हैं वहां पर कन्या छात्रावास चालू हैं उनमें क्या सीनियर सैकण्डरी स्कूल क्रमोन्नत करने में प्राथमिकता दी जायेगी?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जो प्राथमिक विद्यालय खोले हैं इसमें कोई भेदभाव नहीं है। मैं सदन में कह सकता हूं कि एक भी पंचायत समिति राजस्थान की ऐसी नहीं है जिसमें नये विद्यालय नहीं खोले गये हों। सभी 237 पंचायत समितियों में विद्यालय खोले हैं। यह जरूर है कि किसी में कम संख्या में है, किसी में अधिक संख्या में। इसका कारण भी है कि माननीय सदस्यों ने जिन्होंने मुझे, यह लोक सभा चुनाव के पहले खुल गये थे तो जिन माननीय सदस्यों के प्रस्ताव आ गये थे, सभी दलों के, वो तो मेरे से निकल गये और जो माननीय सदस्य किसी कारण से देने से रह गये वो खुले नहीं। फिर हमने एक क्राइटेरिया बना दिया था कि एक किलोमीटर की अवधि में प्रस्ताव आ जाए तो कुछ जो नये बसे हैं, जैसे बीकानेर जिले में नहर के निकलने के बाद में नये-नये गांव बने हैं उनमें विद्यालय थे ही नहीं, तो वहां एक बार में 50-50, 60-60 विद्यालय खुल गये क्योंकि एक-एक किलोमीटर की कोई सीमा नहीं थी। अभी भी मैं कह रहा हूं कि किसी प्रकार का भेदभाव का विचार नहीं है। एक किलोमीटर की अवधि में जिन माननीय सदस्यों के यहां पर, किसी भी पक्ष के हैं वो मुझे लिखकर के दे दें, प्राथमिक विद्यालय निश्चित रूप से उन सब में खोल दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता और न ही सरकार करेगी।

दूसरा, इसके अलावा जो क्रमोन्नत करने की जो नीति है, माननीय अध्यक्ष महोदय, दो प्राथमिक विद्यालय पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की है। जिन विधान सभा क्षेत्रों में इस प्रकार की स्थिति अभी नहीं बनी है उन विधान सभा क्षेत्र के माननीय सदस्यों से मैं आग्रह करूंगा कि 2-2 प्राथमिक विद्यालय का बनाकर के कि यहां पर एक उच्च प्राथमिक चाहिए वह सूची मेरे पास आयेगी। मेरे पास 800 विद्यालय और

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उपलब्ध हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसी प्रकार से खोलें। जहां तक अभी सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी का सवाल है, 400 और 200 का बजट में प्रावधान है। बजट पारित होने के बाद में, जैसे आपने पूछा कि कन्या विद्यालय को, कन्या विद्यालय और अन्तिम कक्षा की छात्र संख्या को वरीयता देते हुए विद्यालयों को खोला जाएगा।

श्री अध्यक्ष : सी. पी. जोशीजी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय मंत्री महोदय, यह बताने का कष्ट करें कि राजीव गांधी पाठशाला और प्राथमिक विद्यालयों में क्या अन्तर है? राजीव गांधी पाठशाला भी कक्षा पांच तक एजुकेशन देने के लिए खोली गई। अब हम उनको प्राथमिक विद्यालय कह रहे हैं, तो या तो राजीव गांधी पाठशालाओं को सब को आप प्राथमिक विद्यालय कर दें या राजीव गांधी पाठशाला के नाम को खतम करने के लिए हम प्राथमिक विद्यालय नहीं खोल रहे हैं इसके सम्बन्ध में आप स्पष्टीकरण दे दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, माननीय जोशीजी ने बिलकुल ठीक प्रश्न किया है। पहली बात तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा गारंटी केन्द्र के रूप में राजीव गांधी पाठशालाओं को खोला गया था। इन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया। शिक्षा गारंटी योजना...

डा. सी. पी. जोशी : मैं बोलना चाहता हूं। सारी टू इंटरवीन। राजीव गांधी पाठशाला जब खोली गई तब देश के प्रधान मंत्री देवेगौड़ाजी थे। उन्होंने भारत सरकार के बजट में कहा कि मध्यप्रदेश के पैटर्न पर सारे हिन्दुस्तान में स्कूल खोलेंगे। उसके कारण राजस्थान सरकार ने खोली। बाद में 2000-2001 में जो वेतन की व्यवस्था करनी थी और ई.जी.एस. स्कीम थी उससे उसका ट्रांसफर किया। इसलिए दो बातें समझें, राजीव गांधी पाठशाला का कोई सम्बन्ध ई.जी.एस. से नहीं है। तनख्वाह का जो पेमेंट करने का पैसा है, जैसे आज भी हम डी.पी.ई.पी. के पैसे में दे रहे हैं, हम लोक जुम्बिश के पैसे में दे रहे हैं, यह वेतन की व्यवस्था करना अलग पार्ट है। लेकिन राजीव गांधी पाठशाला जो खोली गई थी उसमें राजीव गांधी पाठशाला के भवन निर्माण का काम अकाल राहत में किया गया था। और वेतन की व्यवस्था सरकार का जो बजट है उसमें से की गई थी और बाद में जब पैसा ई.जी.एस. का आया तो उसमें ट्रांसफर करके तनख्वाह का उसमें दिया। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ई.जी.एस. को उस के साथ नहीं जोड़ें। ई.जी.एस. तो आज भी है। आपने जो सर्व शिक्षा अभियान

(डा. सी. पी. जोशी)

प्रारम्भ किया तो भारत सरकार ने 500 रुपये दिये उसमें भारत सरकार ने कहा था कि तीन साल बाद सर्व शिक्षा अभियान को हम प्राथमिक विद्यालय में कन्वर्ट करेंगे। तो वह तो पैसा ट्रांसफर करने का सम्बन्ध है। मैं तो एक मूल प्रश्न पूछना चाहता हूं कि राजीव गांधी पाठशाला पांचवीं तक की क्लास की टीचिंग इम्पार्ट कर रही है तब हम उनको प्राथमिक विद्यालय क्यों करें? या तो राजीव गांधी पाठशाला सबको प्राथमिक विद्यालय कह दीजिये, उनका नाम खतम करने के लिए हम प्राथमिक विद्यालय करें तो यह आपकी मन्शा बताई जाए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न के रूप में पूछिये। प्रश्न के रूप में पूछिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत साफ-साफ कहना चाहता हूं कि राजीव गांधी पाठशाला चालू है। राजीव गांधी पाठशालाओं के भवन का निर्माण हुआ वह दसवें वित्त आयोग का पैसा जो पंचायतों को मिला था उसमें से भी पैसा लगा, अन्य कार्यों से भी उसका पैसा लगा। इसके बाद में शिक्षा गारन्टी केन्द्र के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान में डी.पी.ई.पी. में जो पैसा हमारा आ रहा था उस पैसे से उनका भुगतान हुआ। और मैं आपको सूचना के लिए बताऊं, मैंने राजीव गांधी पाठशालाओं को नियमित पाठशालाओं में करने का प्रावधान नहीं किया है। मेरे आने से पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय पर ही एक क्रमबद्ध तरीके से राजीव गांधी पाठशालाओं को नियमित पाठशालाओं में बदलने का राजस्थान सरकार का प्रस्ताव भारत सरकार के पास चला गया और उसी प्रस्ताव को मैं स्वीकार कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं और मेरे मंत्री बनने से पहले 2317 राजीव गांधी पाठशालाओं को क्रमोन्नति का प्रस्ताव तत्कालीन शिक्षा मंत्रीजी के माध्यम से भारत सरकार के पास चला गया था वो ही स्वीकार हुआ है। राजीवजी का नाम बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसमें मेरा कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ इतना ही कहना है कि राजीव गांधी पाठशाला और नियमित पाठशालाओं में फर्क क्या है इतना ही बता दूं कि जब राजीव गांधी पाठशाला नियमित पाठशालाओं में बदलेगी तो दो थर्ड ग्रेड के ट्रेंड टीचर उसमें और लगेंगे और 500 रुपये प्रति शिक्षण सामग्री के हिसाब से और उसमें सुविधा जुड़ जाएगी। और राजीव गांधी पाठशालाएं हैं वो और अधिक मजबूत हो जाएंगी। किसी प्रकार की राजनीति का सवाल ही नहीं है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार कहता हूं कि शिक्षा में मेरा राजनीति का कोई विचार नहीं है, न नाम के बारे में, न काम के बारे

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

में। यह बिलकुल एक-एक करके आपको मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं माननीय जोशीजी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान। वो मूल प्रश्नकर्ता हैं। आपको भी पूछने देंगे। यह अच्छी बात है आपने कहा कि शिक्षा में कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं आयेगा, शिक्षा सब को मिले। मेरा तो आपसे इतना निवेदन करना है कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेवात क्षेत्र में शिक्षा बहुत पीछे है और...(व्यवधान) आप चुप रहिये, आप जानते नहीं है क्या बात है।

श्री कालीचरण सर्राफ : अध्यक्ष महोदय, ये क्यों मिटाना चाहते थे राजीव गांधी का नाम, यह तो स्पष्ट करो।

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं बोलें, उनको प्रश्न पूछने दें, वो मूल प्रश्नकर्ता हैं।

श्री जुबेर खान : और आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि वहां के बच्चे-बच्ची मैन स्ट्रीम से जुडें, वहां शिक्षा में आयें। हमारे यहां ऐसी परिस्थितियां हैं कुछ कि लड़कियों को स्कूलों में नहीं भेजते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि जब तक बच्चियां नहीं पढ़ेंगी हिन्दी, अंग्रेजी, साइंस, मैथेमेटिक्स, तब तक किसी समाज का विकास नहीं हो सकता। इसी तरह से लोग मदरसे की तरफ ज्यादा जाते हैं। तो हमारा आपसे यह सबमिशन है कि मेवात क्षेत्र में थोड़ा रिलैक्सेशन देकर अगर आप छात्राओं की प्राथमिक शालाएं खोल दें तो हम सोचते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा छात्राओं को उन स्कूलों की तरफ लाने की कोशिश करेंगे ताकि उस क्षेत्र में शिक्षा आये और जो बुराई बढ़ रही हैं, जो अपराध बढ़ रहे हैं वो रुक सकें। क्या ऐसा आपका सोचना है कि मेवात क्षेत्र में बच्चियों की शिक्षा के लिए...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये आप।

श्री जुबेर खान : कोई विशेष आप थोड़ा रिलैक्सेशन देकर बच्चियों की प्राथमिक शालाएं खोलेंगे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेवात विकास बोर्ड बना हुआ है। मेवात विकास बोर्ड के माध्यम से स्पेशल अगर आप लड़कियों, बच्चियों की शिक्षा के लिए प्रस्ताव भेजेंगे और एक किलोमीटर के एरिया में यदि कोई विद्यालय उपलब्ध नहीं होगा तो निश्चित रूप से प्राथमिक विद्यालय खोलने में प्राथमिकता दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र सराधना।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है, प्राथमिक स्कूल जो खोले गये हैं तहसील स्तर पर पृथक से कोई मापदण्ड नहीं हैं। यह नीतिगत फैसला है कि सारे राजस्थान में प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे, विद्यालय क्रमोन्नत किये जायेंगे। बिना किसी मापदण्ड के, बिना किसी नीति के यह सम्भव नहीं है और सम्भव है तो आपका क्या आधार बनेगा, नम्बर एक।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछें।

श्री रामचन्द्र सराधना : नम्बर दो, आपने दो बातें लिखी हैं, जनसंख्या और अध्ययन हेतु छात्रों की संख्या, भवन की उपलब्धता और वित्तीय संसाधन और वित्तीय संसाधन, आपके सामने बजट आ गया है, ये सभी बातों का होना जरूरी हैं या इसमें से कोई एक आधार ही हो, उसके आधार पर आप यह विद्यालय क्रमोन्नत करेंगे, नम्बर दो।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न के रूप में पूछें आप, भाषण अलाऊ नहीं है। आपने प्रश्न तो पूछा ही नहीं।

श्री रामचन्द्र सराधना : मैंने प्रश्न पूछा है। आपने आठ बातें लिखी है, मैं निवेदन करूं आपसे...

श्री अध्यक्ष : आप तो जवाब पढ़ रहे हैं, आप प्रश्न पूछिये यहां पर।

श्री रामचन्द्र सराधना : आठ बातें लिखी हैं, इसमें से आठ का आठ होना जरूरी है या एक होना जरूरी है। आपने गौर नहीं किया, मैं कह रहा हूं कि आठ बातें लिखी हैं इन्होंने कि यह होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि एक होनी चाहिए या सारी होनी चाहिए? एक तो यह बात है।

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्रमोन्नत करने के लिए प्रदेश के सभी विद्यालयों के क्षेत्र को ध्यान में रखा गया है या किसी को छोड़ दिया गया है? यदि छोड़ दिया गया है, तो कौन-कौनसे क्षेत्र में छोड़ दिया गया है, नम्बर एक और यदि सभी को ध्यान में रखा गया है तो प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कितने-कितने और किस स्तर के विद्यालय खोलने का आधार है, यह आप बतायें।

(श्री रामचन्द्र सराधना)

तीसरा, प्रश्न एक और है, आपने राजीव गांधी पाठशालाओं को प्राथमिक विद्यालय में कन्वर्ट करने का प्रस्ताव रखा है और कन्वर्ट किया है तो उन प्राथमिक विद्यालयों का राजीव गांधी प्राथमिक विद्यालय नाम रखेंगे या केवल राजीव गांधी नाम हटाकर प्राथमिक विद्यालय में बदलना चाहते हैं? और यदि बदलना हैं, तो सारे राजस्थान के राजीव गांधी पाठशालाओं को एक साथ बदला जाये, जैसा आपने कहा कि यह आपका आधार है, यह बता दें इसको।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है पहले यह बताया जाये कि वह कौन शिक्षा मंत्रीजी थे, जिन्होंने राजीव गांधी का नाम हटाने का षड़यंत्र किया और उस शिक्षा मंत्री को क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने दल से निकालने की कार्यवाही की? यह बताने की भी आवश्यकता है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको क्या मतलब है? कांग्रेस कुछ भी करे, आपको क्या मतलब है इससे? (व्यवधान) एक्शन ले, नहीं ले, आप पूछिये प्रश्न।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि...यह तो आपने मना नहीं किया है...

श्री रामचन्द्र सराधना : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया (व्यवधान) मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया शिक्षा मंत्री महोदय।

श्री संयम लोढ़ा : आपने पूरे राजस्थान में 1661 प्राथमिक नये विद्यालय खोले...

श्री अध्यक्ष : पहले जो प्रश्न पूछे हैं मूल प्रश्नकर्ता ने, उनके जवाब तो आ जाने दीजिये। आप यूं खड़े हो जाते हैं मिस्टर लोढ़ा, यह ठीक नहीं है।

श्री रामचन्द्र सराधना : मेरा भी साथ में दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष : पहले प्रश्नों का जवाब आने दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यह निवेदन करूंगा, यह विवाद का विषय है ही नहीं। जो प्रस्ताव सरकार ने भेजा था और जो प्रस्ताव भारत

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सरकार ने स्वीकार किया था, उसी के हिसाब से पाठशालाओं को क्रमोन्नत किया जाएगा। ये प्राथमिक पाठशालाएं आलरेडी हैं ही, क्रमोन्नति के लिए इनको परिवर्तित किया गया है तो किसी का नाम परिवर्तित करने का मतलब ही नहीं है। किसी के भी नाम का सवाल नहीं है। जिस प्रकार का प्रस्ताव था, उसी रूप में रहेगा, मेरी तरफ से इसमें किसी प्रकार की कांट-छांट नहीं होगी, यह मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं (व्यवधान) मैं मेरी बात कह रहा हूं जोशीजी।

डा. सी. पी. जोशी : नहीं-नहीं अध्यक्ष महोदय, आप दो बात कह रहे हैं। मैं यह बात कह रहा हूं, जो प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव के अन्दर भारत सरकार, चूंकि पहले भारत सरकार एन.डी.ए. की थी इसलिए एन.डी.ए. सरकार ने प्रस्ताव पास कर दिया, आप यह कहना चाहते हैं, आप यह एरयोरेंस दीजिये, आप तो यह एश्योरेंस दीजिये कि राजीव गांधी पाठशाला के नाम को नहीं बदलेंगे। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : यह प्रस्ताव किसने भेजा?

डा. सी. पी. जोशी : पहले यहां पर अटलजी, आडवाणीजी के नाम पर तो हल्ला करते थे आप। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हमने नहीं बदला।

डा. सी. पी. जोशी : आपका किसने नाम हटाया? जयप्रकाश नारायण का नाम...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव किसने भेजा? ये राजीव गांधी के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं, इससे ही पता चलता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न, श्री रामनारायण मीणा। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : राजीव गांधी नाम हटाने का प्रस्ताव आपने रखा है।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, ये क्या बात करते हैं? आप मंत्री हो कि गैर जिम्मेदार आदमी हो? आप सरकार में हो, आप सरकार में मंत्री हो। जिसने भी प्रस्ताव रखा, मंत्रीजी बतायेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण मीणा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पर जोशीजी आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको।

डा. सी. पी. जोशी : आप गैर जिम्मेदार आदमी हैं, किसने क्या किया, मंत्रीजी को पता है, किसने किया? खाली बात कर रहे हो, आपको यह नहीं करना चाहिए था, वह नहीं करना चाहिए था। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं बता रहा हूं ना।

डा. सी. पी. जोशी : मंत्रीजी बतायेंगे, कितने किया, आपकी सरकार से करवा लो, मालूम पड़ना चाहिए आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ए.सी.आर. आपकी खराब हो रही है इसलिए आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? ए.सी.आर. आपकी खराब हो रही है, सोनियाजी तक जाएगी, सोनियाजी तक जाएगी।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपकी याददाश्त पर तरस आ रहा है, मैं शिक्षा मंत्री नहीं था उस समय, आपकी इतनी कमजोर याददाश्त है, क्या सरकार चलायेंगे? याददाश्त को ठीक करिये...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपका मतलब कल्लाजी हैं। आप कल्लाजी को हटाना चाहते हो? यह कल्लाजी हैं?

डा. सी. पी. जोशी : आप ही बतायेंगे, वह नाम कौन था, आप बतायें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं बता रहा हूं ना भाई, आप बैठिये। अध्यक्ष महोदय, मैं उस विवाद में जाना नहीं चाहता...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपकी आज्ञा से बैठ गया, आप मंत्रियों को देखो।

श्री अध्यक्ष : मंत्री और पूर्व मंत्री, सब खड़े हैं। जैसा मंत्री कर रहे हैं, वैसा ही पूर्व मंत्री कर रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, सदस्य कोई जानकारी लेना चाहे उसका तो अधिकार मिल नहीं रहा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, जवाब दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे रहा हूं। (व्यवधान) एन.डी.ए. की सरकार का कोई मतलब नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपसे एक बहुत विनम्र निवेदन करूंगा, किसी एक माननीय सदस्य को अधिकार नहीं है कि सारा का सारा प्रसाद वही ग्रहण करें। नाथद्वारा में सुआकसूंठ का लाड्डू सर्दियों में मिलता है और उसमें गर्मी आती है तो हमारे माननीय सी.पी. जोशी साहब, सारा का सारा प्रसाद सुआकसूंठ अकेले ही खा रहे हैं खाली, बाकी 199 हम देखते ही रह जाते हैं तो यह तो आप इसकी व्यवस्था करें, सभी को थोड़ा-थोड़ा दें। थोड़ी-थोड़ी गर्मी सभी में आ जाएगी तो गर्मी का ठेका आपका ही नहीं रहा, एक तो आप यह काम कर दीजिये।

दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो भारत सरकार को राजस्थान सरकार ने प्रस्ताव भेजा था, वही का वही भारत सरकार ने स्वीकार किया है। तत्कालीन सरकार के प्रस्ताव को किसी भी रूप में परिवर्तित करने का मेरा कतई ही विचार नहीं है, मैं यह आपको कहना चाहता हूं, नम्बर एक। दूसरी बात, सुनिये आप पहले।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : भेजा किसने था?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न, श्री रामनारायण मीणा।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आप इश्योरेंस दीजिये यहां पर।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल का जवाब चाह रहा हूं। राजीव गांधी पाठशालाओं में भी प्राथमिक स्तर की शिक्षा थी, उनको खाली परिवर्तित कर प्राथमिक स्कूल आपने बना दी, प्राइमरी स्कूल बना दी। हमारा एक सवाल है, प्राथमिक स्कूल में कन्वर्ट करने के बाद, परिवर्तित करने के बाद क्या सरकार का राजीव गांधी के नाम को हटाने का इरादा तो नहीं है?

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब तो दे दिया मंत्रीजी ने।

एक माननीय सदस्य : यह तो सारा मामला ही खतम हो गया। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, जो तत्कालीन सरकार का प्रस्ताव था, वही प्रस्ताव भारत सरकार ने स्वीकार किया और मैं उसी प्रस्ताव पर कायम हूं, मेरी तरफ से कोई चेंज नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, उसका नाम राजीव गांधी पाठशाला रहेगा कि नहीं? तो उस पर आपका क्या विचार है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जो आपका प्रस्ताव था, वही रहेगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : राजीव गांधी पाठशाला का नाम क्या रहेगा? राजीव गांधी पाठशाला नाम रहेगा या नहीं रहेगा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नाम हटाने का प्रस्ताव आपने दिया था क्या कल्लाजी? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, कोई स्कूल यदि प्राइमरी है, मिडल है, उसमें तो नाम वही रहता है, नाम नहीं बदल सकते...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : राजीव गांधी के नाम के नहीं हटाये जाने पर कोई एतराज नहीं है। क्या राजीव गांधी का नाम स्कूलों से हटाकर, राजीव गांधी का नाम इतिहास में तो खतम नहीं कर सकते ये, राजीव गांधी इतिहास पुरूष रहे हैं आज, आज ये क्यों छोटी मोटी बातों के झगड़ों में पड़े हुए हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं उस प्रस्ताव पर कायम हूं।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि राजीव गांधी पाठशालाओं का नाम रहेगा क्या? राजीव गांधी का नाम रहेगा क्या? आप सटीक जवाब दीजिये, आप सीधा जवाब दीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, जवाब दे रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी : आपको नाम रखना चाहिए।

श्री संयम लोढ़ा : मंत्रीजी, आप यह मत भूलिये कि उनके साथ में राजस्थान की स्थापना के 50 साल पूरे होने पर स्वर्ण जयन्ती शब्द भी जुड़ा हुआ है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, सीनियर स्कूल जो ग्रामीण क्षेत्र में आप क्रमोन्नत करेंगे क्या राजस्थान की व्यवस्था कृषि पर आधारित होने के कारण उसमें निश्चित प्रतिशत, 25 प्रतिशत ग्रामीण विद्यालयों को सीनियर में क्रमोन्नत करेंगे, क्या आप उनको कृषि विद्यालय, कृषि फैकल्टी में क्रमोन्नत करेंगे या नहीं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में 2-3 बातें बता देना चाहूंगा...

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी जवाब आप दिलवा दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपका भी दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : जवाब तो आ जाने दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : रामचन्द्रजी सराधना, जमवारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा था, आठ आपने मापदण्ड रखे हैं, आप उनमें कौनसे मानेंगे? प्रमुख रूप से एक किलोमीटर की परिधि में यदि दूसरा कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है तो उसको और एक किलोमीटर से भी कम है और जन प्रतिनिधि कह दे कि बहुत दूर से, पहाड़ से आना पड़ता है तो जन प्रतिनिधि की बात को महत्व देंगे और उन दोनों बातों को देखकर खोलेंगे। दूसरी बात यह है कि जो यू.पी.एस. बनाने की बात है, इसमें अन्तिम कक्षा की छात्र संख्या और दो प्राथमिक विद्यालयों के ऊपर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी के बारे में मैंने आपको बताया है, उसके अन्तर्गत एक तो एग्रीकल्चर वाला निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्रावधान इसमें करवायेंगे। एक बात तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि एग्रीकल्चर की पढ़ाई में हमारा बहुत कम परसेंटेज है एक तो वह करायेंगे। लड़कियों की संख्या जिसमें ज्यादा होगी और अन्तिम क्लास जैसे सीनियर सैकण्डरी होनी है तो दसवीं में मान लीजिये एक कांस्टीट्वेन्सी में दो या तीन आती है। तो जिन विद्यालयों में दसवीं में संख्या ज्यादा है उनकी और फीडर विद्यालय कितने हैं उसकी इसी प्रकार से बारहवीं में, इन तीनों बातों को देखकर करेंगे। और एक बात मैं अन्त में कहकर यह समाप्त करूंगा, अध्यक्ष महोदय, इस सरकार का किसी भी प्रकार से राजनीतिक रूप से कोई ऐसा काम करने का विचार नहीं है जो किसी भी महापुरूष के साथ किसी भी प्रकार की, भारत रत्न थे राजीवजी और हम उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं करना चाहते...

श्री अध्यक्ष : वेरी गुड।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जो प्रस्ताव तत्कालीन सरकार ने भेजा था उसको हू-ब-हू से मैं लागू करूंगा, कोई भेदभाव नहीं करूंगा। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : आपसे पुनः पूछा है कि राजीव गांधी पाठशाला नाम रखेंगे क्या?

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री रामनारायण मीणा (व्यवधान) श्री रामनारायण मीणा।

डा. सी. पी. जोशी : सदन के अन्दर लायें जो प्रस्ताव था, कौन सा प्रस्ताव बतायें। भारत सरकार को जो प्रस्ताव भेजा वह बतायें आप, किस तारीख का प्रस्ताव था, वह बतायें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अगर चाहेंगे तो अभी तो मेरे पास है नहीं और अब जब भी चाहेंगे तो मैं उसकी कापी सदन पटल पर रख दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप ही ने तो किया है कबाड़ा। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट। क्या उस प्रस्ताव में राजीव गांधी पाठशाला का नाम परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया था...(व्यवधान) और यदि नहीं है तो आप...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : यह तो आपको पता है, प्रस्ताव भेजा है, आपको पता है... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, जिस स्कूल का नाम जो रखा जाता है वह फिर परिवर्तित नहीं होता है चाहे वह क्रमोन्नत हो जाय या कुछ भी हो जाय।

श्री ओम बिरला : जो आपने भेजा है, प्रस्ताव आपने भेजा है, आप बताइये सदन को।

डा. बुलाकीदास कल्ला : इसलिए क्या आप उन स्कूलों का नाम राजीव गांधी पाठशाला रखेंगे या नहीं रखेंगे, इसका जवाब दो आप।

श्री ओम बिरला : आपने सदन में बताया है...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जो आपने तय किया था वही करेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : तय तो यह किया था कि राजीव गांधी पाठशाला नाम रहेगा उसका। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने अगर रखा था तो रहेगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हमने राजीव गांधी पाठशाला रखा हुआ है... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप पकड़े गये कल्ला साहब, यह सोनिया गांधीजी तक बात जायेगी, पकड़े गये आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है आप प्रस्ताव की मूल कापी सदन के पटल पर रख दीजिये, क्रमोन्नत स्कूलों का नाम वही रहेगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कल्ला साहब, आप जवाब दीजिये, सदन का समय मत खराब कीजिये...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री रामनारायण मीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम नारायण मीणा।

श्री रामनारायण मीणा : प्रश्न संख्या 36, चार दफा बोल दिया मैंने, चार दफा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं मंत्रीजी के मुंह में मेरे शब्द या आपके शब्द नहीं डाल सकती हूं, उनको जो बोलना था, कहना था, कह दिया, मैं तो विवश नहीं कर सकती कि आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : राजीव गांधी पाठशालाओं को नाम वही रखा जायेगा या नहीं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं विवश नहीं कर सकती, जो जवाब देना था, दे दिया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनारायण मीणा।

श्री रामनारायण मीणा : प्रश्न संख्या 36 ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : राजस्थान नहर का नाम क्यों बदला...(व्यवधान) ऐसे ही चमचागिरी से क्या होता है।

श्री ओम बिरला : ऐसे नहीं होगा चमचागिरी से।

श्री सांवर लाल : खण्ड-1 जी हां। खण्ड-2 जी नहीं...

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी, आप हां-ना में जवाब दीजिये, इन शालाओं का नाम राजीव गांधी पाठशाला रहेगा या नहीं रहेगा, बस, इसका जवाब दे दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। मंत्री जवाब दे रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी इस प्रश्न का जवाब पूरे साफ तौर से यहां पर दें, आप दीजिये, इसका नाम राजीव गांधी पाठशाला रखेंगे या नहीं रखेंगे और नहीं रखेंगे तो राज्य सरकार की कथनी और करनी में अन्तर है और वह स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम प्रश्न के उत्तर के विरोध में वाक-आउट करते हैं।

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस के माननीय सदस्यगण द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया)

नैनवां (बूंदी) तहसील क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था

36. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील नैनवां क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में गर्मी के दिनों में सड़क (टेंकर) के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त ग्रामों के पशुओं के लिए भी पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाती है? यदि हां, तो ग्रामवार पशुओं की संख्या के आकलन सहित वितरित किए गए एवं पानी की मात्रा का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण मीणा)

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त ग्रामों की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए योजना तैयार की गई है? यदि हां, तो क्या तथा नहीं. तो अब कब तक योजना तैयार करवा ली जायेगी?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री सांवर लाल) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं। (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सन्दर्भ में)

(3) जी हां। ग्रीष्म 2003 में 37 गांवों में जल परिवहन हुआ था। वर्ष 2004 में मात्र 14 गांवों में जल परिवहन चल रहा है। इसमें 12 गांव ऐसे थे जहां 2003 में भी जल परिवहन हुआ था। करवाए गए कार्य व स्थिति निम्न प्रकार रही-

ग्राम संख्या	विवरण
14	2 सिंगल फैज चलित कूप, 14 हैण्डपम्प, 3 नलकूप, लगाकर चालू किए जिससे वर्ष 2004 में परिवहन आवश्यक नहीं रहा।
11	स्थानीय रिचार्ज होने से 2004 में परिवहन आवश्यक नहीं रहा।

देई गांव के लिए 3 नलकूप बना दिए हैं। 7500 मीटर लगभग पाईप लाईन डाल दी गई है तथा टेस्टिंग में है। कार्य पूर्ण होते ही यहां परिवहन समाप्ति की आशा है। समस्या के स्थायी समाधान के सन्दर्भ में वर्ष 2003 से स्वजलधारा कार्यक्रम प्रारम्भ हो चुका है। वर्णित 39 गांवों में से 5 में स्वजलधारा कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंगल फैजचलित अंगीकृत किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान। (व्यवधान)

प्रश्न संख्या-37

(अनुपस्थित कृपया आगे देखें)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके कहने के बाद बिलकुल साफ-साफ उत्तर दिया है। मैंने साफ कहा कि तत्कालीन सरकार ने इन पाठशालाओं को बदलने का जो निर्णय किया था उसी पर यह सरकार कायम है। अपने निर्णय के खिलाफ अगर यह लोग वाक-आउट करके जाते हैं तो इससे बुरी कोई बात नहीं है, जो निर्णय इन्होंने किया है...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : वापस आ गये यह।

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान। मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पार्टी छोड़ दी, आ गये वापस, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : प्रश्न संख्या 38

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रामनारायण मीणा : मेरे को प्रश्न पूछना था।

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद। (व्यवधान)

राज्य की रूग्ण औद्योगिक इकाइयां

38. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कुल कितनी छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाइयां पंजीबद्ध हैं? क्या यह सही है कि उक्त में से अधिकतर औद्योगिक इकाइयां रूग्ण व बन्द हैं? यदि हां, तो कौन-कौन सी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बन्द व रूग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुन: संचालित करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उद्योग मंत्री (श्री नरपत सिंह राजवी) : (1) राज्य में मई, 2004 तक कुल 252022 आर्टीजन एवं लघु उद्योग इकाइयां विभाग में पंजीबद्ध हैं तथा 622 वृहद एवं मध्यम उद्योग स्थापित हैं। उक्त लघु उद्योग इकाइयों में से तृतीय गणना के दौरान (नवम्बर, 2002 से फरवरी, 2003) 84256 लघु उद्योग इकाइयों के सर्वेक्षण में से 37878 इकाइयां बन्द पायी गई तथा 268 वृहद् एवं मध्यम उद्योग बन्द हैं। दिनांक 31.1.2003 तक जिला स्तरीय रूग्ण इकाई चिन्हीकरण समितियों द्वारा 142 लघु उद्योग इकाइयों का रूग्ण इकाई के रूप में चिन्हीकरण किया गया है। सर्वेक्षण में 37878 इकाईयां बन्द पाई गई हैं। विभाग द्वारा सूची नहीं रखी जाती है। अब सूची तैयार कराने में अत्यधिक

(श्री नरपत सिंह राजवी)

समय व श्रम लगेगा। यह भी है कि यह सूची एक समय बिन्दु के लिए होगी। समय-समय पर कुछ पुरानी इकाईयां चालू हो जाती हैं, कुछ नई इकाइयां बन्द हो जाती है। सूची परिशिष्ट ब पर है।

(2) सरकार अपने स्तर पर किसी बन्द व रूग्ण इकाई को चालू नहीं करती, उद्योगपति यदि किसी रूग्ण/बन्द इकाई को पुनः संचालित करना चाहे तो सरकार सहायता पुंज के आधार पर रूग्ण इकाई को सहायता/सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु सहयोग प्रदान करती है। परिशिष्ट अ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय उद्योग मंत्रीजी ने जवाब दिया मेरे प्रश्न के खण्ड एक में कि रूग्ण इकाइयों का कोई इन्द्राज उद्योग विभाग में नहीं रखा जाता है। जब नहीं रखा जाता है तो फिर यह संख्या आपने जो बताई है तो यह संख्या किस आधार पर बताई है, पहली चीज तो यह। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह कहा है कि रूग्ण इकाइयों को, बन्द इकाइयां हैं उनको चालू सरकार अपने स्तर पर नहीं करती है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट भाषण दिया है उसमें कहा है कि हम प्रदेश के औद्योगिक विकास को वापिस सही लाइन पर लाने के लिए एक पैकेंज देकर इनको चालू करेंगे। तो क्या उसके बाद आपने जो उत्तर दिया है, आपकी क्या कार्य योजना है? आज जो बन्द इकाइयां हैं, रूग्ण इकाइयां हैं उनको क्या पैकेज देकर किस रूप में शुरू करना चाहते हैं, कृपया अवगत करायें।

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, रिजर्व बैंक द्वारा रूग्ण इकाइयों की परिभाषा दी गई है। परिभाषा में सारी रूग्ण इकाईयों जो लघु उद्योग से सम्बन्धित हैं क्योंकि लघु उद्योग और आर्टिजन और अति लघु उद्योग, जो टाइनी सेक्टर कहते हैं, उन तीनों को इसमें सम्मिलित रखना चाहते हैं। जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में घोषणा की है, अभी वर्तमान में रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास हेतु जो पैकेज अभी तक जितना दिया गया है उसमें है विद्युत शुल्क, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली, पुनर्स्थापना-पुनरूत्थान अवधि से पांच वर्ष तक के लिए स्थगित करना, स्थगित की गई राशि पर ब्याज, जुर्माना व दण्डनीय ब्याज से वसूली से मुक्ति. पुनर्चलन से पूर्व विक्रय-कर, क्रय-कर, विद्युत शुल्क की बकाया राशि के भुगतान का पुनर्निर्धारण व ब्याज, जुर्माना. दण्डनीय ब्याज से मुक्ति. रूग्ण उद्योगों की भूमि को वित्तीय संस्थाओं/

(श्री नरपत सिंह राजवी)

बैंकों जिनमें इकाइयों द्वारा ऋण प्राप्त किया गया है, के पास गिरवी रखने की राज्य सरकार की स्वीकृति शीघ्र प्रदान करना, रूग्ण औद्योगिक इकाइयों पर राजकीय विभागों, निगमों की बकाया के भुगतान करने के सम्बन्ध में बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं की प्रत्याभूतित किये जाने पर बल नहीं दिये जाना, कोलेटरल सिक्योरिटी से सम्बन्धित, रूग्ण इकाइयों को बिजली प्रदायन के सम्बन्ध में विच्छेद की तिथि से सम्बन्ध पुन: जोड़े जाने तक यह तिथि की अवधि में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रसारित प्रमाण पत्र के आधार पर मिनिमम चार्जेज की वसूली से मुक्ति विद्युत प्रदाय कनेक्शन पुन: जोड़े जाने पर यदि वह इकाई एच.टी. कंजूमर है तो विद्युत प्रदाय सम्बन्ध विच्छेद के समय बकाया देय राशि पर लेट पेमेंट, सरचार्ज के स्थान पर 15% ब्याज दर से वसूली इसके साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, नयी औद्योगिक इकाइयों के समक्ष 1998 में यह रखे, के समक्ष रुग्ण इकाइयों को बिक्री कर में छूट, आस्थगन का लाभ, प्रबन्ध में परिवर्तन के माध्यम से नये विनियोजन के साथ यदि रूग्ण इकाई को पुनजीर्वित किया जाता है तो उसे नई इकाई के समान बिक्री कर में छूट दी जाती है बशर्ते कि ऐसी इकाई ने पूर्व में बिक्री कर का लाभ न लिया हो। अगर लाभ लिया हो तो शेष जितना है उसी का लाभ मिलेगा। ऐसी रुग्ण इकाइयां जो प्रबन्धन में परिवर्तन के साथ-साथ नयी पूंजी विनियोज़न से पुनजीर्विकरण हेतु प्रयासरत हों, नयी इकाइयों के समक्ष बिक्री कर मुक्ति, आस्थगन की पात्रता राज्य सरकार रीको, राज्य वित्त निगम से नये प्रबन्ध द्वारा लीज पर ली गयी रूग्ण इकाई को भी नयी इकाई के समान कर मुक्ति, आस्थगन का लाभ मिलता है। नयी निवेश नीति के अनुसार 5% का ब्याज में अनुदान, इलेक्ट्रिसिटी इयूटी 50% की छूट, इसके अतिरिक्त बजट में जो घोषणाएं की हैं वो सारे लाभ ऐसी रुग्ण इकाइयों को मिलेंगे। यदि स्वयं उद्यमियों द्वारा रूग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित किया जाता है तो ऐसी रुग्ण इकाइयों को निम्न सुविधाएं प्रदत्त की जाएगी। पूर्व के बिक्री कर एवं बिजली के बिल के बकाया दायित्वों का 6 अर्द्धवार्षिक किस्तों में भुगताना किया जा सकेगा। पूर्व के बिक्री कर एवं बिजली के बिल के बकाया दायित्वों पर प्रभारित ब्याज एवं शास्ति माफ की जाएगी। क्लोजर पीरियड के बिजली के मिनिस्टर चार्जेज माफ किये जाएंगे। निवेश नीति 2003 के अनुसार 5% ब्याज अनुदान देय होगा। विद्युत शुल्क में 50% की छूट 7 वर्षों तक के लिए दी जाएगी। अप्रैल, 2004 से पूर्व घोषित रुग्ण इकाइयों के लिए निवेश नीति 2003 के अनुसार ब्याज अनुदान 50% जैसा मैंने आपसे निवेदन किया और विद्युत शुल्क में 50% की छूट।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब तो आपने दिया नहीं। आपने इसमें लिखा है कि विभाग द्वारा सूची रखी नहीं जाती है तो जब आपके पास रुग्ण इकाइयों की सूची ही नहीं है तो आप उनको चालू कराने में क्या मदद करेंगे? क्या विशेष पैकेज देंगे? फिर दूसरा आप इसमें कह रहे हैं कि हमने जो सर्वे कराया उसमें 37878 इकाइयां बन्द पायी गयी हैं और फिर तीसरा इसमें हाथ की हाथ यह भी कह रहे हैं कि अगर बन्द औद्योगिक इकाइयों की सूची तैयार करेंगे तो इसमें अधिक श्रम और समय लगेगा। मतलब आपकी बात अपने आप ही कंट्रोवर्सियल है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूं कि आप इसको क्लियर तो करें कि क्या आप सूची रखेंगे? (व्यवधान) लेट मी कम्पलीट।

श्री नरपत सिंह राजवी : ओ. के।

मोहम्मद माहिर आजाद : तो पहले तो आप इसको क्लियर करें। दूसरा मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि ये जो बन्द औद्योगिक इकाइयां हैं इनमें प्राइवेट सैक्टर की कितनी हैं और पब्लिक सैक्टर की कितनी हैं क्या उसकी जानकारी आपके पास है? कृपया उससे अवगत करायें और तीसरा ये जो आपने बताया कि ये सुविधाएं बिजली में छूट, सैल्स टैक्स में छूट ये तो हमेशा से ही हैं। पैकेज जिसको कहते हैं वो स्पेशल आप उनको क्या विशेष सुविधा मुहैया करा रहे हैं ताकि वो जो उद्योगपति हैं या औद्योगिक इकाइयों के स्वामी हैं, वो वापस इनको चालू करा सकें, लोगों को रोजगार मिल सके। मैं यह आपसे जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने पढ़ा नहीं है 142 लघु उद्योग इकाइयों का रुग्ण इकाइयों के रूप में चिन्हीकरण किया गया है। जवाब में दिया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने पूछ लिया। मैंने पूछा है उसकी सूची...।

श्री अध्यक्ष : हां 142

मोहम्मद माहिर आजाद : 142 नहीं।

श्री अध्यक्ष : यह लिखा है इन्होंने।

मोहम्मद माहिर आजाद : ...(व्यवधान)...माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आगे भी पढ़िये इन्होंने जो लिखा है विभाग द्वारा सूची...।

श्री अध्यक्ष : मैंने आगे भी पढ़ा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : विभाग द्वारा सूची नहीं रखी जाती है। अब देखिये इसमें लिखा है विभाग द्वारा सूची नहीं रखी जाती है अब सूची तैयार करने में अत्यधिक समय लगेगा तो मैं तो पूछ रहा हूं कि आप सूची क्यों नहीं रखते? जब आप सूची नहीं रखते तो सूची रखिये यह है मेरा। सूची...

श्री नरपत सिंह राजवी : हां आप बिराजें तो सही।

श्री अध्यक्ष : हर जगह की सूची के बारे में कहा है बाकी चिन्हीकरण किया है न 142 लघु उद्योगों का।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उदयपुर जिले में...

मोहम्मद माहिर आजाद : पहले जवाब तो आ जाए मूल प्रश्नकर्ता का। पहले मूल प्रश्नकर्ता का जवाब तो आ जाए एक मिनट।

श्री शांतिलाल चपलोत : मैंने भी प्रश्न पूछा है तो उसका नम्बर आना ही नहीं अब।

मोहम्मद माहिर आजाद : उद्योग मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं खड़े हुए थे।

श्री शांतिलाल चपलोत : आप ही का प्रश्न लगा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, 63 उद्योग बन्द हैं उनको चलाने के लिए सरकार के पास किस प्रकार की व्यवस्था और किस प्रकार का...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मूल प्रश्नकर्ता का जवाब पहले आने दीजिये माननीय सदस्य। मावली से आने वाले माननीय सदस्य, पहले उनका जवाब देने दो।

श्री शांतिलाल चपलोत : अरबों रुपयों की प्रापर्टी सरकार की और गैर सरकारी नष्ट हुई जा रही है। और उसके बारे में किस प्रकार का पैकेज देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या लोगों से बोरोइंग्स लेकर के कम दाम पर या कम इंट्रेस्ट पर बोरोइंग्स लेकर उनको फाइनेंस करने की सरकार की कोई मंशा है?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : पहले जवाब दे देने दें फिर पूछ लीजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता : जयपुर में जयपुर मैटल्स...(व्यवधान)

डॉ. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं कल से पूछ रहा हूं। बहुत दिनों से है। ये बिना अनुमति लिये ही बोल लेते हैं।

श्री शान्तिलाल चपलोत : (व्यवधान) मेरा तो प्रश्न है। मेरा तो माननीय... (व्यवधान) उद्योगों से जुड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : पहले मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आने दो।

मोहम्मद माहिर आजाद : पहले मूल प्रश्नकर्ता का जवाब दें।

श्री मोहन लाल गुप्ता : उसको चालू करने की...(व्यवधान) पूरक प्रश्न मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष : पहले मूल प्रश्नकर्ता का उत्तर आने दो।

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रश्नकर्ता, पूर्व इण्डस्ट्रिज मिनिस्टर और वित्त राज्य मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि 1952 से लेकर आप बता दो पंजीकृत सूची में कभी परिवर्तन हुआ है क्या? किसी भी प्रक्रिया में बन्द होने के बाद कोई सूचना आती है क्या? ये सर्वे भारत सरकार ने करवाया है। और मैंने निर्देश दिया है विभाग को जितने भी यहां कार्यक्रम में बैठे हैं उन सबको जिलों में भेजेंगे एक-एक जितने भी 2 लाख 52 हजार की जो सूची है उसके आधार पर आज की तारीख में वास्तविकता कितनी है उसका पता लगायेंगे। आज तक के जो भी आंकड़े पूर्व के संधारित थे उसको मैंने कैरी फारवर्ड किया है। सूची पंजीबद्ध उस समय की जाती है जब आपरेशन में आ जाती है कोई भी यूनिट। इसके अन्दर आर्टिजन यूनिट भी शामिल है जो अपने यहां पर जयपुर में मूर्तिकला का काम कर रहे हैं, कोई पत्थर गढ़ाई का काम कर रहा है. जैसलमेर के अन्दर पत्थर गढ़ाई का खूब है. सिकराय में खूब है, जिसने भी छोटा-मोटा लोन लिया है आर्टिजन है उस आर्टिजन की इकाइयां रजिस्टर्ड हो गयी, उसने वहां पर काम बन्द कर दिया, विभाग के पास कोई सूचना नहीं आती। उस

(श्री नरपत सिंह राजवी)

प्रक्रिया को किस आधार पर लागू किया जा सकता है आप लोगों से मैं सलाह ले लूंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन प्रक्रिया ऐसी हो कि अगर कोई बन्द करें तो कम से कम सूची हमको दे। अभी एक प्रोफार्मा पहले जारी किया था उस आधार पर मात्र 181 ने रेस्पोण्ड किया। कोई जवाब नहीं देना चाहता। फील्ड में जाकर 2 लाख 52 हजार 22 की जो सूची है उस रजिस्ट्रार के आधार पर डी.आई.सी., आर.एफ.सी. और रीको के अधिकारियों को फील्ड में भेजूंगा फेक्चुअल रिपोर्ट तो बनेगी। तब भारत सरकार के माध्यम से 84 हजार जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में भी शेष है। उन्होंने सैम्पल सर्वे किया है और आर्टिजन उसके साथ इंक्लूड नहीं किया है इसलिए अन्तर आपको ज्यादा लग रहा है। सूची संधारित उन्हीं की की जाती है जो इकाइयां रुग्ण कैटेगिरी में आ गयी हो लेकिन बन्द इकाइयों की सूची 52 से लेकर आज तक कहीं भी हो तो बता दो मैं भी हाउस से क्षमा मांग लूंगा। आज तक नहीं रखी है प्रक्रिया नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं उसके अन्दर सूची रखी जाए। हर साल अपडेट किया जाए और अपडेट करने की प्रक्रिया में अधिक कम्प्यूटराइजेशन होगा तब जाकर उसका लाभ मिलेगा। भविष्य में भी सुधार होगा।

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मेरा है।

श्री मोहन लाल गुप्ता : मैंने जयपुर मैटल्स के बारे में एक पूरक प्रश्न किया है। जयपुर मैटल्स के क्या ये सारे मजदूर (व्यवधान) हैं...उसको वापस चालू करें वे तनख्वाह छोड़ने के लिए तैयार हैं, बोनस छोड़ने के लिए तैयार हैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं तो प्रश्न यह है कि माननीय उद्योग मंत्रीजी ने खुद ने इनके पक्ष में काफी बयान दिये हैं। मैं चाहता हूं सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए...(व्यवधान)... इन हजारों के हित में है।

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी यह बतायें कि ये जितनी रुग्ण इकाइयां हैं। मुझे इजाजत दे दी आप बीच में कहां आते हैं? मुझे इजाजत दे दी आप कहां बीच में बोल रहे हैं?

श्री मोहन लाल गुप्ता : आपने भी कांफी संघर्ष किये हैं काफी आश्वासन दिये हैं उन...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दीजिये। आपसे परमिशन लेकर जो बोलता है उनकी तो बात आती नहीं है और बीच में कोई खड़ा होकर दूसरा बोलने लग जाता है। यह क्या व्यवस्था है? मैं कभी भी बिना अनुमति लिये नहीं बोलता।

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतक महोदय, आप अपने सत्ता पक्ष को कहिये कि एक ही एक समय में बोलें।

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, ये जो रुग्ण इकाइयां, माननीय मंत्री महोदय ने बतायी है इसमें आपने क्या इस तरह का सर्वे करवाया है कि जिन्होंने केवल सब्सिडी लेने के लिए कितनी ऐसी रुग्ण इकाइयां हैं जिन्होंने सब्सिडी ली है? केवल सब्सिडी लेने के लिए उन्होंने उद्योग खोले, कोई खोला ही नहीं गया केवल सब्सिडी ले ली और कागजों में दिखा दिया गया। अधिकारियों से मिल करके और कई लोग सब्सिडी, थोड़ा सा चला करके फिर बन्द कर दिया और रुग्ण इकाई घोषित कर दी। ऐसी कितनी हैं क्या आपने सर्वे करवाया है कितनी इकाइयां हैं? नम्बर-एक।

नम्बर-2 ये जितनी भी रुग्ण इकाइयां हुई हैं या कारखाने बन्द हुए हैं, उद्योग-धन्धे छोटे-बड़े इनसे कितने लोग बेरोजगार हुए हैं? कितने लोगों के ऊपर असर पड़ा बेरोजगारी का या कितने लोग बेरोजगार हुए हैं? ये दोनों प्रश्न मैं जानना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, चूंकि कई लोग केवल सब्सिडी लेने के लिए काम करते हैं उनके लिए क्या आप ऐसा कानून बनायेंगे कि जो लोग सब्सिडी लेकर जितनी ये रुग्ण इकाइयां कर देते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे और उनसे ऐसा वसूलेंगे आप?

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि क्या जो इकाइयां बन्द हो गई हैं उनका इनके पास टैक्स के बारे में, बिजली सप्लाई के बारे में और जो इंस्ट्रेक्टर आफ इण्डस्ट्रीज हैं उनके बारे में इनको जानकारी नहीं होती है कि कब वह उद्योग बन्द हुए, कितने सालों से उनका टैक्स आना बन्द हो गया, कितने सालों से उन्होंने बिजली का बिल जमा नहीं किया और कितने सालों से उन्होंने रोजगार कार्यालय में पंजीयन नहीं दिया। इनके जब सारे विभाग मौजूद हैं तो क्यों नहीं इनको जानकारी है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय...(व्यवधान) अंकित नहीं हो।

श्री मुरारी लाल मीणा : xxx

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी यह जवाब तो सुनना नहीं चाहते हैं जवाब देना ही बेकार है। (व्यवधान) यह सुनना ही नहीं चाहते हैं।

श्री मुरारी लाल मीणा : xxx

एक माननीय सदस्य : अंकित ही नहीं हो रहा है।

श्री मुरारी लाल मीणा : xxx

श्री अध्यक्ष : अब आप ही बाकी रह गये थे आप भी पूछ लो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उद्योग मंत्रीजी मुझे इंगित कर के कोई बात नहीं कहते तो शायद मैं पूछता भी नहीं। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं तो आप परमिशन देते नहीं हो, फिर यह बोलेंगे कैसे नहीं, बोलेंगे यह। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यहां पर सिक युनिट्स को रिवाइवल कैसे किया जायेगा इसके बारे में मूल प्रश्न है। दो सवाल खड़े होते हैं इसमें पूर्व में जो सरकार ने 2003 में पुरानी औद्योगिक नीति में आंशिक संशोधन करते हुए सिक युनिट्स के रिवाइवल के लिये जो पैकेज दिया था उसमें और जो मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में सिक युनिट्स के रिवाइवल के लिये जो पैकेज की घोषणा की है उसमें मुझको मूल रूप से कोई अन्तर नजर आता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है अध्यक्ष महोदय, कि जो पूर्व में दी गई थी उन्हीं को यहां पर री-प्राड्युस बजट भाषण में किया गया। आप कृपया इस पर प्रकाश डाल दें कि दोनों के बीच में क्या अन्तर है। दूसरा सवाल एक प्रश्न के उत्तर में अभी कुछ दिन पूर्व विधान सभा में उद्योग विभाग की तरफ से एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा गया था कि राज्य में 34 हजार के करीब उद्योग धन्धे बन्द हो चुके हैं। अब प्रश्न यह आता है कि आज आप 38 हजार की यहां सूचना दे रहे हैं। (व्यवधान) मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। चुनाव के वक्त 65 हजार का नाम लिया गया यह बात भी आप सही कह रहे हैं...(व्यवधान) इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मंत्री महोदय कृपया यह बता देवें,यह बात भी सही है कि जो रजिस्टर्ड युनिट्स हैं, आपने जैसा कहा बिलकुल सही कहा उनके बन्द होने की सूचना आती नहीं है। बिना सूचना के आधार पर 34 हजार, 38 हजार यह फिगर कहां से आये, यह बताने की आप कृपा करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 37,800 इकाइयां बन्द पाई गई हैं, रुग्ण अलग हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, आपने 37,878 इकाइयां बन्द होने के बारे में जो कहा है उसके बारे में यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह भारत सरकार के द्वारा सर्वे करवाया गया था उसमें आर्टिजन इकाइयां नहीं है, लघु इकाइयों को ही लिया है और उन लघु इकाइयों में 37878 इकाइयां बन्द पाई गई, यह भारत सरकार के सर्वे में हुआ है और वह भी आप लोगों के कार्यकाल में। एक माननीय सदस्य ने पूछा था जयपुर मेटल्स के बारे में। जयपुर मेटल्स के बारे में पैकेज 1998 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हालांकि यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : फिर आप काहे को जवाब दे रहे हो। कोई आवश्यक नहीं है।

श्री नरपत सिंह राजवी : फिर भी इतना सा ही निवेदन कर दूं, उस समय 20 करोड़ का पैकेज दिया था और 20 करोड़ में से 4 करोड़ की सेंक्शन करके उनको पैसा भी दे दिया था। उसके बाद सरकार बदली, सरकार बदलने के बाद एक नये पैसे का उसको भुगतान नहीं हुआ। भुगतान नहीं होने के कारण आज भी उसको चालू करने की स्थिति में नहीं है। आज हम चालू करना चाहे तब भी उसको चालू नहीं कर सकते क्योंकि बकाया इतनी हो गई। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या यह सही है कि चुनाव के 15 दिन पहले चुनाव की घोषणा के बाद आपने इस पैकेज की घोषणा की थी, चुनाव में लाभ लेने के लिये? जयपुर मेटल्स कितने दिन से बन्द पड़ी थी। समय पर तो आपने कोई घोषणा की नहीं चुनाव को ध्यान में रखते हुए आपकी घोषणा हुई थी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य भाषण नहीं। (व्यवधान) नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत महत्वपूर्ण है. अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता : जयपुर मेटल्स के लोग चाहते हैं बकाया छोड़ने को तैयार हैं...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है, अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा उसका जवाब नहीं आया कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सिडी लेने के लिये उद्योग लगाये? अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब नहीं आया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री सांगसिंह भाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री सांगसिंह भाटी।

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं आया कि कितनी इण्डस्ट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने सब्सिडी...(व्यवधान) अध्यक्षजी मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है। कितने लोग सब्सिडी खाकर बैठ गये? मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है। कितने बेरोजगार हैं, कितने सब्सिडी खा गये...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : माननीय उद्योग मंत्रीजी यह प्रोजेक्ट वेंचर्स है जिसमें पैसा कमाया जा सकता है।

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, यह जो सूचना मांगी है वह मूल प्रश्न के साथ नहीं है लेकिन मैं माननीय सदस्य को एक निवेदन करना चाहूंगा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न नम्बर 39.

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह जवाब दे रहे हैं मेरे प्रश्न का। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

पेट्रोलियम उत्पादों के दोहन हेतु रिफाइनरी की स्थापना

39. श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) एवं श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सीमावर्ती जिलों में तेल गैस दोहन की खोज कब से व किस-किस जिले में शुरू की गयी? अब तक कितने स्थलों पर तथा कितनी मात्रा में कहां-कहां पैट्रोल व गैस उपलब्ध हुई है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में तेल एवं गैस का व्यावसायिक उत्पादन कब तक होना सम्भव है तथा तेल रिफाइनरी लगाने की सरकार की क्या योजना है? इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा तेल को पाइप लाइन द्वारा मथुरा भेजने का निर्णय किया गया है? यदि हां, तो निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री सांगसिंह भाटी)

(4) क्या यह सही है कि तेल व गैस की खोज का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है? यदि हां, तो क्यों?

खनिज मंत्री (श्री लक्ष्मीनारायण दवे) (1) सीमावर्ती जिले जैसलमेर, बीकानेर एवं बाड़मेर में आयल एवं नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओ.एन.जी.सी.) द्वारा वर्ष 1956 से तथा जैसलमेर, बीकानेर एव गंगानगर जिलों में आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा वर्ष 1985 से तेल व गैस की खोज का कार्य आरम्भ किया गया। अब तक 11 स्थलों पर प्राकृतिक गैस 10 स्थलों पर खनिज तेल व 3 स्थलों पर भारी खनिज तेल/बिटुमिन के भण्डार खोजे गये हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) राज्य में प्राकृतिक गैस का व्यवसायिक उत्पादन जिला जैसलमेर में ओ.एन.जी.सी. द्वारा वर्ष 1994 से तथा आयल इण्डिया लि. द्वारा वर्ष 1996 से किया जा रहा है। खनिज तेल का व्यवसायिक उत्पादन बाड़मेर जिले में मैसर्स केयर्न एनर्जी द्वारा वर्ष 2005-06 में आरम्भ किये जाने की सम्भावना है।

राज्य में रिफाइनरी स्थापित किये जाने हेतु माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा माननीय प्रधान मंत्रीजी को एवं मुख्य सचिव द्वारा सचिव तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार को राज्य में पेट्रोलियम रिफाइनरी स्थापित करने हेतु अनुरोध किया गया। प्रति परिशिष्ट "ब" एवं "स" पर उपलब्ध है।

राज्य में आयल रिफाइनरी लगाने हेतु हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (एच.पी.सी.एल.) ने रुचि दिखाई है जिस पर राज्य सरकार सकारात्मक रूप से प्रयासरत है।

(3) इस प्रकार के निर्णय की जानकारी राज्य सरकार को नहीं है।

(4) राज्य में तेल एवं गैस की खोज का कार्य निर्धारित कार्य योजना के अनुसार किया जा रहा है तथा राज्य सरकार की ओर से इसका लगातार प्रभावी पर्यवेक्षण किया जा रहा है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अध्यक्ष : (व्यवधान) मूल प्रश्नकर्ता।

श्री सांगसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय. मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कौनसी कम्पनी ने इस तेल खोज में धीमी गति से काम किया? अगर उसने धीमी गति से काम किया है तो उसके ऊपर राज्य सरकार की क्या मंशा है, किस ढंग की कार्यवाही करके उसको दण्डित करे और जिस धीमी गति से कार्य किया उसकी प्रगति पर आपका क्या विचार है?

श्री अध्यक्ष : माननीय तगारामजी आप भी पूछ लीजिए।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर में केयर्न इण्डिया प्राइवेट लि. का जो उदाहरण आया है उसमें सीधा व्यवसाय शुरू करने के बारे में उद्धृत किया गया है। केयर्न इण्डिया ने किस समय इसकी खोज शुरू की इसका आया नहीं है। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कैयर्न इण्डिया ने व्यवसाय का काम शुरू करना था तो शुरू कर दिया लेकिन शुरू कब से किया और कौनसे जिलों में किया?

श्री शांतिलाल चपलोत : कैयर्न एनर्जी ने 39 करोड़ रुपये का जो तेल निकाला केवल जांच के लिए हम इसकी टेस्टिंग करेंगे और मार्केट में बेच दिया क्या उसकी रायल्टी सरकार ने वसूल कर ली है कि नहीं?

(12.00 बजे)

श्री सांगसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि...(व्यवधान) एक मिनट, मंत्री महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जैसलमेर और बाड़मेर में तेल के भण्डार मिल रहे हैं लेकिन क्या स्थानीय लोगों को इस कम्पनी के माध्यम से, बाड़मेर और जैसलमेर में रहने वाले लोगों को कुछ लाभ दे सकते हैं, इस पर सरकार की क्या मंशा है?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने पूछा, कौनसी कम्पनी ने धीमी गति से कार्यवाही की, फीनिक्स कम्पनी थी जिसको 21.8.1999 से 20.8.2000 तक इनको कार्य प्रारम्भ करना था परन्तु ओ.एन.जी.सी. के द्वारा इनको आंकड़े संकलित करने में समय लगा, उसके बाद में भारत सरकार के द्वारा इनको एक्सटेंशन दिया गया और उसके द्वारा इस कम्पनी ने जी.ई.ओ. फीजिका टारेन फारेल कम्पनी के द्वारा पूरे आंकड़े संकलित कर दिये, यह काम वापस, सर्वेक्षण का कार्य कर उन्होंने कार्य प्रारम्भ कर दिया है, आज 775 मीटर तक उन्होंने कुएं की खुदाई कार्य प्रारम्भ कर दिया।

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि 49 लाख 72 हजार रुपये के सेल टैक्स का राजस्व हमें प्राप्त हुआ है। और 1,10,400 बैरल जो टैस्टिंग के लिये और बाद में गुजरात की रिफाइनरी के अन्दर जो माल दिया गया उसमें हमें. राज्य सरकार को अंशदान के रूप में 2 करोड़ 70 लाख दिये, अंशदान की राशि हमें प्राप्त हो गयी है। और यह राशि हमारी मुख्य मंत्रीजी को कल कैयर्न एनर्जी के अधिकारियों के द्वारा चैक के माध्यम से दी गयी जिसको आज हमारे रायल्टी फण्ड में जमा करा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, हम कैयर्न एनर्जी को ताइद भी कर रहे हैं कि जो 1,10.400 बैरल जो प्राइवेट रिफाइनरी को दिया है उस डेट को इण्टरनेशनल मार्केट में जो भाव थे उस भाव के आधार पर हम प्रयास कर रहे हैं कि हमें उस भाव के आधार पर अंशदान प्राप्त कराया जाए।

मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि 2006 तक हमारी रायल्टी के रूप में करीब हमें 200 करोड़ की राजस्व आय होगी और 2010 और 2011 को करीबन 700 करोड़ रुपये की आय होने की हमें उम्मीद है।

माननीय सदस्य ने जो जानकारी और जो प्रश्न किया कि बाड़मेर और जैसलमेर के अन्दर वर्तमान समय में जो यह पेट्रोलियम की खुदाई का कार्य चल रहा है तो लोगों को मजदूरी के लिये, 500 लोगों को अभी तक वहां पर कार्य पर लगाया गया है। कल हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जो कैयर्न एनर्जी और पेट्रोलियम विभाग के जितने भी अधिकारी हैं उन लोगों से आग्रह किया है कि वहां के उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिये चिकित्सा के मामले के अन्दर और उनके पेयजल के मामले के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था की जाए। अगर कुएं के अन्दर, ऊपर अगर 75 मीटर खुदा हुआ है और 25 मीटर पर अगर मीठा पानी है तो उस मीठे पानी का उपयोग जनता के हित में किया जाए। और फ्लोराइड का जो पानी है वह पेट्रोलियम के लिये काम में लाया जाए। तो राजस्थान सरकार प्रयासरत है, इनके अधिकारियों को और यह कम्पनियों को इस प्रकार का निर्देश दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोगों को रोजगार भी मिल सके और इसका उपयोग पेयजल के मामले में, चिकित्सा के मामले में उनको सुविधा उपलब्ध करवायी जा सके। (व्यवधान)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। (व्यवधान) मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है...(व्यवधान) मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है...(व्यवधान) माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. मोहम्मद माहिर आजाद एवं 11 अन्य सदस्यों की ओर से भरतपुर जिले में अपहरण की घटनाओं के सम्बन्ध में।
2. श्री संयम लोढ़ा एवं 4 अन्य सदस्यों की ओर से पैलेस आन व्हील की बार एवं रेस्टोरेन्ट को कथित लीज पर देने के सम्बन्ध में।
3. श्री रामसिंह विश्नोई एवं 4 अन्य सदस्यों की ओर से आर.सी.डी.एफ. में भारी अनियमितताओं व दूध के क्रय मूल्य में कमी के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव इतनी गम्भीर प्रकृति के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर सदन में इन पर चर्चा की जाएं, अत: अस्वीकार किये जाते हैं। माननीय सदस्य मोहम्मद माहिर आजाद, श्री संयम लोढ़ा एवं श्री रामसिंह विश्नोई को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने का अवसर दिया जाएगा।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निम्नांकित सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:-

1. श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र महुवा में नवीन कृषि यार्ड का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में।
2. श्री देवीशंकर भूतड़ा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के सदस्य थाना में जनसंख्या व अपराध की तुलना में स्टाफ कम होने के सम्बन्ध में।
3. श्री मंगलाराम गोदारा, सदस्य की ओर से तहसील बीकानेर के ग्राम उदासर के राजस्व खसरा नम्बर 289 की भूमि स्वर्ण जाति के व्यक्ति के नाम दर्ज करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

4. श्री मुरारीलाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई की विद्युत व्यवस्था के सम्बन्ध में।

5. श्रीमती राजकुमारी शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सीकर के लिये सड़क सुधार कार्य हेतु राशि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

6. श्री रामनारायण मीणा, सदस्य की ओर से जिला बून्दी के दुगारी बांध में पानी की आवक बढ़ाने की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

7. श्री गोविन्दराम चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोखा के टी.एस.एस. स्कीम के कुओं का संधारण पी.एच.इ.डी. से करवाने के सम्बन्ध में।

8. श्री मोहन लाल गुप्ता, सदस्य की ओर से चिकित्सकों को मरीजों को ब्राण्डेड दवा के स्थान पर जैनेरिक दवा लिखने के निर्देश देने के सम्बन्ध में।

9. श्री अशोक नागपाल, सदस्य की ओर से ए.डी.एम. मण्डी विकास समिति, बीकानेर की भूमि पंचायत मुख्यालय घड़साना व रावला में हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में।

10. श्री विजय बंसल, सदस्य की ओर से भरतपुर जिले में सम्भागीय आयुक्त कार्यालय खुलवाने के सम्बन्ध में।

11. श्री मोहन मेघवाल, सदस्य की ओर से राज्य से मजदूरी के लिये बाहर जाने वाले गरीब किसानों/मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में।

12. श्री धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से बिजली विभाग द्वारा नये कनेक्शन हेतु बनायी गयी नीति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ाने का अधिकार होगा।

शून्यकाल में बोलने के लिये निम्नांकित 4 पर्चियां निकली हैं :-

(श्री अध्यक्ष)

1. डा. चन्द्रशेखर बैद, आम जनता पर दवाइयों पर लागू कर भार से बढ़ते बोझ के सम्बन्ध में।

2. श्री सांग सिंह भाटी, कृषि कनेक्शन के सम्बन्ध में।

3. श्री हरीसिंह रावत, भीम पंचायत के सचिव व सरपंच के द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

4. श्री जीतमल खांट, बांसवाड़ा जिले की माही परियोजना में पिछले 4 वर्ष का सिंचाई कर माफ करने के सम्बन्ध में।

यह पर्ची सिस्टम ऐसा हो गया है कि कल मांग पर चर्चा के समय श्री हरीसिंह रावत इस विषय को उठा सकते थे। लेकिन यह पर्ची का सिस्टम ऐसा हुआ है कि जब उन्होंने पर्ची दी है तो उन्हें बोलने का समय भी देना पड़ेगा। माननीय सदस्यों 4-4 मिनट में अपनी बात कहेंगे।

व्यवस्था का प्रश्न

"पोपाबाई का राज" शब्द असंसदीय माने जाने विषयक

मुझे माननीय सदस्यों को एक व्यवस्था के प्रश्न पर उत्तर भी देना है और वह यह है कि परसों शायद, "पोपाबाई का राज" कहा गया। यह "पोपाबाई का राज" कल की तारीख में...(व्यवधान) सुनिये तो सही, आप...(व्यवधान) आप बैठे-बैठे क्यों बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : ये जो नये-नये सदस्य हैं, यह पोपाबाई क्या है, इनसे अवगत तो करावें।

श्री अध्यक्ष : मैं कहने जा रही हूं, और मैं क्या कह रही हूं?

मैं निवेदन कर रही थी कि यह पोपाबाई का राज कहा और इसे हटाने के बारे में एक व्यवस्था उपाध्यक्षजी ने दी थी कि इसे देखा जाएगा और देखकर इस पर कार्यवाही की जाएगी। यह पोपाबाई का राज इस सदन में एक बार नहीं, अनेक बार

(श्री अध्यक्ष)

लोगों ने इसको कहा है। कई बार निकाला भी गया है. सदन की अनुमति से इसे निकाला भी गया है. लोगों के कहने पर। और कई बार रह भी गया है। महारावल लक्ष्मणसिंहजी बहुत कहा करते थे पोपाबाड़ का राज और उस समय वह इसमें अंकित भी किया हुआ है। मैं एक निवेदन आपसे करना चाहती हूं कि क्या 200 माननीय सदस्यों में से कोई भी सदस्य ऐसा है कि जो जानता है कि पोपाबाई कौन थी? क्या दुर्व्यवस्था थी, क्या उस समय कानून की व्यवस्था थी? क्योंकि प्रश्न यही है कि पोपाबाई का राज का मतलब यह है कि जहां कोई कानून नहीं हो। जहां कोई व्यवस्था नहीं हो। (व्यवधान) माननीय सदस्य, पहले आप मुझे सुन लीजिए। उसके बाद आपको तो, 200 माननीय सदस्यों से मैं यह जानना चाहती हूं कि मुझे कोई यह बताये कि ऐसी पोपाबाई कब थी? जिसके शासन के अन्दर न कोई कानून था और न जिसके शासन के अन्दर कोई व्यवस्था थी? कृपया कोई बता सकता है, आप 200 में से? आप में से। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कल बताएंगे।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ इन्फोरमेशन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ इन्फोरमेशन है।

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, इसको ढूढने के लिए सदन की एक समिति बना दीजिए आप कि पोपाबाई कहां है और कौन थी? एक सदन की समिति बना दें आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये-बैठिये। माननीय सदस्य, एक बार स्थान ग्रहण करें। पोपाबाई का राज का मतलब सुन लीजिए। (व्यवधान) नहीं बोलेंगे प्लीज, आप स्थान ग्रहण करें। पोपाबाई का राज जब कहा जाता है जहां कानून नहीं हो, जहां पर व्यवस्था नहीं हो. तब कहा जाता है पोपाबाई का राज तो आखिर कौन थी पोपाबाई? कब क्या दुर्व्यवस्था थी? क्या कानून नहीं था? क्या कोई बता सकता है?

डा. एन. एस. गुर्जर : एक सदन की समिति बना दीजिए और इस पोपाबाई को ढूंढने के लिए सदन की एक समिति बना दीजिए।

श्री संयम लोढ़ा : वह तो आपके राज में है। पोपाबाई का राज है। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : एक सदन की समिति बना दीजिए।

श्री संयम लोढ़ा : पोपाबाई का राज है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक समय में एक बोलेंगे।

श्री मंगलाराम गोदारा : किसान स्टेच्यू सर्किल पर आये हुए हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक समय में एक ही बोलिये। जो माननीय सदस्य, ओथेंटिक हो, वही बोलेंगे। ऐसे नहीं है कि खड़े हो गये। कुछ भी कहने लग जाए। ओथेंटिक कोई बात हो तो वह बोलेंगे। (व्यवधान) आप इस शब्द को सार्थक कर रहे हैं। वह जो मुहावरा है उस मुहावरे को चरितार्थ कर रहे हैं आज सदन में। आप कर रहे हैं इस समय चरितार्थ है। या तो जिनको ज्ञान है वे बतायें और नहीं तो फिर आप आइन्दा के लिए कभी कहे भी नहीं। (व्यवधान) इस मुहावरे का कोई प्रयोग नहीं करें।

श्री नवरतन राजोरिया : ऐसे तो मुहावरा है।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक समय (व्यवधान) रामनारायणजी साहब वरिष्ठ सदस्य हैं, सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, वे बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : एक समय में एक, जो ओथेंटिक है, वे बोलिये।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह पोपाबाई पर बहस चालू करवाकर समय व्यर्थ करवा रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पोपाबाई के राज पर आपने व्यवस्था दी है।

एक माननीय सदस्य : जिनको एक्सपीरिएंस है वे बोलिए।

श्री अमराराम (धोद) : रामनारायणजी सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी : यह एक काल्पनिक कहानी है और इण्डिया टुडे में इसके बारे में कहानी आ चुकी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुन रहे हैं। रामनारायणजी, मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य कुछ जानकारी देना चाहते हैं कि-हू बाज पोपाबाई? क्या था उनके राज में? इसलिए प्लीज, आप स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : इसलिए पोपाबाई से आप सुरक्षा करवाएंगे। अध्यक्ष महोदय, पोपाबाई एक महान महिला थी और उसका नाम और उसका काम भारतवर्ष की सस्कृति के बच्च-बच्चे की जबान के ऊपर है। ऐसी महिला थी। अब यह...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सोनिया गांधी जैसी थी क्या?

डा. एन. एस. गुर्जर : मण्डावा की दिखी।

श्री रामनारायण चौधरी : साहब आप। पोपाबाई के बारे में सदन में आपत्ति भी होती है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, पोपाबाई का नाम पर आपत्ति करने का कोई औचित्य नहीं है। जो चीज समाज में रम जाती है और जिसका अर्थ कोई अभद्र और अशिष्ट नहीं हो तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। कहते हैं समाज में एक प्रचलन है। तो कोई असंसदीय उसके अन्दर नहीं है। इस पर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : असंसदीय तो नहीं है, मैंने मानी बात लेकिन पोपाबाई के राज का प्रयोग वहीं किया जाता है जहां पर दुर्व्यवहार हो, जहां पर कानून नहीं हो। जहां पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हो। तब कहते हैं कि पोपाबाई का राज है। पोपाबाई का राज है।

श्री नरपत सिंह राजवी : मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य को ध्यान होगा।

श्री रामनारायण चौधरी : ऐसा नहीं है जहां कोई कानून की बात नहीं हो। यह तो इसका अलग-अलग अर्थ निकाल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह क्या पोपाबाई का राज बहुत अच्छा लगता है आपको?

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं-नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पोपाबाई का रैफरेंस आये. असंसदीय नहीं है।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : अध्यक्ष महोदय, शुरू से यह परम्परा है।

श्री रामनारायण चौधरी : इसलिए होता है यह इतिहास। पहले ही कहा है मैंने कि...(व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : सबसे पहले मैंने हाथ खड़ा किया है। मेरा दुर्भाग्य है कि आपकी नजर मेरे पर नहीं पड़ती है।

श्री अध्यक्ष : मैंने जोगेश्वर गर्ग का नाम पुकार लिया है। आप स्थान ग्रहण करें। जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अब अध्यक्ष महोदय, पोपाबाई का इतिहास तो मैं नहीं बता पाऊंगा लेकिन हमारे जालौर में (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं।

श्री जोगेश्वर गर्ग : आप सुन तो लीजिए। जालौर में उनकी न्याय व्यवस्था को लेकर और उनकी न्यायप्रियता को लेकर एक किंबदंती/दंत कथा बहुत चल रही है। मैं संक्षेप में बात बता देता हूं। एक बार एक किसान और एक व्यापारी में अनाज के लेन-देन को लेकर झगड़ा हुआ। भाव-ताव उनका तय हो गया लेकिन माप कैसे किया जाए उसको लेकर विवाद हुआ। किसान ने कहा, पुराने जमाने में आपको पता होगा कि बाट नहीं होते थे बरतन भर-भरकर नापते थे। किसान ने तो यह सोचा था कि वह सीधा भरकर देंगे और व्यापारी ने अपने दिमाग में बना रखा कि उल्टा भरकर तो उल्टा भरना शुरू किया तो उसको लेकर विवाद हुआ और सीधा करके भरते हैं तो अनाज ज्यादा जाता हैं।

श्री अध्यक्ष : बैठे रहे। मिस्टर तगारामजी, बैठे रहे। बैठिये-बैठिये आप।

श्री जोगेश्वर गर्ग : उसको लेकर विवाद हुआ। सीधा भरते हैं तो एक तो नुकसान होता है और उल्टा भरते हैं तो दूसरे को नुकसान होता है। वे पोपाबाई के पास गये और पोपाबाई ने निर्णय किया कि न सीधा, न उल्टा आड़ा रखकर भर लो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब हो गया, बहुत हो गया। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : एक समिति बना दीजिए साहब पोपाबाई को ढूंढने के लिए (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव। दो मिनट। स्थगन प्रस्ताव।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय नगारामजी की अध्यक्षता में एक समिति बना दें आप। तगारामजी की अध्यक्षता में एक समिति बना दीजिए। पोपाबाई के पूरे इतिहास की जानकारी लेकर आपको सदन में यह सारी बात बता देंगे। तगारामजी को उसका अध्यक्ष बना दीजिए।

श्री अध्यक्ष : जिस किसी को भी इसके बारे में कोई ओथेंटिक जानकारी हो वे चैम्बर में मुझे बता दीजिए और इसका फैसला मैं दो दिन बाद कर दूंगी।

श्री अमराराम (धोद) : रामनारायणजी और राजेन्द्रजी का भी उस समिति में शामिल कर लिया जाए।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, पोपाबाई कहां थी यह तो पता नहीं लेकिन उसका असर बहुत तगड़ा है। जैसे ही माननीय सदस्य सदन में नाम लेते हैं, इसका मतलब कोई न कोई प्रभावशाली महिला अवश्य थी।

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद। व्यवस्था दी जा चुकी है। आप मुझे बताएंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप पुरस्कार की घोषणा कर दें तो मैं बताऊं कि पोपाबाई कौन थी।

श्री अध्यक्ष : माहिर आजाद।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मंगलाराम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, किसानों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। आज मूंगफली की फसल जल रही है और किसान रो रहे हैं। दो घण्टे, तीन घण्टे बिजली मिल नहीं रही है। हजारों किसान इस स्टेच्यू सर्किल पर आये हुए हैं। धरना दिये हुए बैठे हैं. उनकी कोई न कोई व्यवस्था करवाइये।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं बोल रहा हूं, साहब।

श्री मंगलाराम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, उनकी कोई व्यवस्था करवाइये। यह बिजली का मामला है। बहुत रंगीन मामला है। अकाल पड़ रहा है। किसान रो रहे हैं और मूंगफली जल रही है। कोई न कोई व्यवस्था आप बिजली की करें, अन्यथा अन्याय होगा। किसान मरने के लिए मजबूर हो गये हैं। (व्यवधान) डूंगरपुर के किसान स्टेच्यू सर्किल पर आये हुए हैं। आप उनकी मंत्रीजी से या मुख्य मंत्रीजी से कोई भी हो, आश्वासन दिलवाइये और कोई न कोई व्यवस्था करवाइये।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। ऊर्जा मंत्रीजी। डूंगरपुर से आने वाले ही है न आप।

श्री मंगलाराम गोदारा : हां।

श्री अध्यक्ष : डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने विद्युत के बारे में परेशानी बतायी है, कुछ लोग बाहर आये हुए हैं।

श्री मंगलाराम गोदारा : हजारों लोग आये हैं। हजारों किसान आये हैं।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया, इनसे बात कर लीजिए और जो कुछ व्यवस्था कर सकें वह व्यवस्था कर दीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जी। बिलकुल इनसे मिल लेंगे।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ इन्फोरमेशन है।

श्री अध्यक्ष : अब नो पाइन्ट आफ इन्फोरमेशन। मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां पर अपहरण हो गया। एक पांच साल के बच्चे का कल अपहरण हो गया उसका अभी तक भी पता नहीं चला है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में क्या उसका...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हो गया तो आपको किसी न किसी माध्यम से आना चाहिये। आप किसी न किसी माध्यम से किसी नियम में आते। आकर अपनी बात कहते यहां पर। अब मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : अभी पता लगा है। अध्यक्ष महोदय, कल खिलाड़ गांव के अन्दर हितेष कुमार नाम से बच्चे का अपहरण हुआ गृह मंत्री महोदय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : बच्चे का अपहरण हुआ। मुल्जिम नामजद हो गये हैं और मुल्जिमों के लिये पुलिस पार्टी गयी हुई है। चार लोग उसमें मुल्जिम के रूप में आइटेंटिफाई हुए हैं। छह साल के हितेष का अपहरण स्कूल से आते समय डेढ़ बजे हुआ था। उसके बाद पुलिस बराबर सक्रिय होकर बच्चे के बारे में, मोटे रूप में जानकारी है कि शायद वह उस जगह पहुंच जाएंगे, जहां बच्चा है। अभी तक केवल जानकारी है। पूरी क्या स्थिति है यह तो मैं अभी नहीं कह सकता। अभी टेलीफोन से बात हुई है कि उनको यह विश्वास है कि वह इस तहकीकात तक पहुंच जाएंगे।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : धन्यवाद। आपकी जानकारी के लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव आपको दिया था। आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये आपको धन्यवाद।

श्री गोविन्द राम चौहान : किसानों का मुद्दा उठाया अभी।

मोहम्मद माहिर आजाद : गोविन्दजी, वह कह दिया मंत्रीजी।

श्री गोविन्द राम चौहान : तो वही तो कह रहा हूं। एक सैकण्ड (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आवश्यक नहीं है कि आप भी उसे दोहराएं। आप बात कर लें विद्युत मंत्रीजी से।

श्री गोविन्द राम चौहान : दोहरा नहीं रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : तो क्या कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम चौहान : मैं किसानों से मिलकर आया हूं। एक बजे का टाइम तय हो गया है ऊर्जा मंत्रीजी और सी.एम. सेक्रेट्री साहब, उनसे। प्रतिनिधिमण्डल को यहां बुलाया जाएगा। रीयल में जो मंगलारामजी कह रहे हैं बात सही है। किसान बैठे हैं। मैं व्यक्तिगत मिलकर आया हूं और टाइम तय हुआ है इस जगह का। यहां मिलना तय हुआ है। मैं मिलकर आया हूं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। विद्युत मंत्रीजी ने आपको बता दिया। एक बजे का टाइम तय हुआ है न ठीक है। मोहम्मद माहिर आजाद।

भरतपुर जिले में अपहरण की घटनाओं के सम्बन्ध में

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान, माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र...(व्यवधान)...गृह मंत्रीजी, प्रतापगढ़ से आने वाले सदस्य, बाद में कर लेना यह ट्रांसफर की बात।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र नगर से संजय अग्रवाल पुत्र मुकुट अग्रवाल आयु 25 वर्ष 24 तारीख को सुबह 4 बजे मोटर साइकिल लेकर दूध लेने जा रहा था। इनका मिल्क प्लाण्ट है। गांवों से मोटर साइकिल से यह बच्चा, इसके भाई, दूसरे लोग दूध इकट्ठा करके अपने प्लांट में लाते हैं और टैंकर में भरकर दिल्ली और दूसरी जगह सप्लाई करते हैं। 24 तारीख को सुबह 4 बजे यह नगर से तीन कि.मी. दूर सुन्दराली गांव है, वहां जा रहा था। वहां लोगों को पता था कि यह रोज दूध लेने आता है। कुछ लोग छिपे हुए बैठे थे और इसको पकड़ा और पकड़कर मुंह पर कपड़ा डालकर इसका अपहरण करके ले गये और अब लाखों रुपयों की फिरौती इसके पिता से मांग रहे हैं। मुकदमा दर्ज हो गया है। अभी तक पुलिस कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं कर पायी है। इतना ही नहीं पूरा नगर कस्बा बन्द है और लोगों में भारी जन-आक्रोश व्याप्त है।

एक और दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूं कि तीन लोग आमिन, उस्मान और रमजान परेई गांव थाना जुरेड़ा के रोजदार के पास आये और आकर उसका 18 साल का एक बच्चा था जाहिद, उसके लिये कहा कि यह 10-12वीं तक पढ़ लिया और इसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है तुम इसको हमारे साथ भेज दो। मैं दिल्ली की एक फैक्टरी के अन्दर ड्राइवर हूं। मैं इसको भी ड्राइविंग सिखा दूंगा और इसको गाड़ी चलाना सिखाकर वहीं नौकरी लगा दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको वहां से ले गये और चार महीने हो गये और उसका कोई अता पता नहीं है। अब उसकी बहन की जब शादी हुई तो उन्होंने उसको चिट्ठी भेजी कि इसकी बहन की शादी है इस बच्चे को शादी में तो कम से कम आना चाहिये। तब चार आदमी जो ले गये थे उनमें से एक आदमी आया और आकर उसने पूछा बच्चा कहां है। आज इसकी बहन की शादी है। उससे पूछा बच्चा कहां है तो बच्चा तो मर गया। उन्होंने पूछा बच्चा कब मर गया? बोला उसे तो मरे ही एक महीना-डेढ़ महीना हो गया। कहां है अब? हमने तो

उसको दिल्ली में गाड-गुड़ दिया। यानि चार महीने पहले उसको नौकरी के लिये ड्राइविंग सिखाने के लिये ले गय और उसके बाद उसका कोई अता-पता नहीं। अगर कोई एक्सीडेंट या कुछ दुर्घटना भी हो गयी थी तो उसके घरवालों को उसका शव देना चाहिये था। उनको सूचना देनी चाहिये थी। जब उसके घरवालों ने देखा कि दाल में कुछ काला है तो उन्होंने थाने मे मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी स्थिति यह है मुल्जिम नामजद है. जो लेकर गये हैं उसी गांव में, आज तक पुलिस ने उन पर कोई कार्यवाही नहीं की और इतना ही नहीं आज कानून-व्यवस्था की स्थिति यह हो गयी माननीय अध्यक्ष महोदय, कि यह नवल सिंह उर्फ अन्दू खटीक नगर की नगर पालिका का भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है। इसने पत्र दिया है। यह मैं अभी अध्यक्षजी की अनुमति से आपको दे दूंगा। नगर पालिका को पार्षद है, नगर पालिका का सदस्य है। वार्ड नं. 1 से, इसको पोता अशोक का लड़का विशाल, पांच साल की उसकी उम्र, वह स्कूल जा रहा था। एक ट्रेक्टर ने उसको कुचल दिया। वह गम्भीर रूप से घायल हो गया। वह उस बच्चे को लेकर अलवर चला गया। अलवर में रेफर कर दिया। अलवर जाकर अस्पताल में भर्ती कराया। दो दिन बाद उसकी मृत्यु हो गयी। गांव वालों ने ट्रेक्टर को मौके पर पकड़ लिया। ड्राइवर समेत ले जाकर थाने में दे दिया। आज भी ट्रेक्टर और ट्रोली थाने में खड़ी है। लेकिन चूंकि ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेन्स नहीं था। थानेदार ने उससे पैसे लेकर और उस ड्राइवर को थाने से भगा दिया और अब दूसरे आदमी का नाम ले रहा है जिसके पास लाइसेन्स है कि यह चलाता है। जब यह अन्दू खटीक बी.जे.पी. का पार्षद थाने में गया, जाकर कहा मुझे एफ.आई.आर. की नकल दे दो और मैंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ले ली ताकि मै क्लेम के लिये मुकदमा करूंगी तो थानेदार उससे कहता है कि एफ.आई.आर. की नकल देने के तुझे क्लेम में लाखों रुपये मिलेंगे। पहले मुझको तू दो-पांच हजार रुपये दे तब तुझे एफ.आई.आर. की नकल दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति हो रही है। आज सरे आम अपहरण किया जा रहा है। सरे आम लूट हो रही है और कानून नाम की कोई चीज नहीं है। शीघ्र ही थाने में इस तरीके से बेकसूर लोगों को ले गये। जब थाने पर लोग गये। जिला परिषद के सदस्य गये। पंचायत समिति के सदस्य गये. 200 आदमी इकट्ठे होकर गये तो उसके ऊपर सीकरी का एस.एच.ओ. कहता है कि चाहे तुमने राजीनामा कर लिया हो मेरी तो कमाई मर गयी। मेरे को पैसा दोगे तब तुम्हारा राजीनामा तस्दीक करूंगा, नहीं तो दोनों पार्टियों को बन्द कर दूंगा मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करना

(मोहम्मद माहिर आजाद)

चाहता हूं कि जिस संजय अग्रवाल का अपहरण हुआ है उसका पता नहीं, वह किस स्थिति में है जिन्दा है कि क्या है? भगवान करे कि वह जिन्दा लौट आये। लोग इतनी बड़ी मात्रा में फिरौती मांग रहे हैं कि उसका बाप, जो मेहनत करके दूध इकट्ठा करके बेचता है, आज उसकी स्थिति यह हो रही है दो दिन से लोगों ने घर में रोटी नहीं खाई है। आप अपनी पुलिस को चुस्त और दुरूस्त करो और इस बच्चे जाहिद का और संजय अग्रवाल का पता लगना चाहिये और इन अपराधों की घटनाओं के अन्दर कमी आनी चाहिये। यह माननीय गृह मंत्रीजी, आप बड़े जागरूक और संवेदनशील हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ आश्वासन अवश्य देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे कल ही आपने इस बच्चे, जाहिद के बारे में बताया था और मैंने आपके सामने ही आई.जी. को इस बात के लिये पाबन्द किया था कि उस थानेदार को पाबन्द करना। इतने दिन में अगर इस बच्चे का अपराधी नहीं पकड़ा जाये तो तुझे सस्पैण्ड होना ही है। यह डायरेक्शन मैंने आपके सामने ही दिया। संजय के बारे में, क्योंकि उसकी जो रंजिश है और उसके परिवार ने जो 161 के बयान दर्ज कराये हैं उसमें कुछ लोगों के साथ उनका झगड़ा है। उनको पकड़ने के लिये पुलिस पार्टी गयी हुई है और एक घटना जो आपने बताई कि थाने पर इस प्रकार का व्यवहार हुआ। मैं इस बात की, जो आप कह रहे हैं, उसकी तहकीकात लेता हूं और वहीं बात हुई तो थाने का थानेदार निश्चित रूप से परसों के दिन सस्पैण्ड होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा। लोढ़ा साहब, मैंने केवल दो मिनट का समय दिया है। अब चार मिनट से अधिक नहीं बोलेंगे। समय देख रही हूं, मैं चार मिनट से अधिक नहीं बोलने दूंगी।

डा. सी. पी. जोशी : एक नहीं, चार हैं। उसमें हम भी हैं। चार चार मिनट सबको देंगे आप। प्रस्तावक इसमें हम भी हैं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है स्थगन प्रस्ताव पर केवल एक को ही बोलने दिया जाता है। दूसरे को नहीं दिया जाता। एक को ही दिया जाता है और स्थगन प्रस्ताव का मतलब यह है कि जब अस्वीकार किया जाता है तो अपनी बात सदन में वह कह दें तो वह जो इश्यू उठाना है, वह उठा देंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : जो दस्तख्त करते हैं उनको सबको ही दो दो तीन-तीन मिनट बोलने का अवसर मिल जाये।

श्री अध्यक्ष : क्षमा करना। मैंने यह दोनों स्थगन प्रस्ताव देखे हैं। एक ही व्यक्ति ने दो दो दफे हस्ताक्षर कर रखे हैं। इसलिए मजबूर हूं मैं। नहीं दूंगी दोनों जगह बोलने के लिये। श्री संयम लोढ़ा।

पैलेस आन व्हील की बार एवं रेस्टोरेंट को कथित लीज पर देने के सम्बन्ध में

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की कला और संस्कृति से विदेशी पर्यटकों को जोड़ने, का इस सारे राजस्थान के वातावरण से उनको अवगत कराने की दृष्टिकोण से 26 जनवरी, 1982 को पैलेस आन व्हिल्स, जिसको शाही रेलगाड़ी कहा जाता है शुरू की गयी। यह राजे-महाराजाओं के पुराने सैलून्स, जिसमें निजाम हैदराबाद की व वायसराय के विशेष सैलून्स भी थे, उन सबको मिलाकर यह शाही रेलगाड़ी बनाई गई थी, लेकिन इन पुराने सैलूनों को अधिक पुराने हो जाने के कारण 1991 में 9 करोड़ रुपये की नई लागत लगाकर नई पैलेस आन व्हील बनाई गई। जो पूर्णत: वातानुकूलित थी, मतलब एक डिब्बे से दूसरा डिब्बा जुड़ा हुआ था और मीटर गेज पर दिसम्बर, 1991 में वह गाड़ी चलना प्रारम्भ हुई। उसके बाद हमारा राजस्थान ब्राडगेज से जुड़ा और 1995 से 20 करोड़ रुपये की लागत लगा कर ब्राडगेज के अनुरूप शाही रेलगाड़ी का निर्माण किया गया। उसमें 10 करोड़ रुपये राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने लगाये। आसैन इन सब के डिब्बे राजस्थान की 14 रियासतों के नाम पर बने हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने वैसे तो नीतिगत तौर पर यह तय कर रखा है कि पर्यटन विकास निगम की उन्हीं इकाइयों को लीज पर दिया जायेगा जो घाटे में है। लेकिन मैंने कल भी राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी कि पहले ही बहरोड़ का बार जो मुनाफे में चल रहा था। राजस्थान सरकार होटल शिवालिक, जो एक निजी ठेकेदार है, उसको दे चुकी है और अब शाही रेलगाड़ी, जो राजस्थान की एक प्रतिष्ठा है। आपकी जानकारी में, अध्यक्ष महोदय, है कि आठ महीने की अवधि के लिए यह शाही रेलगाड़ी चलती है और बची हुई चार महीने की अवधि के लि केरल गवर्नमेन्ट अब इस रेलगाड़ी को अपने वहां चलाना चाहती है। और इसके लिए उसने राजस्थान की सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है लेकिन लगातार, पिछले दस साल से जो शाही रेलगाड़ी मुनाफे में आ रही है। 1994-95 में 15.91 लाख, 1995-96 में 16022 लाख, 1996-97 में 3266.12 लाख, 1997-98 में 305.58 लाख, 1998-99 में 423.43 लाख, 1999-2000 में 380.80 लाख, 2000-2001 में 550.64 लाख, 2001-2002 में

(श्री संयम लोढ़ा)

157.92 लाख, 2002-2003 में 224.43 लाख। इस सब के बावजूद. अध्यक्ष महोदय. राजस्थान की यह नयी सरकार जो परिवर्तन का सपना दिखा कर सत्ता में आयी है, इस सरकार ने इस शाही रेलगाड़ी के बार और इसके रेस्टोरेंट को लीज पर देने का विज्ञापन जारी किया है। इसी महीने की 16 तारीख को दैनिक भास्कर में पैलेस आन व्हील्स टेण्डर नोटिस फोर कैटरिंग एण्ड बार सर्विसेज. यह विज्ञापन सरकार ने दिया है।

इस पार्टी का पहले भी दिल्ली में राज था। पूरे देश के अन्दर डिस-इन्वेस्टमेन्ट के नाम पर उन्होंने जो घोटाले किये वह, अध्यक्ष महोदय, आप की जानकारी में हैं। उदयपुर का लक्ष्मी विलास होटल, मुम्बई का सेन्टूर होटल, यह सारे घोटाले एन.डी.ए. की सरकार ने किये...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या है? काहे पर बोल रहे हैं यह? (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : घपला किया कांग्रेस की सरकार ने। वहां के प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री तक भ्रष्टाचार में लिप्त थे। ना एन.डी.ए. सरकार का कोई घोटाला... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : घोटाले डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर, जब दिल्ली में आपकी सरकार थी...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : यह रिपोर्ट है...(भारी व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अब वो ही घोटालों की प्रक्रिया, अध्यक्ष महोदय. आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : बिना तथ्य के बात करना सदन में ठीक नहीं है, लोढ़ा साहब। (व्यवधान) सदन में वो ही बात कहो जो तथ्यों के आधार पर हो। बिना तथ्यों के आधार पर सदन में बात करना ठीक नहीं है। आप दिल्ली की सरकार की बात तो कर रहे हो...

श्री नवरतन राजोरिया : दो मिनट दिये हैं, पांच मिनट हो गये। बिना तथ्यों के आरोप लगाते हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : हिन्दुस्तान जिंक जैसे प्रोजेक्ट को...(भारी व्यवधान)

श्री गोविन्द राम चौहान : अध्यक्ष महोदय, यह यूरिया घोटाला, चीनी घोटाला, हवाला घोटाला (व्यवधान) इनकी सरकार ने केन्द्र में घोटाले ही घोटाले किये और आज यह बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण।

श्री गोविन्द राम चौहान : कभी चीनी घोटाला, कभी चारा, पता नहीं चलता...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर।

श्री जुबेर खान : सुखराम को उप-मुख्य मंत्री किसने बनाया।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतक, प्रतिपक्ष, आसन पैरों पर है।

सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य, आप जो चीज यहां पर कही जाती है, आप उसका जब समय आये तो जवाब दे रहे हैं लेकिन बीच में क्यों टोकते हैं आप? आप कहियेगा उसके बाद में, जब वो बोल दें उसके बाद कहियेगा बिलकुल गलत कहा है आपने, असत्य कहा है लेकिन उनको जब चार मिनट का समय दिया गया है तो बोलने देते आप उन्हें। अब समय समाप्त हो गया। (व्यवधान) श्री रामसिंहजी विश्नोई।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : हिन्दुस्तान जिंक किसने बेचा?...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : अध्यक्ष महोदय, अपने सरकार के काल में जो अकाल राहत के लिए केन्द्र सरकार ने गेहूं भेजा उसमें 10 करोड़ के गेहूं का इन्होंने घपला किया। आज तक पता नहीं है कि वह गेहूं कहां है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह बिलकुल असत्य बोल रहे हैं, कोई घोटाला नहीं किया।

श्री कालीचरण सर्राफ : अकाल राहत का गेहूं खा गये।...(भारी व्यवधान)...इनको +++ नहीं आयी। गरीबों के लिए जो मुफ्त अनाज केन्द्रीय सरकार ने भेजा था वह भी खा गये यह लोग।

श्री गोविन्द राम चौहान : गरीबों का गेहूं खा गये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब चार मिनट का समय समाप्त हो गया। श्री राम सिंह विश्नोई।

श्री संयम लोढ़ा : मैं कन्क्लूड कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या? कन्क्लूड, कर तो दिया कन्क्लूड आपने।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : अध्यक्ष महोदय, बोलने कहां दिया।

श्री अध्यक्ष : चार मिनट का समय ही दिया था मैंने। चार मिनट का समय उससे पूर्व समाप्त हो गया था लेकिन मैंने सोचा कि सैन्टेन्स पूरा करने दूं इसलिए मैं बीच में नहीं बोली।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा था, बीच में माननीय सदस्य ने व्यवधान किया और मैंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया।

श्री अध्यक्ष : अब आप कन्क्लूड कर लीजिये।

श्री संयम लोढ़ा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो लाभ में चल रही शाही रेलगाड़ी की इकाइयां निजी क्षेत्र को ठेके पर देने का जो यह प्रयास इस एडवरटाइजमेन्ट के माध्यम से राजस्थान ट्यूब डवलपमेन्ट कारपोरेशन ने किया है इसका साफ कारण है इसके पीछे मुझे तो बड़ा घोटाला नजर आता है और +++ यह विज्ञापन की प्रक्रिया जारी की गयी।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की गरीब जनता के करोड़ों रुपये इस रेलगाड़ी के निर्माण पर लगे हुए हैं...

श्री अध्यक्ष : आपको नोटिस देना चाहिए था 273 में. स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आप चाहे जो कुछ नहीं कह सकते हो। आपको नोटिस देना चाहिए ताकि वो जवाब देते।

श्री संयम लोढ़ा : यह विज्ञापन अपने आप में इस बात का प्रमाण है, अध्यक्ष महोदय कि जो इकाई लाभ में चल रही है, कौनसी नीति के तहत यह आर.टी.डी.सी. उसको देने जा रही है?

श्रीमती उषा पूनिया (पर्यटन मंत्री) : मेरे पर आरोप लगा रहे हैं नाम लेकर, अध्यक्ष महोदय. यह गलत आरोप है। इसके बारे में मेरे को कोई ज्ञान नहीं है और यह मेरा नाम लेकर इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते।

श्री संयम लोढ़ा : ज्ञान नहीं है तो विज्ञापन कैसे आ गया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो आप आरोप कैसे लगा सकते हो? आप नोटिस दें।

श्रीमती उषा पूनिया : आप आरोप कैसे लगा रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात हुई? यह अच्छी बात हो गयी, कोई भी किसी पर आरोप जड़ दे। नियम बने हुए हैं...(भारी व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : +++ और इनके +++

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, नियमों के अन्तर्गत आना चाहिए। यह नोटिस देते, नोटिस देकर आरोप लगाते। हिम्मत है तो नोटिस देकर आरोप लगाओ।

श्री संयम लोढ़ा : उसको लाभ पहुंचाने के लिए यह विज्ञापन निकाला गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह नहीं चलेगा। स्थगन के नाम पर इस तरह से बिना मतलब के आरोप, नोटिस देकर आरोप लगाओ लगाते हैं तो आरोप। हर कोई बात कह दे, हर कोई बात कह दे, यह सदन है, नोटिस देकर आरोप लगाओ आप।

श्रीमती उषा पूनिया : अध्यक्ष महोदय, इस पर बहस हो सकती है पर यह इस तरह मेरा नाम नहीं ले सकते।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को क्या सपना आ रहा रह है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह तो घोटाला कम्पनी के मालिक रहे हुए हैं।

श्रीमती उषा पूनिया : व्यक्तिगत यहां पर मेरा नाम नहीं ले सकते।

श्री संयम लोढ़ा : अगर सरकार में नैतिकता है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है। सदन नियमों से चलता है। नोटिस देते पहले, नोटिस से आरोप लगाते।...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल वर्मा : नियमों में आइये आरोप लगाना है तो, मन में आये जो, यह कोई तरीका नहीं है, किसी पर आरोप लगा दें।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय सदस्य, नोटिस दें उसके बाद आरोप लगाएं आप। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : हाथ हिला-हिलाकर के आरोप लगा देते हैं दो मिनट में। हाथ हिलाना आता है इनको तो...(भारी व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नोटिस देकर आते आप।

श्री अमराराम (धोद) : पैलेस आन व्हील्स घाटे में है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप एक्सपंज कराओ, साहब, यह।

श्रीमती उषा पूनिया : आप अगर आरोप लगा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, तो यह पहले नोटिस तो दें इस बात का। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : अधिकारी मिले हुए हैं, मंत्री महोदया मना कर रही हैं, मुझे जानकारी नहीं है इसका मतलब अधिकारी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य। मिस्टर बैरवा, मिस्टर बैरवा, स्थान ग्रहण करें। खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए जो पर्यटन और कला एवं संस्कृति मंत्री पर कुछ आरोप लगाया. आप कल पूरी तैयारी के साथ आकर के और इस बारे में अपना स्टेटमेन्ट दे दीजिएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय. ऐसी व्यवस्था मत बनाएं। आसन की आज्ञा शिरोधार्य है, रोज इस तरह होगा...(व्यवधान) पहले नोटिस देते, अध्यक्ष महोदय।

श्री अमराराम (धोद) : जब मंत्री कह रही हैं मेरे को पता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : देखिये, वैसे तो लगाना नहीं चाहिए था. 273 का नोटिस देना चाहिए।

श्री कालूलाल गुर्जर : पहले यह नोटिस दे दें और फिर बोलें (व्यवधान) यह कोई परम्परा नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक मिनट कालूलाल जी, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक विनम्र निवेदन यह करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो सिरोही से आते हैं (व्यवधान) स्थगन प्रस्ताव रखा। स्थगन प्रस्ताव के बारे में उन्होंने पढ़ा कि पैलेस आन व्हील्स की कैटरिंग का और इसका ठेका देने के लिए टेण्डर जारी कर दिया, विज्ञप्ति जारी कर दी। हिन्दुस्तान में जितनी भी ट्रेनें हैं, जितनी बड़ी बड़ी ट्रेनें चलती हैं उनमें कैटरिंग का ठेका होता है उसकी विज्ञप्ति जारी होती है। अभी वह विज्ञप्ति जारी हुई है, अभी किसी का टेण्डर मंजूर नहीं हुआ। और अभी किसी को दिया नहीं गया (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : जब प्रोफिट में चल रही है तो क्यों दे रहे हो प्राइवेट को, आपकी नीयत क्या देने के पीछे? क्या नोटिस है आपका देने के पीछे? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन का लाइसेन्स दे दिया क्या इनको? हर बार बोलने का?

श्री महावीर प्रसाद जैन : स्थगन प्रस्ताव पर दो मिनट बोलने की व्यवस्था दी है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अभी उसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई, माननीय मंत्रीजी का उसमें पता नहीं किसकी आएगी, किसकी नहीं आएगी। माननीय सदस्य ने यह भी पेश नहीं किया कि किस किस आदमी ने उसके लिए टेण्डर भरा है, किस किसने मांगा है (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यहां भी कैण्टीन ठेके पर है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सरासर यह जो स्थगन प्रस्ताव दिया गया है उसका मिसयूज किया गया है सदन के पटल का और अध्यक्ष महोदय, कल आप देंगे इनको समय एक्सप्लेनेशन

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

करने का, कोई जरूरत नहीं है (व्यवधान) कल तक यह अखबार में छपेगा. माननीय मंत्री महोदया की इससे अवमानना होगी, मैं चाहूंगा...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आसन की व्यवस्था दी हुई है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : आसन ने व्यवस्था दे दी, सर्वोपरि आसन है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि यह एक्सपंज किया जाना चाहिए।

श्री संयम लोढ़ा : आसन ने व्यवस्था दे दी मंत्रीजी तैयारी करके यहां जवाब दे दें, आसन की व्यवस्था को आप...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, एक्सपंज किया जाना चाहिए आरोप, जब तक नोटिस नहीं दें...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : यदि यह आरोप सही सिद्ध होते हैं तो...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते। पहले इनके पास सबूत होने चाहिए, नोटिस देकर सदन में आना चाहिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता : ...No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member...(interruption)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा था कि सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने न तो कोई विज्ञप्ति आपको दी है, न कोई टेण्डर दिया है, न कुछ लिखित में बताया है, आगे क्या होगा सपना देखकर इस प्रकार से किसी को अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि आप व्यवस्था के बारे में पुनर्विचार करें और माननीय सदस्य ने जो बिना किसी कारण से कहा है उसके आक्षेप को हटाया जाए और बाकी बातें जो उनकी हैं उस पर सरकार जवाब दे देगी।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से आसन पर इस तरह से आरोप लगा दें (व्यवधान) हर कोई माननीय सदस्य आरोप लगाएगा।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय. सिरोही से आने वाले माननीय

(श्री अमराराम)

सदस्य ने जो सवाल उठाया (व्यवधान) उन्होंने आरोप लगाया कि सबसे पहले आर.टी.डी.सी. की बियर शाप जो सबसे ज्यादा मुनाफे में थी उसको समाप्त करने का काम किया और कैण्टीन (व्यवधान) पैलेस आन व्हील्स है उसमें जो ठेके पर देने का है, कैटरिंग ही नहीं, बार को भी निजी हाथों में देने का टेण्डर किया गया है। यह सरकार उन शराब माफियाओं की खुले रूप से पक्षधर है, आर.टी.डी.सी. को समाप्त करना चाहती है, पैलेस आन व्हील्स को समाप्त करना चाहती है। उसमें टेण्डर किसका आएगा आज आज अन्दाजा कीजिए की आर.टी.डी.सी. की बियर शाप बन्द करने से आर.टी.डी.सी. समाप्त होगी यह जो बियर बार है और पैलेस आन व्हील्स इसको टेण्डर पर देने के बाद निश्चित रूप से यह भी घाटे में आएगी। तो क्या सरकार उन शराब माफियाओं की पक्षधर सरकार है? इसमें क्या आरोप लगाया है इन्होंने? आप एक एक शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं।

श्री ओम बिरला : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरासर आरोप हैं एक मंत्री के ऊपर (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, हम आरोप नहीं लगा रहे। सरकार ही बता दे कि यह प्राइवेट में जा रही है कि नहीं जा रही?

श्री अध्यक्ष : और क्या लगा रहे हैं, आरोप ही तो लगा रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अभी किसी को टेण्डर दिया ही नहीं गया, अभी कोई बात हुई ही नहीं है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, सरकार यह तो कहे कि हम नहीं कर रहे। विथड्रा कर लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

डा. सी. पी. जोशी : यदि सरकारें डिसइन्वेस्टमेन्ट करे तो लेजिस्लेशन को कान्फिडेन्स में ले। आप देख लीजिए यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। भारत सरकार के अन्दर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है पार्लियामेन्ट (व्यवधान) को बाई पास करके कोई भी सरकारें डिसइन्वस्टमेंट नहीं कर सकती हैं। राजस्थान सरकार भी डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो लाए सदन में हमको कान्फिडेन्स में लें।(व्यवधान) कि यह काम तो

(डा. सी. पी. जोशी)

हम करना चाहते हैं। आप सरकार को कहिए (व्यवधान) तो आप सदन को कान्फिडेन्स में ले नहीं, जनता का पैसा है, आपका पैसा नहीं है। जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, आपकी मनमर्जी से नहीं चल सकता (व्यवधान) हमारा पैसा है दस करोड़ रुपया आपको फैसला करना पड़ेगा। हम कोई आरोप नहीं लगाना चाहते. सरकार सदन को विश्वास में ले कि यह जो प्रोफिट के अन्दर हैं उसको हम डिसइन्वेस्टमेन्ट नहीं करेंगे। आपको सदन को विश्वास में लेना पड़ेगा।

श्री ओम बिरला : पूर्व की सरकार ने सदन को विश्वास में लिया था क्या?

डा. सी. पी. जोशी : पूर्व की सरकार तो चोर थी, आप भी चोरी करना चाहते हैं क्या? राज करने आए हो, मजाक करने आए हो? राज करने आए हो तो सदन नियमों से चलेगा। (व्यवधान) पहले सरकार यह हो रही थी, दूसरी सरकार यह हो रही है। आपको सदन को विश्वास में लेना पड़ेगा। दस करोड़ रुपए का हमारा इन्वेस्टमेन्ट है, आप डिसइन्वेस्टमेन्ट करना चाहते हैं करिए, हमें कोई तकलीफ नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकारा है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : लेकिन सदन को विश्वास में लेकर करना पड़ेगा। (व्यवधान) इसलिए इस सदन को विश्वास में लेना पड़ेगा। (व्यवधान) दस करोड़ रुपए का (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत : आपने सदन को विश्वास में लिया था क्या (व्यवधान) राजस्थान की जनता अच्छी तरह से जानती है (व्यवधान) लीज पर देने का काम आपने शुरू किया। आर.टी.डी.सी. का भट्टा बैठा दिया आपने (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : अच्छा काम किया है, बन्द करिए। आप क्यों कर रहे हैं? मत करिए काम। आप अच्छा काम कर रहे हो (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत : हम पर्यटन के हित में करेंगे।

डा. सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में जब कोई डिमाण्ड नहीं आए और सरकार पालिसी का फैसला कर ले तो हमारे पास आप्शन क्या बचा? सरकार की प्रोजेक्ट में कोई चीज चल रही है उनको प्राइवेट सैक्टर में लेना चाहे तो हमें कोई तकलीफ नहीं लेकिन सदन को विश्वास में लेना चाहिए कि यह सरकार इस काम को

(डा. सी. पी. जोशी)

कर रही है। हमें कोई तकलीफ नहीं। हम मना नहीं कर रहे। लेकिन सदन को विश्वास में नहीं लें, टेण्डर इनवाइट कर लें आप उस चीज का मतलब यह है कि सदन को बिना विश्वास में लिए हुए आप प्रोफिट में आने वाली जो यूनिट हैं उसका आप (व्यवधान) प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : हमारा अधिकार है।

डा. सी. पी. जोशी : हम कोई आरोप नहीं लगाना चाहते (व्यवधान) लेकिन सरकार जवाब नहीं देती है तो इसका मतलब इनका मोटिव खराब है। हम कोई आरोप नहीं लगाना चाहते (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप बिराजो तो सही। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : मंत्रीजी कहें, हमें मालूम नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय. मेरा निवेदन इतना सा है कि आपने पहली बार स्थगन प्रस्ताव...

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं (व्यवधान

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं आपकी अनुमति से बात रहा हूं

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : शेखावाटी में पानी के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : मवेशी मर रहे हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य.

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : पानी का सबसे मुख्य मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे कह रही हूं रोज रोज नहीं चलेगा, स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थान ग्रहण करें। गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य, सहयोग करें आसन को,

(श्री अध्यक्ष)

मैं आपका सहयोग चाहती हूं, मैं आपका सहयोग चाहती हूं। मजबूर न करें आप मुझे. आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। आप रोज रोज मजबूर करते हैं, आप मुझे मजबूर नहीं करें। अंकित नहीं हो।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : xxx

श्री अध्यक्ष : क्या आपको क्षेत्र की जनता ने इसलिये चुनकर भेजा है कि सदन की मर्यादा का ध्यान नहीं रखे। आप नियमों का पालन नहीं करें...(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : xxx

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रही है। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, सारे सदन को कल से मैं देख रहा हूं और कल से नहीं, लगातार सदन के कार्य में व्यवधान डाला जा रहा है। सभी माननीय सदस्यों का यह विशेष अधिकार है कि वह सदन में अपने विषय पर चर्चा करें और...(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी व्यवस्था को मानते नहीं हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको नाम से पुकारें... (व्यवधान) ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसा लगता है कि सारे सदन की मांग पर इस...(व्यवधान) इस प्रकार की अव्यवस्था फैलाना...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सदन को निजी सम्पत्ति मान रखा है, कब तक चलेगा? सारे नियम और कानून कायदे को ताक में रखकर अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह सदन किसी एक माननीय सदस्य के हाथ में गिरवी रख दिया गया...(व्यवधान) +++ हाथों में और यह सदन में इस प्रकार की स्थिति रही तो मैं समझता हूं कि जो अपराध करके एस.सी., और महिलाओं के साथ इस प्रकार का अपराध किया है ऐसे लोगों को तो सदन में आने का अधिकार नहीं है... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह सदन के नियमों में नहीं है।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन की गरिमा को बचाओ।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : xxx

श्री अध्यक्ष : गुढा से आने वाले माननीय सदस्य, यह कोई गुढा में आपका घर नहीं है। यह राजस्थान विधान सभा है और यह राजस्थान विधान सभा नियमों में बोलने का आपको अधिकार है। सारे सदन की मर्यादा है, आप न मर्यादा का पालन कर रहे हैं। आपने...(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : xxx

श्री अध्यक्ष : आप बैठे बैठे नहीं बोलेंगे। मैं कह रही हूं बैठे बैठे नहीं बोलेंगे। आसन कह रहा है बैठे बैठे नहीं बोलेंगे...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आसन पर आरोप लगा रहे हैं। +++

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : xxx

श्री अध्यक्ष : आप अपने स्थान पर बैठे बैठे नहीं बोलेंगे। स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या अध्यक्ष महोदय, किस तरह की बात करते हैं। +++ मत करो, पहली बार आ गये गलती से यहां और यहां सोच रहे हैं...(व्यवधान) यह गलती से आ गये पहली बार...(व्यवधान) यह क्या बात है अध्यक्ष महोदय?

श्री महावीर प्रसाद जैन : महिलाओं के ऊपर अत्याचार करके...(व्यवधान) कर रखा है ऐसे +++ लोग यहां विधान सभा में बैठना चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आसन पांवों पर है।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : आसन पैरों पर है, पता है मुझे क्या है। लगातार अवहेलना की जा रही है और आप संरक्षण दे रहे हैं ऐसे उनको...(व्यवधान) आसन बिराजमान है। मैं आसन की आज्ञा से, आसन के आदेश से बोल रहा हूं और किसी मेम्बर्स को...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि 44 साल के मेरे इस विधान सभा के कार्यकाल में मैंने किसी भी सदस्य की इतनी हठधर्मी नहीं देखी कि वह बोलता चला जायेगा और आसन का कहना नहीं माने, सदन की मर्यादा का ध्यान नहीं रखे...(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : xxx

श्री अध्यक्ष : फिर वही बात। फिर वही बात। सदन मर्यादा का ध्यान नहीं रखें, आसन का कहना नहीं, मानें। किसी प्रकार से नियमों में बोलें नहीं, बैठे भी बोलें, खड़े भी बोलें, सारा सदन सुनता रहे। कल भी इसी प्रकार का व्यवहार, आज फिर आप उसी प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। मुझे मजबूर कर रहे हैं। आसन को मजबूर कर रहे हैं। आसन को मबूर कर रहे हैं मैं आपको कहूं कि आप सदन से बाहर चले जाएं और...

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : xxx

श्री अध्यक्ष : अब आप फिर वही बात कर रहे हैं। आसन पांवों पर। आसन पांवों पर...(व्यवधान) आसन पांवों पर है। गर्दन के झटके देने से काम नहीं चलेगा। गर्दन के झटके देने से काम नहीं चलेगा। बैठिये आप। स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण कर लें। तो सदन से बाहर चले जाइये आप।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : xxx

श्री अध्यक्ष : मैं आपको सदन से बाहर जाने के लिये निवेदन कर रही हूं। आप सदन से बाहर चले जाएं...(व्यवधान) आप सदन से बाहर चले जाएं वरना मार्शल को मुझे कहना पड़ेगा, आज्ञा देनी पड़ेगी कि इन्हें सदन से बाहर निकाल दो... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक आग्रह है कि जो कुछ आक्षेप आसन के प्रति लगाये हैं उनको तो विलोपित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, पहली बार स्थगन प्रस्तावों पर दो दो मिनट बोलने की अनुमति दी, आसन ने बड़ी कृपापूर्वक अनुमति दी। उस स्थगन प्रस्ताव के जरिये और बिना नोटिस दिये माननीय पर्यटन मंत्री पर जो आरोप लगाये हैं उनको भी विलोपित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैंने सुबह निवेदन किया था, सदन की नेता को पौत्र रत्न प्राप्त हुआ है तो पूरे सदन की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पांवों पर। आसन पांवों पर।

बधाई

सदन की नेता को उनके पौत्र होने पर बधाई

मैं सदन की नेता को उनके पौत्र होने पर मेरी ओर से, सदन के सभी सदस्यों की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं.

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : हम भी हमारे दल की ओर से बधाई देते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं बधाई देता हूं लेकिन जो मिठाइ आपने हां पक्ष लाबी में भेजी वह बड़ी अच्छी है और हमारी वाली जो है वह अलग प्रकार की है...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, हां पक्ष लाबी, पत्रका दीर्घा, ना पक्ष लाबी, सारे अधिकारी, कर्मचारी, सारी विधान सभा में मिठाई भेज दी है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इसके उपलक्ष्य में राजेन्द्र सिंहजी की तरफ से अलग व्यवस्था है।

श्री हरिमोहन शर्मा : हमारी तरफ की मिठाई में और आपकी तरफ की मिठाई में अन्तर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो तरह की पार्टी होनी चाहिये। एक तो सदन के सभी माननीय सदस्यों को मुख्य मंत्रीजी खाना दें और एक माननीय वसुन्धराजी खाना दें। दो खाने होने चाहिये। एक तो मुख्य मंत्रीजी की तरफ से, एक वसुन्धराजी की तरफ से।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय. दोनों का फर्क यह है कि माननीय वसुन्धराजी की...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि आपने हां पक्ष लाबी में तो देशी घी की मिठाई खिलायी और हमको डालडा घी की मिठाई खिलायी। यह नहीं चलेगा। यह बिलकुल ऐसा नहीं चलेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय वसुन्धराजी की तरफ से जो पार्टी होगी उसमें तो राजेन्द्रजी राठौड़ एण्ड पार्टी भाग लेगी और माननीय मुख्य मंत्रीजी की तरफ से होगी उसमें सारा सदन भाग लेगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री शान्ति लाल चपलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह कहना चाहूंगा। मैं भी महारानी साहब को बधाई देना चाहता हूं और कुछ निवेदन भी कर रहा हूं। मिठाई तीन होगी। एक मुख्य मंत्रीजी के नाते, एक वित्त मंत्रीजी के नाते और एक पौत्र रत्न के नाते। तीन होनी चाहिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बस तीन के आगे परिवार नियोजन है। दो या तीन बस।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय अध्यक्ष महोदय,

"मेरे मन में पुरवाईयों का झौंका नया मिला है,

दुष्यन्त निहारिका राजे के आंगन में सुरभित सुमन खिला है,

जन गण मन करता रहे सदा उन्हीं को प्यार,

(श्री अध्यक्ष)

यही कामना कर रहा आज सकल संसार।"

धन्यवाद।

व्यवस्था

बिना पूर्व सूचना दिये आरोप नहीं लगाने विषयक

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अभी स्थगन प्रस्ताव के जरिये सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने पर्यटन कला और संस्कृति मंत्री के खिलाफ कुछ इस प्रकार के आरोप लगा दिये जो हाइपोथेटिकल भी है और जो समय से पूर्व भी हैं इसलिये मैं शंकाओं के आधार पर...(व्यवधान) बिलकुल हाइपोथेटिकल का मतलब यही है कि जो केवल अभी जिनके बारे में कहा ही नहीं जा सकता इसलिये मैं जा कुछ उन्होंने कहा है उसे तो एक्सपंज करती हूं लेकिन मैं पर्यटन और कला संस्कृति मंत्रीजी को यह भी चाहती हूं कि कल इसके बारे में वह सारी बात कहें कि किस...अगर कोई बात ही नहीं है, काल्पनिक बात है, किस वजह से निजीकरण किया जा रहा है वह एक अलग बात है। किस प्राइवेट फर्म को लीज पर वह दिया जा रहा है, अलग इश्यू है। लेकिन उन पर चार्ज लगाने से पहले कम से कम माननीय सदस्य को सारी बातों की जानकारी कर लेनी चाहिए थी। यह प्रिमेच्योर एलीगेशन है।

दूसरी बात यह है कि आप तो नियमों का हवाला चाहे जब देते रहते हैं, आपने यह नियम कैसेट नहीं पढ़ा कि 273...

श्री कालीचरण सर्राफ : पढ़ते ही नहीं हैं।

(13.00 बजे)

श्री अध्यक्ष : आप कई बार कहते हैं यह बात, "No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation..." दी थी क्या इन्टीमेशन आपने न मुझे दी। "...to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the metter for the purpose of a reply..." इसलिए मैं उन सब बातों को एक्सपंज करती हूं। लेकिन माननीय

(श्री अध्यक्ष)

मंत्रीजी आप भी इस बारे में विशुद्ध रूप से तैयारी करके आप अपना कल स्टैटमेन्ट दें ताकि आपके खिलाफ लगाये हुए जो आरोप हैं वह लोगों के सामने बेबुनियाद साबित हो जायें।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था सब पर हो, यह व्यवस्था आइसोलेशन में नहीं हो। पिछले समय में सदन में कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगे हैं। वह तो सदन के रिकार्ड पर रहेंगे, उनके बारे में भी फैसला करवायें। यह मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, सरकार पर आरोप लगाये, उसके बारे में फैसला करें कि हमको सूचना दी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सरकार अलग चीज है, व्यक्ति अलग चीज है।

डा. सी. पी. जोशी : यह व्यक्ति पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आरोप लगे हैं...(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : यह +++ को बैठायें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह +++ को बैठायें।

श्री रामसिंह विश्नोई : किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाने के लिए... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रामसिंहजी विश्नोई। मैंने नाम पुकार लिया रामसिंहजी का, रामसिंहजी विश्नोई का नाम पुकार लिया।

डा. सी. पी. जोशी : हमारा भी एक्सपंज करें। हमारा तो रिकार्ड में आ रहा है, अभी तक आरोप लगाया है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप भी बोलना चाहते हैं क्या, वरना मैं आगे की कार्यवाही करूं।

श्री रामसिंह विश्नोई : आगे कैसे कर लेंगी, वह व्यवस्था आपकी है कि मेरी है।

श्री अध्यक्ष : आपकी पार्टी के हैं इसलिए आधी आपकी भी है।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं नेता नहीं हूं पार्टी का, एक कार्यकर्ता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप कहें उन्हें, आपकी पार्टी के हैं, इसलिए आप कहें वह बैठें।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : सरकार पर आरोप लगाया है...(व्यवधान) यह क्या मतलब हुआ, आप सरकार में खुद मंत्री हैं...(व्यवधान) आपने अभी 100 करोड़ का आरोप लगा दिया। अध्यक्ष महोदय, यह क्या हुआ? आपने अभी कहा कि 100 करोड़ के गेहूं खा गये...(व्यवधान) आप जो चाहें आरोप लगा लें...(व्यवधान) आप बैठ जायें। यह व्यवस्था करिये कि किसी पर आरोप नहीं लगने चाहिए। हम आपकी व्यवस्था से सहमत हैं लेकिन आप मनचाहे आरोप लगा लें यह तो नहीं होगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, सवेरे यहां पर जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां आरोप लगाया कि कांग्रेस के लोग इनका अनाज खा गये, वह तो आपने एक्सपंज नहीं किया।

श्री कालीचरण सर्राफ : मैंने किसी व्यक्ति पर नहीं, सरकार पर आरोप लगाया है। मैंने कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह तो मुझे रोक रहे हैं...(व्यवधान) लेट मी कम्प्लीट फर्स्ट।

श्री अमराराम (धोद) : एक ग्रुप का निकालोगे तो फिर सरकार का क्यों नहीं निकालोगे।

श्री मोहन लाल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विपक्ष के नेता को बताना चाहता हूं कि 273 में व्यवस्था पर्सनल एलिगेशन पर है, पार्टी पर नहीं है, इन्होंने पर्सनल एलिगेशन लगाया है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप कृपा करके बैठ जायें। अध्यक्ष महोदय, आपने इस सम्बन्ध में पहले तो यह व्यवस्था दी कि माननीय पर्यटन राज्य मंत्री इसके ऊपर स्पष्टीकरण दें, फिर कुछ लोगों को आग्रह था और आपने यह कहा कि उसको तो मैं एक्सपंज करती हूं और वह कल जवाब दें। यह बात सही है कि नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आपत्ति की है वह बिलकुल सही है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई यदि आप आरोप लगायें तो उससे पहले या तो आप नोटिस दें। और नोटिस नहीं दें और माननीय सदस्य बुद्धिमान हैं तो उसका खण्डन कर दें। कल, परसों मुझे याद है कि आसन ने यह व्यवस्था दी थी कि कोई भी सदस्य के बारे में यदि कोई आरोप लगता है और सदस्य सदन में मौजूद है तो वह उसका खण्डन कर दे, उसका प्रतिवाद कर दे। लेकिन कुल मिलाकर इधर सत्ता पक्ष के सदस्य तो जो मन में आये आरोप लगा लें, वह एक्सपंज हो नहीं, वह रिकार्ड में आ जायेगा और हमारी तरफ से कोई बात रखी जाये उसको आप एक्सपंज कर रहे हैं तो एक तरह से उचित नहीं है। सारी प्रोसीडिंग्स को मंगाकर के एक जैसा निर्णय करने की कृपा करें।

डा. सी. पी. जोशी : एक्सपंज किस बात का? सदन की कार्यवाही में ही नहीं है।

श्री सांवर लाल : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो कहा है वह घटना तो हो चुकी है। गेहूं बंट चुका है, उसकी जांच चल रही है। यह उस जमाने में हुआ है। दूसरा, यह काल्पनिक आरोप है, अभी ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है। सम्भावना है, कि ऐसा होगा इसलिए इन बातों में बहुत बड़ा फर्क है। वह डिलिट नहीं हो सकता है।

डा. सी. पी. जोशी : जांच चल रही है तो सजा दे दी। सरकार आपकी है, कहां तकलीफ है, आप जांच करके सजा दे दो। आपको कौन रोक रहा है...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : टेण्डर किसलिए हैं, क्यों किए टेण्डर?

डा. सी. पी. जोशी : सात महीने हो गये, सजा दे दीजिए। आपके अधिकार हैं, सजा देने को कौन मना कर रहा हैं, साफ करिये...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : पहले डील की है फिर टेण्डर किये हैं। आपकी सरकार ने डील की है डील और फिर टेण्डर किये हैं।

श्री सांवर लाल : बाद में आप बात करना, सरकार ने क्या किया है और क्या नहीं किया है।

श्री संयम लोढ़ा : आपकी पूरी सरकार इसमें शामिल है।

श्री धर्मपाल चौधरी : यह तो +++ यह +++

श्री नवरतन राजोरिया : यह फिर आरोप लगा रहे हैं। व्यवस्था के बाद फिर आरोप लगा रहे हैं, माननीय सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सर्राफ : 8 करोड़ के गेहूं का घोटाला किया है...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य को भी एक्सपंज कीजिये आप।

श्री अध्यक्ष : क्या कहा उन्होंने?

डा. बुलाकीदास कल्ला : उन्होंने कहा कि हजारों टन अनाज कांग्रेस के लोग गबन कर गये। एक साथ कहा, किसी के बारे में कोई चार्ज नहीं, इसको एक्सपंज करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह प्रमाणित घोटाला है, गेहूं का...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, 273 में बहुत स्पष्ट है प्रतिपक्ष के नेता कि किसी व्यक्ति के विरूद्ध, सरकार के खिलाफ भी लगाया जा सकता है, किसी समूह के खिलाफ भी लगाया जा सकता है चार्ज ऐसा नहीं जैसा बिलकुल दोषारोपण, जैसा यह कहा जा सकता है कि जनरली में ऐसा हुआ है। लेकिन व्यक्ति के खिलाफ जब आप कोई व्यक्तिगत आरोप लगायें तो उससे पहले नोटिस देना आवश्यक है। इसमें व्यक्ति आया है शब्द, 273 में।

श्री मोहन लाल गुप्ता : 272 पढ़िये, इसमें भी यह व्यवस्था है।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, आपने जो फर्माया है 273 के ऊपर, 1982 में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गयी है 17 सितम्बर, 1982 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्व सूचना दिये बिना यदि किसी मंत्री पर आरोप लगाये जायें और सम्बन्धित मंत्री बिना आपत्ति किये उसी समय उत्तर देने को तत्पर हो, ऐसे

(श्री जुबेर खान)

मामलों में पूर्व सूचना की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय मंत्री महोदय खड़ी भी हो गयी थीं, उन्होंने कहा था कि असत्य है।

श्री अध्यक्ष : शी वाज नोट रेडी।

श्री जुबेर खान : इन्होंने कह दिया था कि यह आरोप असत्य है; बिलकुल गलत है तो वहां मामला शान्त हो गया था।

श्री अध्यक्ष : ऐसा हो जाता है।

श्री जुबेर खान : 273 की कार्यवाही को हर जगह कोट मत कीजिये। क्योंकि पहले भी माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस पर व्यवस्था दी है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको प्रमाणित करना पड़ेगा।

श्री जुबेर खान : यह भी व्यवस्था है...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : व्यवस्था देने के बाद उन्होंने कहा...(व्यवधान) उसके बाद उन्होंने दोहराया।

श्री जुबेर खान : सुनिये, मंत्री सार्वजनिक आदमी होता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उन्होंने कह दिया...(व्यवधान) फिर उन्होंने आरोप लगा दिया।

श्री जुबेर खान : मंत्री के पद पर आरोप लगाये जाते रहे हैं और लगाये जा सकते हैं, एक व्यक्ति पर नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : उनके पास जब तक पूरे डिटेल नहीं हो तब तक क्या रिप्लाई देंगी वह...(व्यवधान) डिटेल कैसे नहीं होंगे कौन से दिन निकली, कब एडवटाईजमेन्ट निकला, रिजन्स हैं...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : 1982 में आप पढ़कर देख लें, पेज नम्बर 233 पर है।

श्री अध्यक्ष : कि जिसकी वजह से प्राइवेट किया जा रहा है, क्या रीजन्स हैं

(श्री अध्यक्ष)

और उसके बारे में क्या आगे प्रोसीजर है। पूरी बात नहीं हो तो क्या जवाब देंगी वह... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, अगर दाल में काला नहीं हो, जो यूनिट प्रोफिट में चल रही हो उसको क्यों देंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उसका खण्डन आ गया फिर उसकी क्या जरूरत थी...(व्यवधान) सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बोला उसका पर्यटन राज्य मंत्री ने खण्डन कर दिया कि असत्य है।

श्री अध्यक्ष : ऐसे थोड़े ही होता है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : फिर क्या बचा है। नहीं, तो इन्होंने पूरी कांग्रेस पर आरोप लगा दिया। वह हम कैसे सहन करेंगे।

श्री अध्यक्ष : अब आप बी.जे.पी. पर लगा...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसे चार्ज नहीं लगा सकते।

श्री अध्यक्ष : लगाते हो रोजाना...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अभी भी कह रहे हैं इसको एक्सपंज किया जाये। दो तरह की व्यवस्था नहीं हो सकती है...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : 23 मार्च, 1971 की एक व्यवस्था दी गयी है कि मंत्री (व्यवधान) आलोचना करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : वह कह रहे हैं सारे कांग्रेस के लोग ऐसा कर गये, ऐसा कैसे कह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह गलत बात है...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : बिलकुल गलत बात है। इसको एक्सपंज कीजिये आप दोनों को नहीं तो यह सदन की कार्यवाही भी नहीं चलेगी। वह सारे लोगों पर आरोप लगा दें. एक साथ लोगों पर...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : देश में कितने बड़े-बड़े घोटाले किये गये हैं। इसकी कापी दे दें। हम आपको...(व्यवधान) कांग्रेस ने दिल्ली में राज किया और कितने घोटाले किये, इसकी हमारे पास कापी है।

डा. सी. पी. जोशी : आरोप लगा रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं है आपके पास। (व्यवधान) फांसी पर लटका दो भ्रष्टाचार करे तो। सात महीने हो गए, क्या करते हो बात? (व्यवधान) आपकी दोहरी व्यवस्था नहीं हो सकती। व्यवस्था एक तरह की करिए, एक तरफ तो आरोप लगाते हैं तो यह होगा, दूसरी तरफ आप अलग तरह की व्यवस्था करें।

श्री धर्मपाल चौधरी : एक तरह की ही व्यवस्था है।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, हम आपकी आज्ञा को मानते हैं। यह कोई आरोप नहीं है। यह क्या तरीका है? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : भ्रष्टाचार की कापी चाहिए आपको? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

डा. सी. पी. जोशी : यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यह जिम्मेदारी सरकार की है। सदन में इस तरह से व्यवस्था होगी क्या? अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था देते हैं, हम वह मान रहे हैं व्यवस्था को, आरोप नहीं लगाना चाहिये, हम भी सहमत हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपकी लिबरल व्यवस्था का फायदा उठा रहे हैं। स्थगन पर पहली बार आपने बोलने की अनुमति दी है। वरना आज तक स्थगन पर बोलने की अनुमति नहीं होती थी। यह आपने कृपा की है, उसका फायदा उठा रहे हैं। आपने कृपापूर्वक अनुमति दे दी वरना स्थगन प्रस्ताव निरस्त होता रहा है, बोलने की कभी अनुमति नहीं होती। नई परम्परा डाल दी आपने, उसका फायदा उठा रहे हैं ये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजनस बहुत लम्बा है। मुखबन्द करके सारी डिमाण्ड पेश होनी है और तीन-तीन डिमाण्डों पर चर्चा होगी, विचार होगा इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय. कृपा करके सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए वरना तो यह सारा सदन कार्यवाही के लिए रुका हुआ है, सारा राजस्थान देख रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो आगे लो साहब। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किसी भी माननीय सदस्य या किसी भी मंत्री के खिलाफ जो कोई बोलेगा, आरोप लगाएगा तो उसे 272 के अन्दर पहले स्पीकर को और उस मंत्री को या सदस्य को इस बारे में लिखित रूप से सूचना देना आवश्यक होगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : यह एक्सपंज वाला क्या हुआ दोनों का?

श्री अध्यक्ष : वह तो जो हो गया सो हो गया। मैंने तो दे दी व्यवस्था, माननीय रामसिंहजी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप प्रोसीडिंग्स में देख कर निर्णय कर लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी मंशा क्या है?

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप जनता की समस्याओं की अन देखी कर रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप प्रोसीडिंग्स देखकर निर्णय कर लें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : केवल अपना बचाव करने के लिए...। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : घोटालों की लिस्ट पड़ी है आपकी।

श्री अध्यक्ष : आप मेरे लिबरल होने का सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ही फायदा उठा रहे हैं।

श्री जुबेर खान : आपके राजेन्द्रजी सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

आर.सी.डी.एफ. में भारी अनियमितताओं व दूध के क्रय मूल्य में कमी के सम्बन्ध में

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्रीजी को पिछले छह महीनों में राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन में जो करोड़ों रुपए की भारी अनियमितताएं हुई हैं, उसके बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब तो आप दो मिनट में अपनी बात कह दीजिए, चार मिनट में कह दीजिए लेकिन आज सहकारिता पर डिमाण्ड है उस समय आप विस्तृत रूप से चर्चा कीजिएगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपने मुझे परमीशन ही नहीं देनी चाहिए थी पहले।

श्री अध्यक्ष : दे दी है, दो मिनट में बोल दो।

श्री रामसिंह विश्नोई : दो मिनट ही बोलूंगा क्या मालूम कि तीन मिनट बोलूंगा मैं?

श्री अध्यक्ष : लेकिन बाद में डिमाण्ड पर विस्तृत चर्चा कीजिएगा। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : आप पहले ही बहुत बोल जाती हो।

श्री अध्यक्ष : बोलो, आप तो बोलो, आज डिमाण्ड है न यह।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं दो-तीन बातें ही तो कहूंगा, आप काहे को यूं करती हो?

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बिराजे हुए हैं। आज प्रदेश के अन्दर भयंकर अकाल है और यह भी मालूम है कि ऐसा भयंकर अकाल कि 40 हजार गांवों में बरसात नहीं हुई है, घास नहीं है, पशुओं के लिए चारा नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में चुनाव होने के छह महीने में, जब से आपकी सरकार आई है, आपने सारे बोर्ड भंग कर दिए, जितने जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ हैं, उन संघों को भंग कर दिया।

श्री अध्यक्ष : बात तो आपकी दूध की है और कर रहे हैं बात अकाल की।

श्री रामसिंह विश्नोई : जब संघ भंग कर दिए तभी तो अनियमितताएं हुई हैं। भंग जिला संघों के अध्यक्ष और पदाधिकारी वे यहां पर मैम्बर थे, सेन्टर में उनकी गैर

(श्री रामसिंह विश्नोई)

मौजूदगी के अन्दर एक रुपया प्रति लीटर दूध का कम कर दिया किसानों का 1 एक दिन में 10 लाख लीटर दूध इकट्ठा होता है।

श्री अध्यक्ष : एक रुपया कब कम किया?

श्री रामसिंह विश्नोई : यह अभी किया है दो महीने में। अध्यक्ष महोदय, हमेशा सर्दियों में जब अच्छी घास होती है, अच्छा जमाना होता है और पशुओं के दूध का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, उस समय जरूर भाव कम करते हैं लेकिन इन्होंने गर्मियों में भाव कम कर दिए, इससे करीब साढ़े तीन करोड़ रुपए का नुकसान इन्होंने किसानों को पहुंचाना है।

आज अकाल की भयंकर स्थिति है, चारा नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, इन्होंने पशु आहार पर 45 पैसे बढ़ा दिए। एक ओर तो दूध के भाव कम कर दिए और दूसरी तरफ पशु आहार के पैसे बढ़ा दिए। तीसरी ओर कैन, जिसमें दूध भरते हैं, 40 लीटर का कैन 1400 रुपए में आता था, उसका रेटा 1800 रुपए कर दिया।

वहां जो सीनियर मैनेजिंग डाइरेक्टर है उसको बिलकुल एकाधिकार है, कोई उसको कहने-सुनने वाला नहीं है। इन्होंने करोड़ों रुपए की अनियमितताएं की हैं। मैं इसकी जांच की मांग करता हूं। मंत्री महोदय यहां बिराजे हुए हैं, मुझे विश्वास है कि आप इसकी जांच कराएंगे। आप समझ लें, नए मंत्री हैं, को-आपरेटिव का आपको ज्ञान तो है ही, आप लम्बे समय से मंत्री हैं।

श्री अध्यक्ष : को-आपरेटिव मिनिट की बात है, को-आपरेटिव मिनिट की।

श्री रामसिंह विश्नोई : हां, ये को-आपरेटिव मिनिट हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, यह डेयरी का मामला है, डेयरी के मंत्री अलग हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : डेयरी में आता है, इसका नाम है को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन,

(मोहम्मद माहिर आजाद)

आर.सी.डी.एफ., यह को-आपरेटिव में आता है। आपको पता तो कुछ है नहीं सरकारी मुख्य सचेतकजी।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह इसके अन्दर आता है।

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव) : लेकिन अण्डर डिपार्टमेन्ट डेयरी आता है।

श्री अध्यक्ष : आप हर बात पर क्यों बोलते हैं पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी?

श्री रामसिंह विश्नोई : दूसरा मेरा आरोप है कि बीकानेर के अन्दर एक व्यक्ति 50 हजार लीटर दूध प्राइवेट इकट्ठा करता है। वहां पर लोग अगर डेयरी को दूध देना चाहते हैं तो देना चाहिए। वह 50-60 हजार लीटर दूध गांव के इकट्ठा करके को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन को देता है लेकिन देने का सिस्टम नहीं है। हालांकि वहां पर लोगों ने हड़ताल की, बाद में यह बन्द हो गया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वहां पर को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन में इतनी अनियमितताएं हैं, मैं कोई सरकार पर या किसी माननीय सदस्य पर आरोप नहीं लगाता लेकिन वहां कम से कम आपको देखना चाहिए, वहां पर आपको जाना चाहिए, वहां पर आपको बैठना चाहिए। मंत्रीजी, आपको वहां देखना चाहिए कि हकीकत में क्या मामला हो रहा है।

घी का भाव आपको मालूम है, 172 रुपए का भाव था, उसको 142 रुपए कर दिया। इससे 5-6 करोड़ रुपए का मुनाफा बेइमानी करके उसने एक आदमी को पहुंचाया है। जब 5-6 करोड़ रुपए उसको मिले हैं तो एम.डी. को 2-3 करोड़ रुपए तो मिले ही होंगे, जरूर दिए होंगे। मंत्रीजी, आप इसकी जांच करवाइएगा तो मेरा ख्याल है कि कुछ प्राप्ति आपको भी हो जाएगी। यह बहुत जरूरी मामला है। घी के भाव सर्दियों में सस्ते होते हैं और सर्दियों में तो उन्होंने बेचा नहीं, गर्मियों में रोक कर जब भाव बढ़ते हैं, शादियां होती है आखा तीज पर, उस समय उन्होंने घी को बेचा, जिससे 5-6 करोड़ रुपए का डेयरी फैडरेशन को नुकसान पहुंचा। यह इस तरह का मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए। यह मुझे आपको निवेदन करना था, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप जांच कराएंगे क्या इसकी?

श्री मदन दिलावर (सहकारिता मंत्री) : मैं पूरी जांच करवाऊंगा और जांच करवाकर दोषियों को निश्चित रूप से दण्ड दूंगा।

श्री अध्यक्ष : मैं समझती हूं कि 295 को पढ़ा हुआ मान लिया जाए। अब पर्चियों पर बोलेंगे। डाक्टर चन्द्रशेखर बेद। चार मिनट में अपनी बात कहें।

(नियम 295 के प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : पांच मिनट से पहले-पहले कम्पलीट कर लूंगा।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

. दवाइयों पर लागू कर भार से बढ़ते बोझ विषयक

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक चीज की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। माननीय वित्त मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण की रिप्लाई में 16 तारीख को जो शब्द कहे हैं, वह बताता हूं और मुझे किस तरह से गलत कोट किया वह भी मैं बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि कई रिटेलर्स टैक्स की वजह से एम.आर.पी. नीचे लाने को बाध्य हो जाएंगे तो मैं पहली चीज तो यह बताना चाहता हूं कि एम.आर.पी. तय करना राज्य सरकार के अधिकार में नहीं आता है। एम.आर.पी. तय करता है डी.पी.सी.ओ., ड्रग प्राइस कण्ट्रोल आर्डर। आगे उन्होंने कहा कि तारानगर से आने वाले माननीय विधायक ने कहा कि सिप्लोक्स के दाम छह गुना बढ़ गए हैं। मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि सिप्लोक्स के दाम में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है, यह माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने यह कभी नहीं कहा कि दवाइयों के दाम छह गुना बढ़ गये हैं। जो मैंने बोला था वो रिकार्ड में निकालकर लाया हूं। मैंने यह बोला था सिप्रोफ्लोक्सीसिन के ऊपर टैक्स 10 रुपये 12 पैसे से बढ़ाकर 63 रुपये हो गया है। इस प्रकार टैक्स में छह गुना बढ़ोत्तरी हुई है। मैंने य कभी नहीं कहा कि दवाई के दाम छह गुना बढ़ गये हैं, तो इसको करेक्ट किया जाए।

अब मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि बजट के अन्दर जो दवाइयों के दाम जिस तरह से बढ़े हैं यह एक सत्यता है चाहे कोई माने या न माने आप दवा की दुकान पर भी पूछ लें और दूसरी चीज मैं बता रहा हूं उसको भी एक मिनट ध्यान से सुन

लें तो यह समझ में आ जाएगा कि दवाइयों के दाम किस प्रकार से बढ़े हैं। पहले आपने बजट में कहा कि पहले टैक्स था 9.2 परसेंट और आपने कहा इसको घटाकर हमने कर दिया है 9 परसेन्ट तो इससे दवाइयों की कीमतों में कमी आ जाएगी और जो रिटेलर दवाई के टैक्स का पैसा अपनी जेब में रख लेता था वह अब राजकीय राजस्व में चला जाएगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपने 9.2 परसेन्ट टैक्स को घटाकर 9 परसेन्ट कर दिया, समझ में आ गई बात लेकिन किस पाइन्ट पर किया है। पहले टैक्स लगता था फर्स्ट पाइन्ट पर, स्टोकिस्ट प्राइस पर। अब टैक्स लगेगा मेक्जीमम रिटेल प्राइस के ऊपर इससे क्या फर्क पड़ा, मैं आपको चार्ट अगर कोई समझना चाहे तो मैं बता दूं कि जो ब्राईट मेडिशन्स हैं उसके ऊपर एक परसेन्ट दवाई की कीमतें बढ़ जाएंगी और जो जनेरिक मेडिशंस हैं उसके ऊपर 9 प्रतिशत दवाई की कीमत बढ़ जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताऊ कि जनेरिक मेडिसन के ऊपर, मैं दुबारा रिपीट कर रहा हूं दवाई के ऊपर टैक्स छह गुना बढ़ जाएगा। आप देखिए सिप्रोफ्लोसिसिन की 100 गोलियां पहले आती थी उसके ऊपर टैक्स लगता था 10 रुपये 12 पैसे और अब टैक्स लगेगा 63 रुपया। इस प्रकार टैक्स छह गुना बढ़ गया। इसी तरह मैं आपको एक साधारण सा उदाहरण देता हूं यह सरकार की जिम्मेदारी है कि जितनी भी जीवनरक्षक दवाइयां हैं उनकी कीमतों पर नियन्त्रण रखा जाए और उनकी कीमत इस टैक्स स्ट्रक्चर को लगाने के बाद बढ़ी हैं। अब मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण पेश करूं जो एल्बुमिन है, ह्यूमन सिरम एल्बुमिन, जो कि एक जीवनरक्षक दवा है इसके ऊपर एम.आर.पी. 4100 रुपये लिखी हुई होती थी, इसकी स्टाकिस्ट की कीमत थी 1650 रुपये। आप इसके ऊपर टैक्स लेते थे 9.2 परसेन्ट। तो इसकी टैक्स की कीमत आ गई 151 रुपये। अब आप देखिए उसको टैक्स देना पड़ेगा जिससे कि टैक्स 151 रुपये से बढ़कर 335 रुपये हो गया। जब 335 रुपये टैक्स हो गया तो आपकी दवाई की कीमती में 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई और आपकी जानकारी के लिए यह निवेदन करूं कि पहले यह दवाई जो 2 हजार रुपये में बाजार में मिलती थी जिसके ऊपर एम.आर.पी. लिखा हुआ था 4 हजार और बाजार में मिलती थी। 2 हजार रुपये के अन्दर, क्योंकि एम.आर.पी. का मतलब यह नहीं है कि इससे कम दाम में नहीं बेची जा सकती और आज उसकी कीमत है 2184 रुपये। मतलब दो हजार की कीमत की दवाई, जीवनरक्षक दवाई की कीमत हो गई 2184 रुपये। माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरीय विकास मंत्रीजी ने एक छोटी सी चार लाइन पढ़कर सुनाई सत्ता पक्ष की तरफ से। मैं

प्रतिपक्ष की तरफ से चार लाइनें पढ़कर सुनाना चाहता हूं-

"पूर्ण सदन ने बड़े चाव से आज मिठाई खाई है.

पौत्र रत्न मिल गया आपको बारम्बार बधाई हो।"

पता नहीं माननीय मुख्य मंत्रीजी कहां हैं, मैं उनको सुनाने के लिए ही तो लिखकर लाया था।

श्री अध्यक्ष : आप डाक्टर से कवि कब बन गये?

डा. चन्द्रशेखर बैद : "निर्धन के आंगन के भी अब फूटे भाग संवार दो, दवाइयों की कीमत घटाकर एक सच्चा उपहार दो।" मैं यह निवेदन करता हूं कि आज के दिन कम से कम जिन दवाइयों की बजट पेश करने के बाद कीमतें बढ़ गईं उनकी कीमतें तो कम की जाए।

श्री अध्यक्ष : आपको 5 मिनट पूरे हो चुके हैं।

डा. चन्द्रशेखर बैद : आधा मिनट और लूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप डाक्टर से शायर और कवि कब से बन गये?

डा. चन्द्रशेखर बैद : मैं आपसे यह निवेदन करूंगा, मारवाड़ी में एक कहावत है "गांव कोतवाली को गेलो अपी आप सिखा दे।" तो मैं यहीं आकर सिखा हूं मैडम यह शायरी। इन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया उसके अन्दर हरियाणा में टैक्स स्ट्रक्चर लगाया था बिलकुल एक्जेक्टली उसकी कापी की गई है और हरियाणा में जो टैक्स स्ट्रक्चर लगा था उसकी लेंग्वेज इन्होंने बिलकुल चेन्ज नहीं की।

श्री अध्यक्ष : यही तो मैंने कहा मैटर तो आपका एप्रोप्रिएशन बिल का है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करूंगा यह सारा मामला एप्रोप्रिएशन बिल का है, सरकार सुनेगी और जवाब भी देगी, यह पर्ची से उठाने वाला मामला नहीं है। यह गलत है।

श्री अध्यक्ष : इसीलिए मैं कह रही हूं कि आपने अपनी बात कह दी।

डा. चन्द्रशेखर बैद : एक चीज मैं और निवेदन करना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष : एम.आर.पी. की बात कह दी।

डा. चन्द्रशेखर बैद : नहीं, नहीं।

श्री अध्यक्ष : गलत बात।

डा. चन्द्रशेखर बैद : दिल्ली के अन्दर जो बजट प्रस्तुत किया गया (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बात कह दी। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : एप्रोप्रिएशन बिल के टाइम पर यह मामला बोला जा सकता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। वित्तीय मामले उठाये जाते हैं बजट के सम्बन्ध में और उनका जवाब दिया जाता है एप्रोप्रिएशन बिल इसका सबसे सर्वोत्तम समय है। माननीय सदस्य को एप्रोप्रिएशन बिल के टाइम पर कल इस मामले को उठाना चाहिए ताकि सरकार इसका जवाब दे। वित्तीय मामलों को पर्ची के माध्यम से उठाना (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, पर्ची बनती है केवल तात्कालिक मामलों के लिए जो अन्य किसी प्रकार से नहीं उठाये जा सकते हों। इसके लिए प्रक्रिया तय है एप्रोप्रिएशन बिल की। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको एप्रोप्रिएशन बिल के समय लेने की आप व्यवस्था में संशोधन करें।

डा. चन्द्रशेखर बैद : मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, लास्ट बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपने कर लिया निवेदन।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : गलत है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अब आप क्या निवेदन कर रहे हैं?

डा. चन्द्रशेखर बैद : मैं आपको यह निवेदन कर दूं...

श्री अध्यक्ष : अपनी बात तो कह दी।

डा. चन्द्रशेखर बैद : एक छोटी-सी बात रह गई। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप बात कह चुके। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : आज जिन 20 जीवनरक्षक दवाइयों के दाम दिल्ली सरकार ने बजट पेश करने में बाद 16 परसेन्ट कम हो गये हैं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 9 मिनट हो गये अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : 9 मिनट कहां, 6 मिनट हो गये हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 9, नाइन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 9 मिनट। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : मैं इनसे सही बात कह रहा हूं और सुनना नहीं चाहते।

श्री कालूलाल गुर्जर : सही बात नहीं है बात तो गलत है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : ये तथ्यात्मक बात कह रहे हैं, रिकार्ड की बात कह रहे हैं और आज के दिन आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री सांग सिंह भाटी।

डा. दिगम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, थोड़ा-सा दो मिनट कहना चाहता था।

श्री अध्यक्ष : क्या जवाब देंगे आप? पर्चियों पर जवाब देने की कोई व्यवस्था तो नहीं होती है, आप देना चाहें तो दें।

डा. दिगम्बर सिंह : मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्य पेशे से डाक्टर हैं। शिड्यूल ड्रग्स और नान शिड्यूल ड्रग्स दो तरह की ड्रग्स होती हैं। शिड्यूल

(डा. दिगम्बर सिंह)

ड्रग्स में केवल 74 मेडिशन्स इन्क्लूडेड हैं जिनकी प्राइस गवर्नमेन्ट तय करती है और उनका मार्जिन भी फिक्स होता है 16 परसेन्ट माननीय अध्यक्ष महोदय, टैक्स में दवाई की कीमत बढ़ाने वाली बात कर कर रहे हैं, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं जो ग्लूकोज की बोतल की मेन्युफेक्चरिंग कोस्ट 7 और 8 रुपये से ज्यादा नहीं होती थी। उसमें, वह बाजार में 31 और 32 से कम की मरीज को नहीं मिलती थी। आज मरीज को फायदा देने के लिए, गरीब जनता को दवाई सही प्राइस पर मिले इसकी उपलब्धता के लिए यह चेन्ज किया गया है। और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं टैक्स का कोई ऐसे नहीं कि 100 रुपये की कीमत की कोई चीज है...

डा. चन्द्रशेखर बैद : आपने मैडम मुझे बोलने नहीं दिया, आप जो कह रहे हैं एप्रोप्रिएशन बिल की बात है, माननीय मंत्रीजी आकर बोल रहे हैं आप उनको क्यों नहीं रोक रहे हैं? अब मुझे सुना जाना चाहिए, अगर मैं कह रहा हूं तो मुझे पूरा सुनना चाहिए।

श्री हरिमोहन शर्मा : मंत्रियों के लिए अलग-अलग व्यवस्था है? वो कैसे बोल रहे हैं फिर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हाउस को मिसलीड कर रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय मंत्रीजी को कैसे नहीं रोक रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : इस मिसलीडेड हाउस को सही कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य, पर्ची पर व्यवस्था एक ही है, यदि मंत्री जवाब देना चाहें तो पहले भी इस प्रकार से जवाब दिये गये हैं, आप बीच में न बोलें। (व्यवधान) जो नहीं देना चाहते वो नहीं देते हैं, लेकिन जो देना चाहते हैं, स्पष्टीकरण करना चाहते हैं, किसी चीज को स्पष्ट करना चाहते हैं, खड़े होकर कह देते हैं, उसमें क्या बात हुई।

श्री हरिमोहन शर्मा : व्यवस्था एक ही है। जब इनको एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने की सलाह दी जा रही है माननीय मंत्रीजी के द्वारा तो उनके खुद के मंत्री को नहीं दे रहे हैं आप। आप उनको भी सलाह दें एप्रोप्रिएशन बिल पर जवाब दे दें। आप दोनों से ही कह दें (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि सदन को मिसलीड न किया जाए। दवाइयों की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं है। जो लोग ज्यादा मार्जिन दवाइयों पर मरीजों से वसूल करते थे उस मार्जिन को कम करने के प्रयास किये और मरीज को हमने बचाया है।

एक माननीय सदस्य : कभी भी बोल सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए। श्री सांगसिंह भाटी।

डा. दिगम्बर सिंह : मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं दवाई की कीमत में बढ़ोतरी नहीं है। यह केवल रिटेलर्स का मार्जिन कम हुआ है।

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय अध्यक्षजी, आपने मुझे बोलने नहीं दिया... (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : रिटेलर्स का जो अर्निंग का मार्जिन था वो कम हुआ है।

श्री हरिमोहन शर्मा : दवाइयों की कीमतें बढ़ी हैं, इस टैक्स से बढ़ी हैं, इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि दवाइयां (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल नहीं है, पर्ची के माध्यम से इन्होंने एक प्रश्न उठाया और उसका मंत्रीजी ने जो जानकारी थी वो दे दी और अब सांगसिंह भाटी।

बकाया कृषि कनेक्शन विषयक

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कृषि कनेक्शनों के बारे में मैं अपना सुझाव रखना चाहता हूं सदन के बीच में। कृषि कनेक्शनों के बारे में काश्तकारों के बारे में कम से कम 5 सान, 6 साल पूर्व तक एक लाख 71 हजार कृषि कनेक्शन काश्तकारों के पैण्डिंग पड़े थे राजस्थान सरकार के पास आज से 6 साल पहले और काश्तकार दर-दर की ठोकरें खा रहे थे हर आफिस के अन्दर घूम रहा था, फिर रहा था, कोई इसकी सुनने वाला नहीं था और आखिर में वर्तमान सरकार अभी हमारी भारतीय जनता पाटी की सरकार आई और काश्तकारों के कृषि कनेक्शन जो पैण्डिंग पड़े थे उन सारे कृषि कनेक्शनों को...

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्रीजी, सुनिए।

श्री सांगसिंह भाटी : एक साथ काश्तकारों को कृषि कनेक्शन देने की माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की और आज की तारीख में 60 हजार काश्तकारों को कृषि कनेक्शन देने के गांवों में आदेश पहुंच चुके हैं। जबकि ये काश्तकारों के हितेषी बने हुए हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सदन के बीच में, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से क्या आप काश्तकारों की बात करते हैं लेकिन आपके शासन में पांच साल तक काश्तकारों के कनेक्शन एक लाख 73 हजार पैण्डिंग पड़े थे। उस समय आपकी सरकार ने क्या किया? यह हालत थी काश्तकारों की और आपके शासन में, मेरी बात सुनिए, आपके शासन में कृषि कनेक्शन आपने नर्सरी में ले लिये।

श्री अध्यक्ष : बैठे बैठें नहीं बोलें।

श्री सांगसिंह भाटी : और काश्तकारों की लूट खसोट आपने की नर्सरी के कनेक्शन देने के आपके शासन में काम हुए और भारतीय जनता पार्टी के शासन में आते ही कृषि कनेक्शन आपको मिला। पहली बार, एक मिनट बीच में मत बोलिए, मुझे बोलने दीजिए। (व्यवधान) आप मेरा समय खराब न करें।

श्री अमराराम (धोद) : पहले तीन साल से करते थे और आप आजीवन नहीं करेंगे उसको (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी : आप मेरा समय खराब नहीं करें, कृपया, ध्यान दें। पहली बार काश्तकारों को कृषि कनेक्शन के, किसान सामने बैठे सुन रहे हैं आपकी भाषा, पहली बार काश्तकारों ने राहत महसूस की और राजस्थान में किसान की सरकार आई और काश्तकारों को यह राहत मिली है। इसी के साथ में मैं एक, माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के बीच में एक इस ढंग की बात कहना चाहूंगा कि कानून पढ़ने वाला, कानून को जानने वाला और इस सदन में बैठकर कोई अगर सदन को गलत सलाह दे, गलत गुमराह करे, गलत सूचना देवे क्या उस पर कोई प्रक्रिया है उसको रोकने के लिए? अगर है तो मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जानना चाहता हूं कि मेरे पास एक सबूत है और मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता। लेकिन इस सदन का जिम्मेवार व्यक्ति जिसने सदन को गुमराह किया, जिसने सदन में गलत भाषण दिया कि काश्तकारों के

(श्री सांगसिंह भाटी)

कनेक्शन, काश्तकारों को बिजली नहीं मिल रही है। और वह किस जगह खाजूवाला, पूगल और उस कारण से काश्तकार भयभीत हैं, काश्तकारों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं, जबकि, माननीय अध्यक्ष महोदय. यह मेरे पास सबूत हैं, मैं खाजूवाला का मैं खुद रहने वाला हूं। और पूगल और खाजूवाला में किसी प्रकार के कोई कृषि कनेक्शन नहीं हैं और यह वक्तव्य किसने दिया, प्रतिपक्ष के नेता ने इस ढंग का वक्तव्य दिया है सदन के बीच में जो मेरे पास सबूत है। इस ढंग के अगर सदन को गुमराह करने वाले आप लोग हैं तो मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस ढंग की कार्यवाही की जाए कि आइन्दा सदन को गुमराह न करें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे बोलने का मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप जैसलमेर के हो कि खाजूवाला के हो?

श्री सांगसिंह भाटी : मैं खेती करता हूं खाजूवाला में, रहता हूं जैसलमेर में।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीसिंह रावत।

श्री हरीसिंह रावत (भीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत मुझे कल बोलना था लेकिन समयाभाव के कारण मुझे समय नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : डिमाण्ड थी कल।

श्री हरीसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं रात के 9 बज़े तक हाथ उठाता रहा लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष : उस डिमाण्ड पर आप बोल सकते थे, आपको पूरा समय था फिर भी चूंकि आपने पर्ची दे दी और पर्ची आपकी निकल गई इसलिए दो मिनट में आप अपनी बात केवल ध्यान आकर्षित कर दें बाकी आपको कल समय था, आप बोले लेते।

श्री हरीसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय. कल मुझे समय नहीं दिया गया. मैं 9 बजे तक हाथ ऊंचा करता रहा।

श्री अध्यक्ष : बोलिए, बोलिए।

भीम पंचायत में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार

श्री हरीसिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, मेरे भीम पंचायत में सचिव एवं सरपंच द्वारा घोटालों के तहत उन्होंने भीम पंचायत के अन्दर पुलिस स्टेशन से लेकर स्कूल तक की जो बाउण्डरी है उसमें नाजायज रूप से सब गुमटें बनाकर और गरीब लोगों को खाली यह प्रलोभन दिया गया कि आपको दे रहे हैं और पांच-पांच सौ रुपये की रसीदें दी, हजारों रुपये वसूल किये और 25-25 हजार रुपये वसूल करने के बाद में उनको अभी तक कोई कब्जा नहीं दिया कि इस पर आपका हक है या नहीं है। इस प्रकार का 25-30 लाख का घोटाला किया है। और उस घोटाले के तहत उस सचिव ने ऐसा ताण्डव मचा रखा है तथा 25 साल से भीम सचिव बना हुआ है। और 25 साल से उसने ऐसे ऐसे कारनामे किये, आप सपौज करिये जैसे कोई ट्रान्सफर होकर आता है तो वह उसको प्रलोभन देता है, ठीक है आपको पट्टा चाहिए। बोले हां, साहब (व्यवधान) मेरे वहां की जमीनों की वैल्यू काफी ऊंची चलती है। तो वहां प्लाट के पट्टे की कीमती 50 हजार में लेकर लाखों रुपये तक होती है। उनको मालूम होता है कि 2-3 साल बाद यह ट्रांसफर होकर चला जाने वाला है। जैसे कोई आदमी ट्रांसफर पर चला गया तो जैसे ही गया तो दूसरे आदमी को वह पट्टा बेच देता था तो इस प्रकार लाखों रुपये का उसने घोटाला किया। 25 साल से वह भीम में ही स्थाई रूप से वहां था तो बीच में जब मुझे पता चला तो मैंने बी.डी.ओ. को बोला, मैंने कहा बी.डी.ओ. साहब, इसकी इन्क्वायरी करो। जब बी.डी.ओ. वहां इन्क्वायरी करने गया तो उसकी पिटाई कर दी, पिटाई करके उसके खिलाफ जो एफ.आई.आर. लाज हुई, एफ.आई.आर. लाज होने के बाद उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ। जब बी.डी.ओ. वहां एफ.आई.आर. लाज कराने गया तो वहां का सी.आई. बोलता है कि आप क्यों इन नेताओं के चक्कर में पड़ते हो। ये तो ऐसे ही चलते रहते हैं। तो उसके बाद भी उनके ऊपर एक्शन कोई नहीं किया और खाली एफ.आई.आर. हुई, बाद में मैं मेरे कोई निजी कार्य से मुम्बई गया हुआ था तो 22 तारीख को मुझे फोन किया कि आपके बी.डी.ओ. की पिटाई हो गई और इस तरह का नाटक हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैंने कलक्टर साहब को फोन किया तो कलक्टर साहब को फोन करके मैंने कहा, कलक्टर साहब, यह क्या हो रहा है? तो कलक्टर साहब ने बोला, हां, साहब, ठीक है, मैं देख रहा हूं और मैंने कहा आप ऐसा ही लफड़ा है तो यह गबन का केस बनता है। उसके खिलाफ एफ.आई.आर. रजिस्टर

कराइये। तो मेरे द्वारा कलक्टर को बोलने के बाद भी कलक्टर ने उस के खिलाफ दूसरे दिन एफ.आई.आर. लाज कराई एवं इसका रिकार्ड सीज करिये, तो रिकार्ड सीज करने का आदेश दिया गया तो यह भी वहां पर सी.ई.ओ. ने दूसरे दिन किया।

श्री अशोक (खण्डार) : यह कब की बात है?

श्री हरीसिंह रावत : यह 21.6 की बात है।

श्री अध्यक्ष : यह आप क्या पूछ रहे हैं?

श्री अशोक (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, बी.डी.ओ. को मारा है, सी.आई. कह रहा है कि ऐसे ही चलेगा, मैं तो यही पूछना चाह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्यों व्यवधान डालते हैं बीच में?

श्री हरीसिंह रावत : तो 21 जून को जब मैंने कलक्टर को बोला तो उसने भी सी.ओ. को जब बोला तो सी.ओ. ने दूसरे दिन जाकर रिकार्ड सीज किया जबकि इसमें एक दिन का उसको टाइम मिला जो कि अभी तक वह रिकार्ड लेकर गायब है और उसने मुझे धमकी दी है कि दो लाख के चांदी के जूते मारूंगा आपकी सिफारिश क्या करेगी और अभी तक रिकार्ड उसने सीज नहीं किया, अभी तक फरार है। उसके बाद में वह वहीं रहा और बी.डी.ओ. का ट्रान्सफर हो गया। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इसकी तहकीकात कराएँ।

श्री अशोक (खण्डार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस लोकतन्त्र के सर्वोच्च प्रांगण का उपयोग किसी व्यक्ति के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर नहीं किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : आपकी कोई शिकायत है तो मंत्रीजी को लिखित में दे दीजिए, जांच करा लेंगे लेकिन यहां आपको इस प्रकार से किसी के खिलाफ एलीगेशन लगाने की परम्परा...

श्री हरीसिंह रावत : यह तो अगर मुझे धमकी दी है तो उसका निवेदन तो मैं सदन में करूंगा।

श्री अध्यक्ष : सब बात आप लिखकर के मंत्रीजी को दीजिए, वह जांच करा लेंगे।

श्री हरीसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को भी शिकायत भेज चुका हूं और मंत्री महोदय से चाहता हूं कि इसके बारे में क्या निर्णय हुआ वह थोड़ा बता दें।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मुझे परसों-तरसों ही एक शिकायत दी है और मैंने उच्चाधिकारी से जांच के लिए भेज दी है। उसकी सारी जांच हो जाएगी और जो अनियमितता की गई, जो घोटाला किया वो सब सामने आ जाएगा और जो दोषी होगा उसको सजा दे देंगे। जहां तक पुलिस कार्यवाही नहीं करने का सवाल है, मैं माननीय सदस्य को सलाह देता हूं कि गृह मंत्री से एप्रोच करे।

श्री अध्यक्ष : ठीक। श्री जीतमल खांट।

श्री हरीसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा निवेदन और रह गया। सी.ओ. की अनियमितता की बता रहा हूं। 20-25 दिन पहले जिला परिषद में गया और सी.ओ. से जब मैं बात करने लगा तो सी.ओ. का मेरे प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था, जैसे कोई आप पिक्चर में देखते हैं कि ऐसे बास बैठा रहता है वैसे बैठा हुआ था और मैंने एन्टर किया तो उसने मुझे तबज्जोह तक नहीं दी और सिगरेट पीते हुए मुझे यह बोला कि आइये एम.एल.ए. साहब बिराजिये। एक एम.एल.ए. जब आता है और एक सी.ओ. सिगरेट पीते हुए बोलता है कि बोलिये क्या काम है तो उसके बाद मैंने किसी काम के लिए सी.ओ. को बोलो तो मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ। यह बोला कि मैं जिला परिषद के अण्डर में आता हूं। जिला प्रमुख के द्वारा उनके चहेते लोगों के अपने पसन्दी जगहों पर ट्रान्सफर की लिस्टें निकाल दी है। उसके बाद फिर 30-40 मास्टरों की लिस्ट निकालकर के बोला कि क्या कर लेंगे मेरा। यह देखकर मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ।

एक माननीय सदस्य : यह बड़ा गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, मैं समझती हूं कि सभी मंत्री अपने-अपने विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश तो देंगे कि कम से कम विधायकों के साथ ठीक तरीके से, प्रोपर तरीके से उनकी बात सुनें और वाजिब बात को वो करें भी सही। पूर्व सरकार ने ये निर्देश दे रखे थे, आप उन निर्देश को दोहरा दीजिये।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दे दिये जाएंगे। किसी भी माननीय सदस्य के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : ...आप जो कह रहे हैं वह तो ठीक है लेकिन माननीय सदस्य कह रहे हैं तो उस सी.ई.जो. को तो कम से कम...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट :...उस अधिकारी को सस्पैण्ड करना चाहिए। हम मंत्री महोदय से मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारी को सस्पैण्ड करना चाहिए। सरकारी कार्यालय...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बात हो गई। अब आप फिर क्या कह रहे हैं? निर्देश देंगे। माननीय मंत्रीजी इसमें निर्देश देना।

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्रीजी तो स्वयं पीड़ित हैं इस पीड़ा से।

श्री अमराराम (धोद) : निर्देश कोई नहीं मानता।

श्री अध्यक्ष : जन प्रतिनिधि का सम्मान किया जाना चाहिए, जन प्रतिनिधि की बात सुनी जानी चाहिए और जन प्रतिनिधि सही बात कहते हैं तो काम भी किया जाना चाहिए। यह निर्देश देंगे।

एक माननीय सदस्य : वो स्वयं पीडित हैं क्या निर्देश देंगे।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, जिस सी.आई.ओ. ने इस तरह का बर्ताव माननीय सदस्य के साथ किया, आपने निर्देश दिया, व्यवस्था दी कि निर्देश दे दें लेकिन जब तक आप ऐसे अधिकारी ने माननीय सदस्य के साथ जो व्यवहार किया उसको आप दण्डित नहीं करेंगे तो निर्देश कोई मानने वाला नहीं है। आप 10 दफे निर्देश भेज दें, उनको रद्दी की टोकरी में भेजेंगे। इसलिए माननीय सदस्य ने जिस सी.ई.ओ. के बारे में व्यवहार का जो सवाल उठाया है, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि माननीय पंचायती राज मंत्रीजी...

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री अमराराम (धोद) : उस सी.ई.ओ. को तुरन्त सस्पैण्ड करे और तब कोई निर्देश माना जाएगा वरना कोई निर्देश नहीं मानेंगे। (व्यवधान)

श्री सुभाषचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय, इस बात को गम्भीरता के साथ लें कि जन प्रतिनिधियों के साथ अगर इस तरीके की घटना होगी तो कैसे काम चलेगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभी अधिकारियों को निर्देश दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने निर्देश दिया है वैसे भी और सरकार की मन्शा भी है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वे किसी दफ्तर में जाएं, किसी अधिकारी से बात करें तो जन-प्रतिनिधियों का जिस प्रकार का सम्मान होना चाहिए, निश्चित रूप से सभी अधिकारियों को उसका सम्मान करना चाहिए। और सरकार निश्चित रूप से यह निर्देश भी जारी करेगी कि आपकी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आये। माननीय मंत्रीजी इस सारे मामले को आज ही देखेंगे। इसमें सदन में घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है, छोटा सा काम है, कर करा देंगे। (व्यवधान) बैरवाजी समझो।

एक माननीय सदस्य : आपको सिफारिश की जरूरत नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसमें कोई जरूरत नहीं है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : मंत्री महोदय, यह पूरे सदन के लिए बहुत गम्भीर मुद्दा है इसको आप छोटा सवाल मत समझें। इसके लिए सदन के अन्दर घोषणा करवायें। सभी अधिकारी इस तरह से करते हैं। नौकरशाही हाबी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सुनो, बैरवा साहब, कभी कभी गम्भीरता से भी सुना करो कोई बात।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" (खण्डार) : गम्भीरता से सुन रहे हैं न। आपके

(श्री अशोक बैरवा)

सदस्य ने कहा है, हमारे सदस्य ने नहीं। इनकी यह हालत है तो हमारी क्या हालत होगी। हम तो यह कहना चाह रहे हैं कि आपसे कि जब सत्ता पक्ष के सदस्यों की यह हालत है तो हमारी क्या होगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सदस्यों का जब प्रयोग होता है तो उसमें पक्ष और प्रतिपक्ष...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि वो देख लेंगे। कोई आवश्यक नहीं है कि सदन के अन्दर घोषणा की जाए। कह दिया उन्होंने।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हेमारामजी, माननीय मंत्रीजी ने साफ कह दिया है कि इस सम्बन्ध में नोटिस ले लिया है और आज इस पर वो कुछ कर रहे हैं। इसलिए सदन में कहने की छोटी सी बात पर जरूरत नहीं है और माननीय सदस्य का प्रयोग करते हैं उसका मतलब पक्ष, प्रतिपक्ष सब के माननीय सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष : हां, कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसलिए मैं माननीय सदस्यों से आपसे आग्रह करूंगा कि इस विषय को समाप्त करें। माननीय मंत्रीजी इस पर कार्यवाही कर रहे हैं। सरकार निश्चित रूप से सभी जन प्रतिनिधियों के सम्मान की पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था करेगी और उनका ठीक प्रकार से उनसे आचरण करे इस बात की भी व्यवस्था करेगी।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मुझे ज्यादा तो इसमें कुछ कहना नहीं है लेकिन माननीय सदस्य जब किसी कलक्टर, कमिश्नर या अधिकारी के पास जाते हैं तो कम से कम स्लिप जाते ही उनको बुला लेना चाहिए। यह बड़ा भद्दा प्रदर्शन होता है। उनका काम करो या न करो यह उसकी मर्जी की बात है। किस तरह से काम होते हैं यह तो अधिकारी के ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है वो गलत काम भी हो इसलिए लेकिन उसका मान यही है कि आप जाते ही उसको एक सैकण्ड के अन्दर, ज्यों ही स्लिप अन्दर गई उसको बुलाना चाहिए। यह तो होना ही चाहिए।

श्री अमराराम (धोद) : स्लिप किस बात की?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : निश्चित रूप से बात करेंगे। कई माननीय सदस्य... (व्यवधान) कैलाशजी सुनो।

श्री कैलाश त्रिवेदी : माननीय सदस्य, किस बात की स्लिप देंगे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सदस्य, सुनो। स्लिप का बिना स्लिप का सवाल नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई मीटिंग हो रही हो। यह क्या बात हुई? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा और मैंने कहा कि कोई पत्र जन प्रतिनिधि देंगे उन पत्रों का निश्चित समय पर अधिकारी जवाब दें। एक तो यह व्यवस्था करेंगे।

दूसरा, जन प्रतिनिधि जो जाएं तो उनको सम्मान के साथ बिठाये और उनके प्रतिरूप वो आचरण करे। यह करेंगे। काम जो है वह निम्नानुसार जो भी होगा उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते लेकिन यह फैसला निश्चित करेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, एक बात रह गई। माननीय विधायकजी ने यह स्पष्ट कहा है कि वे सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान कर रहे थे। आजकल कानून बन गया है। सार्वजनिक स्थान पर कोई धुम्रपान करता है तो अपने आप में अपराध है और वहां शिक्षा मंत्रीजी ने कह दिया कि माननीय पंचायती राज मंत्री इसके ऊपर एक्शन लेंगे। ये एक्शन लेने में सक्षम नहीं हैं। डी.ओ.पी. उसके लिए सक्षम है। माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस घटना की पूरी आप जानकारी दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : और डी.ओ.पी. इस सम्बन्ध में कार्यवाही करे कि पब्लिकली यदि कोई पब्लिक आफिस में सिगरेट पीता है तो अपने आप में अपराध है। इस अपराध की काग्नीजैंस लेनी चाहिए और डी.ओ.पी की तरफ से आप एक सर्कुलर निकालें ताकि कोई भी अधिकारी जो चुने हुए जन प्रतिनिधि हैं उनके साथ मान-सम्मान के साथ पेश आये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बिलकुल ठीक है। चलिये, आगे चलिये।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात स्वीकार है। अब क्या बाकी रह गया।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं बता रहा हूं। इसमें पहले से लेकर के कई सरकारें आ गई, चली गई, निर्देश सरकार से जाते हैं फिर भी अधिकारी ऐसा करते रहे हैं। जब तक इसमें पक्ष विपक्ष मिलकर के कोई सर्वसम्मति से इस तरह का हल नहीं निकालेंगे, प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाते हैं उन अधिकारीयों को हम में से ही लोग, इसलिए जब तक आप सब मिलकर के दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ, सर्कुलर आपने भी बहुत निकाले हैं, हम भी सर्कुलर भेजते हैं लेकिन उन सर्कुलर्स को आफिसर्स मानते ही नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : सस्पैण्ड करो उसको।

डा. एन. .एस. गुर्जर : इसलिए सर्वसम्मत हल आप सब लोग दृढ़ इच्छाशक्ति सदन दिखायेगा तो ही यह मामला रुकेगा वरना रोज एक-एक आदमी उठाते रहेंगे तो नहीं रुकेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री जीतमल खांट।

श्री हरीसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, इसका कुछ जबाव भी नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : हो गया जवाब पूरा और क्या चाहिए?

श्री हरीसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, यह जो भ्रष्टाचार का है...

श्री हेमाराम चौधरी : इसमें सर्कुलर क्या है यह तो एक आफिसर के व्यवहार कैसा होना चाहिए यह भी अधिकारी को बताना जरूरी है क्या कि उसे जनप्रतिनिधि के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जिसका व्यवहार ही ठीक नहीं है...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने आदतें खराब कर दीं माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी : आपको क्या तकलीफ हो रही है?

श्री महावीर प्रसाद जैन : वो क्या करेंगे. उनकी आदतें तो आपने खराब कर दीं उनको सुधारना पड़ेगा, सुधार रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी : किसकी आदतें?

श्री महावीर प्रसाद जैन : अधिकारियों की आदतें।

श्री हेमाराम चौधरी : आपकी आदतें। (व्यवधान) आपकी आदतों को हम तो नहीं सुधार सकते, जनता ही सुधारेगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको हम सुधारेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या हुआ? आपको हम सुधारेंगे। यह चीफ व्हिप कह रहे हैं कि आपको हम सुधारेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वो मेरी आदतों को तो सुधारेंगे, यह मेरे को क्या सुधारेंगे ।

डा. बुलाकीदास कल्ला : कहा है कि आपको हम सुधारेंगे। गुढामलानी से आने वाले माननीय को अभी कहा है कि आपको हम सुधारेंगे।

माही परियोजना में बकाया सिंचाई कर माफी

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) **:** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि बासंबाड़ा जिला राजस्थान के दक्षिणी भू-भाग में है। उस जिले में 95 प्रतिशत आदिवासी, किसान और मजदूर लोग रहते हैं। बांसबाड़ा जिले की भौगोलिक विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में कुल मिलाकर के 8 पंचायत समितियां हैं जिनमें से बासंबाड़ा जिला माही बजाज सागर परियोजना से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। जिनमें से आठ पंचायत समितियों में से कुल मिलाकर पांच पंचायत

(13.49 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

समितियों के अन्दर, घाटोल- गढ़ी तलवाड़ा, बागीदोरी, आनन्दपुरी, इन पांच पंचायत समितियों के किसानों को इस माही बजाज सागर परियोजना का लाभ मिलता है।

(श्री जीतमल खांट)

उपाध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण के अन्दर जिस तरीके हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर जिलों के अन्दर सिंचाई कर, आबियाना की वसूली 30.6.2004 तक स्थगित ही नहीं किया, इन चार जिलों के अन्दर रबी और खरीफ की फसलों का सिंचाई कर माफ करने का प्रस्ताव किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, इस सदन के अन्दर गरीब, आदिवासी और दलितों के नाम पर सभी माननीय सदस्य लोक लुभावनी, कल्याणकारी योजनाओं की बात करते हैं। कई माननीय सदस्य यहां पर घडियाली आंसू बहाते हैं कि हम आदिवासियों के लिए यह कर देंगे, दलितों के लिए यह कर देंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि राजस्थान के अन्दर लगातार चार साल से अकाल पड़ता रहा, माही परियोजना के अन्दर पानी नहीं था। चूंकि सरकार ने यह फैसला किया था कि हरी घास को उगाने के लिए किसानों को दो पानी दिया जायेगा, मुझे कभी समझ में नहीं आता कि दो पानी के अन्दर कोई फसल नहीं पकती है। इसकें पश्चात् भी वहां के काश्तकारों ने कम पानी में उगने वाली घास को पैदा किया और वहां के पशुधन को जिन्दा रखने का काम किया।हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने चुनाव के पहले राजस्थान भर के अन्दर यह कहा था कि हम 10.000 रुपये तक किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 10.000 रुपये का किसानों कर्जा माफ करने का वादा किया था इन्होंने सात महीने बीत गये वह तो नहीं किया लेकिन कम से कम राजस्थान की मुख्य मंत्री महोदया ने इस चार जिलों के वहां सशक्त काश्तकारों की और मजबूती प्रदान की। बागड़ी में कहावत है घी मैं घी हर कोई डालता है, तेल में घी कोई नहीं डालता है। तो मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदया अपने क्षेत्र के किसानों के सिंचाई कर को माफ करके आदिवासियों के साथ में क्या करना चाहती है, वहां के गरीब लोगों के साथ में क्या करना चाहती है? यह क्या घडियाली आंसू बहाना चाहती है? और उन्होंने आपने बजट भाषण के अन्दर लिखा है, दरिद्रता, कुपोषण और भूख मुक्ति, अशक्त और महिलाओं को सम्बल प्रदान करेंगे...क्या यही सम्बल प्रदान करेंगे? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज आता है, जाता है, यह लोकतंत्र की प्रक्रिया है, लेकिन ये राजस्थान की पहली महिला मुख्य मंत्री है और मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि गरीब आदिवासियों के साथ वहां के किसानों के साथ में न्याय करें उतरदायी शासन देने का जो इन्होंने वादा किया है, उस वचन पर

(श्री जीतमल खांट)

खरी उतरें, तब तो हम समझेंगे वरना एक बाप के दो बेटे हैं। एक के साथ में अच्छा व्यवहार किया जा रहा है और दूसरे के साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है तो माननीय सिंचाई मंत्रीजी, जब आप प्रतिपक्ष में थे, हम भी आपको साथ में उठा करते थे और कांग्रेस के साथ दो-दो हाथ खड़ा करते थे। आज हमारे बांसबाड़ा जिले को आप भूल गये हमारी राजस्थान की मुख्य मंत्री महोदया भी भूल गई और मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे त्रिपुरा सुन्दरी है, हमारी मुख्य मंत्री महोदया की इष्टदेवी त्रिपुरा सुन्दरी है, हर महीने में एक बार दर्शन करने के लिए आती हैं, आप लोग हमारी गरीब जनता की पीड़ा क्यों नहीं समझते हैं? मैं निवेदन करना चाहता हूं सदन में उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं संरक्षण चाहता हूं, यहां पर हमारे घनश्याम जी तिवाड़ी जैसे महान विद्वान मंत्री बैठे हुए हैं, आदिवासी के साथ में अगर इस बार आपने फैसला नहीं किया तो आपको उस क्षेत्र का आदिवासी कभी माफ नहीं करेगा इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तरदायी शासन देने के लिए उस बचनबद्धता को मजबूत करके उस रास्ते पर खरे उतरें। यह सरकार गरीब जनता को सहयोग देने के लिए और अंशक्त को मजबूत करने के लिए आपे जो वचन दोहराया है, उस वचन पर खरें उतरने का प्रयास करें। बांसबाड़ा जिले में जिन काश्तकारों की 3-3, 4-4 बीधा जमीन हैं और उनका भी अगर आप छोड़ा कर्जा माफ नहीं करेंगे तो क्या माफ करेंगे?

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह माही परियोजना हमारी बहुउद्देशीय परियोजना है और पूरे बांसबाड़ा जिले के अन्दर इस परियोजना के पूरी होने से कम से कम 80,000 हैक्टेयर वहां के खेत और खलिहान में पानी पहुंचेगा। इस तरह की परियोजना से जुड़ा हुआ गरीब किसानों का मुद्दा है, वह मैं सदन को बताना चाहूंगा, माननीय सिंचाई मंत्रीजी हमारे बीच में मौजूद हैं, आपके माध्यम से हमें सहयोग दें, थोड़ा आश्वासन दें और वहां के बांसवाड़ा जिले के लोगों को, काश्तकारों को यह महसूस हो कि यह केवल अशक्त को शक्त बनाने का काम करते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य...

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय. मैं इसी सन्दर्भ में कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्य जिलों की जो हालत है, वह बांसवाड़ा जिले की भी हालत है, माही परियोजना में पानी नहीं था घास उगाने के लिए, फसल बोई गई थी,

(श्री फतेह सिंह)

चारा उगाया था तो उस समय हनुमानगढ़. गंगानगर. जैसलमेर का जब माफ किया था, वित्त मंत्रीजी ने घोषणा की थी. डिक्लेयर किया है. मै उम्मीद करूंगा कि मुख्य मंत्रीजी राजस्थान के उस कोने को नहीं भूले. आदिवासी क्षेत्र को नहीं भूले। और उस क्षेत्र का भी अगर सिंचाई कर माफ किया जाये, यही मेरा निवेदन इसी के साथ में है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि जिस इलाके के काश्तकारों को कर्जा माफ किया है आबियाना, वहां के काश्तकारों की स्थिति बहुत दयनीय बनी हुई थी और पिछले 2-2, 3-3 साल के अन्दर उनकी किश्त भी नहीं दी थी, लोग अपनी जमीन छोड़कर जा रहे थे, राज्य सरकार और मुख्य मंत्रीजी की तरफ से जो माफ करने की घोषणा की गई है, उसके लिए तो आपको धन्यवाद देना चाहिए और मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं...आपकी मांग के बारे में...

श्री जीतमल खांट : मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। मेरा विरोध नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विरोध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मैं आपकी तरफ से, आपके जो विचार थे, कि राज्य सरकार का निर्णय है, मेरा भी निवेदन है, कर दें।

डा. एन. एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, आप निवेदन नहीं करें। आसन से निर्देश होते हैं। सरकार को आपकी तरफ से व्यवस्था होती है, इसलिए आप निवेदन नहीं करें कृपा करके, आप निवेदन किसको कर रहे हैं?

श्री सांवर लाल : आप बिराजो तो सही, उपाध्यक्ष महोदय, सदस्यों ने जो चिन्ता प्रकट की है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, मेरा भी सरकार से अनुरोध है कि सरकार इस ओर भी ध्यान दे ताकि वहां आदिवासी लोग, वहां के काश्तकारों को भी फायदा दिया जा सके।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, आप तो निवेदन और अनुरोध नहीं करके आप तो निर्देश दें।

श्री सांवर लाल : प्रतिपक्ष के नेता महोदय को भी जानकारी है, राजस्थान में जब भी किसानों का कर्ज माफ किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। अगर लगान माफ किया तो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माफ किया। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : 10,000 रुपये का कर्जा माफ करने का चुनाव भाषण में वादा किया था, उसका क्या हुआ? नहीं करा आपने, आठ महीने हो गये। आठ महीने हो गये हैं

श्री सांवर लाल : आपमें सुनने की क्षमता नहीं है क्या? मैं बोल लूं, उसके बाद में बोल लेना ना (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आप करेक्ट कर लें मंत्रीजी, कर्जा माफ हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, जनता पार्टी की सरकार थी।

एक माननीय सदस्य : तब आप जनता दल में थे।

श्री सांवर लाल : वह आप नहीं थे उस समय, मैं था यहां पर, आप नहीं थे। अब इतनी कोई टैक्नीकल बात करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस की सरकार नहीं थी, यह तो ठीक है ना। मैं तो कह सकता हूं कि गंगानगर में छाबियाला माफ किया तो वह भी कांग्रेस नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया।

डा. बुलाकीदास कल्ला : कांग्रेस ने भी किया।

श्री सांवर लाल : आज तक राजस्थान में अगर किसी किसानों को सीधा फायदा दिया तो वह भारतीय जनता पार्टी ने दिया या गैर कांग्रेस सरकार ने दिया, इस बात को तो हमको नहीं भूलना चाहिए। गत पांच वर्षों में इनकी सरकार थी। इन्होंने आने के बाद लगान जो 20 वर्ष का बाकी था, वह वसूल किया। सिंचाई शुल्क को वसूल किया और गंगानगर सहित चार जिलों के किसानों को लटकाकर चले गये, 30 जून तक स्थगित करके चले गये, इनकी नीयत तो कभी भी किसानों का कर्जा माफ करने की नहीं रही। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने किया है माफ इन चार जिलों का। अब यहां पर समस्या आई है। मेरा काम तो खेत को पानी दिलवाने का है। पानी का सही उपयोग हो, यह हमारा काम है, इनके राज के अन्दर जो पटवारी थे, वह भी हमारे से अलग करके रेवेंयू विभाग को दे दिये तो सीधा वसूल करने का भी सिंचाई विभाग का काम नहीं है।

श्री महीपाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्रीजी को कृषि विभाग भी देना चाहिए था तब जाकर के भला हो सकता था।

(14.00 बजे)

श्री सांवर लाल : कृषि सिंचाई से ही होती है, बरसात बरस जाय तो बिना उसके भी हो जायेगी पर मेरे कहने का मतलब यही है, मेरा निवेदन है माननीय सदस्य से...

श्री अमराराम (धोद) : आप तो माफ करने की शक्ति नहीं रखते हो, आप तो मुख्य मंत्रीजी के पास यह पहुंचा दोगे और माफ करने की शक्ति रखते हो तो माफ करने की घोषणा कर दो।

श्री सांवर लाल : आप इतने वरिष्ठ सदस्य बार-बार बीच-बीच में... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपने जो कहा है उसको मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं...

श्री सांवर लाल : आप करेक्टकर नहीं सकते क्योंकि मैंने कहा जो करेक्ट कहा है, क्या करेक्ट करोगे आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कांग्रेस के वक्त में आबियाना बिलकुल माफ नहीं हुआ, मैं इसको करेक्ट करना चाहता हूं, कांग्रेस ने एक साल आबियाना माफ किया था और उसके बाद में...(व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट : असत्य, असत्य।

डा. बुलाकीदास कल्ला : क्या असत्य, आपको पता तो है नहीं, हमने किया है, हमने केबिनेट में फैसला लिया है और इस तीन-चार सालों का स्थगित किया हुआ था जिसको आपने माफ किया है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने तो बारानी लगान...

श्री सांवर लाल : आपका काम केवल स्थगित करना और हमारा काम है माफ करना. आपने कभी माफ नहीं किया।

डा. बुलाकीदास कल्ला : नहीं, हमने माफ भी किया है।

श्री सांवर लाल : अब जो भी स्थिति माही के सम्बन्ध में बताई है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अस्सी हजार हैक्टेयर में सिंचित होगा जब पूरा कमाण्ड एरिया डवलप हो जायेगा, अभी जो पैंसठ हजार हैक्टेयर जो कमाण्ड एरिया है उसमें से गत व र्षों में पानी गया है, कुछ कम हुआ होगा, बाकी मैं कह सकता हूं साठ-सत्तर प्रतिशत जो एरिया है, उसमें कमाण्ड एरिया का इर्रिगेशन हुआ है और इसमें जो...

श्री जीतमल खांट : माननीय मंत्रीजी, आपकी बात कट रही है, पिछली बार हमारे उस डेम के अन्दर बहुत ही कम पानी था और दो ही बार हमको, हमारे माननीय नवनीतजी नीनामा भी बैठे हुए हैं, हमारे फतेह सिंहजी भी बैठे हुए हैं। मात्र दो ही बार हमको पानी मिला है और हरी घास ही उगाने का मौका मिला है, बाकी फसलें नहीं पकी हैं। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है।

श्री सांवर लाल : तो अभी जो इसका आबियाना या सिंचाई शुल्क का सवाल है, 272 लाख रूपये के लगभग बकाया है और उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार आपकी भावना, मेरी भावना है, मैं आपकी और मेरी भावना से माननीय मुख्य मंत्री महोदय, को, जो वित मंत्री भी हैं, अवगत कराऊंगा, फैसला उन्हीं को करना है।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद.

श्री नवनीत नीनामा : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बकाया है, बकाया है यह बड़े किसानों का बकाया है, छोटे किसानों का बाकी नहीं है। जो रिश्तेदार, बड़े-बड़े जो ठेकेदार हैं या बड़े काश्तकार हैं, इनका ही बकाया है, गरीब किसानों का बकाया नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री सांवर लाल : जो भी किसान हैं, वह किसान हैं, इसमें कोई ज्यादा लड़ाई, मेरे ख्याल से सभी हम सहमत हैं...

श्री जीतमल खांट : आप इसके बारे में पूरे प्रकरण को देख लें, जो भी गरीब से गरीब काश्तकार है, हो सकता है मैं इनके, माननीय सदस्य की भावना से...

श्री सांवर लाल : किसान, किसान है, इसमें कोई ज्यादा विवाद की आवश्यकता नहीं है, किसान तो किसान है, अपनी मेहनत से कमाकर खाता है, खेती करता है इसलिए जो भी आपने भावना प्रकट की है, हम बता देंगे माननीय मुख्य मंत्रीजी को।

श्री नवनीत नीनामा : पर बकाया थी, पैंतीस हजार तक, चालीस हजार तक बड़े-बड़े किसानों का बकाया है, वह जागीरदार के रूप में है, गरीब किसानों का बकाया नहीं है।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की प्रस्तुति

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मदन दिलावर, सहकारिता मंत्री अनुदान की मांग संख्या 36-सहकारिता एवं मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,13,90, 92,000 (पांच अरब तेरह करोड़ नब्बे लाख बानवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

मांग संख्या 36-सहकारिता की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 36-सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 44,66,10,000 (चवालीस करोड़ छियासठ लाख दस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रभुलाल सैनी, कृषि मंत्री अनुदान की मांग संख्या 37-कृषि विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

मांग संख्या 37-कृषि की प्रस्तुति

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 37-कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,01,65,20,000/- (दो अरब एक करोड़ पैंसठ लाख बीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

मांग संख्या 33, 36 एवं 37 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत धन्यवाद आपको मुझे अवसर देने के लिए। आज सदन मांग संख्या 36-सहकारिता, मांग संख्या 37-कृषि और मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर विचार के लिए एकत्रित हुआ है। स्वाभाविक रूप से मैं अपनी बात को अधिक केन्द्रित करूंगा मांग संख्या 33 पर जिसमें सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण, यह दोनों मुख्य मुद्दे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण की जब बात आती है तो स्वाभाविक रूप से बात आती है जो कमजोर है, समाज का जो कमजोर तबका है, उनकी मदद करना और उनको मदद करके सशक्त बनाना, और सशक्त बनाकर बाकी मजबूत तबके के बराबर लाकर खड़ा करना। जब कमजोर की बात आती है तो वह कमजोर शारीरिक रूप से भी हो सकते हैं, कमजोर मानसिक रूप से भी हो सकते हैं, वह कमजोर सामाजिक रूप से भी हो सकते हैं, वह कमजोर आर्थिक रूप से भी हो सकते हैं। और इसलिए इस दृष्टि से इन कमजोर वर्गों को जो-जो भी जिस भी दृष्टि से कमजोर हैं, उन सबको सम्बल प्रदान करे सरकार। उनको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करे सरकार और उनको आगे बढ़ने का अवसर देते हुए उनको मजबूती देते हुए, उनको सहयोग करते हुए, साधन उपलब्ध करवाते हुए, मार्गदर्शन करते हुए शेष आगे बढ़े हुए जो तबके हैं समाज के, उनके बराबर लाकर खड़ा करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी में से प्रकट हुई आरक्षण की अवधारणा कि जो कमजोर है उनको आरक्षण देना, उनको विशेष सुविधा देना। और उस विशेष सुविधा

के माध्यम से उनको मजबूती देना। और जब आरक्षण की बात आयेगी तो डाक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम आये बिना नहीं रहेगा क्योंकि आरक्षण की अवधारणा डाक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। संविधान निर्माता, संविधान निर्माण के लिए जो सभा, समिति बनी थी उसमें भी वह थे और उसके साथ जो संविधान लेखन के लिए, विशेष रूप से ड्राफ्टिंग के लिए जो कमेटी बनी, सात सदस्यों की सम्भवत: थी, बारह सदस्यों की उनमें भी मुख्य भूमिका डाक्टर अम्बेडकर की थी। और एक तरह से यह कहा जा सकता है कि आज का संविधान, भारत का संविधान जो लागू है देश में, उस संविधान को मुख्य रूप से लिखने वाले, निर्माण करने वाले डाक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। इतना महान कार्य जिस बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया, जिसने अपना पूरा जीवन इस देश में एक अच्छा संविधान, अच्छी कानून-व्यवस्था बनाकर देने में लगाया और एक समाजिक रूप से जो बहुत विषमता थी इस देश में, उस विषमता को दूर करने का, प्रयास करने का जो फार्मूला उन्होंने दिया, उन बाबा अम्बेडकर के बारे में कुछ बातें चर्चा में लाते हुए मैं अपने वक्तव्य को प्रारम्भ करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1947 में जो सरकार बनी भारत में, देश की आजादी के बाद, वह सरकार सर्वदलीय सरकार थी, किसी एक दल की सरकार नहीं थी। और उसमें सभी दलों के वरिष्ठ नेता किसी न किसी रूप में मंत्री के रूप में शामिल थे। और उसमें डाक्टर अम्बेडकर भी विधि मंत्री के रूप में शामिल थे। उसके बाद 1952 में पहला आम चुनाव हुआ, पहली निर्वाचित सरकार उस समय अस्तित्व में आई। उस आम चुनाव में एक आम सहमति हुई थी सारे दलों के नेताओं के बीच में कि किसी भी दल के किसी भी वरिष्ठ नेता के सामने अन्य कोई भी दल किसी मजबूत उम्मीदवार को खड़ा नहीं करेगा ताकि हर दल का वरिष्ठ नेता चुनकर सदन तक पहुंच सके। और उनके ज्ञान का, उनके अनुभव का लाभ सरकार को और सदन को मिल सके। सब जगह उस समझौते का पालन हुआ, केवल एक अपवाद था और वह अपवाद था डाक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो नागपुर से चुनाव लड़ रहे थे।

प्रो बीरूसिंह राठौड़ : कांग्रेस ने प्रत्याशी खड़ा किया।

श्री जोगेश्वर गर्ग : बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य, आप बहुत विद्वान हैं, पर यह मेरा विषय है, इसमें पी.एच.डी. मेरी है। इंटरवीन उधर से होने वाला है, आने वाले हैं वह। अभी मेरे को आगे बढ़ने दीजिये। तो डाक्टर अम्बेडकर खड़े हुए नागपुर से चुनाव लड़ने के लिए, उनके सामने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एन.एस.

कजरोलकर नामक एक दसवीं पास ठेकेदार करोड़पति को खड़ा किया। जातिवाद के आधार पर, पहले ही चुनाव में, आज हम कोस रहे हैं कि जातिवाद का जहर बढ़ गया और पैसे का, धनबल, जातिबल और बाहुबल का तो बहुत बोलबाला आज की तारीख में हो गया, बीजारोपण हो गया नागपुर में 1952 के चुनाव में ही। जातिवाद के आधार पर और पैसे के आधार पर उस कजरोलकर ने बहुत कड़ी टक्कर दी डाक्टर अम्बेडकर को और डाक्टर अम्बेडकर के जीतने की सम्भावना, ऐसी सम्भावना लगी। और इसलिए उस सम्भावना को, जीतने की संम्भावना को पूर्णत: समाप्त करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री कांग्रेस के महान नेता पण्डित जवाहर लाल नेहरू उस चुनाव क्षेत्र में गये एक बार नहीं दो-दो बार गये। विशाल आम सभाएं करके अपील की कि डा. अम्बेडकर को हराओ। (व्यवधान) मुझे पता है, मुझे क्या बोलना है। हां वो ही है।

श्री उपाध्यक्ष : सामाजिक सुरक्षा है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मैंने कहा कि आपको तकलीफ होने वाली है। परिणाम यह हुआ कि डा. अम्बेडकर लोक सभा तक दुबारा नहीं पहुंच पाये। और इसलिए उनको फिर बाद में वाया मीडिया घूम-फिर करके बंगाल के माध्यम से, बंगाल के रास्ते उनको राज्य सभा में पहुंचना पड़ा। वो भी बहुत बाद में जाकर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस बाबा साहब अम्बेडकर जिसने संविधान का निर्माण किया इस देश को इतना बढिया व्यवस्था बनाकर दी, उस बाबा साहब अम्बेडकर के देहावसान 1956 में होने के बाद जैसा कि अपने देश में आम परम्परा है कि बाद में तो जीते जी लोगों को भी...।

श्री रामसिंह विश्नोई : संविधान सभा में इनको मैम्बर किसने बनाया?

श्री जोगेश्वर गर्ग : उनकी योग्यता ने बनाया।

श्री रामसिंह विश्नोई : देखो इस तरह की बात सदन में...।

श्री जोगेश्वर गर्ग : उनकी योग्यता ने बनाया, माननीय सदस्य।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, योग्यता तो है ही। अम्बेडकर आपके हैं उसी तरह हमारे भी नेता हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग : उनकी योग्यता के कारण उन्हें विधि मंत्री बनाया गया और विधि मंत्री के नाते वह संविधान सभा में थे।

श्री रामसिंह विश्नोई : यानी जब अच्छी बात होती है तब तो आपने बनाया नहीं तो फिर हमने विरोध किया. यों?

श्री जोगेश्वर गर्ग : हां, पहले आप बात सुन लीजिये मेरी। फिर बताता हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई : ऐसा नहीं कहना चाहिए आप इतने जिम्मेदार आदमी हो।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मैं तथ्य बोल रहा हूं जो कुछ है तथ्य बोल रहा हूं तथ्य के आधार पर जो चाहे मुझे चुनौती दे सकता है। मैं जवाब दूंगा। उसके बाद बड़ी मेहरबानी की कांग्रेस ने और क्या-क्या मेहरबानी की मैं बता रहा हूं। 1956 में डा. अम्बेडकर का देहावसान हुआ।

श्री रामसिंह विश्नोई :...(व्यवधान)...को-आपरेटिव पर बोल रहे हैं आप?

श्री जोगेश्वर गर्ग : मैं जिस पर भी बोल रहा हूं बोलने दीजिये।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं आप ऐसे कैसे बोलेंगे।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मैं जिस पर बोल रहा हूं बोलने दीजिये। टोकने के लिए उपाध्यक्ष महोदय विराजमान हैं। आप अधिकृत नहीं है उसके लिए।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका नहीं है... (व्यवधान) को-आपरेटिव का यह कोई मामला नहीं है। को-आपरेटिव के ऊपर बोलना चाहिए इनको।

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय सदस्य, आप अधिकृत नहीं है उसके लिए टोकने के लिए उपाध्यक्ष महोदय विराजमान हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वो को-आपरेटिव पर आ जाएंगे।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं आ जाएंगे कब? कल आ जाएंगे?

श्री रामलाल शर्मा : तथ्य सुनने में पीड़ा होती है क्या?

श्री रामसिंह विश्नोई : 5 मिनट तो मिलते हैं, 5 मिनट तो हो गये इनको, कहां आ जाएंगे?

श्री बंशीलाल खटीक :...(व्यवधान)...इसमें आपको आपत्ति है?

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं हमारे को आपत्ति नहीं है हमारे को कोई आपत्ति नहीं है।

श्री रामलाल शर्मा : माननीय सदस्य, सत्य सुनने में पीड़ा होती है क्या?

एक माननीय सदस्य : आप यह कहें कि हम अम्बेडकर के...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : जवाहर लालजी नेहरू ने उनको हरवाया और ये उनका गुणगान कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर का और फिर आपको आपत्ति है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री बंशीलाल खटीक : सीधा-सीधा है कि आप कितना बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति अच्छे हो

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डा. अम्बेडकर के बारे में कुछ कहने जा रहा हूं और तथ्यात्मक बातें कहने जा रहा हूं उससे भी इनको तकलीफ है।

डा. एन. एस. गुर्जर : रामसिंहजी, ये जो बोल रहे हैं सामाजिक सुरक्षा और कल्याण इसके तहत बोल रहे हैं

श्री उपाध्यक्ष : हां वो रामसिंहजी को यह आइडिया है कि ये किस विषय पर बोल रहे हैं

श्री रामसिंह विश्नोई : नाथूसिंहजी साहब बिराजिये।

डा. एन. एस. गुर्जर : हां तो मैं बता रहा हूं न। किसके तहत बोल रहे हैं आप पूछ रहे हैं

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय नाथूसिंहजी साहब, ये आपसे भी ज्यादा सक्षम हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर : हां होंगे, लेकिन आप जो पूछ रहे हैं कि किस पर बोल रहे हैं, इस पर बोल रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : मुझे आपत्ति नहीं है न तो इनसे है, न अम्बेडकर साहब से है। मैं तो यह कह रहा हूं कि को-आपरेटिव पर बोलें आप।

डा. एन. एस. गुर्जर : इस पर बोल रहे हैं न। आप देखिये इस सामाजिक सुरक्षा में इस पर बोल रहे हैं कल्याण पर, फिर काहे को बोल रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : सहकारिता पर बोल रहे हैं ये।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चालीस साल से आपको भी देख रहा हूं और सब देख रहा हूं।

डा. एन. एस. गुर्जर : हम भी आपको देख रहे हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मैं लूणी से आने वाले माननीय सदस्य को याद दिला दूं, नाथूसिंहजी प्लीज।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप देखो। आप तो देखते ही रहो।

श्री जोगेश्वर गर्ग : इस विषय का मैं विद्वान हूं। प्लीज मैंने अपने प्रारम्भ में ही निवेदन कर दिया सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण का मतलब है आरक्षण और आरक्षण का मतलब है डा. अम्बेडकर इसलिए जब मैं खुद ही भूमिका बन रहा हूं। अब सुनिये धैर्य रख कर। डा. अम्बेडकर 1956 में स्वर्गवासी हो गये। हर नेता के स्वर्गवासी होने के बाद कुछ न कुछ सम्मान इस देश में दिया गया। कइयों को जीते-जीते दे दिया, जीते जी भारत रत्न दे दिया, जीते जी पदम विभूषण दे दिया। लेकिन उस महाने नेता को मृत्यु के उपरान्त भी कोई भी सम्मान भारत सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। 1956 से लेकर 1990 तक 35 साल लगे इस देश को यह तय करने में

(श्री जोगेश्वर गर्ग

कि डा. अम्बेडकर भारत रत्न के लायक थे कि नहीं थे। 35 साल लगे इस देश को यह तय करने में डा. अम्बेडकर के नाम के चित्र वाला कोई डाक स्टाम्प निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए 35 साल लगे इस देश को यह तय करने में डा. अम्बेडकर के नाम पर सार्वजनिक अवकाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और 35 साल लगे इस देश को तय करने में कि सेन्ट्रल हाल में डा. अम्बेडकर का चित्र लग सकता है कि नहीं लग सकता. उन 35 साल तक यहां राज करने वाला कौन था, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? अपने गिरेबा में झांक कर देखो। 1990 में जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की मिली जुली सरकार आयी, भारतीय जनता पार्टी बाहर से समर्थन दे रही थी वी.पी. सिंहजी प्रधानमंत्री थे, पहली बार डाक टिकट जारी हुआ। पहली बार उनके नाम की 14 अप्रेल की छुट्टी जारी हुई। पहली बार सेन्ट्रल हाल में चित्र लगा और पहली बार उनके लिए भारत रत्न उपाधि की घोषित हुई उसका क्रेडिट भी आप लेना चाहते हो। आप यदि अम्बेडकर के पुजारी थे आप इस गरीब के मसीहा को कुछ मानते थे तो आप यह सम्मान दे लेते आप लेकिन नहीं दे पाये आप क्योंकि आपकी नीयत में खोट था और मैं कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि आरक्षण हो। कांग्रेस मूल रूप से आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ थी मैं प्रमाण दे रहा हूं सुनिये पहले। पहले सुनिये।

श्री जीतमल खांट :...(व्यवधान)...नहीं, कोई नहीं चाहता था कि व्यवस्था हो यह

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसे कैसे कह सकते हैं, उपाध्यक्ष महोदय? कांग्रेस ने ही आरक्षण दिया और कह रहे हैं कि कांग्रेस खिलाफ थी। कांग्रेस ने ही आरक्षण की व्यवस्था शुरू की ये एक इनिशियल हाईपोथेटिकल चार्ज नहीं लगा सकते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। प्रत्येक सदस्य के विचार होते हैं कह सकते हैं अपने विचार

डा. बुलाकीदास कल्ला : अभी आसन ने व्यवस्था दी है। यह ऐसे विचार थोप नहीं सकते ऐसे'

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई असंसदीय भाषा नहीं है. ये इनके विचार हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : जो तथ्यों के विपरीत बात है उसको कैसे कह सकते

हैं आप बताइये। आरक्षण व्यवस्था किसने लागू की? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या...

एक माननीय सदस्य : आपको पता होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, ये ऐसा कह सकते हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आरक्षण व्यवस्था किसने लागू की? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डा. साहब, बिराजिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग : विपक्ष के नेता का जवाब है मेरे पास माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आरक्षण दिया जाए कि नहीं दिया जाए, संविधान में प्रावधान किया जाए कि नहीं किया जाए। संविधान के आर्टिकल 330, 331, 332 इनके द्वारा पोलिटिकल आरक्षण की व्यवस्था है और उसके बाद संविधान के आर्टिकल 335 में नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था है। बहुत विद्वान हैं विपक्ष के नेता। मैं इतना पढ़ा-लिखा नहीं हूं मैंने तो बी.ए. पास किया है वो भी प्राइवेट, कालेज की शक्ल नहीं देखी लेकिन आप तो बहुत पढ़े-लिखे हैं। इन चारों आर्टिकल्स की चर्चा जब हो रही थी संविधान सभा में उसकी मिनिट्स पढ़ लीजिये आप। आर्टिकल 330, 331, 332 जिस दिन डिसकस हुआ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उस मीटिंग में थे। उस दिन पोलिटिकल आरक्षण की बात रखी। डा. अम्बेडकर ने, कांग्रेस के नेता ने विरोध किया। यह कन्सेप्ट ठीक नहीं है, नहीं देना चाहिए, तनातनी हुई। सदन दो भागों में बंट गया। महात्मा गांधीजी तक बात गयी। उन्होंने इन्टरवीन किया और उनके इन्टरवीन के बाद 10 साल के लिए मात्र यह व्यवस्था लागू की गयी और यह अब हर 10 साल बाद जो भी सरकार सत्ता में होती है उसके सामने भीख मांगनी पड़ती है कि 10 साल के लिए और बढ़ा दो।

श्री जीतमल खांट : कोई भीख नहीं मांगते। (व्यवधान)...इनको देना पड़ता है। अगर जो भी हमें आरक्षण नहीं देगा तो वो राज नहीं कर सकता है इसलिए मजबूर होकर देना पड़ता है। यह क्या बात हुई, हम भीख थोड़े मांगते हैं। हमारा स्वाभिमान है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : जीतमलजी, एक मिनट।

उसके बाद 335 पर जिस दिन डिसकस हुआ सौभाग्य था हमारा, इस अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग का सौभाग्य था। कांग्रेस के वो दिग्गज नेता मैं

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

नाम नहीं लूंगा, फिर अभी आग लग जाएगी। वो कांग्रेस के दिग्गज नेता उस दिन दिल्ली से बाहर थे और इसलिए मीटिंग में नहीं थे। और इसलिए डा. अम्बेडकर सफल हो गये इस नौकरियों में आरक्षण को अनिश्चित काल तक लागू करवाने के लिए। यह मिनिट्स में है। जिसको वहम हो पढ़कर देख ले। और मैं गलत निकल जाऊं तो इस सदन के बीच में मुझे जो आप उचित समझे सजा दे सकते हैं। इस विषय पर चर्चा इसलिए करना चाहता हूं कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आरक्षण नहीं चाहते थे ये लेकिन हो गया इनकी इच्छा के विपरीत लागू। लागू होने के बाद इनको समझ में आया कि ये तो बड़े काम की चीज है एक झुन्झुना तो हमको जिन्दगी भर राज करवाएगा और इसलिए लपक के क्रेडिट ले लिया कि हां भई, हम पक्ष में हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : उस समय आप थे ही नहीं। पार्टी नहीं थी आपकी।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मैं पैदा ही नहीं हुआ था फिर भी जो तथ्य हैं वो हैं। मैं तो उसके बाद पैदा हुआ लेकिन इतिहास फिर भी है। पोपाबाई के टाइम पर मैं पैदा नहीं हुआ था फिर भी पोपाबाई ने जालौर में राज किया है तो किया है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐतिहासिक तथ्य है कि कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ थी लेकिन आरक्षण लागू होने के बाद उसका राजनीतिक फायदा उठा लिया गया।

श्री नाथूराम अहारी : यह बिलकुल गलत है कांग्रेस खिलाफ नहीं थी। नहीं तो हो ही नहीं सकता था। क्या बात कर रहे हो आप? किस की बात कर रहे हो? ये +++ पार्टियां तो अभी आयी हैं। क्या बात कर रहे हो? हां।

डा. एन. एस. गुर्जर : कांस्टिट्यूशनल डिबेट्स पढ़ो आप...(व्यवधान)...

श्री नाथूराम अहारी : आप भी अभी आये हो। कल-परसों आये हो आज आये हो आप तो। आपको मालूम ही नहीं है। क्या बात करते हो।

श्री गोविन्द राम चौहान : माननीय सदस्य, यह भी गलत है क्यों कि अम्बेडकरजी के सामने नेहरूजी ने प्रचार करके उनको चुनाव हरवाया था, यह भी गलत है क्या?

श्री नाथूराम अहारी : गलत है, बिलकुल गलत है। (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द राम चौहान : क्या कांग्रेस के इतने +++ हो गये क्या आप? गलत है, सारे दलित समाज को आप यों बेचना चाहते हैं, गलत है। आप तथ्यों को कैसे चैलेंज कर रहे हैं? मजाक बना दिया आपने।

श्री नाथूराम अहारी : आपने मजाक बना दिया। आप जो स्टेटमेन्ट दे रहे हो, बिलकुल गलत है। यह कांग्रेस की देन है।

श्री गोविन्द राम चौहान : बिलकुल यह किस तरह से,...(व्यवधान) ये रिकार्ड से बता रहे हैं।

श्री नाथूराम अहारी : आप बोलते हो वो भी कांग्रेस की देन है। क्या बात कर रहे हो आप...(व्यवधान)

श्री गोविन्द राम चौहान : आप जैसे +++ पर भरोसा नहीं है दलित समाज को...(व्यवधान) माननीय सदस्य ने तथ्यों सहित बात कही है।

श्री नाथूराम अहारी : परिवार नियोजन तक के खिलाफ हैं आप।

श्री गोविन्द राम चौहान : आप तो अभी आये हो, आप सौ साल से जिन्दा हो क्या। आपने कैसे कह दिया कि यह उस टाइम जिन्दा नहीं थे। माननीय सदस्य पहले आप पढ़ने का काम करें, हमको ज्ञान दे रहे हैं। हम सब अमर हैं क्या, यह सारे बैठे हुए लोग 100 साल पुराने हैं क्या। कैसे कह दिया आपने कि यह उस टाइम पैदा नहीं हुए थे।

श्री नाथूराम अहारी : तथ्यों के आधार पर कह दिया। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम चौहान : आरक्षण के नाम पर आप एस.एल.ए. बन गये और पूरे दलित समाज को मूर्ख बना रहे हैं।

श्री नाथूराम अहारी : मुझे तो 25 साल हो गये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम चौहान : मैं कह रहा हूं 25 साल से हम लोग +++ कर र हैं। आपके भरोसे हम +++ हैं।

श्री नाथूराम अहारी : आप क्या कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम चौहान : आप जैसे नेता जहां है वहां का आदमी आज बिक रहा है। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : ...(व्यवधान) +++ कर रहे हो।

श्री गोविन्द राम चौहान : मुझे याद हैं मैं एक दिन बजट भाषण पर बोल रहा था एक माननीय सदस्य बोले कि यह आरक्षण कांग्रेस की देन है। मैं यह कहता हूं उपाध्यक्षजी, या तो आप इसका इस सदन में पूरा रिकार्ड मंगाने का काम करें अन्यथा यह जो कांग्रेस वाले ठेकेदार बनते हैं और गरीबों और दलितों को जो हमेशा मूर्ख बनाते हैं इस सदन को गुमराह नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, सब्जेक्ट से हटकर बोलेंगे तो ऐसे ही होगा। आप सब्जेक्ट से हटकर बोलते हैं और आप सुन रहे हैं बाकायदा और आपको हम कह रहे हैं आप उसकी परवाह नहीं कर रहे हो। यह आसन का काम है. आप सुन रहे हैं।

श्री गोविन्द राम चौहान : उपाध्यक्षजी, यह बहुत गम्भीर बात है इन्होंने कैसे कह दिया कि यह पैदा नहीं हुए थे उस टाइम?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में व्यवधान नहीं।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह कोई अम्बेडकर सोसाइटी तो है नहीं।

श्री जोगेश्वर गर्ग : उपाध्यक्ष महोदय, अब जब इतना इधर से विरोध हो रहा है तो इस विषय पर और बोलूंगा और मैं और ज्यादा प्रमाण दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : समय का ध्यान रखिए. माननीय सदस्य।

श्री जोगेश्वर गर्ग : उपाध्यक्ष महोदय, आरक्षण व्यवस्था लागू होने के बाद न्होंने क्या किया, अब मैं आपको उदाहरण देता हूं।

श्री नाथूराम अहारी : तब आपकी पार्टियों ने मन्दिरों में जाने से रोका था, क्या बात कर रहे हो. यह आपने करवाया था। +++ देश को बरबाद आपने किया और आगे भी करोगे।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय. बिना सब्जेक्ट तो आप बोल रहे हैं और आप इनको मना नहीं कर रहे हैं, फिर लोग ऐसे ही बोलेंगे।

श्री नाथूराम अहारी : +++

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम चौहान : उपाध्यक्षजी, यह कांग्रेस के +++ हैं, दलित समाज को 40 साल से गुलाम रखने की साजिश है। यह जो आज बैक लाग है वह इनकी देन है और आज हमारे आरक्षित अधिकारी सारे दुखी हैं, दलित समाज दुखी है, जगह जगह छुआछुत किस मुंह से यह बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका एक मिनट लूंगा। बड़ी-बड़ी बातें कह रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे दावे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो पार्लियामेन्ट्री बोर्ड है जिसमें 9 सदस्य हैं इसमें एक **श्री** अनुसूचित जाति, जनजाति का हो तो उसका नाम बता दो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई मतलब नहीं है इससे, यह कोई विषय नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : भारतीय जनता पार्टी का आज तक कोई प्रदेशाध्यक्ष अनुसूचित जाति, जनजाति का रहा हो तो वह बता दो और चार बार आपका राज आया ठाकुर के अलावा कोई मुख्य मंत्री बना हो तो वह बता दो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : बंगारू लक्ष्मण को भी फंसा दिया और भगा दिया।

श्री गोविन्द राम चौहान : उपाध्यक्ष महोदय. जगजीवन राम के बाद...

श्री संयम लोढ़ा : (व्यवधान) आज तक उस बंगारू को टिकट नहीं दिया. कोई मुकदमा नहीं उसके ऊपर।

श्री जीतमल खाट: बंगारु को कर दिया।

श्री बंशीलाल खटीक : ... (व्यवधान) माननीय सदस्य, बिना तथ्य की बात करते हैं,बंगारु लक्ष्मण थे कि नहीं, सच नकारते हो क्या। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द राम चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, जगजीवन राम के बाद कांगेस ने कोई बड़ा नेता पैदा नहीं किया दलित समाज का।

श्री जोगेश्वर गर्ग : उसके साथ भी धोखा किया।

श्री नाथूराम अहारी : .. (व्यवधान) एस. सी., एस. टी. के ऊपर इन्होंने राज किया है, देश को बरबाद कर डाला।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री जोगेश्वर गर्ग : उपाध्यक्ष महोदय,माननीय भैरोंसिंहजी मुख्य मंत्री थे, आर. ए.एस. से आई. ए. एस. बनाने में और आर.पी. एस. से आई. पी. एस. बनाने में कोई आरक्षण व्यवस्था नहीं है। संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। मुख्य मंत्री की इच्छा पर है। राजस्थान की स्थापना से लेकर (व्यवधान) नहीं होता है, आप को नहीं पता है। आर. ए. एस. से आई. ए. एस.और आर.पी.एस. से आई.पी.एस., यू. पी. एस.सी. से नहीं होता मुख्य मंत्री की इच्छा पर होता है और मुख्य मंत्री की डिस्क्रीशन पर है, उसमें कोई आरक्षण नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा हो सकता।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मुख्य मंत्री रिकमंड करता है माई डीयर।

मैं बिलकुल तथ्यों से बात कर रहा हूं।

श्री जुबेर खान : जोगेश्वरजी, इतना भी बता देना कि राजस्थान में एस. टी. के आई.ए. एस., आई. पी. एस. पर रोक किसने लगाई यह।

श्री जोगेश्वर गर्ग : बता रहा हूं, सुनो तो सही।

श्री जुबेर खान : कितने साल से यहां एस.टी. के आई.ए. एस. और आई. पी.एस. नहीं लग पा रहे हैं और उसमें किस मुख्य मंत्री का हाथ रहा है, यह भी बता दें।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मै बता रहा हूं। राजस्थान की स्थापना से लेकर 1992 तक एक भी एस. सी. या एस. टी. का आर. पी. एस. से आई.पी.एस.या आर.ए.एस. से आई. ए. एस. बना हो तो सारे विद्वान लोग बैठे हो, बता दो। सबसे पहला व्यक्ति इस तबके से आई.ए.एस. में गया और वह 1992 में गया और माननीय भैरोंसिंह जी के हाथ से गया। 20 आदमी एक साथ, 13 एक, 7 एक और 10 आई.पी.एस.। यह 30 आदमियों को प्रमोशन दिया गया भारतीय जनता पार्टी के राज में, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य मंत्री की तरफ से। उससे पहले आज तक एक भी नहीं बना। एक भी बना हो तो मैं चैलेंज करता हूं। और उनके साथ क्या व्यवहार किया आपने ? उन 10 आई. पी.एस. में से 8 को आपने रिवर्ट किया और दो को पीछे कर दिया। बात करते हो आप आरक्षण की निहाल करने की।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को करेक्ट करना चाहता हूं कि आई. पी.एस. और आई.ए.एस. के लिये यू.पी.एस.सी. के मैम्बर वहां आते हैं। वहां सलेक्शन कमेटी बनती है और यू.पी.एस.सी. के सदय की उपस्थिति में जो सलेक्शन कमेटी जिनकी सलेक्ट करती है वही आई.पी.एस. और आई.ए.एस. बनते हैं। इसलिए राज्य सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। राज्य सरकार तो केवल इस काम को कंडेक्ट कराती है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : उपाध्यक्ष महोदय, यदि ऐसा है तो मेरा विपक्ष के नेता से प्रश्न है 1992 से पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ और 1995 से आज तक क्यों नहीं हुआ। इन 6 सालों में क्यों नहीं हुआ।

डा. बुलाकीदास कल्ला : कोर्ट में मामले अटके हुए थे इसलिए नहीं हुआ।

श्री जोगेश्वर गर्ग : कोई नहीं अटका हुआ, फालतू की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं कोर्ट की बात करता हूं। पंजाब के हाई कोर्ट का एक फैसला हुआ, कोई एस.के.जुनेजा हाई कोर्ट में गये। उन्होंने प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जायेगा इस विषय पर अपना दावा लगाया। पंजाब हाई कोर्ट का फैसला उसके पक्ष में आ गया अपना दावा लगाया। पंजाब हाई कोर्ट का फैसला उसके पक्ष में आ गया। केवल पंजाब हाई कोर्ट का फैसला था वह, केवल पंजाब के लिये एप्लीकेबल था। उसके आधार पर राजस्थान में क्यों एक्शन लिया गया। राजस्थान में क्यों आई.पी.एस. को रिवर्ट किया

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

गया और सैंकड़ो की संख्या में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को. यू.डी.सी. से एल.डी.सी. और ओ.ए. से यू.डी.सी. बना-बना कर बैठा दिया। 10-10 साल, 12-12 साल वह यू.डी.सी. रह गये उनको वापस एल.डी.सी. बना दिया गया आपके राज में. पांच सालों में सैकड़ों की संख्या में है, मैं लिस्ट दे सकता हूं। पंजाब हाई कोर्ट का फैसला था राजस्थान में लागू करना आवश्यक नहीं था। देश के अन्य किसी राज्य ने लागू नहीं किया सिर्फ अशोक महान की सरकार ने यहां लागू किया। उसके लिये कौन जिम्मेदार हैं?

उससे आगे की बात करता हूं मैं। दिल्ली में देवगौड़ाजी की सरकार थी, गुजरात साहब की सरकार थी और यह महान कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन दे रही थी बाहर से। उस समय भारत सरकार के 5 आफिस मेमोरेण्डम निकले। उन पांच ओ.एम. के कारण यह प्रमोशन में आरक्षण डिस्टर्ब हुआ, रोक दिया गया, पूरे देश में लागू हुआ वह। वह पांच ओ.एम. पास हुए, लागू हुए। आपकी पार्टी जिस सरकार को समर्थन दे रही थी उसके हाथ से, उस समय क्या कर रहे थे आप लोग? और उसके बाद एस.सी., एस.टी. के अधिकारी कर्मचारी आपके सामने मांग कर-कर के थक गये आपने इन ओ.एम. को वापस नहीं लिया। वह ओ.एम. कब वापस हुए माननीय अटल बिहारीजी वाजपेयी जब प्रधान मंत्री बन कर आगे भारतीय जनता पार्टी के थे वह तो। तीन संविधान संशोधन करके उन ओ.एम. को वापस लिया। आखिरी ओ.एम. बचा है वह भी आते-आते रह गया, आचार संहिता लागू होने के कारण वह संविधान संशोधन रह गया। अब आप करके बता दो यदि आप वैल विशर हो। यह सारे प्रमाणित तथ्य दे रहा हूं मैं, अधिकृत तथ्य दे रहा हूं मैं। कोई +++ चैलेंज करे मैं उसका जवाब देने के लिये तैयार हूं। उसके बाद भी आप हिमायती बनते हो एस.सी., एस.टी. के भले के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह वोट लेने के लिये आंसू बहाते हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग : सिर्फ वोट लेना आपने सीखा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सदन के पटल पर प्रमाणित तथ्य रखना चाहता हूं। इनके पास कोई जवाब नहीं है कि अनुसूचित जाति वर्ग के साथ हमेशा अन्याय किया है इन लोगों ने, अनुसूचित जनजाति के वर्ग के साथ हमेशा अन्याय किया है इन लोगों ने। केवल भाषण देते. लालीपाप देते. उनको सब्ज-बाग दिखा-दिखाकर उनके वोट लिये, बेवकूफ बनाकर उनके वोट लिये और उनका भला कुछ नहीं किया। मैं याद दिलाना चाहता हूं राजस्थान की धरती पर डी.जी.पी.,

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

डाइरेक्टर जनरल आफ पुलिस एस.सी., एस.टी. का आप क्यों नहीं बना पाये, पहला डी.जी.पी. किसी ने बनाया. माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने आर.पी.एस.सी. का पहला चैयरमेन एस.सी. का किसने बनाया...

श्री हरिमोहन शर्मा : राष्ट्रपति बनवा दिया हमने, +++। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह +++ क्या होता है सदन मे. यह +++ क्या होता है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : +++ तो प्यार का शब्द है इनका आपस में। आप इसमें नहीं पड़ें।

श्री महावीर प्रसाद जैन उपाध्यक्ष महोदय, आप बोलते हैं, वह व्यवस्था हो जाती है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : जिस राष्ट्रपति को बनाने की आप बात कर रहे है उनको हमने भी वोट दिया था। मेरा वोट भी शामिल है उसमें. मेरा वोट भी शामिल है उसमें।

श्री हरिमोहन शर्मा · राष्ट्रपति जैसे सम्मानित पद पर कांग्रेस पार्टी ने अनुसूचित जाति के आदमी को बैठाया है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : और उनको हमने भी वोट दिया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह हार गया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हारने के लिये खड़ा किया केवल।

श्री हरिमोहन शर्मा : पंचायती राज संविधान संशोधन में भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में हमारे प्रस्ताव को गिराया तब यह कहां थे भारतीय जनता पार्टी वाले, जब उस प्रस्ताव को गिराया गया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हारने के लिये तो वह और जीतने के लिये और। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

डा. एन. एस. गुर्जर : जगजीवनरामजी को 1980 में प्रधान मंत्री पद का केन्डिडेट घोषित किया था। (व्यवधान) जगजीवनरामजी को हमने प्रधानमंत्री का केन्डिडेट घोषित किया था।

श्री जुबेर खान : तब आपको पता था कि आपके 2 सीटें आयेंगी।

श्री जोगेश्वर गर्ग : हमने किया था और आपने उसका विरोध किया था।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप तो इस बात का इन्तजार करते हो, कौन कांग्रेस छोड़कर आये और आपका नेता बने। आप तो इस बात का इन्तजार ही करते रहते हो। कांग्रेस छोड़कर जाने वालों को आप नेता बनाने के लिये तरसते रहते हो। हमारे पास से गया और आपने नेता बना लिया। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब आपका ही नम्बर है...(व्यवधान) आपकी ऐसी ललक है, रोज कहते हो हमको लो। हम नहीं लेने वाले हैं, हम नहीं लेने वाले हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : मुझे यहीं...(व्यवधान) यहीं पैदा हुआ हूं और यहीं मरूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कहां पैदा हुए आप?

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी में 120 में से 45 विधायक एस.सी., एस.टी. के हैं। एस.सी., एस.टी., का मुख्य मंत्री बनाओ तो कोई बात बने। वह करो काम।

श्री जोगेश्वर गर्ग : उपाध्यक्ष महोदय, एस.सी. का मुख्य मंत्री इन्होंने बनाया था, जगन्नाथजी पहाडिया को। (व्यवधान) क्या हालत की उनकी। एक साल के अन्दर क्यों हटाया उनको। +++ क्यों हटाया उनको। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : दिलावर साहब को क्या दिया, समाज कल्याण मंत्री बना दिया।

श्री जुबेर खान : हमने एक साल के लिये बनाया, आप तो बनाते। आप बोलने लायक नहीं हो इस विषय में...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : और पहाडियाजी की क्या हालत की सन् 1981 में

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

(व्यवधान) वह सब माननीय सदस्य जानते हैं इन्होंने क्या-क्या कहा आपके लिये। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : हमने एक साल के लिय बनाया. आप एक हफ्ते के लिये ही बना दो।

श्री श्रवण कुमार : हमारे मुख्य मंत्री का रिकार्ड तो बना. आप लोग बनाकर दिखाओ एक बार।

श्री महावीर प्रसाद जैन : और अपमानित किया फिर ..(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : हमने फिर राज्यपाल बनाया था, राज्यपाल।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वे इस सदन के सदस्य हैं, मैं आपको कहता हूं, वे रोये।

श्री श्रवण कुमार : आप एक बार बनाकर दिखा दो, मान जाएंगे कि बनाते हो।

श्री जोगेश्वर गर्ग : उपाध्यक्ष महोदय. मैं अब अपने मूल विषय पर आता हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा : घण्टा भर हो गया बोलते हुए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य चर्चा को थोड़ा गम्भीरता से लें। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : मदनजी से दुश्मनी है क्या आपकी। मदनजी से दुश्मनी है क्या आपकी...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक बार बनाओ। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : एस.सी. में कोई गम्भीर नेता नहीं है इनके मुकाबले में...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन . और वे जब बजरंग दल के हाथ बताएंगे, त्रिशूल बताएंगे तो कैसा मजा आयेगा।

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय उपाध्यक्षजी. अनुसूचित जाति वर्ग को जो

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

आरक्षण दिया गया, अनुसूचित जनजाति वर्ग को जो आरक्षण दिया गया, संविधान में प्रावधान किया गया उसका, वह कोई अहसान नहीं है। इस देश में बसे हुए समाज की तरफ से सदियों तक जो अत्याचार उन पर किये गये, उनका कम्पनसेशन मात्र है, अधिकार है उनका। यह कोई दया नहीं है और अहसान नहीं है उन पर। सारे हिन्दुस्तान ने जो उन पर अत्याचार किया उस अत्याचार के कारण वह पीछे हो गये। उन अत्याचारों का मैं जिक्र यहां पर नहीं करना चाहता हूं।

श्री जीतमल खांट : यह +++ जो डण्डे बरसाये उनका प्रतिफल है कि हम लोगों को इतनी सुविधा मुहैय्या हो रही है। (व्यवधान) वरना यह +++ हमारे ऊपर जबरदस्त डण्डे बरसाये, अंग्रेजों के अधीन में आकर डण्डे बरसाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : आप बन जाते, केबिनेट मंत्री बन जाते, आपको तो लगता है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है।

एक माननीय सदस्य : क्या व्यवस्था है इसमें।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मात्र मैं भारी पड़ रहा हूं आपसे, मंत्री होता तो क्या होता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल यह है, इस तरह एक जाति विशेष का नाम लेकर यह कहना कि उस जाति ने डण्डे बरसाये, यह महाराणा प्रताप का अपमान है, यह उस अमरसिंह का अपमान है जिसने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, यह उनका अपमान है। जो देश की सीमा पर लड़ता है, मैं समझता हूं इसको सदन की कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री जीतमल खांट : उपाध्यक्ष महोदय, यह जिन्दा इतिहास है, डूंगरपुर के महारावल ने काली भाई भील और...(व्यवधान) सरेआम हत्या की थी।

श्री उपाध्यक्ष : कार्यवाही से निकाल दो।

श्री नाथूराम अहारी : आपको मालूम नहीं है. कांग्रेस आयी इसलिये बोल रहे हैं : हम लोग. नहीं तो आपके जैसे होते तो सबका यही करवाते। (व्यवधान) आपके बस का रोग नहीं है यह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और उपाध्यक्ष महोदय. मेरा निवेदन है, साढ़े चार बजे मुखबन्द का समय दिया हुआ है और अभी पहले माननीय सदस्य बोल रहे हैं कम से कम आपको इनको कहिये ना। कभी वे खड़े हो जाते हैं, कभी डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं। आप जरा इनको प्रताडित करो और प्रतिपक्ष के नेता, आपकी लीडरशिप तो आपके पास रही नहीं, सारी की सारी सी.पी. जोशी साहब ने हथिया ली। अब सी.पी. जोशी साहब से निवेदन करूंगा, आप इनको मना करो। आप कृपया...(व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता के कण्ट्रोल में माननीय सदस्य नहीं हैं। परन्तु सी.पी. जोशी साहब के कण्ट्रोल में हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मुझे तो बड़ा अफसोस है कि संसदीय कार्य मंत्री का कार्य चीफ व्हिप देख रहे हैं।

श्री जीतमल खांट : तथ्यों पर आधारित कोई बात हो, कहने पर कोई, मैं कोई व्यक्ति विशेष पर कोई आरोप नहीं लगा रहा। राठौड़ साहब, तथ्यों पर आधारित कोई बात कहने में...(व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : इसका कोई मतलब नहीं है। (व्यवधान) इसका कोई मतलब नहीं है, उनको तो चमचागिरी करनी है. इनको कोई नहीं बनायेगा। आप इतने विद्वान होते तो बना देते केबिनेट मंत्री, बना देते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में वाद-विवाद हो रहा है. माननीय सदस्य इसको गम्भीरता से लें।

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं निवेदन करता हूं...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, जिस बालक का अपहरण हुआ था, वह बालक मिल गया है देसूरी की घाटी में और मुल्जिम जो ले गये, वो लोग जंगल में हैं, उनके पीछे पुलिस भाग रही है, शायद मुल्जिम को भी पकड़ लें।

श्री जोगेश्वर गर्ग : उपाध्यक्ष महोदय. अब मैं सुझाव देना चाहता हूं, सरकार को कि आरक्षण...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : अच्छे काम के लिये इतनी तालियां बज रही हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : गृह मंत्रीजी, औरों को भी कहिये, आपकी तरह सक्षम बनें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये अच्छे काम हम ही कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के सदस्य अनुसूचित जाति के मामलों में कितने गम्भीर हैं, पता लग रहा है। मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि आरक्षण और छूट ये दो शब्द ऐसे हैं जिनसे दया की भावना आती है, किसी की कमजोरी प्रकट होती है। मैं पोजिटिव, क्रियेटिव सुझाव देना चाहता हूं सरकार को, कुछ ऐसा माहौल पैदा करिये आप, यह मत करिये कि सवर्ण, यदि एलिजिबल 60 प्रतिशत पर जाकर है तो आरक्षित वर्ग का 50 प्रतिशत पर एलिजिबल होगा। यह मत करिये। उसके बजाय उस अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के व्यक्ति को ऐसा माहौल दीजिए, ऐसी सुविधा दीजिए और ऐसा अवसर दीजिए कि वह भी 60 प्रतिशत लाकर उनके मुकाबले का हो सके। तब उनका वास्तविक भला होगा। अब उनको 60 प्रतिशत पर अलाऊ कर रहे हैं और इनको 50 प्रतिशत पर अलाऊ कर रहे हैं तो आपने दवा दिखा दी। आपके उनके मन में एक कमजोरी, हीन भावना भर दी। आपने उसके बैसाखी लगा दी। उस बैसाखी को हटाने की आवश्यकता है। आप उसको इतना मजबूत बनाइये कि वह भी 60 प्रतिशत अंक लाकर उनके मुकाबले ओपन मार्केट में सारे कम्पीटीशन्स को फेस करते हुए निकल कर आ सके। ऐसा माहौल बनाने की आवश्यकता है। ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। सरकार की तरफ से भी किया जाना चाहिए और माननीय सदस्यों की तरफ से भी किया जाना चाहिए। जहां-जहां सम्भव हो और उसके माध्यम से हम इस समाज में बराबरी का वातावरण पैदा करें, समता और समरसता का वातावरण पैदा करें। जातिगत आधार पर किसी के प्रति द्वेष भी नहीं हो, जातिगत आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, जातिगत आधार पर किसी को विशेष दर्जा भी नहीं मिले। ऐसा माहौल, ऐसा एटस्मोस्फेयर बनाने की आवश्यकता है। मूल रूप से मैं इसके लिये सरकार से निवेदन करूंगा और अब मैं थोड़ी सी बात. आपकी इजाजत हो तो सहकारिता के बारे में करूं।

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा जल्दी, 2 मिनट में खतम कीजिए। (व्यवधान) पहले वक्ता हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सहकारिता मंत्रीजी का और माननीय मुख्य मंत्रीजी का कि जिन्होंने इस बार के बजट में और इस छह-सात महीने के अपने कार्यकाल में बहुत सारी नयी बातें सहकारिता के क्षेत्र में लागू की है। जो सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को. बैंकों को घाटे से भी उबारेगी और उनको मेन स्ट्रीम में लाएगी। उसके साथ ही किसानों और ग्राहकों को भी अच्छा माहौल मिलेगा। ओ.टी.एस.. वन टाइम सैटलमैन्ट की जो एकमुश्त समाधान की जो योजना दी है, वह बहुत ही स्वागत योग्य है। बाकी सारी बैंकों में लागू की है सिवाय को-आपरेटिव बैंकों के तो वह को-आपरेटिव बैंकों और भूमि विकास बैंकों में भी लागू होगी तो बहुत अच्छी सुविधा मिल जाएगी और रेट आफ इण्टरेस्ट, ब्याज दर बाकी सब बैंकों ने कम कर दी थी, केवल का-आपरेटिव क्षेत्र में 14 से 17 परसेन्ट अब भी चल रही थी, उसको घटाकर 9 से 11 परसेन्ट अलग-अलग मामलों में की है। ऋण प्रक्रिया बहुत कठिन होती थी सहकारिता की उसको सरल किया है। हिस्सा राशि कम की है। 15 परसेन्ट से घटाकर 5 परसेन्ट और 3 परसेन्ट तक ले आये। (व्यवधान) भाई, बजट में है, पढ़ लेना आप। वसूली प्रोजेक्ट योजना। वसूली अच्छी होगी तभी हम वापस ऋण दे पाएंगे तो वसूली प्रोजेक्ट योजना लागू की है। कृषक मित्र योजना लागू की है। महिलाओं के लिए, अब महिला मुख्य मंत्री है तो महिलाओं के ऊपर ध्यान जाना ही था तो महिला विकास ऋण सहायता योजना नयी एक इण्ट्रोड्यूज की है। बीमा दुर्घटना योजना लागू की है। जिसमें केवल 25 रुपये के प्रीमियम पर 25 हजार का बीमा नौ वर्ष तक. यह बहुत यूनिक एक योजना लागू की है। असफल कुएं. जहां पर एक बार कुआ खोदा और असफल हो गया, ट्यूबवैल खोदा और फेल हो गया, सूखा निकल गया तो उसकी क्षतिपूर्ति की योजना लागू की है और कामर्शियल बैंकों की तरह सावधि जमा योजना भी लागू की है। निश्चित रूप से यह सारी की सारी योजनाएं बहुत अच्छी योजनाएं हैं। नयी योजनाएं हैं। इनोवेटिव एक स्टेप लिया है गवर्नमैन्ट ने और उसके कारण से एक सहकारिता के क्षेत्र में अच्छा माहौल बनाया है। सहकारिता बहुत सफल हुई महाराष्ट्र में. बहुत सफल हुई गुजरात में। लेकिन राजस्थान में सहकारिता आन्दोलन सफल नहीं हो सका और सहकारिता का मतलब ही यह हो गया कि गड़बडियां ऐसा माहौल राजस्थान में जो खड़ा हो गया. माननीय सहकारिता मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी पर यह जिम्मेदारी है कि आने वाले पांच वर्षों में इस माहौल में परिवर्तन करें और सहकारिता का आन्दोलन वास्तव में जनहितकारी बन सके. वास्तव में सहकारी बने सके. किसी माफिया के कण्ट्रोल में नहीं चला जाए और सारे समाज को इसका पूरा लाभ मिले। ऐसा माहौल

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

बनाने की दृष्टि से यह सरकार काम करना शुरू कर चुकी है और निश्चित रूप से यह सरकार उसमें सफल होगी। इसी शुभकामना के साथ आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता के क्षेत्र में जो नवीन प्रगति हुई है उसके विषय में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। सहकारिता ने नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। न केवल ग्रामीण अपितु नगरीय क्षेत्रों में भी का-आपरेटिव बैंक्स अरबन का-आपरेटिव बैंक्स और महिला का-आपरेटिव बैंक्स, इनकी स्थापना करके और महिलाओं को आगे लाने के लिए, उनके उत्थान के लिए भी बहुत बड़ा काम किया है। अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाने के लिए इन्होंने कई योजनाएं दी हैं। उन्नत बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक, पशु-आहार व उपभोक्ता सामग्री वितरण, सहकारी स्वरोजगार योजना, सहकार जनमंगल, सहकार...(व्यवधान) अनेकानेक योजनाएं चालू की हैं। जिनसे ग्रामीण जनता को काफी राहत मिली है। मैं आपके माध्यम से एक-दो निवेन करना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने सहकारिता के चुनाव नहीं करवाये। कई वर्ष निकाल दिये। मैं सोचता हूं कि 1992-93 के बाद में और कोई का-आपरेटिव सैक्टर्स में चुनाव नहीं हुए। ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव भी नहीं हुए। मार्केटिंग का-आपरेटिव सोसायटी के चुनांव भी नहीं हुए और इसी प्रकार से केन्द्रीय सहकारी बैंकों के चुनाव भी नहीं हुए और यह हमेशा चुनावों से भागते रहे। कहते यह रहे कि हम संशोधन कर रहे हैं। कोई नया कानून बना रहे हैं और नये कानून के तहत चुनाव करवाएंगे। चुनाव का-आपरेटिव सैक्टर्स के माध्यम से, उनके अधिकारियों के माध्यम से, निर्वाचन अधिकारियों को नियुक्त करके जब यह चुनाव करवाते थे। तो इन्होंने एकाधिकार बना दिया था। और यही प्रयास इनके रहे कि वे कोई भी किसी भी प्रकार की शिकायत सुनते नहीं थे और जब चाहे अपने चहेते व्यक्ति को निर्वाचित कर दें और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं था। तो पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिन्होंने यह प्रयास किया कि यह चुनाव निर्वाचन विभाग करवाये या जिला कलक्टर के माध्यम से उसके निर्देशन में यह चुनाव हो। इस प्रकार का एक प्रस्ताव किया गया था लेकिन उसका बहाना बनाकर इन्होंने पूरे पांच वर्ष निकाल

दिये। अपने शासनकाल में कोई भी चुनाव नहीं करवाये जिसके कारण से यह विकास अवरुद्ध है और जो पहले जी.एस.एस. अध्यक्ष बने हुए थे वे आज भी बने हुए हैं और वे अपनी हठधर्मी कर रहे हैं। यही नहीं (व्यवधान) हां, तो 1992-93 का मतलब यही हो गया लगभग 13-14 साल। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए नया जो सहकारिता अधिनियम पास किया गया था, उसके अन्दर चुनाव अधिकारी वगैरह सब बदल दिये गये हैं और उसके अनुसार अब आगे काम होगा चुनाव का।

श्री मदन राठौड़ : लेकिन चुनाव नहीं करवाये, यह इससे भागते जा रहे हैं। फिर हमारी सरकार ने सहकारिता के क्षेत्र में ज़ो कुछ महत्वपूर्ण काम किये हैं, उनकी थोड़ी प्रगति की जानकारी देना चाहूंगा। अल्प सहकारी ऋण जो 214 करोड़ रुपये से बढ़ाकर अभी 1150 करोड़ रुपये हुआ। दीर्घकालीन 62 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 202 करोड़ हुआ। केन्द्रीय सहकारी बैंकों की हिस्सा राशि 60 करोड़ से 179 करोड़, इसी प्रकार से प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक की हिस्सा राशि जो पहले 22 करोड़ थी अब 112 करोड़ रुपये तक पहुंची है। इसी प्रकार के और भी सराहनीय प्रयास हुए हैं। कई बैंकों ने लाभ भी अर्जित किये हैं। कई बैंकों ने, जैसे सहकारी बैंकों ने पहले जो केन्द्र सरकार ने दस-दस हजार तक के जो ऋण माफ किये थे उसका सबसे अधिक बोझ इन सहकारी बैंकों पर पड़ा था क्योंकि सबसे अधिक ऋण किसानों को इन सहकारी बैंकों ने ही दिया था तो उसका बोझ भी इन बैंकों ने वहन किया। और न केवल बोझ वहन किया बल्कि घाटे में चल रही बैंके भी, का-आपरेटिव बैंक्स भी और मेहनत करके, परिश्रम करके लाभ में आयी। इस प्रकार के सराहनीय प्रयास पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय के प्रयास भी उनके निश्चित रूप से सराहनीय है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी किसान क्रेडिट कार्ड, यह जब जारी किया गया तो कैम्प्स लगाये गये और दूसरी जो नेशनलाइज बैंक्स हैं, वे तो इससे भागती रही, उन्होंने केवल लिपापोती की और केवल औपचारिकता निभाई। लेकिन किसान को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाने में उन्होंने लापरवाही बरती। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके माध्यम से इस सहकारिता विभाग को कि सहकारिता विभाग ने पूरी जिम्मेदारी के साथ में इसको निभाया और अभी 2 लाख 67 हजार किसान क्रेडिट कार्ड यह वितरित कर चुके हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है जिसमें भी

(श्री मदन राठौड़)

अभी तक मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जब मैं, अभी दो दिन, शनिवार और रविवार को अपने क्षेत्र में घूमने का अवसर आया तो वहां पर जब कृषि विभाग के अधिकारियों से पूछा कि किन-किन जिन्स का आप बीमा कर रहे हैं? अब हालांकि 31, इस महीने की जो अन्तिम तारीख है, वही अन्तिम तारीख है किसानों को बीमा करवाने की। किसी किसान ने यदि बैंक से ऋण लिया है तो उस बैंक की जवाबदेही है कि वह अपना प्रीमियम, उस किसान का प्रीमियम जमा करवा दे लेकिन जिस किसान ने ऋण नहीं लिया है उसका प्रीमियम कैसे जमा होगा? यह अभी तक कृषि विभाग के और वहां पर जो निदेशक बैठे हैं, उनको भी पूरी जानकारी नहीं है। मैंने जिला कलक्टर से बात की कि आप इसकी कोई व्यवस्था करें। तो जिला कलक्टर ने भी कहा कि अभी इसके कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। तो सभी अधिकारियों का सम्मिलित रूप से बैठाकर के यह तय करवाया कि जो साढ़े तीन परसेन्ट प्रीमियम जमा करवाना है, जिसमें 10 परसेन्ट स्टेट गवर्नमैन्ट देने वाली है। तो यह सब क्या है, इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए तो ऐसा प्रयास करके और जब नेशनलाइज बैंको के अधिकारियों के साथ बैठकर, मीटिंग की तो फिर उन्होंने यह तय किया कि हम 31 तारीख तक यह प्रयास करेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सहकारिता क्षेत्र के अधिकारियों को कि उन्होंने भी, यह जबकि उनके यहां प्रावधान नहीं है। उनके यहां तो जो लोनी है, जिसने ऋण लिया है, उसी का वे बीमा करते हैं लेकिन उन्होंने यह तय किया कि नेशनलाइज़ बैंकों में 500 रुपये से सेविंग खाता खुलवा कर कोई भी किसान अपना प्रीमियम जमा करवा सकता है। लेकिन का-आपरेटिव बैंकों ने यह तय किया कि 200 रुपये केवल जमा करवाकर और सेविंग खाता खुलवा कर कोई भी किसान अपनी जिन्स का बीमा करवा सकता है और वह अपनी प्रीमियम जमा करवा सकता है। इस प्रकार से सहकारिता के क्षेत्र में जनहितकारी कई ऐसे निर्णय लिये हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा थोड़ा सा कृषि के बारे में कि पहले कोई किसान खेती में काम करते समय यदि चोटग्रस्त हो जाता था तो उसको केवल 15 हजार रुपये मिलता था। अभी हमारी सरकार ने कोई घायल किसान, खेत में काम करते हुए यदि घायल हो गया। तो उसको 25 हजार रुपये तक और किसी किसान की काम करते हुए दुर्घटना में मृत्यु हो जाये तो उसको 50 हजार रुपये तक की मुआवजा राशि दी जाएगी। इस प्रकार की घोषणा हमारी सरकार ने की है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : किसानों के लिये 10 हजार रुपये तक का एजेण्डा भी दिया था, माफ करने का वह क्या हुआ?

श्री मदन दिलावर : नहीं कहा कभी। कभी नहीं कहा।

एक माननीय सदस्य : नहीं कहा।

श्री श्रवण कुमार : आपके उसमें है ना। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : घोषणा पत्र पढ़कर बताइये। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : चुनाव घोषणा पत्र में है ना।

श्री मदन दिलावर : घोषणा पत्र पढ़कर बताइये।

श्री श्रवण कुमार : तो क्या है उसमें? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : कभी नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी ने कर्जा माफ करने की बात अभी कभी नहीं कही। इस घोषणा पत्र में अभी नही कही।

डा. एन. एस. गुर्जर : उसमें यह कहा था कि 10 हजार तक कर्जा माफ करने के बारे में विचार किया जाएगा।

श्री श्रवण कुमार : विचार किया जाएगा। मैं हमेशा यही तो बोल रहा हूं कि विचार किया जाएगा। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : करेंगे। विचार कर रहे हैं। विचार कर रहे हैं। विचार, हम विचार मग्न हैं।

श्री श्रवण कुमार : What is the language of 'Vicher'?

डा. एन. एस. गुर्जर : हम विचार मग्न हैं. विचार कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : यह कौनसे देश की भाषा है विचार?

डा. एन. एस. गुर्जर : आर्थिक स्थिति देखकर फिर देखेंगे। विचार कर रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार : हिन्दुस्तान की भाषा है कि...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : तो पहले हमने किया है न। पहले किया है लाखों

(डा. एन. एस. गुर्जर)

किसानों के पहले किये हैं हमने। हमारी सरकार ने पहले 10 हजार तक के कर्जे माफ किये हैं।

श्री श्रवण कुमार : एक ही लाल हुआ, देवीलाल जिसने माफ किये थे। (व्यवधान) आपके बस की बात नहीं है। बैठ जाओ आप तो।

श्री बंशीलाल खटीक : आपने कोई एक भी कर्जा माफ किया हो तो बोलो। आपने कोई किया हो तो बोलो। एक भी बार कोई कर्जा माफ नहीं किया आपने।

श्री मदन राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले जब भारतीय जनता पार्टी...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : नाथूसिंहजी, एक बात बताऊं। एक ही लाल हुआ है जिसने कर्जा माफ किया। उसका नाम देवीलाल है।

"शमां बहुत स्त्री जलती है, पर

वो परवाना एक नहीं

लाल तो अनेक मिलते हैं,

पर देवीलाल जैसा लाल एक नहीं।"

डा. एन. एस. गुर्जर : विचार करेंगे। राजस्थान में भी किया है।

श्री श्रवण कुमार : विचार करके क्या होगा?

श्री मदन राठौड़ : पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी अपने चुनाव घोषणा पत्र में 10 हजार रुपये तक के कर्जे माफ किये...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : आश्वासन से देश नहीं चलता है, करने से देश चलता है। देखेंगे, देख लेंगे, कर देंगे, करा देंगे। यह नहीं चलेगा। 10 हजार रुपये का वायदा किया है तो आप करिये।

श्री मदन राठौड़ : अभी ऋण वसूली में जो शिथिलता बरते जाने का जो निर्णय किया है वह भी निश्चित रूप से सराहनीय है और इस पर शिथिलता और बरतें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता में वर्मी कम्पोस्ट योजना रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद तैयार करने हेतु 25/50 मीट्रिक टन के उत्पादन क्षमता के लिये 78 हजार व एक लाख 28 हजार तक का ऋण देने की घोषणा की है। जैविक खाद आजकल इसका बहुत प्रचलन है। जैविक खाद उत्पादन के लिये सहकारी समितियां बनाने का निर्णय किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत रोजगार उपलब्ध होता है इससे जो गौशालाएं हैं, पशुधन की रक्षा भी होती है और वहां पर महिलाओं को रोजगार मिलता है। जो गोबर इकट्ठा करके एकत्रित करते हैं और इन सहकारी समितियों को उपलब्ध करवाती हैं और वहां पर केंचुओं के माध्यम से जैविक खाद तैयार किया जाता है और जैविक खाद का उपयोग तो कई प्रान्तों में तो आवश्यक कर दिया है और दूसरे प्रकार के रासायनिक खादों पर, उर्वरकों पर रोक लगा दी गयी है। कई प्रान्तों में ऐसी व्यवस्था है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे पाली जिले में भी जैविक खाद उत्पादन की कई समितियां कार्यरत हैं लेकिन आज उनके सामने समस्या है कि उनको मार्केट उपलब्ध नहीं है। मैं यह चाहूंगा आपके माध्यम से मंत्री महोदय, यह प्रयास करें कि सहकारी समितियों के माध्यम से जैविक खाद का वितरण करवाने की घोषणा करें। इस प्रकार का प्रयास करें तो निश्चित रूप से जैविक खाद उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और ग्रामीण रोजगार मिलेगा। पशुधन की रक्षा होगी। जैविक खाद, मुझे जानकारी मिली है कि जो केला 12 रुपये किलो मिलता है और यदि जैविक खाद से उत्पादन किया हुआ केला. उस पर स्टीकर लगता है, वह 26 रुपये किलो बिकता है। जो गेहूं आज 800 रुपये क्विंटल सामान्य गेहूं बिकता है, लेकिन जैविक खाद से उत्पादन किया हुआ गेहूं दो हजार रुपये क्विंटल बिकता है। निश्चित रूप से इससे किसानों को लाभ मिलने वाला है। अब आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि आप समिति जो जी.एस.एस. ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, उनको यह निर्देश दें कि जहां तक सम्भव हो जैविक खाद यदि उपलब्ध है तो उसको सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण करवायें। किसानों को अभी जागृत करने की आवश्यकता है। उनको इस जैविक खाद की उपयोगिता बताने की आवश्यकता है कि इससे न केवल पौष्टिकता अपितु और कई प्रकार के रोगाणु रहित बीज मिलने वाला है। चाहे गेहूं हो फल हो सब्जी हो, वह बहुत उपयोगी है। उसकी गुणवत्ता बढ़ती है। यह जानकारी देने की आवश्यकता है। इसकी जागृति पैदा करने की जरूरत है।

(श्री मदन राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय, खरीफ के लिये अभी 14 जिन्सों का तय किया है कि इनका बीमा होगा. हमारे जिले में चार जिन्स जो अभी तय की है, बाकी अलग अलग क्षेत्रों में अलग-अलग की है। इसमें मैं यह चाहूंगा कि रबी की फसल के लिये जब भी समय आवे-राई, तारामीरा, अलसी इनको भी बीमित करने का प्रयास करें। यह भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो फव्वारा सिंचाई है इसको प्रोत्साहन देने के लिये क्योंकि सतही जल की कमी है। भूजल भी कम हो गया है। 1.16 प्रतिशत सतही जल उपलब्ध है, 1.7 प्रतिशत भूजल उपलब्ध है। बहुत कम मात्रा में हमें यह जल मिल रहा है, जल दोहन हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमारी सरकार ने जो बजट में प्रावधान किया है कि फव्वारा सिंचाई में इसको प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिये नाबार्ड द्वारा अभी जो तय हुआ है कि सात हजार रुपये तक का अनुदान या जो खर्चा किसान करता है उसका 33 प्रतिशत दोनों में जो कम होगा, वह मिलेगा। यह मैं चाहूंगा कि इसमें निश्चित रूप से अनुदान राशि बढ़ाई जानी चाहिये। लघु सीमान्त किसानों को 10 हजार या खर्चे का 50 प्रतिशत दोनों में जो कम होगा, वह दिया जाएगा।

इसी प्रकार से पाइप लाइन के जरिये और जो डिग्गी बनाकर और कोई हौज बनाकर, हौज में पानी एकत्रित करके फिर पाइप लाइन लगाकर फिर फव्वारे से खेती करे तो निश्चित रूप से पानी की बचत होगी। पाइप लाइन के जरिये निश्चित रूप से 25 से 30 प्रतिशत जल का अपव्यय रुकेगा। इस प्रकार का प्रयास सराहनीय है और इसमें अनुदान राशि बढ़ाई जानी चाहिये.

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मण्डी की आय से सड़कों का निर्माण हो रहा है. मैं इस बात पर खुशी जाहिर करूंगा कि हमारे सुमेरपुर क्षेत्र में, बाली क्षेत्र में वहां पर जो कृषि मण्डी ने बहुत आय अर्जित की है और वहां पर लगभग 70 प्रतिशत सड़कों का निर्माण केवल कृषि मण्डी ने कर दिया है। बहुत बड़ी समस्या का समाधान कृषि उपज मण्डी समिति सुमेरपुर ने कर दिया है। लेकिन मेरे पड़ौसी पूर्व कांग्रेसी सदस्य बहुत सक्रिय रहे, उन्होंने लाभ लेने के लिये जो शिवगंज में कृषि उपज मण्डी समिति थी उसको तो कर दिया बन्द और सुमेरपुर पर कब्जा जमाने का पूरा

(श्री मदन राठौड़)

प्रयास किया। और सुमेरपुर कृषि उपज मण्डी के साथ में इसको जोड दिया जिससे हमारे लाभ का काफी हिस्सा वह अपने क्षेत्र में लेकर चले गये। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सुमेरपुर का अलग रखा जाये। शिवगंज की कृषि उपज मण्डी, जबकि वहां भवन बना हुआ है, हालांकि वह 20 लाख से कम आय अर्जित करती होगी, शायद इसलिए बन्द कर दिया होगा। आपके नियमों में नहीं आती होगी, लेकिन हमारा हक तो कृपया नहीं छीनें। हमारे हिस्से का, हमारे मुंह का निवाला छीनकर उनको तो नहीं दें। इस प्रकार का आग्रह मैं आपके माध्यम से करना चाहूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री मदन राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सड़क नीति में थोड़ा सा संशोधन करने की जरूरत है। अभी थोड़ा सा संशोधन तो किया है कि पहले 60-40 का जो रेशो रखा गया था, अभी 80-20 किया है लेकिन जो सम्पर्क सड़क है। ग्रामीणों की जो सम्पर्क सड़क है या खेतों में पहुचने के लिये सम्पर्क सड़क है उसके लिये भी कुछ व्यवस्थाएं की जानी चाहिये। इस प्रकार का निवेदन भी आपके माध्यम से करना चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक पाइन्ट आफ इन्फोर्मेशन। आप इजाजत दें तो कहूं।

श्री उपाध्यक्ष : कहो।

सूचना प्राप्ति प्रश्न

राजस्थान राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों की समस्या

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यातायात मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आज राजस्थान के परिवहन निगम के 42 डिपो हैं। वह विधान सभा के सामने परिवहन निगम के तमाम कर्मचारी, इनको निगम

(श्री अमराराम)

ने एक तो एक तारीख से परिवहन निगम के परिचालक हैं, उनको ग्रीन कार्ड पर चलने के लिये बाध्य करने की नीति बनाई है और उसकी हालत यह है कि जो वोल्वोवस डिलक्स डिपो की गाड़ी जयपुर से दिल्ली जाती है मात्र 17 या 18 हजार रुपये अप एण्ड डाउन में आती हैं और ग्रीन कार्ड में 28 हजार रुपये उन्होंने तय किया है। एक दिन का 10 हजार रुपये काई कण्डक्टर नहीं दे सकता। एक तो इससे भयंकर असन्तोष है और दूसरा जो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है उसमें तीन अधिसूचनाएं निकाली हैं 16-17 मई, 2004 को, जिसमें जो अवैध वाहन है उनको रैगुलर करने के लिये और परिवहन व्यवस्था समाप्त करने के लिये यह तीनों अधिसूचनाएं अगर लागू हो जाएंगी। यह तीनों अधिसूचनाएं अगर लागू हो जायेंगी, जितने भी अवैध वाहन हैं जो इस रोडवेज को चूना लगा रहे हैं उनको अगर नियमित कर दिया गया तो सार्वजनिक व्यवस्था की हालत बहुत खस्ता हो जायेगी और वही हो जायेगी जो जयपुर में जो आज निजी मिनी बसों का हाल है। जयपुर की आम जनता जैसे त्रस्त है उनसे, आये दिन जो मौतें होती हैं और एक आदमी सफर नहीं कर सकता। चार किलोमीटर डेढ़ घण्टे में सफर करते हैं अपने मुनाफे के लिए इसलिए मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से इतना ही निवेदन है कि पूरा असन्तोष है सार्वजनिक परिवहन विभाग में, निगम के माध्यम से और यातायात विभाग के माध्यम से इन दोनों व्यवस्थाओं को, जो राजस्थान की आम जनता के और उन कर्मचारियों के अहित में है इसलिए उनके डेपुटेशन से मिलिये, उनके असन्तोष को दूर करने का काम करें और राजस्थान की जनता की सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था को सुचारू करने का काम करें, उनको निजी हाथों में देकर जनता पर आफत खड़ी करने का काम नहीं करें। धन्यवाद।

(15.00 बजे)

श्री श्रवण कुमार : मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जयपुर की स्थिति यह है कि कल की बात कहना चाहता हूं। कल एक गांव का आदमी आया था और प्राइवेट बस वाले को 10 रुपये का नोट दे दिया...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह यातायात पर बहस हो रही है क्या?

श्री श्रवण कुमार : और 10 का नोट रख लिया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आपने पाइन्ट आफ इन्फोर्मेशन के माध्यम से सदन को कोई सूचना दे दी, उस पर बहस चालू हो गयी।

श्री श्रवण कुमार : बहस कहां कर रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आज साढ़े चार बजे मुख बन्द है।

श्री श्रवण कुमार : मैं यह कहना चाहता हूं 23 हजार बेरोजगार हो जायेंगे रोडवेज में, हम यह कहना चाहते हैं। स्थिति क्या होगी 23 हजार आदमी बेरोजगार हो जायेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय संदस्य। माननीय मंत्रीजी, अगर डेपुटेशन आया हुआ हो तो आप माननीय सदस्य से मिल करके कोई समय उनसे बातचीत करने के लिए...

श्री युनूस खां (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भी डेलीगेशन मिलना चाहता है और अपनी समस्या रखना चाहता है, मैं मिलने के लिए तैयार हूं।

जहां तक मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के तहत इन्होंने जो बात कही 102, 104 की मैं सोचता हूं माननीय सदस्य अगर इसका अध्ययन कर लें तो वह सिर्फ ओवर लेपिंग का विषय है, कोई निजीकरण का विषय नहीं है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि उनकी कोई भी आपको शंका है तो मेरे साथ बैठ कर आप निपटा सकते हैं। इसके अलावा जो भी डेलीगेशन मिलने आयेगा, निश्चित रूप से मैं मिलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है। श्री महीपाल यादव।

मांग संख्या-33, 36 एवं 37 पर विचार

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 36 और 37 पर अपने कुछ विचार और सुझाव आपके माध्यम से रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा पूरा प्रदेश किसानों का प्रदेश है और 70 फीसदी

(श्री महीपाल सिंह यादव)

लोग कृषि पर निर्भर हैं। हमने किसान के नाम पर वोट लिये हैं, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, किसानों को पूरी बिजली देंगे, किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य देंगे लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आप भी किसान हैं, मैं भी किसान का लड़का हूं, हम लोग आज तक किसानों के नाम पर वोट लेकर इस सदन में आते हैं लेकिन जब किसान को देने की आती है, इस बजट में कोई नयी बात नहीं है कि कैसे किसान की बहबूदी को हम ला सकते हैं। 57 साल की आजादी के बाद भी आज हमारा किसाना गुलामी का जीवन जी रहा है। 50 फीसदी गांव की यह स्थिति है कि वहां कुत्ते भी रह नहीं सकते। गांव अंधकार में डूबे हुए हैं, गांवों के रास्तों में कीचड़ भरा हुआ है, मच्छरों की भरमार है, रोजगार के कोई साधन नहीं हैं। देश जिस समय आजाद हुआ था, हमारे देश में कृषि पर 45 फीसदी लोग काम करते थे और आज 57 साल के बाद 75 फीसदी लोग कृषि पर आ गये। हम को कृषि पर से लोगों को हटाना चाहिए था। अर्थशास्त्र का एक सिद्धान्त है कि हमारे देश की खुशहाली कैसे होगी। महात्मा गांधीजी ने कहा कि इस देश की रीड ही हड्डी किसान और गांव हैं। इस देश को अगर जिन्दा रखना है तो इस देश के गांव और किसानों को खुशहाल करना होगा। इसके बाद माननीय चौधरी चरण सिंहजी, जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए, पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि देश की खुशहाली का रास्ता गांव और खेतों से होकर गुजरता है।

उपाध्यक्ष महोदय, सम्पत्ति पैदा करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वह है जमीन इसके अलावा कोई नहीं है। दुनिया में सम्पत्ति पैदा करने का स्थान सिर्फ जमीन है और उस जमीन को किसान अपने पसीने से सींचता है। आज 57 साल की आजादी के बाद किसानों की हड्डियों पर यह उद्योग खड़े हुए हैं। किसान ने देश को आत्मनिर्भर किया अनाज के मामले में, हम को भीख मांगनी पड़ती थी विदेशों से और आज किसान सबसे ज्यादा गरीब है।

किसान को देने के नाम पर एक बिजली हमने दी, आज बिजली की क्या स्थिति है? दो घण्टे यहां शहरों में काटते ही पूरे शहर तिलमिला गये और गांव आज भी अन्धेरे में डूबे हुए हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : यादव साहब, बिजली पर तो आपको मौका मिलेगा बाद में अभी तो सहकारिता पर आ जाइये आप।

श्री महीपाल सिंह यादव . उपाध्यक्ष महोदय,मैं आपसे एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि किसान ने अपने टयबवैल खोदे है, अपने गहने गिरवी रख दिये, सारी सम्पत्ति रख दी और कर्ज म डूब गया और अपने बिजली दी वह भी आज दो घण्टे नहीं आती। इस पर चर्चा है लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि तीन चौथाई तो हम वर्षा पर निर्भर हैं। आज जो हमारी जमीन है, जो हमने कृषि योग्य जमीन तैयार की है वह सिर्फ 80 लाख हैक्टेयर भूमि राजस्थान म हमार पास है जिस पर हम खेती कर सकते हैं और उस 257 लाख हैक्टेयर जमीन में से सिर्फ 80 लाख हैक्टेयर भूमि को सिंचाई के लायक बनाया है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, उस 80 लाख हैक्टेयर भूमि पर, कृषि भूमि पर तीन चौथाई वर्षा पर निर्भर हैं हम। आपने ले-देकर बिजली दी उसकी सब्सिडी भी खतम हो गयी। आपने इस समय जो सप्लाई व्यवस्था दी है, अकाल की व्यवस्था दी है एक घण्टा सुबह आती है और एक घण्टा शाम को आती है। पीने का पानी की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है और किसान की फसल उजड़ जायेगी जब आप बिजली की चर्चा 30 तारीख को करेंगे, नहीं, चार तारीख तय की है, चार तारीख तक तो पूरे प्रदेश की फसल नष्ट हो जायेगी। सारा राष्ट्रीय उत्पादन, अगर कहीं थोडी बहुत फसल लगी है वह भी नष्ट हो जायेगी फिर आप करते रहो चर्चा चार तारीख को।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं अपने क्षेत्र में गया हूं और वहां पीने के पानी के लिए भी बिजली उपलब्ध नहीं है और बारिश हो नहीं रही। अब वर्षा की हालत तो यह है कि आज काले-काले बादल नजर आये। माननीय सदन की नेता भी भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, मन्दिरों में अर्चना कर रही हैं, पूरे प्रदेश की जनता हवन कर रही है, यज्ञ कर रही है। हम सब लोग भगवान को याद कर रहे हैं तो भगवान पर निर्भर हो गया सब कुछ। अब ईश्वर की मर्जी पर है कब बारिश होगी। "सागर से सुराही टकराये, बादल को पसीना आ जाए", तो आज काली घटाएं देख कर मुझे यह शेर याद आ गया-"सागर से सुराही टकराये, बादल को पसीना आ जाए, गर तेरी काली घटाएं लहराये तो किसान की खुशहाली आ जाए"।

अब सपना ले रहे हैं, कल्पनाओं में जी रहे हैं, यह काल्पनिक बजट हम ला रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि किसान की जिन्दगी आज एक कीड़े और मकोड़े की जिन्दगी की तरह है। वह आज मण्डी में अपना अनाज ले जाता है। आपने किसान को मण्डियों के हवाले कर दिया और वहा व्यापारी आयेंगे और एक, दो, तीन। बहुत सी मण्डियां तो ऐसी हैं आज जहां पर दलाल बोली लगाते हैं। आपको कहां लाभ

(श्री महीपाल सिंह यादव)

मिलेगा? लाभकारी मूल्य की आप बात कर रहे हैं, आपने क्या व्यवस्था दी है मण्डी में। एक माचिस बनाने वाला भी, छोटे से छोटा कुटीर उद्योग है वह भी अपनी कीमत लिखता है और किसान 57 साल की आजादी के बाद भी जैसे चोरी का माल मण्डी में ले जाता हो और वहां बोली लगा रहे हैं लोग। क्या लाभकारी मूल्य की व्यवस्था है? किसान लुटता जा रहा है। उसकी जमीन बढिया शहरों के पास भी ग्रीन बैल्ट, उसको आपने बड़े-बड़े माफियाओं, भू-माफियाओं के हवाले कर दिया। बड़ी-बड़ी योजनाओं के नाम पर आपने पूरी ग्रीन बैल्ट को समाप्त कर दिया। राष्ट्रीय उत्पादन जो होता था आज किसान इस देश की कृषि से सत्ताईस फीसदी आय होती है देश को और हुआ क्या है, किसान को क्या दिया है आपने? उनको मुआवजा तक नहीं मिला। आपने अस्सी हजार बीघा में जमीन खरीदी और चार लाख में आप बेच रहे हो उसको, आप किनको फायदा दे रहे हो देश में जो ग्रीन बैल्ट थी, आपने बड़े बड़े प्रदूषणकारी उद्योगों को लगा दिया और उन किसानों को बेदखल, बेसहारा करके कंगाली के चौराहे पर खड़ा कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस देश कि किसान उस जीव की तरह है जो जमीन से खड़ा नहीं हो सकता। आपने खड़ा नहीं होने दिया आज तक, जो भी सरकारें आयीं किसान के नाम पर हम वोट लेते रहे हैं लेकिन जब देने की बात आती है तो हमने कुछ नहीं दिया किसान को रूडा एक्ट बना है अंग्रेजों के जमाने का रूडा एक्ट एक उद्योगपति करोड़ों रुपए लेता है, सब्सिडी खाकर फरार, चालाक और बेइमान लोगों पर सारे बैंक लुटा दिए। अभी बैंक अधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ बम्बई में, उन्होंने कहा कि भारत का किसान गरीब है लेकिन ऋण चुकाने में अमीर है, 78 प्रतिशत ऋण वसूली हुई है किसानों से और उन बड़े उद्योगपति कारखानों को हमने बैंक लुटा दिए। उनसे रिटर्न हुआ है 24 पर्सेण्ट। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज बैंक वाले भी यह कह रहे हैं कि हम को किसानों को कर्जा देना चाहिए था। हमने गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश का पैसा बड़े बड़े कारखानों पर लुटा दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार को आगाह करना चाहता हूं क्योंकि अकाल की स्थिति है। उस रूडा एक्ट की बात करना चाहता हूं। बड़े-बड़े कारखाने के लोग कोई पैसा रिटर्न नहीं करते हैं, सिविल कोर्ट में चले जाते हैं। आप भी वकालत के पेशे से रहे हो और मैं भी रहा हूं। सिविल केस लड़ते हैं चालीस-चालीस, पचास-पचास साल तक कोई फैसला नहीं होता है। और एक किसान अगर छोटा सा इंजन का लोन भी लेता है तो उसमें बैंक की एक पर्ची जो है कुर्की बन जाती है। इस देश

(श्री महीपाल सिंह यादव)

में दोहरा कानून है, जो देश में मेहनत करता है जिसके खून-पसीने से यह देश चलता है, जिसके बच्चे आज देश की सीमाओं की सरहदों पर कुर्बानी दे रहे हैं, उस किसान को क्या दे रहे हैं हम? उस किसान को एक बैंक का नोटिस, कुर्की हो गयी। उसका कोई मालिक नहीं, वह आज भी गुलाम है, उसका कोइ स्वामित्व नहीं है जमीन पर, कभी भी उसको बेदखल कर दो, कभी उस पर नोटिस आ गया, बेदखल कर दिया गया और करोड़ों रुपए जिन पर बाकी हैं उनको कोई बेदखल नहीं, कोई उनका मोरगेज नहीं इसलिए हम आंसू बहाते हैं किसान के नाम पर।

हमारे किसान यहां नहीं पेटे में पसीना बहाकर छोटी मोटी सब्जियां पैदा करते हैं, टमाटर सड़ जाता है टौंक में, हमारे कृषि मंत्री टौंक जिले से आते हैं, किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। आप फसल बीमा की बात कर रहे हैं, फसल ही नहीं है बीमा का कैसे तय करेंगे? इसलिए सरकार को तय करना चाहिए अकाल की स्थिति में प्रति बीघा दो हजार, तीन हजार किसान को मुआवजा देना चाहिए। जब फसल ही नहीं है तो फसल बीमा की योजना आप कहां से बनाएंगे, क्या पैमाना है आपके पास?

कृषि विभाग के अधिकारियों का समायोजन कर दिया पंचायत समितियों में, डिमान्स्ट्रेशन होते थे, किसानों को कुछ सुविधाएं थीं वह भी आपने खतम कर दी। धर दिया उनको कृषि सहायक निदेशक विस्तार का, 32 कार्यालय पंचायत समिति के अधीन जो रूडा एक्ट की मैं चर्चा कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आज भी जानते हैं, एक कानून बना अंग्रेजों के समय, इस काले कानून को खतम करने का समय है, अगर यह सरकार किसानों की हिमायती है तो इसमें संशोधन करना चाहिए कि जो अधिकार उद्योगपति और कारखाने वालों को हैं वहीं किसान को होने चाहिए। अगर उसकी फसल ओले की मार से, अकाल से, रोगों से किसी भी कारण से नष्ट हो गयी तो उसको भी अपनी बात अदालत में रखने का, सिविल कोर्ट में जाने का राइट होना चाहिए। इस देश में दोहरा कानून है। किसान को अपाहिज बनाया हुआ है।

टीनेन्सी एक्ट, उपाध्यक्ष महोदय, टीनेन्सी एक्ट के सैक्शन 55 में कन्सोलिडेशन आफ लैण्ड्स. एक तरफ आप कह रहे हो बजट में कि हम छोटी जोतों का आकार बढ़ाएंगे। किसाने अपन बड़े-बड़े फार्म हाउस कर सके, एक हेक्टेयर से ज्यादा कोई किसान है क्या आपके पास राजस्थान में? दो हेक्टेयर से ज्यादा कोई किसान है? कितने किसान होंगे. दस प्रतिशत भी नहीं है। और जो छोटे किसान हैं उनके एक-एक बीघा के खेत हैं और वह बिखरे पड़े हैं। आपने उस टीनेन्सी एक्ट में शर्त लगा दी कि

(श्री महीपाल सिंह यादव)

समान किस्म होगा, समान रकबा होगा तो ही कन्सोलिडेट किसान कर सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टीनेन्सी एक्ट में यह संशोधन होना चाहिए।

दो छोटी सी बात कह रहा हूं, माननीय कृषि मंत्रीजी, अगर आप रूडा एक्ट खतम कर देंगे, मंत्री बहुत आए चले गए, लोगों को याद नहीं है कौन-कौन मंत्री थे, इतिहास में आपका नाम हो जाएगा अगर आप यह कानून लाएं कि रूडा एक्ट खतम, किसान को उद्योगों के बराबर सुविधा, उसको सिविल कोर्ट में जाने का राइट। दूसरा आप टीनेन्सी एक्ट के सैक्शन 54-55 में यह संशोधन करें कि अगर दो किसान अपनी जमीन को इकट्ठा करना चाहते हैं। कन्सोलिडेट करना चाहते हैं, एक्सचैन्ज आफ लैण्ड, अगर उसके अन्दर दोनों काश्तकार राजी हैं, बारानी जमीन है मेरी बीस बीघा या दस बीघा और मैं चाहे पांच बीघा लेकर अपने फार्म को छोटी-छोटी होल्डिंग्स को कन्सोलिडेट करना चाहता हूं तो इसमें सरकार को क्या आपत्ति है? लेकिन आपने एक अडंगा लगा दिया कि समान रकबा होना चाहिए, समान किस्म होनी चाहिए। किसान वहां भी लुट रहा है। रजिस्ट्री कराओ, किसान के पास पैसा नहीं है लोगों ने एक्सचेन्ज किए हैं लेकिन आज तक रजिस्ट्री नहीं हो सकी।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्रीजी बैठे हैं, केन्द्र सरकार ऋण दे रही है सस्ती दरों पर। और हमारी आज भी सहकारिता के यह नोटिस जा रहे हैं वह 19 परसैंण्ट ब्याज के, बीस परसैण्ट ब्याज पैनल्टी वसूल की जा रही है, किसानों के कुर्की के नोटिस जा रहे हैं। आप कह रहे हो हम किसानों को फायदा कर रहे हैं। आपको ब्याज दर घटानी पड़ेगी। जब केन्द्र ने आठ प्रतिशत किया है तो आपको भी आठ प्रतिशत करना चाहिए। किसान को ऋण के मामले में भी दोहरा कानून है। एक कार का लोन लेंगे तो आपको फटाफट घर ही देने आ जाएंगे और किसान को बीस चक्कर।

किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में काफी चर्चा हुई। एक अधिकारी थे चित्तौड़ में जिसने दो-दो हजार रुपए लेकर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसान कार्ड बनाए और उसको वहां दिल्ली में पुरस्कृत किया गया कि इसने सबसे ज्यादा किसान कार्ड बनाए और एक तरफ आज कोई मानीटरिंग नहीं है, कोई समिति नहीं है उप खण्ड स्तर पर। माननीय कृषि मंत्रीजी, बैंकों के अधिकारी तीन-तीन महीनों से चक्कर कटवा रहे हैं किसानों को। पटवारी लूटता है फिर बैंक वाले कहते हैं लाइये दो हजार तब आपका किसान क्रेडिट कार्ड बनेगा। आपने कुछ दिया उसमें भी ले लिया वापस इसलिए कोई

(श्री महीपाल सिंह यादव)

मानिटरिंग, कोई ऐसी समितियां बनाइये उप खण्ड स्तर पर ताकि इन बैंक अधिकारियों पर अंकुश लगे। देश को चाट गए सारे को और किसान भी चौपट हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उपजाऊ जमीन और ग्रीन बैल्ट की बात कर रहा था। जितनी भी ग्रीन बैल्ट हम आज उद्योगों में ले रहे हैं, जल प्रदूषण और वायु प्रदुषण होकर पूरा का पूरा हमारा नेशनल हाई-वे देख लो। आप कई बार दिल्ली जाते हैं बहरोड़ मिडवे और शाहजहांपुर, पूरा का पूरा बैल्ट सड़ा हुआ है। बच्चे दमा लेकर, टी.वी. लेकर पैदा होते हैं, रात को सो नहीं सकते, ऐसा भारी पाल्यूशन है। नेशनल हाई-वे से आप गुजरते हैं तो इतना भयंकर पाल्यूशन है कि आदमी रुक नहीं सकता, सो नहीं सकता। वहां हमने लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। बड़ी-बड़ी वहां शराब की फैक्ट्रियां बना दी गयीं, उन पर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई ट्रीटमैन्ट प्लांट नहीं है। किसान बेदखल होता जा रहा है, उजड़ता जा रहा है, उनको कोई सही मुआवजा नहीं मिल रहा है। इसलिए हम कौनसे किसान की बात कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज ओपन ट्रेड टैरिफ की बात चल रही है। खुली अर्थव्यवस्था में आज हम कहां टिक पाएंगे और उसका असर हमारे प्रदेश के ऊपर पड़ने वाला है। ओपन ट्रेड टैरिफ में हमारा राजस्थान का किसान जिसका कोई स्टोरेज नहीं है। माननीय कृषि मंत्रीजी, आप कम से कम ब्लाक लेवल पर कोई स्टोरेज की व्यवस्था तो करवाएं। कोई सब्जी पैदा करता है, आलू पैदा करता है, टमाटर पैदा करता है, सड़ जाता है। आज स्वीडन में अगर गुलाब का फूल निर्यात किया जाये तो बीस रुपये का एक फूल बिकता है। इंग्लैण्ड में अगर आम सप्लाई किया जाए तो वहां दो सौ रुपये किलो आम बिकता है। यहां मिलता है किसान को कुछ? आज रशिया में अगर हम भिण्डी सप्लाई करें तो वहां ढाई सौ रुपये किलो है। माननीय कृषि मंत्रीजी, आपको याद करेगा प्रदेश। आप यह दो-तीन कानून बना दो। आप लिखते हो बजट में कि हम निर्यातोन्मुखी बना रहे हैं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने माननीय कृषि अर्थशास्त्री एम.एस. स्वामीनाथन की बात कही है। उन्होंने लिखा है कि हम अपने इतिहास के एक ऐसे अनोखे मोड़ पर हैं जहां भोजन के अधिकार की अवधारणा विश्लेषण से वास्तविकता में बदल सकती है। यह सब इसलिये सम्भव है क्योंकि केन्द्र सरकार के पास अनाज के प्रचुर भण्डार हैं।

(श्री महीपाल सिंह यादव)

यह किसने प्रचुर भण्डार भरे हैं? यह देश किसानों की कड़ी मेहनत और उनके खून पसीने से आज भारत निर्यात कर रहा है। अमरीका यह जानता है कि विश्व में भारत एक ऐसा देश है जो गन्ने में अमरीका को पीट सकता है लेकिन किसान के लिये कोई साधन नहीं है। वह अपनी मेहनत से कर रहा है। सब्सिडी हम हटाते जा रहे हैं जबकि और देश बढ़ा रहे हैं। कृषि पर डब्ल्यू.टी.ए. में चर्चा भी हुई है इस बात की। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा किसान तो कहीं है ही नहीं। हम तो कहीं स्टेण्ड नहीं कर रहे हैं। आज हजारों किसान यहां स्टेच्यू सर्किल पर बिजली की मांग को लेकर कि हमको पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है, बारिश हो नहीं रही है। हम 4 तारीख का इन्तजार कर रहे हैं कि 4 तारीख को हम बहस करेंगे। 4 तारीख तक हमारा चारा बन्द। आप चारा योजना में बिजली कनेक्शन जारी करते अगर किसान के हमदर्द होते। आपने फार्महाउस में आठ हजार रुपया प्रति हार्स पावर देने की बात कही है। कौनसा किसान ले लेगा एक लाख रुपये में कनेक्शन है कोई किसान? मेरी स्थिति भी नहीं है, आपका भी नहीं है और आपने कह दिया कि तीन साल बाद सामान्य श्रेणी में हो जायेगा। चोरी करने वालों को आपने कहा कि इसमें कोई सामान्य श्रेणी नहीं। कौनसा कानून बना रहे हैं आप किसानों के लिये? जो चोरी करता हुआ पकड़ा जायेगा उसको कनेक्शन दिया जायेगा उसका कोई सामान्य श्रेणी नहीं। किसानों का 14 साल में नम्बर आ जाये सामान्य श्रेणी में और अगर उसका ट्यूबवेल सूख गया वह शिफ्ट नहीं कर सकता। आपने ढाई हजार रुपये उस पर लगा दिये।

पूर्ववर्ती सरकार ने कहा था कि अगर आपका कुआ सूख-गया है और आपके किसी भी खेत में पानी है तो वहां आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप शिफ्टिंग में भी लूट रहे हैं उसे। चोर को फायदा दे रहे हैं और साहूकार से कह रहे हैं कि आपको कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा। 15 साल में नम्बर आता है तो वह शिफ्टिंग भी नहीं करा सकता। आप कह रहे हैं कि ढाई हजार रुपये पर हार्स पावर दीजिये तो कौनसे किसान की बात कर रही है सरकार मुझे समझ में नहीं आता है और माननीय सदस्यों को पार्टी से उठकर किसानों के लिये बोलना चाहिये। माननीय कृषि मंत्रीजी किसान हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आप भी कटटर किसान हैं और किसानों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। मैं अपनी बात एक मिनट में खतम करूंगा।

मैंने स्वामीनाथनजी की बात कही है। महान अर्थशास्त्री स्वामीनाथनजी की बात को कोट कर रहा हूं। उन्होंने दूसरी जगह क्या कहा है कि भारतीय कृषि पूंजी के

(श्री महीपाल सिंह यादव)

अभाव में क्षतिग्रस्त है। इसका कारण शहरी राजनीतिज्ञों ने गावों व किसानों की हमेशा अवहेलना की है तथा बाहरी उद्योगों को बढ़ावा देते रहे हैं और कृषि क्षेत्र को नम्बर दो पर रखा। यही एक मात्र कारण है और अभी तक हमारा कृषि संस्थागत ढांचा मात्र डेढ़ सौ रुपये प्रति हैक्टेयर से ऊपर नहीं आया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वामीनाथनजी हैं, चाहे महात्मा गांधी थे, चाहे चौधरी चरणसिंह थे, उन्होंने एक ही बात कही है। आज और कोई रास्ता नहीं है। जब तक इस देश का गांव और किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक कोई भी चीज खुशहाल नहीं होगी और यह किसान क्रांति देश में आज नहीं दस साल बाद, पन्द्रह साल बाद आपको सामना करना पड़ेगा अगर आपने किसान के हित में काननू नहीं बनाये तो।

माननीय कृषि मंत्रीजी मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय अटल बिहारीजी के समय पर एक आयोग का गठन हुआ था। कृषि विपणन विशेषज्ञ थे श्री शंकरलाल गुरू 1 जून, 2001 में भारत सरकार कृषि विपणन के गठन पर श्री शंकरलाल गुरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था और समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि विश्व के विकसित राष्ट्रों की भांति किसानों का माल कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, निर्यातक, खेत खलिहान या मण्डी कहीं भी खरीद सकते हैं। भारत सरकार ने इस सिद्धान्त को नहीं माना। माननीय अटल बिहारीजी के निर्देश पर इस समिति को गठन हुआ। केन्द्र सरकार ने किसानों के सुझावों को नजरअन्दाज करते हुए और उन सुझावों को हमारे सामने लाने की बात थी लेकिन आज तक वह संसद में नहीं आ सकी। जब तक कृषि क्षेत्र में निजी और सहकारी मण्डियां अस्तित्व में नहीं आयेगी, उन्होंने सुझाव दिया पहला कि जब तक कृषि क्षेत्र में निजी और सहकारी मण्डियों अस्तित्व में नहीं आयेगी तब तक किसानों की लूट होती रहेगी।

दूसरा सुझाव था कि सरकार द्वारा नियंत्रित मण्डियों में किसानों का शोषण जारी है क्योंकि स्वतन्त्रता के बाद किसान को उत्पादन का उचित और लाभकारी मूल्य आज तक नहीं मिला है। कृषि व्यापार व्यवस्था महज एक लूट का व्यापार बनकर रह गयी है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय अटल बिहारीजी ने श्री शंकर लाल गुरू की अध्यक्षता में जिस कमेटी की रिपोर्ट थी संसद में, उसकी बात आपके सामने रख रहा हूं। जिसमें कहा है कि विदेशी प्रतियोगिता क मुकाबले में स्थायी रूप से टिकने के लिये कृषि का संस्थागत ढाचा मजबूत करना होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है।

(श्री महीपाल सिंह यादव)

कांट्रेक्टिंग फार्मिंग की चर्चा आपने की है। इसमें मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह तब ही सफल हो सकती है जब हमारे किसानों के प्रतिनिधि मण्डल, उद्योगपति और सरकार, तीनों के बीच में एक कान्ट्रेक्ट हो ईमानदारी से कि हम इसके हित तहत तीनों पक्ष एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिये ईमानदारी से सशर्त कांट्रेक्ट करेंगे। तब तो प्रोटक्ट होगा किसान, नहीं तो किसान इसमें बरबाद हो जायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हम बड़ा हल्ला कर रहे हैं कान्ट्रेक्ट फार्मिंग, ठेका खेती हमको लागू करनी चाहिये। माननीय मंत्रीजी भी इस बात को कह रहे हैं लेकिन उसके परिणाम क्या होंगे, आप लागू तो कर देंगे लेकिन गारण्टी क्या होगी। जब तक कर्ज प्रणाली को सुधारा नहीं जायेगा तब तक किसान और खेतीहर मजदूरों की बहबूदी नहीं हो सकती और विशेषज्ञ सेवाएं, बेरोजगार और ग्रामीण युवकों का शहरों की तरफ पलायन बढ़ता चला जायेगा। इसलिये यदि भारत को आर्थिक रूप से विकसित करना है तो भूमि की कमी को अधिकाधिक पूंजी निवेश से पूरा करना होगा और कृषि सम्बन्धी तकनीकी को भी लगातार सुधारना होगा।

अर्थशास्त्र का एक सिद्धान्त है कि प्रति एकड़ पैदावार जब तक हम नहीं बढ़ायेंगे और प्रति एकड़ पर काम करने वाले किसानों की संख्या को नहीं घटायेंगे तब तक हमारे देश में खुशहाली नहीं हो सकती। यानि प्रति बीघा काम करने वाले किसान घटने चाहिये थे। आजादी के समय 45 फीसदी किसान हमारा था खेती पर, वह बढ़कर 75 हो गया और आज हम बात कर रहे हैं किसान की बहबूदी की। छोटे-छोटे किसान थे वह उजड़ गये। अब एक हैक्टेयर और डेढ़ हैक्टेयर से ज्यादा आपके पास कोई किसान नहीं है और उसको भी हम बिजली नहीं दे पा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि 1970-71 के बाद जो कृषि भूमि हमारी उपलब्धता थी वह 1994 में आकर हमारे पास सिर्फ बीस हजार वर्ग किलोमीटर हमारे जंगल बचा है। प्रदेश में बीस हजार वर्ग किलोमीटर हमारे जंगल बचा है। प्रदेश में बीस हजार वर्ग किलोमीटर जंगल और जिसमें एक लाख साठ हजार वर्ग किलोमीटर जमीन सिर्फ सिंचाई के लिये है। यानि रेगिस्तान भी बढ़ता जा रहा है और कुल साढ़े तीन लाख वर्ग किलोमीटर भूमि जिसमें डेढ़ लाख वर्ग किलोमीटर में जंगल है। अगर राजस्थान की 257 हैक्टेयर भूमि को अगर हम सिंचाई में व्यवस्थित कर दें तो अकेला राजस्थान पूरे भारत का अनाज खिला सकता है। भूख से बचा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बडी सम्भावनाएं

(श्री महीपाल सिंह यादव)

हैं। कृषि के क्षेत्र में अगर आप ईमानदारी से किसानों का भला चाहते हैं तो हमको बिजली पर, पानी की व्यवस्था पर. बड़े-बड़े वाटर शैड्स पर तुरन्त काम चालू कर देना चाहिए। वरना भयानक स्थिति होगी। राजस्थान का जो इकानामिक मिरर है उसका आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बहुत से सुझाव हैं, लेकिन समय कम है। इसलिए मैं इन सुझावों के बाद माननीय मंत्रीजी का ओर उस सरकार को आभास कराना चाहता हूं कि जब तक आप किसान को उसकी भूमि का स्वामित्व नहीं देंगे। और उसके बाद वह अपने आपको जब तक स्वतन्त्र नहीं समझेगा और वह स्वतन्त्र तब समझेगा जब उसके ऊपर बेदखली की तलवार लटकी रहती है, जो धमकियां लगी रहती हैं आपको बेदखल किया जायेगा, तब तक इस देश का राष्ट्रीय उत्पादन नहीं बढ़ सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अपनी बातों को, अपने कथन को यही विराम देते हुए इस सरकार के माननीय कृषि मंत्रीजी बैठे हैं, आपको याद रखे जनता. दो-चार कानून किसानों के हक के बनवायें वरना तो मंत्री आये और चले गये। कोई इतिहास नहीं होगा। अगर ईमानदारी से आप किसानों को कुछ देना चाहते हैं तो टीनेन्सी एक्ट वाला कन्सोलिडेशन, रूडा एक्ट खतम कर दो। और यह निर्यात वाली बात को आप ध्यान से लागू करें। और कान्ट्रेक्ट फार्मिंग. लेकिन यह सब चीजें तो तब होंगी तब आपके पास पानी होगा और पानी तो पता नहीं कब बरसेगा। बिजली ले-देकर आपके पास जो है ठप्प है। अब आप चार के बाद गांवों में जायेंगे तो आपको बड़ा मुश्किल हो जायेगा। हाहाकार मचा हुआ है। अभी यहीं हो जायेगा सात दिनों में। चार से पहले आप घबराना जायेंगे। इसलिए मैं उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से इस सरकार को एक चेतावनी देता हूं कि भाषण बहुत हो चुके हैं, इस पर घोषणाएं आपने बहुत कर दी हैं लेकिन किसान को देने को आपके पास कुछ भी नहीं है। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं। अपने कथन को यही समाप्त करता हूं, जय हिन्द, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री बहादुर सिंह गोदारा : उपाध्यक्ष महोदय, आपने काफी समय इधर भी दे दिया. इधर भी दे दिया और बीच के लोगों को भी आप थोड़ा ध्यान रखें।

श्री उपाध्यक्ष : देंगे. आपको भी देंगे

श्री बहादुर सिंह गोदारा : हमें भी समय दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : समय दूंगा, आपको मिल जायेगा।

श्री बहादुर सिंह गोदारा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सहकारी... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बहादुर सिंह, थोड़ा सा बिराजो, श्री प्रहलाद गुंजल। माननीय सदस्य समय का ध्यान रखें, 10 मिनट से ज्यादा नहीं बोलें।

श्री प्रहलाद गुंजल : उपाध्यक्ष महोदय, पहले ही समय सीमा में बांध दिया... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : स्पीड तो तेज ही रहेगी।

श्री बहादुर सिंह गोदारा : उपाध्यक्ष महोदय, हमें क्यों नहीं समय दिया जा रहा है। आपने इधर की पार्टी को भी काफी समय दे दिया, उधर भी काफी समय दे दिया हम तो बीच में बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको समय दूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बीच वालों की देखें, 120 की संख्या नहीं रहनी है। बीच वालों की कीमत इसलिए नहीं है कि 120 हैं, नहीं तो बीच वालों की कीमत बहुत है।

श्री उपाध्यक्ष : बराबर समय दे रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, बीच वालों की कितनी कीमत होती है, भंवरलालजी अच्छी तरह जानते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : किसकी कितनी कीमत है वह मैं सब जानता हूं... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बीच वालों ने तो भैरोंसिंहजी की गवर्नमेन्ट बना दी थी।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आपने एक व्यवस्था दी थी कि तीन इधर से एक इधर से तथा एक बीच में से भी ले लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : देंगे, आपको भी देंगे।

श्री बहादुर सिंह गोदारा : मैं दूसरे नम्बर पर ही बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : उपाध्यक्ष महोदय, अभी नेकस्ट में करेंगे आप...(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : अगर आप बोलने का मौका नहीं देंगे तो हमारे क्षेत्र की जनता के साथ बड़ा अन्याय है यह। हम अपनी बात रखना चाहते हैं। हम सुझाव देना चाहते हैं सरकार को...(व्यवधान)

श्री बहादुर सिंह गोदारा : आप क्यों समय नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बराबर मौका देंगे...(व्यवधान) बिराजें, श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री सुन्दर लाल : बीच वालों के बारे में तो भंवरलालजी पी.एच.डी. हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता मांग संख्या 36, कृषि मांग संख्या 37, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण मांग संख्या 33 पर इस सदन में चर्चा हो रही है। सहकारिता और कृषि दोनों मिलते-जुलते क्षेत्र हैं। अब हम देखें कि भारत में सहकारिता का उदय किसान की समस्या को ध्यान में रखते हुए हुआ। सर्वप्रथम भारत में 1895 में सर फैडरिक निकलसन ने देश के कृषकों की गम्भीर ऋण ग्रस्तता को देखते हुए सहकारी साख व्यवस्था पर अधिक महत्व दिया और 1904 में सहकारी साख अधिनियम पारित हुआ। यह सौभाग्य की बात है कि सबसे पहला सहकारी कानून राजस्थान की धरती पर कोटा और भरतपुर में बना। सहकारिता के भाव में अपने आप में लोकतंत्र के दर्शन होते हैं। सहकारिता लोकतंत्र का बीज मंत्र है। कानूनी क्षेत्र में हम सहकारिता को कोई निश्चिंत तारीख में लागू होना मान सकते हैं लेकिन सहकारिता के भावों और चिन्तन का हम अध्ययन करें तो सहकारिता का इतिहास मानव सभ्यता विकास से जुड़ा है। हमने नये शब्द में कह दिया एक सबके लिए, सब एक के लिये। यह तो हमारा सहकारिता को परिभाषित करने का शब्दांश है।

उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन सहकारिता जो सामाजिक जीवन में आयी, मानव सभ्यता के साथ मानव की निर्भरता दूसरों पर रही है। अपने विकास के लिए उसने

(श्री प्रहलाद गुंजल)

दूसरों का सहयोग प्राप्त किया है और दूसरों को सहयोग भी प्रदान किया है। एक बहुत बड़ा मूल चिन्तन सहकारिता का मानव सभ्यता के साथ चला, उसी विचारधारा में उस सहकारिता का जन्म हुआ। अभी बहुत सारा चिन्तन हो रहा था सहकारिता के बारे में मैं भारत के पहले प्रधान मंत्रीजी का उन्होंने कई जगह पर जो कटिंग की, शब्द अपने विचार के रूप में रखे, सहकारिता के बारे में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरूजी ने कहा कि किस तरह खुद राज के संगठन की कल्पना करते समय हमारा सिद्धान्तों की ओर आकर्षित हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें एक ऐसे सामाजिक आदर्श की तलाश थी जो हमारी छोटी-छोटी आकांक्षाओं को पूरी कर सके ओर इस तलाश में हमें सहकारिता तक पहुंचा दिया और इसका सन्दर्भ उन्होंने किसाने से जोड़ते हुए कहा कि आज हमारी व्यवस्था में जमींदारी और तालुकदारों का कोई स्थान नहीं रहा। कहीं ऐसा नहीं हो कि इस व्यवस्था में हम किसान को अकेला छोड़ दें और गरीब किसान के सामने परेशानियां खड़ी हो जायें। इसको ध्यान में रखकर उन्होंने कहा कि अगर आप गरीब किसान को अपने स्थान पर छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं कर सकेंगे। किसान अकेला क्या कर सकता है इसलिए आपको किसी न किसी आन्दोलन का सहारा लेना पड़ेगा और इसलिए हमने सहकारिता आन्दोलन का एक रास्ता अपनाया।

उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता के जरिये छोटा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की, अपनी आजादी की रक्षा कर सकता है, यह तो नेहरूजी का चिन्तन था। सहकारिता के बारे में। लेकिन जिस नेहरूजी के चिन्तन को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ी, सहकारिता के बारे में उनको चिन्तन क्या था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। हम सहकारिता के क्षेत्र में मूल चिन्तन से भटक गये हैं। सहकारिता आज भ्रष्टाचार का साधन बन गयी, सहकारिता एक स्वतंत्र आन्दोलन का स्वरूप लेकर समाज की सेवा के उद्देश्य से कायम किया हुआ हेजिटेशन था लेकिन उसके साथ क्या हो गया। मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता सहकारिता के विषय पर, मैं कांग्रेस के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि जिस सहकारिता के नेहरूजी का चिन्तन आपने पढ़ा, उसे स्वयं लील गये। लगातार पिछले पांच साल में भ्रष्टाचार की खबरें मेरे पास है। केन्द्रीय सहकारी बैंक के कई घोटाले उजागर राजफैड में गड़बड़ी, बुनकर संघ में गड़बड़ी और यह सारी गड़बड़ियां हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के राज में भी कभी-कभी हुई हों लेकिन उनको दबाने की साजिश, उसका प्रयास कभी भारतीय जनता पार्टी के राज में

नहीं हुआ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि किस तरीके से को-आपरेटिव के क्षेत्र में भ्रष्टाचार को संरक्षण उस सरकार में हुआ। यह माननीय सोनिया गांधीजी के ओ.एस.डी. का एक पत्र है जिसको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि सोनियाजी के इशारे पर अफसर को हटाया, इमान की पीठ पर राजनीति का लट्ठ (व्यवधान) इमान की पीठ पर राजनीति का लट्ठ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे नियमों में ऐसा प्रावधान, आप कहें तो मैं पढ़कर सुना दूं कि जो इस सदन का सदस्य नहीं है, उनके ऊपर कोई भी आरोप यहां पर नहीं लगाए जा सकते।

श्री उपाध्यक्ष : उनके बारे में कोई आरोप नहीं लगाए हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल : आरोप नहीं लगा रहा हूं। पत्र पढ़कर सुना रहा हूं माननीय प्रतिपक्ष के नेता।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है कि जो उच्च अधिकार प्राप्त व्यक्ति हैं उनके बारे में यहां पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।

श्री महावीर प्रसाद (मुख्य सचेतक) : कौन से कानून में है?

श्री प्रहलाद गुंजल : यह पत्र जो अखबारों में छपा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार को समर्थन दिया, किस तरीके से भ्रष्टाचार को पनाह देने की संस्कृति थी, उसका खुलासा करता है। इस प्रकार से यह पत्र...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : यदि यह करेंगे तो हम अटलबिहारी वाजपेयी के बारे में भी बताएंगे कि उन्होंने क्या-क्या किया। करीब 500 करोड़ रुपए राजस्थान को नहीं मिले इन्दिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट में।

श्री महावीर प्रसाद : कह देना न आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला : राजस्थान के साथ इन्होंने अन्याय किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। करीब 500 करोड़ रुपए हमको मिलने चाहिए थे इन्दिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट में, वह एक पैसा हमको नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष यह उचित नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद : आप बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप नेता प्रतिपक्ष हो. आप बहुत वर्ष तक इस सम्माननीय सदन के सदस्य रहे हो, यह माननीय सदस्य पहली बार खड़े हुए हैं आप हर मामले में खड़े हो जाते हैं। इस कुर्सी पर कभी महामहिम उपराष्ट्रपति भैरोंसिंहजी शेखावत जैसी विभूति विराजती थी, कुछ तो रखो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मदेरणा साहब भी विराजे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक मिनट में खड़े हो जाते हैं। हर मामले में। क्या आपकी इच्छा यह है कि कोई माननीय सदस्य अपनी बात कहे ही नहीं। मतलब आप चाहते हो कि हरेक आपके शब्द दूसरे के मुंह में डाल देंगे.

डा. बुलाकीदास कल्ला : सवेरे क्या हुआ था? आप अपने सदस्यों के द्वारा जो बोलते हैं उनको तो एक्सपंज कराते हो, आसन पर दबाव डालकर व्यवस्थाओं को बदलवाते हो आप

श्री महावीर प्रसाद जैन : पत्र पढ़कर सुनाओ रहे हैं वह.

डा. बुलाकीदास कल्ला : क्या बात करते हो आप? सारी प्रेस देख रही है ... की एक्टिविटीज को, आप भी तो कुछ गरिमा रखिए संसदीय कार्य मंत्रीजी। वह सदन की सदस्य नहीं हैं एक तरफ तो आप कहते हैं कि अखबार की जो भी खबरें हैं उनको लेकर कोई आदमी बोल नहीं सकता

श्री प्रहलाद गुंजल : मैं आरोप कहां लगा रहा हूं?

डा. बुलाकीदास कल्ला : ये अखबारों की खबरों को बार-बार पढ़ रहे हैं, कोट कर रहे हैं

श्री महावीर प्रसाद : माननीय नेता महोदय, अखबारों की कटिंग नहीं पत्र पढ़ रहे हैं

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली) : पत्र नहीं पढ़ रहे हैं, पत्र नहीं पढ रहे हैं, वह अखबार में लिखा है, वह पढ़ रहे हैं, देख लो आप

श्री महावीर प्रसाद : पत्र पढ़ रहे हैं पत्र।

श्री हरिमोहन शर्मा : पत्र नहीं पढ़ रहे हैं. पढ़ रहे हैं अखबार।

श्री प्रहलाद गुंजल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पत्र पढ़ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय. वह आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप सोनियाजी के नाम से पहले से उत्तेजित हो रहे हैं। वह तो तारीफ कर रहे हैं कि सोनियाजी सलाह दे रही हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सोनियाजी ने क्या अच्छा बात कही है, वह कह रहे हैं वह।

श्री हरिमोहन शर्मा : वह पत्र नहीं अखबार पढ़ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपको पहले से ही वहम हो रहा है। वह अगर ऐसी कोई बात कहेंगे तो ही बी विल नोट बी अलाउड। अटल बिहारीजी का अच्छे काम के लिए लो नाम।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : हम अटल बिहारीजी का नाम लेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां. लेओ।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : यहां पर आरोप लगाएंगे।

श्री हरिमोहन शमा : अभी हम तोगडियाजी ने जो स्टेटमेन्ट दिया अटल बिहारीजी और आडवाणीजी के बारे में वह पढ़ने लग जाएंगे तो कैसा लगेगा आपको? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद : आपने 10 बार कह दिया, आपने क्या नहीं कहा?

श्री हरिमोहन शर्मा : मैंने कुछ नहीं कहा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने तोगडियाजी ने जो कहा, अखबार को पढ़ दिया, अब आपका क्या बिगाड़ लिया?

श्री हरिमोहन शर्मा : मैंने यह कहा कि तोगडियाजी ने आडवाणीजी और

(श्री हरिमोहन शर्मा)

अटलबिहारीजी के खिलाफ बोला है। हम उस अखबार को पढ़ेंगे तो आपको कैसा लगेगा?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यदि कोई पत्र है। यदि सोनियाजी गांधी ने पत्र लिखा है, उसको पढ़ने में क्या तकलीफ है?

श्री हरिमोहन शर्मा : पत्र नहीं है, अखबार है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं पढ़ सकते।

श्री हरिमोहन शर्मा : अखबार है, पत्र नहीं है।

श्री प्रहलाद गुंजल : यह पत्र है।

श्री महावीर प्रसाद : उन्हें पढ़ने तो दो, पहले उन्हें पढ़ने तो दो।

श्री हरिमोहन शर्मा : पढ़ने क्या दो, यह अखबार है पत्र नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आपके पास पत्र हो तो आप भी पढ़ना। यह पत्र ही पढ़ रहे हैं, यह पत्र है।

श्री हरिमोहन शर्मा : पत्र नहीं है, अखबार को पत्र मत कहो आप। आप यह कहो कि मैं अखबार पढ़ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अखबार में ऐसी कोई बात हो...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आप पत्र कैसे कहते हो, पत्र नहीं है अखबार है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : अब तोगडियाजी आपके आदर्श हो गए?

श्री हरिमोहन शर्मा : हमारे आदर्श नहीं हुए।

श्री प्रहलाद गुंजल : देवली क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड में लाखों रुपयों का घोटाला हुआ।

श्री हरिमोहन शर्मा : तोगडियाजी को हम जेल भेजने वालों में से हैं, आप

(श्री हरिमोहन शर्मा)

बचाने वालों में हैं. आप मुकदमे वापस लेने वालों में हो. आप उनको इसलिए आदर्श मानते नहीं हो कि उन्होंने आडवाणीजी और अटलजी के लिए कुछ गलत शब्दों का प्रयोग कर लिया इसलिए आप खिसकना चाहते हो. नहीं तो आप भी बंधे हुए थे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसलिए त्रिशूल दीक्षा ले रहे हो आप। अब आपका इरादा त्रिशूल दीक्षा का हो गया।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : माननीय उपाध्यक्षजी, तोगडियाजी राजस्थान में आए थे तो उनको जेल में बन्द कर दिया था इसलिए उनको डर है कि (व्यवधान)...

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) : उपाध्यक्षजी, जोशीजी का नाम तो काट दयो और हरिमोहनजी का नाम लिख दियो बुद्धिजीव्या की लिस्ट म

श्री रघुवीर सिंह मीणा : तोगडियाजी का यहां बन्द कर दिया था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी बोली नहीं थी। सबक सिखा दिया अशांति फैलाने वालों को।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जेल में आपने क्या बहादुरी कर ली? क्या बहादुरी कर ली? सरकार ने 10 लाख रुपए केवल इस बात पर खर्च कर दिए कि एक वकील वहां जाकर पैरवी करे और अपने वकील को लाभ देने के लिए किया। क्या बिगाड़ लिया उनका आपने?

श्री रघुवीर सिंह मीणा : तोगडियाजी राजस्थान में आने के नाम से हाथ जोड़ बैठे हैं, नहीं आना चाहते।

श्री महावीर प्रसाद : छाती पर चढ़कर तोगडियाजी आपके राज में गंगापुर में गए, दौसा में गए, सब जगह दीक्षा हुई, क्या कर लिया आपने?

श्री रघुवीर सिंह मीणा : चोर की तरह छिपे हुए हैं, चोर की तरह तो हर कोई जा सकता है, चौड़े-दहाड़े आवे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : फोबिया हो गया आपको तोगडियाजी का।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऐसी कोई भाषा अगर वह इस्तेमाल करेंगे तो उसके ऊपर आपका कोई एतराज होगा तो उस पर करेंगे। उनको कहने दीजिए आप।

श्री प्रहलाद गुंजल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात पहले कही... ।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : महावीरजी जैन तोगडिया की बात कर रहे हैं, तोगडिया अटल बिहारी वाजपेयीजी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, +++ उसकी आप बात कर रहे हो सदन में?

श्री महावीर प्रसाद जैन : +++

श्री बाबूलाल नागर : +++ बात नहीं करनी चाहिए आपको।

श्री महावीर प्रसाद जैन : +++ उन्होंने क्या कहा? +++

श्री मदन दिलावर (सहकारिता मंत्री) : तोगडियाजी जैसे राष्ट्र भक्तों से डर लगता है +++

श्री प्रहलाद गुंजल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह समय मेरे साथ नहीं जुड़ेगा।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में पहले भी चर्चा हुई है। +++ उस पर यह चर्चा करते हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जाने दीजिए उसको।

श्री महीपाल सिंह यादव : +++ की आप चर्चा करते हैं?

श्री मदन दिलावर : परम सम्माननीय, प्रवीण भाई तोगडियाजी, ढंग से बोलिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सम्माननीय तोगडियाजी बोलिए। राष्ट्रभक्त हैं, इस देश के धार्मिक नेता हैं। (व्यवधान)

श्री महीपाल सिंह यादव : +++ उनका इस देश में कोई स्थान नहीं है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : राज्य सरकार ने तोगडियाजी के खिलाफ मुकदमे वापस ले लिए क्या? (व्यवधान) मुलजिमों को आप आदरणीय नहीं कह सकते हैं सदन में। मुलजिम है वह राजस्थान सरकार को स्टेट को मुल्जिम हैं, वह अपराधी है.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान) अंकित न हो।

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री जुबेर खान : xxx

श्री महीपाल सिंह यादव : xxx

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिए। मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा।

श्री महीपाल सिंह यादव : xxx

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : xxx

श्री महावीर प्रसाद : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला : xxx

श्री रघुवीर सिंह मीणा : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री प्रहलाद गुंजल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आशय...

श्री कैलाश त्रिवेदी : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। बैठिए आप। स्थान ग्रहण कीजिए

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री कैलाश त्रिवेदी : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री कैलाश त्रिवेदी : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री महीपाल सिंह यादव : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यादव साहब माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए (व्यवधान) माननीय सदस्य, बीच में व्यवधान नहीं। (व्यवधान) बैठिए आप (व्यवधान) माननीय सदस्य (व्यवधान) आप बोलें।

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय संयमजी। लोढ़ा साहब, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य'

श्री प्रहलाद गुंजल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था मैंने आपसे शब्द प्रारम्भ करने से पहले यह अनुरोध किया था ..

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय लोढ़ा साहब, (व्यवधान) माननीय सदस्य।

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य. आप बीच में बिना वजह (व्यवधान) आपको बीच में (व्यवधान) आप बीच में बिना वजह (व्यवधान).

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री कैलाश त्रिवेदी : xxx

श्री तगाराम चौधरी : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री महीपाल सिंह यादव : xxx

श्री उपाध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आपको अगर कोई भी बात कहनी हो तो आसन आपको समय देने के लिए हर वक्त तैयार है। आप बिना वजह बीच के अन्दर, जब किसी मुद्दे पर आपके बोलने से व्यवधान पैदा होता है, मेरा आपसे यही कहना है कि आप परमिशन लेकर तो कोई भी बात कह सकेंगे आपको नहीं टोका जाएगा। धन्यवाद। आप शुरू करें।

श्री प्रहलाद गुंजल : माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री महादेव सिंह : xxx

श्री बाबूलाल नागर : xxx

श्री उपाध्यक्ष : मैं अलाउ नहीं करूंगा आपको। विराज जाइए आप। माननीय सदस्य (व्यवधान) बिना मतलब नहीं। (व्यवधान) मैं आपको बोलने के लिए अलाउ नहीं करूंगा। माननीय सदस्य।

श्री प्रहलाद गुंजल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस प्रकरण की चर्चा इस सदन में करना चाह रहा हूं उसका प्रारम्भ करने से पहले ही मैंने इस बात को स्पष्ट किया कि सहकारिता के क्षेत्र में कांग्रेस राज में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ा है। हो सकता है भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के राज में भी हुए हैं, लेकिन मेरे कहने का जो मंतव्य है आज भ्रष्टाचार समाज में जैसे कोई रच-बस गया हो, सामाजिक जीवन में अमिट बीमारी की तरह से भ्रष्टाचार कायम हो गया, लेकिन महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग राजनीति में अगर यह मंशा प्रकट करने लगेंगे कि भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को

(श्री प्रहलाद गुंजल)

संरक्षण मिले, भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को पनाह मिले तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पवित्र सदन में बैठकर हम जनता के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। जनता ने कुछ व्यवस्थाएं करने के लिए, कुछ भरोसा करके जन-कल्याण की मंशा से राज सौंपा है। यहां प्रत्येक...

श्री बाबूलाल नागर : 14 एम.डी. है माननीय सदस्य।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री बाबूलाल नागर : जिसके खिलाफ एंटी करप्शन का छापा पड़ा हे अभी-अभी 14 एम.डी. हैं। 27 में से 14

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। बीच में नहीं।

श्री प्रहलाद गुंजल : माननीय बाबूलालजी, विराज जाएं मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं जो चर्चा कर रहा हूं उसे समझने की कोशिश कीजिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की अगर राजनैतिक इच्छाशक्ति खतम हो गई तो भ्रष्टाचार इस समाज की व्यवस्था को लील जाएगा। एक उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूं। टौंक में देवली क्रय-विक्रय सहकारी समिति में घोटाला होता है और उसकी जांच तत्कालीन प्रशासक एवं प्रबन्ध निदेशक सुरेश चारण करते हैं। मैं नाम कोट नहीं करना चाहता हूं, दोषी व्यक्ति का, आरोप प्रमाणित पाये जाते हैं, कार्यवाही सुनिश्चित करने का विचार विभाग का बनता है, इस बीच में मुख्य मंत्रीजी को एक पत्र आता है श्री परमेश्वर माधवन, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा के विशेषाधिकारी। "श्री गहलोतजी, कृपया मेरे पत्र दिनांक 27 मार्च, 2003 का सन्दर्भ लें जिसकी छाया प्रति संलग्न है जिसमें मैंने श्री सुरेश चन्द चारण, उप रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग एवं प्रबन्ध निदेशक केन्द्रीय सहकारी बैंक, टौंक (राजस्थान) के विरूद्ध शिकायती पत्र पर कार्यवाही किये जाने की अनुशंषा की थी, परन्तु अभी तक आपने..."

डा. सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, या तो पत्र की कापी रख दें, सबसे बेस्ट तरीका है जो पत्र ये कोट कर रहे हैं उसकी कापी रख दें। खाली अखबार के आधार पर हम इस तरीके की बातें करेंगे तो सुबह सदन में फैसला हुआ फिर वो बात हो गई। यदि आप प्रतिपक्ष के नेता के लैटर को कोट कर रहे हैं तो उस लेटर को सदन में रख दें।

श्री प्रहलाद गुंजल : कृपया की गई कार्यवाही की जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

डा. सी पी. जोशी : आप बता दें सदन में कार्यवाही हेतु। अखबार के आधार पर हम कोई आरोप लगाते हैं (व्यवधान)

(माननीय उपाध्यक्ष द्वारा हाथ के इशारे से अंकित नहीं करने के निर्देश)

श्री विष्णु मोदी : xxx

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री विष्णु मोदी : xxx

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री प्रहलाद गुंजल : आगे की पक्ति लिखी उपाध्यक्ष महोदय...

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री उपाध्यक्ष : जोशीजी।

श्री विष्णु मोदी : xxx

(16.00 बजे)

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री सी. पी. जोशी : xxx

श्री प्रहलाद गुंजल : वह मेरे पास है उसे मैं रख दूंगा।

श्री सी. पी. जोशी : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जोशीजी, स्थान ग्रहण करें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : xxx

श्री सी. पी. जोशी : xxx

श्री रघुवीर सिंह मीणा : xxx

(माननीय उपाध्यक्ष ने अंकित नहीं करने के निर्देश दिये)

श्री प्रहलाद गुंजल : आप जाइये इसमें छपा है उसके खिलाफ मानहानि का दावा करिये अदालत में।

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री रघुवीर सिंह मीणा : xxx

श्री प्रहलाद गुंजल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय जोशीजी यह अखबार में लैटर छपा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री प्रहलाद गुंजल . यह किसी अधिकारी का पत्र नहीं छपा था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री रघुवीर सिंह मीणा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, लोढ़ाजी, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात का एतराज उठाया है कि आप यह पत्र की बात कर रहे हैं। माननीय जोशीजी, आप इनको कहने दीजिए। यह पत्र की बात कहने के बाद...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : xxx

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले मुझे पूरी बात कहने दीजिए।

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, मुझे मेरी बात आप तो सुनिए। आप बीच में खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई विवाद का विषय नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री प्रहलाद गुंजल : सच्चाई को सुनने में कड़वाहट महसूस हो रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : शुरूआत के अन्दर जो आपने एतराज उठाया है कि आप एक अखबार के जरिये जो बात कह रहे हैं यह पत्र की बात जब करेंगे और पत्र को पढ़कर उसे बताएंगे तो पत्र में क्या क्या सुनने के बाद में इसके बाद आप एतराज कर सकते हो। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : पूरी बात तो सुनिए मेरी पहले।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री उपाध्यक्ष : मेरी बात सुनिए। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : xxx

श्री उपाध्यक्ष : पहले मेरी बात सुनें। (व्यवधान) पहले मुझे मेरी बात कहने दीजिए। अगर उसके बाद में वह पत्र पेश नहीं करते हैं तो यह बात लिखी हुइ नहीं मानी जाएगी। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री जुबेर खान : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप कोई बात शुरू करते ही इतना...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री जुबेर खान : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप कोई बात शुरू करते ही इतना...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री जुबेर खान : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अगर सन्तुष्ट नहीं कर सकेंगे तो उस बात को हटा देंगे। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : xxx

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने बात शुरूआत की, सदस्य के बोलने पर...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री उपाध्यक्ष : कोई सदस्य आपत्तिजनक बात कहेगा तो पूरा उसमें अधिकार...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : xxx

श्री जुबेर खान : xxx

श्री उपाध्यक्ष : हां।

व्यवस्था का प्रश्न

अखबार में छपी खबर के आधार पर आरोप लगाने विषयक

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और इससे पहले 21.3.1965 को माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था दी जा चुकी है। मेरा प्रश्न यह है कि सदन में किसी पत्र, आप सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : रूल 294 के अन्दर आप पाइन्ट आफ आर्डर उठा सकते हैं, अध्यक्ष की व्यवस्था नहीं पढ़ सकते, अध्यक्ष की व्यवस्था नहीं पढ़ सकते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इनको कहने दीजिये। माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रूल कोट कराओ पहले। कौनसे रूल में पाइन्ट आफ आर्डर है?

श्री जुबेर खान : रूल 294 तो पाइन्ट आफ आर्डर है मेरा और 273 जो माननीय सदस्य सदन में जो बात कहेगा उसके लिए रूल है 273, उसके तहत मैं कह रहा हूं। इसी तरह का मुद्दा 21.3.1965 को भी आया था। योगेन्द्र नाथ हांडा उस समय माननीय सदस्य थे उन्होंने उठाया था। क्योंकि लम्बा है, कई माननीय सदस्यों ने कहा था, माननीय अध्यक्ष ने निर्णय यह दिया था कि सदन में किसी पत्र अथवा पुस्तक से लम्बे उद्धरण पढ़कर सुनाने के स्थान पर उनका सारांश बतला देना चाहिए अथवा उसको सदन की मेज पर रख देना चाहिए। 1.6.1967 को इसी पर फिर व्यवस्था दी है कि किसी समाचार-पत्र में दिये गये रेफरेन्स को विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता।

(16.11 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

(श्री जुबेर खान)

यह पाइन्ट आफ आर्डर है। क्योंकि लम्बा है, काफी माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही और अध्यक्ष महोदय, आप पढ़कर के देख लीजिये 297 नम्बर पेज पर। अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी है...(व्यवधान) दो-दो बार इस सदन से व्यवस्था दी जा चुकी हैं, एक 1965 में और एक 1967 में कि अखबार को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता और एक माननीय सदस्य पत्र पढ़कर नहीं सुनायें बल्कि उसको सदन की मेज पर रख दें। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मांग करता हूं कि जो पत्र का हवाला दे रहे हैं माननीय सदस्य और अखबार के माध्यम से यह सरासर गलत है अगर इनके पास कोई पत्र है तो उसको सदन की मेज पर रखा जाए। अखबार के माध्यम से किसी के ऊपर आरोप लगाना या असत्य बात कहना कोई, क्योंकि पहले ही व्यवस्था आपने भी कई बार दी है कि अखबार को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता, इसके आधार पर कोई मुद्दा नहीं उठाया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : विश्वसनीय का नहीं कहा है। मैंने कहा कि अखबार की खबर के आधार पर आप यहां पर किसी इश्यू को नहीं उठा सकते, यह कहा है। विश्वसनीय नहीं कहा है मैंने। अखबार विश्वसनीय है ऐसा मैंने नहीं कहा।

श्री जुबेर खान : अखबार पढ़ रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो निर्णय दिया कि अखबार के माध्यम से यहां इश्यू नहीं उठता है। जो माननीय सदस्य रामगंज मण्डी से आने वाले हैं, एक चर्चा चल रही थी सहकारिता विभाग की ग्रांट चल रही है उसमें वो कुछ बात कह रहे थे और उसमें उन्होंने अपनी बात पूरी ही नहीं की उसके पहले ही...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : वो लैटर पढ़ रहे थे। अखबार में छपा हुआ लैटर पढ़ रहे हैं। (व्यवधान) आप यहां रखवाइये न लैटर। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : कोई बात सुननी ही नहीं...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था है कि लैटर पढ़कर नहीं सुनाया जाएगा, सदन की टेबिल पर रखा जाएगा।

श्री विष्णु मोदी :...यह कोई इश्यू नही उठा रहे हैं। (व्यवधान) इश्यू नहीं उठा रहे हैं, यह तो खाली सहकारिता की ग्रांट, बजट की चर्चा में...(व्यवधान) लैटर का जिक्र किया है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुपस्थिति में माननीय सदस्य ने एक लैटर पढ़ा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रेफरेन्स दिया है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : नहीं, लैटर पढ़ा है। लैटर पढ़ा है अखबार के आधार पर।

श्री अध्यक्ष : इश्यू थोड़े ही उठाया है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : और हमने मांग की कि लैटर यहां सदन के पटल पर रखें। सदन को गुमराह किया कि मैं लैटर पढ़ रहा हूं। एक व्यक्ति का नाम लिया है कि उसके नाम का पत्र है, ऐसा है...(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : कोट किया है इन्होंने। (व्यवधान) इन्होंने खाली कोट किया है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हमने कहा कि लैटर सदन की मेज पर रखा जाए। सदन को असत्य बोलकर के गुमराह किया है। कोई पत्र नहीं था तो भी इन्होंने पत्र पढ़ा है। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल : अध्यक्ष महोदय, मैं पत्र को कोट नहीं कर रहा हूं उसका रेफरेन्स दे रहा हूं, सन्दर्भ बता रहा हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : तो इस तरीके का षड्यंत्रपूर्वक किसी समाचार पत्र के माध्यम से पत्र को पढ़ना, यह उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : यह सन्दर्भ बता रहे हैं, चर्चा के दौरान चर्चा आ रही है।

श्री अध्यक्ष :...माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपकी पार्टी के माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं। प्रतिपक्ष के नेता, आप बोलने खड़े होते हैं तो आपके ही सदस्य खड़े हो जाते हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : कौन खड़ा हो गया?

श्री अध्यक्ष : माहिर आजाद खड़े थे। गलत बात नहीं है?

डा. बुलाकीदास कल्ला : बैठ गये थे।

श्री अध्यक्ष : मैंने देखा है, यह क्या हुआ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : कोई बात नहीं, यह बैठ गये।

श्री अध्यक्ष : राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, हर बात पर खड़ा होना आवश्यक नहीं है। हर बात पर खड़ा मत हुआ कीजिये। प्रतिपक्ष के नेता जब बोलते हैं तो उनको सुना जाना चाहिए। आप सब लोग बैठ जाया करो। कह लेने दो उन्हें भी क्या कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं निवेदन करना चाह रहा था। जिस पत्र को माननीय सदस्य पढ़ रहे थे...(व्यवधान) मुझे अनुमति दी है। उस पत्र को, हूबहू ओरिजिनल पत्र की एक फोटो, फोटो कापी नहीं, ओरिजिनल पत्र की फोटो समाचार पत्र में प्रकाशित हुई है...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप गलत गुमराह कर रहे हो। फिर वो ही गलत बात कह रहे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए खड़ा हुआ था...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप उनको बोलने तो दें।

मोहम्मद माहिर आजाद : हमको क्यों सुना फिर आपने? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको मौका मिलेगा शिफ्यूट कर देना लेकिन बोलने तो दें उनको कि वो क्या कहना चाहते हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह वहां जाकर के अकेले और पहले यह था कि पत्र टेबल करा देंगे। मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हम पत्र को टेबल कर देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक मिनट, बैठिये। अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके कहे बिना बोलता ही नहीं हूं, आपने मुझे आज्ञा प्रदान की है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह माननीय ससदीय कार्य मंत्रीजी और मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य, दोनों रामगंज मण्डी से आने वाले माननीय सदस्य के पास गये...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : तो आप कह दीजिये न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, हम आज्ञाकारी होते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी बोल रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : और जब पत्र इनको नहीं मिला...

श्री अध्यक्ष : वो आपके मित्र ही हैं, मैं क्या करूं?

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य ने और माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आज्ञा प्रदान की है। माहिर साहब, मेरे को आज्ञा प्रदान की है। (व्यवधान) आसन ने मुझे आज्ञा दी है।

मोहम्मद माहिर आजाद : दोनों ने यह कहा कि पत्र टेबल कर देंगे पढ़ने के बाद। ये रामगंजमण्डी से आने वाले माननीय सदस्य के पास गये और जब वहां पत्र ही नहीं देखा तो +++ आकर बैठ गये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ :...आज आपने एक मोबाइल टेलीफोन जब्त किया है... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप क्या कन्फ्यूज कर रहे हो? हाउस को क्या कन्फ्यूज करना चाहते हो?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री खड़े थे, कुछ कह रहे थे, आपको कुछ कहना था तो उनके बाद कहते लेकिन यह तो गलत परम्परा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं पहले से खडा हूं। (व्यवधान) कन्फ्यूज कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक सदस्य खड़ा हो, वो जब बोल रहा हो...(व्यवधान) आप बैठे -बैठे क्या बोल रहे हो? आप क्या कहना चाहते हैं बैठे बैठे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कह रहा था, जिस पत्र का रेफरेन्स माननीय सदस्य ने दिया, समाचार पत्र में उस ओरिजिनल पत्र की हुबहू फप्रेशर प्रकाशित हुई है तारीख से लेकर के नम्बर से लेकर के, उसको उन्होंने अपनी बात में कहते-कहते उसका रेफरेन्स दे दिया तो उस में कौनसी बात हो गई? वो टेबल करना चाहें तो अभी टेबल पर देते हैं आपकी आज्ञा से। लेकिन बोलने तो दें।

श्री अध्यक्ष : रेफरेन्स तो दे...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल : रेफरेन्स दे रहा हूं, उसको टेबल पर दूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : सी. पी. जोशीजी, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि रामगंजमण्डी से आने वाले माननीय सदस्य ने... (व्यवधान) सुनो तो सही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं अध्यक्षजी की आज्ञा से बोलता हूं, मैं आपकी तरह नहीं हूं। (व्यवधान) अनुशासनहीनता में नहीं हूं। मैं अनुशासन में रहता हूं, मैं आज्ञाकारी हूं। (व्यवधान) अध्यक्षजी की आज्ञा से अभी ले आऊंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : अब आप बिराजो। अब आप बिराजो। आपने ठेका नहीं ले रखा है इस हाउस का। बैठ जाओ, बैठिये आप। अध्यक्षजी ने मुझे पुकार लिया। आप ही की अकेली की जो चाहे चलाते रहेंगे। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि रामगंज मण्डी से आने वाले माननीय सदस्य ने सहकारिता विभाग की मांग पर प्रतिपक्ष की तत्कालीन नेता आदरणीय सोनियाजी के एक पत्र का हवाला दिया। उस पर मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह पहले पत्र पढ़ देंगे उसके बाद टेबल पर देंगे। और फिर संसदीय कार्य मंत्रीजी ने भी यह कहा. फिर मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य और संसदीय कार्य मंत्री दोनों लपक करके रामगंज मण्डी से आने वाले सदस्य के पास गये और इन्होंने जाकर के जब देखा कि पत्र नहीं है, केवल अखबार का समाचार है तो ये ++ यहां बैठ गये। और जब बात को गुमराह करने के लिए यह कह रहे हैं कि पत्र कि हुबहू फोटो है, फोटो कापी है या पत्र है, तारीख बतावें. डिस्पेच नम्बर बतायें और उस पत्र को टेबल करो। और नहीं है तो आपको इसके अन्दर इस तरीके से कोइ बात कहने का हक नहीं है। यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री सांगसिंह भाटी : माननीय सदस्य, यह +++ जो शब्द है यह +++ शब्द कहां से लेकर के आये हैं आप? (व्यवधान) ऐसा क्यों कहते हो आप।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सांगसिंहजी बिराजिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सही है। आप देखें न कि वह कैसे +++ देखो कैसे +++। (व्यवधान) आपको क्या पता है +++ (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी : यह कोई शब्द है आपका? (व्यवधान) यह तो वो कहावत हो गई, यह कहावत वो है कि- "गुरूजी तो बैंगन खाये और चेलों को उपदेश दें" वह कहावत है आपके लिए।

एक माननीय सदस्य : अभी मुखबन्द है। अभी स्टेटमेन्ट और देने हैं। (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी : प्रतिपक्ष के नेता मेरे गुरूदेव है, ये शिक्षक हैं। लेकिन मैं प्रतिपक्ष के नेता से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अभी शिक्षा दे रहे थे कि सदन में कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। आपने पहले इस सदन के अन्दर वक्तव्य दिया था कि खाजूवाले के काश्तकार, पूगत के काश्तकार...(व्यवधान) एक भी कृषि कनेक्शन नहीं है, मेरे पास सबूत रहा, क्या किया आप, बोलिये आप। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : कहां खाजूवाला आ गया इसमें?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

डा. बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री प्रहलाद गुंजल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पत्र समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ...(व्यवधान) मैं उसकी अगली पंक्ति पढ़ना चाहता हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा, सोनियाजी का पत्र नहीं था वह माधवन का पत्र है।

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, माधवन, उनका सैक्रेटरी का।

श्री अध्यक्ष : किसका पत्र था?

डा. बुलाकीदास कल्ला : माधवन का पत्र है जिसको अभी कोट कर रहे थे और उन्होंने वास्तव में सदन में ऐसा सुनाया जैसे कि वो पत्र पढ़ रहे हैं तब नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यदि कोई पत्र पढ़ रहे हैं तो वो सदन की मेज पर रखें।

श्री प्रहलाद गुंजल : जो मेरे पास मौजूद है उसको रख दूंगा। (व्यवधान) इनके हस्ताक्षर है इसमें।

श्री अध्यक्ष : माधवन साहब सोनियाजी के प्राइवेट सैक्रेटरी हैं?

डा. बुलाकीदास कल्ला : माधवन का लिखा हुआ पत्र पढ़ रहे थे।

श्री अध्यक्ष : माधवन साहब सोनियाजी के प्राइवेट सैक्रेटरी हैं? मैंने पूछा है कि प्राइवेट सैक्रेटरी हैं क्या? बता दीजिये।

श्री प्रहलाद गुंजल : आप भेज देना इसको एफ.एस.एल. (व्यवधान) अगली पंक्ति में इसमें लिखा है...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है अध्यक्ष महोदय, मैं कुल मिलाकर के आपसे बात यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने सदन को वास्तव में गुमराह किया कि पत्र पढ़कर और अखबारों के समाचारों की कटिंग पढ़ दी, यह उचित नहीं है। यह सदन में कोई भी व्यक्ति कि मैं यह पढ़ रहा हूं और जब हमने कहा कि पत्र सदन की मेज पर रखें तो पत्र का पता ही नहीं। उसके बाद फैक्ट्स को तोड़-मरोड़कर रखना, यह उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में भी जो भी माननीय सदस्य आये हैं और उसमें आपकी तरफ से यह व्यवस्था दी जाए. हमने जब यहां पर जासूसी काण्ड के बारे में कुछ तथ्य उठाये तो आपने स्वयं ने कहा था. पत्र के आधार पर आप इस सदन में चर्चा नहीं कर सकते तो फिर ये पत्र के आधार पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम तो आपकी व्यवस्था का आदर करते हुए आपको याद दिला रहे हैं कि एक तरफ यहां पर जासूसी काण्ड के बारे में, माननीय मंत्रियों की जासूसी हुई और हमने कहा कि यहां इस समाचार पत्र को पढ़ा, हमारी व्यक्तिगत जानकारी भी थी। लेकिन इसके बावजूद भी हमने आपकी बात का आदर किया कि समाचार पत्र के आधार पर आपने चर्चा बन्द करवा दी। हमारे पास

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

व्यक्तिगत तथ्य आये हैं, उनको हम समय पर रखेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि वह समाचार पत्र के आधार पर उस पत्र को कोट करके और जब हमने यह कहा कि यहां पर आप सदन की मेज पर रखो तो पत्र रखा नहीं। इसलिए आप माननीय सदस्य को हिदायत दें कि समाचार पत्र के आधार पर यहां पर कोई चर्चा नहीं उठायें या आप व्यवस्था बदलिये कि उठा सकते हैं तो हम भी उठायेंगे।

श्री प्रहलाद गुंजल : अध्यक्ष महोदय, यह हुबहू पत्र छपा है समाचार पत्र में और मैं आपको टेबल कर दूंगा लेकिन यह पत्र छपा है, इसको एफ.एस.एल. करा लीजिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : पत्र की फोटोकापी है क्या यह? पत्र की फोटोकापी है क्या यह? यह समाचार पत्र है।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री प्रहलाद गुंजल : आपकी नेता के ओ.एस.डी. के हस्ताक्षर है यह, इसमें तारीख है, दिनांक है, लैटर पैड है और दस्तखत है इसमें।

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अभी कहा कि अखबार के आधार पर वह यहां कोट नहीं करें पर इनके सवाल उठाने का या इनके रेफरेन्स देने में और आपके द्वारा जो निन्दा प्रस्ताव उठाया गया था जासूसी का, उसमें फर्क है। फर्क़ यह है कि जासूसी के मुद्दे को केवल उठाया था। अखबार की खबर के आधार पर, यह केवल उनका रेफरेन्स किया है। इसलिए कोई जनरल बहस हो रही है, मांग पर जो जनरल बहस होती है, उस बहस के दौरान उन्होंने उसकी चर्चा की है, बहस के दौरान चर्चा की है, उसमें और इसमें फर्क है, अन्तर है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : चर्चा के दौरान रेफरेन्स दिया।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है, आप सुन लें क्योंकि आप आ गये थे आसन के ऊपर। मेरा निवेदन यह था कि 1967 में भी सांसद महारानी गायत्री देवी, क्योंकि इसी रेफरेन्स में आदरणीया महारानी गायत्री देवी और महामहिम भैरोंसिंहजी का मामला है, इसलिए आप सुन लें और जब इसकी व्यवस्था दें। इसमें यह लिखा है किसी समाचार पत्र में दिये गये रेफरेन्स को विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। संसद सदस्या महारानी गायत्री देवी के सम्बन्ध में एक समाचार पत्र

(श्री जुबेर खान)

"ब्लिट्ज" में प्रकाशित समाचार का रेफरेन्स देते हुए श्री शिवचरणसिंह, सदस्य विधान सभा ने उस पत्र को सदन की मेज पर रखा तो भैरोंसिंहजी ने आपत्ति प्रस्तुत की कि किसी भी अखबार को सदन की मेज पर नहीं रखा जाना चाहिए। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अखबार का रेफरेन्स है क्योंकि यह रिलायबल नहीं होता है, अखबार का रेफरेन्स अखबार है इसलिए विश्वास का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अखबार के माध्यम से पढ़कर लाइन टू लाइन पढ़ते, या तो इनके पास कोई पत्र है तो इस सदन की मेज पर रखें, फिर आगे इस सम्बन्ध में व्यवस्था है कि कोई माननीय सदस्य किसी पत्र को या अखबार का रेफरेन्स देता है, रेफरेन्स दे सकते है, उसको पूरा नहीं पढ़कर सदन के पटल पर रख दे, यह व्यवस्था दी हुई है 13.3.1965 को और माननीय सदस्य...

श्री अध्यक्ष : आपके पास कोई हो तो रख दीजिये आप, क्या दिक्कत है।

श्री प्रहलाद गुंजल : रेफरेन्स है, वह जो छपा है वह हूबहू है। अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़कर रख दूंगा, टेबल कर दूंगा साहब। (व्यवधान) इसको पढ़कर के रख दूंगा।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, अखबार नहीं रख सकते, यह व्यवस्था दी हुई है।

श्री प्रहलाद गुंजल : यह लैटर हैड की हूबहू फोटो है। यह हूबहू लैटर है।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, हम आपकी व्यवस्था के ऊपर...

श्री प्रहलाद गुंजल : यह हूबहू लैटर है, जिसका रेफरेंस मैं दे रहा हूं, उसको टेबल कर दूंगा, लैटर हैड है, इसमें तारीख है, हस्ताक्षर है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, यह मुखबन्द का समय...

डा. सी. पी. जोशी : आप अध्यक्षजी की परमिशन से भी नहीं बोलने देंगे क्या?

श्री महावीर प्रसाद जैन : 4.30 बजे जो मुखबन्द का समय है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको 4.30 बजे की बजाय, क्योंकि माननीय मंत्री को और कुछ माननीय सदस्य भी बोलेंगे तो मैं समझता हूं 6.30 बजे तक मुखबन्द का समय बढ़ाया जाये, यह मैं प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि मुखबन्द का समय 6.30 बजे कर दिया जाये? (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : हां हां।

अनेक माननीय सदस्य : नौ-नौ (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मुखबन्द करा दो तो झगड़ा निपटे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं हो तो जवाब दिलवा देते हैं।

श्री अध्यक्ष : यदि आपकी अनुमति नहीं हो तो फिर जवाब दिलवा देते हैं।

श्री जुबेर खान : मुख बन्द तो मुखबन्द है, 4.30 बजे से मुखबन्द कराइये।

श्री अध्यक्ष : तो मुखबन्द का प्रयोग किया जाये, फिर और क्या है? 4.30 बजे नहीं, तब तक बोलें आप और 4.30 बजे मुखबन्द हो जायेगा। 4.30 बजे मुखबन्द करेंगे।

श्री प्रहलाद गुंजल : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने के लिए इजाजत दीजिये। मेरे बाद प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य जो भी कहेंगे, मैं जो पढ़ रहा हूं, मुझे बोलने के लिए इजाजत दीजिय, मैं उसको टेबल कर दूंगा।

श्री जुबेर खान : अखबार नहीं पढ़ सकते, अखबार को टेबल नहीं कर सकते, अखबार को टेबल नहीं कर सकते। आपके पास पत्र हो तो पत्र की कापी टेबल करिये।

श्री प्रहलाद गुंजल : मैं इसमें अगली पंक्ति पढ़ रहा हूं। कृपया सन्दर्भित मामले की जांच...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह अखबार नहीं है, अखबार नहीं है, उसकी फोटो है। डेट नम्बर है, हस्ताक्षर है, पत्र क्रमांक है, सारी चीजें हैं। तिथि है. हस्ताक्षर है, सारी चीजें हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आगे लिखा है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसमें व्यवस्था है कि अखबार को विश्वसनीय नहीं माना...

श्री प्रहलाद गुंजल : अध्यक्ष महोदय, इसमें आगे लिखा है...

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर मैंने उठाया है। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल : कृपया सन्दर्भित मामले की जांच के दौरान श्री सुरेश चारण को किसी दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करवा दिया जाये ताकि जांच प्रभावित नहीं हो। जिस व्यक्ति के खिलाफ देवली थाने में दर्ज...उसकी जांच करने वाले व्यक्ति को हटाया जा रहा है और इसमें...

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : आप पाइन्ट आफ आर्डर सुनें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप पाइन्ट आफ आर्डर सुन लें।

श्री अध्यक्ष : वे पाइन्ट आफ आर्डर उठा रहे हैं, उनका पाइन्ट आफ आर्डर सुन लीजिये, उसके बाद बोलिएगा।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, जब से सदन चल रहा है, तब से दो व्यवस्थाएं आपने दी हैं। अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था तो आपने यह दी कि अखबार के आधार पर सूत्र से हम चर्चा नहीं करने देंगे, आपकी आज्ञा को हमने माना जासूसी काण्ड में। आपने दूसरा यह भी कहा कि जो माननीय सदसय इस हाउस में नहीं है, उसके खिलाफ हम कोई बात नहीं कहेंगे यानी अलाउ नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप लिखित में नोटिस दें, मैं ना कब कर रही हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : इन्होंने नोटिस दिया है क्या? इन्होंने नोटिस दिया है क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 273 में नोटिस दें, मुझे नहीं मालूम है कि वह किसके खिलाफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं?

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं, आप सुनें, अध्यक्ष महोदय।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सोनियाजी का नाम लिया है, माधवनजी का नाम लिया है।

श्री अध्यक्ष : मुझे जानकारी नहीं है। मैंने सोचा कि वह केवल मांग पर बोल रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आप सुनेंगे तो सही दो मिनट। अध्यक्ष महोदय, आप कुर्सी पर आने से पहले...

श्री अध्यक्ष : उस आधार पर कोई बात हुई हो, वह कह दे।

एक माननीय सदस्य : सोनियाजी का नाम लिया है।

श्री प्रहलाद गुंजल : अध्यक्ष महोदय, मैं मांग की ही बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : किसका नाम आ गया?

डा. बुलाकीदास कल्ला : सोनियाजी का नाम लिया है, माधवनजी का नाम लिया है बिना वजह और कोई इनके पास तथ्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष : सोनियाजी के लिए, माधवनजी के लिए क्या कह दिया इन्होंने? यह तो बतायें आप क्या कहा?

श्री प्रहलाद गुंजल : मैं मांग पर ही चर्चा कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

डा सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, चर्चा का सवाल ही नहीं है, आप सुनें तो सही।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल : यह कोई सामान्य चर्चा नहीं है, मैंने यह निवेदन किया है...

श्री अध्यक्ष : कोई आरोप लगाया है क्या?

श्री प्रहलाद गुंजल : मैंने अध्यक्ष महोदय केवल यह कहा है कि...

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मुझे तकलीफ सारी इस बात की है...

श्री प्रहलाद गुंजल : जिस व्यक्ति के खिलाफ जांच की कार्यवाही प्रभावित हो गई, आपकी यह नेता प्रतिपक्ष की तत्कालीन, भारत की लोक सभा की नेता प्रतिपक्ष की, के ओ.एस.डी. का सन्दर्भित पत्र है, माधवन है, उसको ढाल बनाया जाये, उसको ढाल बनाकर, भ्रष्ट अधिकारी को अगर हम ढाल बनकर बचायेंगे...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इनका पाइन्ट आफ आर्डर है, उनका पाइन्ट आफ आर्डर है, कृपया स्थान ग्रहण करें, पाइन्ट आफ आर्डर सुनें।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने देवली के क्रय-विक्रय सहकारी समिति में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे थे, जब आप यहां सदन में निर्णय देने आयें तो जो प्रोसीडिंग्स है, उसकी स्थिति को समझें। यह चर्चा शुरू करने के बाद एक क्रय विक्रय सहकारी समिति के भ्रष्टाचार के सन्दर्भ में चर्चा चल रही थी, इसलिए इन्होंने यह कहा, भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में आप किसकी बात करें तो या तो आप नोटिस दे दें या जो सदस्य हैं, उसकी बात कहें। आप खुद की रूलिंग है, उस रूलिंग के बाद में यदि चर्चा में माननीय सदस्य के पास जो पत्र है, ओरिजिनल इनके पास नहीं है, रखने की स्थिति में नहीं है। और अखबार के आधार पर चर्चा करना चाहें तो आप यहां पर बैठे हुए हैं. हमारे इण्ट्रेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, दोहरे मापदण्ड नहीं हो सकते। हम सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जासूसी हो रही है, तब तो आप यह कहें कि अखबार की सूचना के आधार पर नहीं हो सकती। आज जो यह आरोप लगाना चाहें कि विपक्ष की नेता का बता रहे हैं. उस अखबार के आधार पर चर्चा करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि मैंने सुना ही नहीं तो +++ सदन में कार्यवाही सुनने की जिम्मेदारी किसकी है, किसकी नहीं है, इसलिए सदन दोहरी व्यवस्था से नहीं चल सकता. अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि न्याय करे। अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि जो निर्णय किया है, सही ढंग से लागू करने का काम करे इसलिए +++ इसलिए हम आपसे आशा

(डा. सी. पी. जोशी)

करते हैं अध्यक्ष महोदय कि आप जो भी निर्णय लें, उस निर्णय की पूरी तरह से पालना करें और जांच करके इन्होंने जो बात कही है, पत्र इनके पास है तो सदन के पटल पर रखें, बाकी प्रतिपक्ष की नेता के खिलाफ कोई भी आरोप लगाने के लिए +++ न इनको आज्ञा देंगे? सदन की कार्यवाही को बन्द करना पड़े तो बन्द करने के लिए आपको कहेंगे। आप सदन में बैठकर न्याय करें, +++

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये आसन पर किस तरह से आरोप लगा रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, आसन पर आरोप लगा रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी : कोई भी माननीय सदस्य यहां पर प्रश्न लेकर खड़ा हो गया, यह व्यवस्था है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : +++ ये आसन पर किस तरह से आरोप लगा रहे हैं? (व्यवधान) आसन के ऊपर किस तरह से आरोप लगा रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी : ये मंत्रीगणों को देखिये आप, व्यवस्था आपकी है। अध्यक्ष के ऊपर विश्वास नहीं है, अध्यक्ष निर्णय कर नहीं सकता। आप निर्णय दे दें, आप डांट देते हैं, आप बैठा देते हैं, हम बैठ जाते हैं। निर्णय देने का काम तो इनका नहीं है। यदि हमारी बात गलत होती है तो आप हमको डांट देते हैं, हम बैठ जाते हैं लेकिन हालत देख लीजिये। अध्यक्ष का काम भी ये करना चाहें, इस तरह से माननीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी, सदन में आपको जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है कि प्रतिपक्ष के सदस्य के साथ मंत्रियों का यह व्यवहार है, तब तो आपका प्रोटेक्शन देना ज्यादा जरूरी है। हम आपसे न्याय की आशा नहीं कर रहे हैं, यह कह रहे हैं कि ऐसा न्याय होना चाहिए। मैं चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, इस बात को आप ठीक ढंग से करें। जब तक यह चर्चा की, उसका पत्र यहां पर रखें अन्यथा आपने जो व्यवस्था दी, उस व्यवस्था को लागू करने की जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए मेहरबानी करके व्यवस्था दीजिये फिर डिबेट को प्रारम्भ कीजिये। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : हम आसन का अपमान सहन नहीं करेंगे।

श्री वासुदेव देवनानी : हम सत्ता पक्ष के नाते सदन को हाईजैक नहीं होने देंगे। यह धमकी दे रहे हैं कि हम सदन को बदलने नहीं देंगे, ऐसा कौन माननीय सदस्य हो सकता है कि हम सदन को चलने नहीं देंगे...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : इस तरह से खड़े होंगे, नहीं चलने देंगे। अध्यक्ष चाहें तो बैठ जायेंगे। आपके कहने से नहीं चलने देंगे, आप पांच आदमी खड़े हो जाओ, नहीं चलने देंगे, अध्यक्ष कहेंगे तो बैठ जायेंगे हम. आपके कहने से नहीं बैठेंगे हम। आप पच्चीस आदमी कहो तो नहीं बैठेंगे. आप सब खड़े हो जाओ. नहीं बैठेंगे हम, अध्यक्ष कहेगा तो बैठ जायेंगे, आपके कहने से नहीं बैठेंगे हम। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी : जब चाहे तब खड़े हो जाते हैं।

डा. सी. पी. जोशी : आपकी मर्सी से नहीं आये हैं जो आपके कहने से बैठ जायेंगे।

श्री वासुदेव देवनानी : हम भी सत्ता मे आपकी मर्जी से नहीं आये, जनता के द्वारा चुने हुए आये हैं, हम बहुमत से आये हैं...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अपने ज्यादा बहुमत का अहंकार मत करो, यह राज राजस्थान की साढ़े पांच करोड़ जनता ने उसकी भलाई करने के लिए दिया है, घमण्ड आप मत करो, सत्ता के अहंकार में चूर होकर यहां सदन को...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : दिल्ली में क्या कर रहे हैं. पार्लियामेन्ट में क्या कर रहे हैं. पार्लियामेन्ट में भाग ले रहे हो क्या. यहां हमने नहीं किया हुआ है...(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : आई एम आन ए प्वाइंट आफ आर्डर अन्डर रूल 294, आई एम आन ए प्वाइंट आफ आर्डर।

मोहम्मद माहिर आजाद : प्वाइंट आफ आर्डर पर प्वाइंट आफ आर्डर नहीं होता, मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य, पहले एक प्वाइंट आफ आर्डर पर व्यवस्था हो जाय. उसके बाद आप दूसरा प्वाइंट आफ आर्डर रखिये। पहले एक पर तो व्यवस्था हो।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्यगण, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया और यह कहा कि आसन की दोहरी व्यवस्था नहीं होगी, मैं मानती हूं इस बात को कि दोहरी नहीं होनी चाहिए। निवेदन करना चाहती हूं कि जैसा मुझे बताया गया है, माननीय सदस्य ने केवल इतना कहा कि इस सम्बन्ध में सोनियाजी का एक पत्र और माधवन का एक पत्र है, क्या यह उनका नाम लेना भी कोई किसी तरह की जिसे कहना चाहिए...(व्यवधान) तो उन्होंने मेरे को तो यही बताया है...

डा. र . पी. जोश : आप प्रोसीडिंग्स देखिये पहले।

श्री अध्यक्ष : पूछा है मैंने।

श्री बुल कीदास कल्ला : सदन की मेज पर रखें पत्र, कोई पत्र है ही नहीं, असत्य बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मुझे आप बतायें। (व्यवधान) आप आसन को नहीं सुनना चाहते, आप माननीय सदस्य को नहीं सुनना चाहते, प्वाइंट आफ आर्डर नहीं सुनना चाहते तो कैसेट काम चलेगा? मैं निवेदन कर रही हूं, जैसा मुझे बताया गया है कि उन्होंने केवल रेफरेन्स किया है कि ऐसी एक चिट्ठी सोनियाजी की आई। मुझे बताइये क्या होगा इसके अन्दर? कौन सा आरोप लग गया सोनियाजी के ऊपर? (व्यवधान) क्या बात हो गई, मेरी समझ में ही नहीं आई यह बात। (व्यवधान)

डा. र . . जोशी : अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार को लेकर कहा गया है, यह पढ़िये। मंगाइये आप, पहले मंगाकर देखिये, भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कहा गया है, आपको आधी बात बता रहे हैं, आप रेकार्ड उठाकर देखिये, रिकार्ड उठाकर देखिये आप, आधी बात कह रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं...

श्री अध्यक्ष : क्या पढ़कर सुनायेंगे आप?

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो पूर्व में व्यवस्था है। व्यवस्था के मामले में, जिस मामले में चर्चा हो रही है।

श्री अध्यक्ष : मुझे आप बताइयेगा...

एक माननीय सदस्य : आसन पैरों पर है

श्री अध्यक्ष : क्या कहा उन्होंने। जो कार्यवाही है उसे मैं देख लूंगी उसमें क्या

(श्री अध्यक्ष)

कहा है, मुझे तो यही बताया गया है कि उन्होंने केवल रेफरेन्स दिया था कि सोनियाजी की कोई चिट्ठी आई है...(व्यवधान) तो फिर सोनियाजी कोई चिट्ठी आई है. सोनियाजी पर तो आरोप नहीं लगा, उस पर आप इतने उत्तेजित क्यों हो गये, मेरे यह बात समझ में नहीं आई, उत्तेजित होने की क्या बात है इसमें।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : इनका आशय यह है कि सोनियाजी ने भ्रष्टाचार करवाया है, इनका आशय यह है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देखिये आप, रेफरेन्स और यह तो आप, इनफरेन्स तो कोई कैसेट भी निकाल सकता है। लेकिन इतना ही कहना किसी का कि सोनियाजी की इस बारे में कोई चिट्ठी आई है, आप उसे कैसे मान सकते हैं आरोप, यह तो कोई बात नहीं हुई।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, हम माफी चाहते हैं, आप पहले प्रोसीडिंग्स को पढ़कर फिर देवें।

श्री अध्यक्ष : हां, मैं पढ़ लूंगी।

डा. सी. पी. जोशी : तो फिर आप रूलिंग कैसे कर रही हैं, आप रिजल्ट भी निकाल रही हैं...

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

डा. सी. पी. जोशी : कह भी रही हैं, आप कृपा करके प्रोसीडिंग्स देख लीजिये। उसके बाद निर्णय दीजिये आप।

श्री अध्यक्ष : देख लूंगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं आपका ध्यान एक यह...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी : अध्यक्ष महोदय. चिट्ठी पढ़ना क्या अपराध है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक व्यवस्था सुनाना चाहता हूं। यह अध्यक्ष की व्यवस्था...

श्री वासुदेव देवनानी : मैडम, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने में असफल रही इसलिए क्या उनका नाम लेना इनको नागवार हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह दूसरे खण्ड में पेज नम्बर 277 में सदन की मेज पर पत्रों का रखा जाना एवं अभिकथन की पुष्टि का उद्धरण दिया जाना। पूर्व मंत्री द्वारा मुख्य मंत्री को लिखे गये किसी भी प्रकार के पत्र को सदन की मेज पर रखना आवश्यक नहीं है। श्री मूलचन्द डागा, सदस्य, विधान सभा के नियम 295 के अन्तर्गत उठाये गये प्रश्न में कहा कि पूर्व मंत्री ने मुख्य मंत्री को जो पैटर्न लिखे हैं जिसमें उन्होंने मंत्रिमण्डल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं। उन्होंने नीतियों के बारे में बताया कि यह नीतियां जनता पार्टी की नहीं है, मुख्य मंत्री, राजस्थान को पत्र लिखे गये, वह पत्र सदन की मेज पर रखे जाने चाहिए। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष ने निम्न व्यवस्था दी-कोई भी पत्र अगर कोई भूतपूर्व मंत्री, मुख्य मंत्री को लिखता है तो यह आवश्यक नहीं है कि उनको हाउस की टेबल पर रखा जावे। नियमों में यह स्पष्ट नहीं है। जब तक स्पष्ट नियमों के अन्तर्गत नहीं बता सकें कि यह सम्बन्धित नियम की परिधि में आता है, इसलिए यह आवश्यक है तब तक कम्पेल नहीं कर सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि कोटा से आने वाले माननीय सदस्य...

एक माननीय सदस्य : रामगंजमण्डी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : रामगंजमण्डी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया जिसमें दस्तखत हैं, जिसमें वह सारा रेफरेंस है, अब वह उसको टेबल पर रखना भी आवश्यक नहीं है, अब यदि कोई...

श्री हरिमोहन शर्मा : आपकी रूलिंग का तो कोई सन्दर्भ ही नहीं है इसमें, आप जिस व्यवस्था को बता रहे हैं उसका तो कोई सन्दर्भ ही नहीं है, वह कोई प्रश्न नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उसका सन्दर्भ इसलिए है कि आप कह रहे हो कि टेबल पर रखो...

श्री हरिमोहन शर्मा : प्रश्न यह है कि अखबार के आधार पर जो व्यवस्था दी है...

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई भी पत्र, अखबार-अखबार नहीं...

श्री हरिमोहन शर्मा : जो व्यवस्था दी गई है, उस व्यवस्था को कैसे बदला जायेगा। एक बार व्यवस्था हो गई वह नहीं बदलेगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अखबार में जिसकी फोटो छपी है, उस पत्र की कोई फोटो छपी है उसमें दस्तखत हैं...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : वह पत्र नहीं हुआ, अखबार हुआ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पूरे का पूरा, यों का यों, उसमें दस्तखत हैं, अब वह उसका उद्धरण दे रहे हैं और भ्रष्टाचार के मामले में किस प्रकार राजनैतिक हस्तक्षेप होता है उसके लिए यदि वह कुछ कहना चाहते हैं तो किस नियम में उनको रोका जाय। एक माननीय सदस्य, कोई भी, वरना तो यह हाउस चर्चा ही नहीं कर सकेगा, आखिर...

डा. सी. पी. जोशी : जिस नियम में जासूसी काण्ड को रोका उसी से रोकिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जासूसी काण्ड की हमने कभी मनाही नहीं की, जासूसी काण्ड की आप चर्चा करें, हमने आमन्त्रित किया है...(व्यवधान) क्योंकि आज माननीय सदस्य ने कटौती प्रस्ताव दिया है...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : बुलवायेंगे आपसे कि सच क्या है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आज माननीय सदस्य ने कटौती प्रस्ताव दिया है और जो अनियमितताएं हो रही है कापरेटिव सोसाइटीज में, कापरेटिव एक्ट के अन्तर्गत, उसको उजागर करने के लिए आपको कट मोशन दिया हुआ है। अब वह उजागर करने के लिए कि किस प्रकार की अनियमितता हो रही है यदि वह यहां इस हाउस में नहीं उजागर करेगा तो माननीय अध्यक्ष महोदय, न तो इन कट मोशन का कोई मतलब होगा, न इन पर कोई विचार करने का मतलब होगा। इसलिए माननीय सदस्य को कोई भी इस प्रकार का पत्र, इस प्रकार का जो इन्सीडेन्स हुआ है वह, उसको रोका नहीं जाना चाहिए और रोक नहीं सकते, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री टीकमचन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, वह पत्र नहीं है, प्रतिलिपि है, यही बात है न। पत्र नहीं है, प्रतिलिपि है। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : आई एम आन ए प्वाइंट आफ आर्डर अन्डर रूल 294.

श्री अध्यक्ष : मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य का प्वाइंट आफ आर्डर है।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक प्वाइंट आफ आर्डर पर तो व्यवस्था हुई ही नहीं...

श्री अध्यक्ष : दे दी न व्यवस्था। कौन कहता है नहीं दी।

श्री विष्णु मोदी : मैडम स्पीकर, आज की जो बिजनस लिस्ट हम लोगों को मिली है उसमें परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2004-2005 की शेष मांगें मध्याह्न पश्चात् 4.30 बजे मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेगी। साढ़े चार बज चुके हैं, आपने सदन का समय बढ़ाया नहीं, जब...

श्री महावीर प्रसाद जैन : बढ़ा दिया।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, उन्होंने बढ़ाने का प्रस्ताव किया तब उसमें नहीं बढ़ा है। नहीं बढ़ा, सदन का समय नहीं बढ़ा है। आप प्रोसीडिंग्स देख लीजिये, सदन का समय नहीं बढ़ा है।

श्री अमराराम (धोद) : आप तो मुखबन्द करो।

श्री विष्णु मोदी : सदन का समय नहीं बढ़ा है तो according to the Business List, now we should pass all the grants. हां, मुखबन्द का प्रयोग करें और आगे सारी मांगे...

श्री अध्यक्ष : इससे पहले कि मैं मांगों को आपकी स्वाकारोक्ति के लिए रखूं, मैं अध्यक्षीय व्यवस्था के बारे में आपको बताना चाहूंगी, पेज नम्बर 280, आसन की जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उसमें लिखा है, यह व्यवस्था है माननीय अध्यक्ष महोदय की, हमारे वाद-विवाद के नियम ऐसे हैं जब भी कोई माननीय सदस्य बोल रहा हो तो उनके बीच में कोई न बोलें। जो कुछ भी उन्होंने हवाला दिया है, वे अपने भाषण के बाद कृपया सदन की मेज पर उन परिपत्रों को रखें क्योंकि उन्होंने हवाला दिया है और उसमें

(श्री अध्यक्ष)

कुछ आरोप भी लगाये हैं इसलिए उनके लिए यह लाजिमी है कि जिन पत्रावलियों का उन्होंने उद्धरण किया है वो सदन के समक्ष रखा जाए। यदि कोई माननीय सदस्य आसन के आदेश के बाद भी यह पत्रावलियां नहीं रखता है अथवा सदन से छिपाता है तो उसके लिए सदन के पास बहुत बड़ा अख्तियार है, इसलिए आपके पास बहुत बड़ा अख्तियार है वो रखेंगे तो ठीक है नहीं रखेंगे तो फिर उस हिसाब से सदन कर सकता है आगे कार्यवाही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : व्यवस्था शिरोधार्य है...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था को याद दिला रहा हूं। आप जासूसी काण्ड में हमको अलाऊ करते फिर बाद में कर देते। आपने उस दिन कहा कि अखबार के आधार पर चर्चा नहीं होगी, आज आप दूसरी व्यवस्था दे रहे हैं। आप जैसी देंगी हम मान लेंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य मैं कह चुकी हूं कि यदि उन्होंने कोई आरोप लगाया, केवल उन्होंने रेफरेन्स दिया है तो देखिये कोई आरोप नहीं है और यदि उस रेफरेन्स में कोई आरोप भी लगाया है तो मैं देखूंगी। यह मैंने आपसे कह तो दिया।

श्री अमराराम (धोद) : आरोप लगाया है भ्रष्टाचारियों को बचाने का।

डा. सी. पी. जोशी : आरोप लगाया है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आरोप लगाया है तो देखूंगी मैं, क्या है क्या नहीं?

डा. सी. पी. जोशी : तो पहले उसको देख तो लो आप उसमें आरोप लगाया है उन्होंने।

श्री अध्यक्ष : तो आरोप लगाया तो देखूंगी। देखने के बाद व्यवस्था दूंगी।

डा. सी. पी. जोशी : तो डिबेट आगे क्या चलेगी, डिबेट चलेगी क्या? डिबेट तो फिर वहीं से स्टार्ट हो गयी।

श्री अध्यक्ष : बिना देखे कैसे दे सकती हूं। मैं देखूं तो सही।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपने सवेरे एक मिनट में पर्यटन राज्य मंत्रीजी के बारे में जो कहा गया था उसे एक्सपंज किया और इसको भी एक्सपंज करो।

श्री अध्यक्ष : तो मैं उस कार्यवाही को देखूं तो सही।

डा. सी. पी. जोशी : ठीक है।

श्री अध्यक्ष : मैं देखे बिना क्या कह सकती हूं। देखू तो सही मैं।

श्री विष्णु मोदी : पाइण्ट आफ आर्डर अध्यक्ष महोदय, 4.30 बजे मुखबन्द होकर मांगे पास की जाएंगी। 4.30 बजे आज के बिजनस में साफ लिखा हुआ है और आप प्रोसीडिंग्स देख लें समय सदन का बढ़ा नहीं है।

श्री प्रहलाद गुंजल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़े भ्रष्टाचार के मामले हैं जिन पर चर्चा होकर निर्णय होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आडिट...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 36 सहकारिता के सम्बनध में 31 मार्च...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जवाब पढ़ा दो।

श्री अध्यक्ष : जवाब देंगे आप? जब गुलेटिन लग गया तो जवाब कैसे देंगे? गुलेटिन लग गया तो जवाब कैसे देंगे?

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको तब अधिकार प्राप्त है। आप नियमों को रिलेशन कर सकती हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : समय बढ़ गया था।

श्री विष्णु मोदी :...(व्यवधान) अब समाप्त हो चुका है। 4.30 बजे सदन का समय नहीं बढ़ा है। 4.30 बजे सदन का समय नहीं बढ़ा है और आज की बिजनस लिस्ट के अन्दर 4.30 बजे मुखबन्द दिया है और उसके बाद सब मांगें मंजूर होंगी अगर वो नहीं हुआ तो वो सदन...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन :...(व्यवधान)...मेरी आपसे विनती है। वो टाइम तो निकल गया। अब मेरी आपसे विनती है कि नियमों में रिलेक्स देते हुए आप...।

श्री विष्णु मोदी : कोई रिलैक्सेशन नहीं मैडम. आज के बिजनस लिस्ट में 4.30 बजे मुखबन्द होकर मांगें पास होगी है।

श्री संयम लोढ़ा : इनका भाषण कौन झेलेगा? इनका भाषण कौन झेलेगा?

श्री विष्णु मोदी : और आपकी बिजनस लिस्ट में लिखा हुआ है। आपने सेक्रेटेरिएट में भेजी है सब जगह।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप यह उत्तर दें, उत्तर देने तक...(व्यवधान) जो यह कटमोशंस आये हैं, कटमोशंस जो आये हैं।

श्री विष्णु मोदी : और यह सदन का समय बढ़ा नहीं है अब आप यह बिजनस लिस्ट को पूरा करवाइये।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुखबन्द कीजिये।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय ने डिमाण्ड पास के लिए ले ली अब डिमाण्ड्स पास होंगी।

श्री विष्णु मोदी : इस बिजनस लिस्ट को पूरा करवाइये मैडम आगे कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन :...(व्यवधान) होगी। उत्तर होगा।

श्री जुबेर खान :...(व्यवधान)...समय निकल गया तो उत्तर कैसे होगा?

श्री विष्णु मोदी : समय नहीं बढ़ा है सदन का।

श्री जुबेर खान : समय नहीं बढ़ा। समय नहीं बढ़ा, अध्यक्ष महोदय।

श्री विष्णु मोदी : 4.30 बजे मुखबन्द होकर मांगे पारित होंगी।

श्री जुबेर खान : समय नहीं बढ़ा है।

श्री प्रहलाद गुंजल :...(व्यवधान)...8 करोड़ 14 लाख का घोटाला हुआ। 8 करोड़ 14 लाख का।

श्री विष्णु मोदी : 4.30 बजे मुखबन्द होकर मांगे पारित होगी।

श्री अमराराम (धोद) : समय नहीं बढ़ा है।

श्री विष्णु मोदी : जवाब अगर मंत्रीजी को देना था तो पहले देना था।

श्री अमराराम (धोद) : सदन का समय पोने पांच हो गया है...(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : हम रोज-रोज हमारा समय सदन में यों व्यर्थ नहीं करने देंगे यहां पर।

श्री जुबेर खान : समय नहीं बढ़ा।

श्री विष्णु मोदी : हम आपकी बिजनस लिस्ट को पढ़ कर आये हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ :...(व्यवधान)...समय बढ़ा दिया।

श्री जुबेर खान : समय नहीं बढ़ा है, नहीं बढ़ा है।

श्री विष्णु मोदी : और अकोर्डिंगली हमारे कमिटमेंट्स हैं।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं बढ़ा अभी तो मांग पारित होना शुरू हो गई। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आप प्रोसीडिंग्स उठा कर देख लें समय नहीं बढ़ा है... (व्यवधान)...अध्यक्ष महोदय ने मांग पारण शुरू कर दिया मांगों को पूरा करवाइये।

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी शब्द बोलते हैं... (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : आपकी बिजनस लिस्ट के अनुसार हमने हमारा दिनभर का कार्यक्रम तय कर रखा है। ये मुखबन्द कराइये और मांगें पास कराइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप आसन पर नहीं थे तब मुखबन्द का समय उपाध्यक्ष महोदय ने...(व्यवधान)...6.30 बजे कर दिया था।

श्री श्रवण कुमार : महावीर जी बोलते हैं वो ही होता है क्या?

श्री जुबेर खान : नहीं-नहीं. उपाध्यक्ष महोदय का गलत। सरासर गलत। उपाध्यक्ष महोदय के समय समय बढ़ाने का प्रस्ताव ही नहीं आया।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जब शुरू कर दिया...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में आसन की गरिमा रही है। आसन की सदन में गरिमा रही है। जो भी शब्द बोला गया उसकी गरिमा रखी जाती है।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय का मांग पारण के लिए खड़ा होना ही अपने -आप में व्यवस्था है। इसलिए मांगों का पारण होगा कोई रिप्लाई नहीं होगा।

श्री श्रवण कुमार : आप माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलते हैं तो महावीरजी खड़े हो जाते हैं यह कोई तरीका नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने तो निवेदन किया है आसन से।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्षजी ने मांग संख्या 36 रख दी। मांग संख्या 36 रख दी, मुखबन्द करो।

श्री श्रवण कुमार : जो सदन में अध्यक्ष महोदय बोलते हैं उसकी गरिमा होती है। आप बोलने ही नहीं देते हो। एक बार बोल फिर खड़े हो गये, फिर बोले। माननीय अध्यक्ष महोदय ने बोला कि सदन का समय बढ़ाया जाए तो मना कर दिया आपने।

श्री हरिमोहन शर्मा :...(व्यवधान)...व्यवस्था दे दी और व्यवस्था देकर डिमाण्ड ले ली।

श्री श्रवण कुमार : डिमाण्ड बोलना शुरु कर दिया था। एक बार सदन की गरिमा...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : संसदीय कार्य मंत्री महोदय, आप असत्य मत कहिये। उपाध्यक्ष महोदय के सामने समय बढ़ाने का प्रस्ताव आया ही नहीं। गलत है बिलकुल सरासर गलत है। इतना सरासर असत्य कोई बोलता नहीं है।

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, ने...(व्यवधान)...सदन के अन्दर कार्यवाही चालू कर दी थी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, जब 4.20-25 पर माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने खड़े होकर आपसे कहा कि 4.30 बजे मुखबन्द का प्रयोग होगा तो आपने कहा कि 4.30 बजे तक तो बोल लें उसके बाद देखेंगे और सदन में आपको पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि आप इस सदन का समय बढ़ा सकते हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शोर न मचाएं। बात सुनने दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सदस्य इस वाद-विवाद में बहुत समय निकल गया अनावश्यक रूप से इसलिए माननीय सदस्य भी बोलेंगे। मुखबन्द का प्रयोग हमेशा बढ़ता रहा है। माननीय मंत्रीगण भी जवाब देंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो प्रस्ताव 4.25 पर माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने रखा था... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : कोई भाषण नहीं होगा किसी का भी। मांग पास कराओ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप उसको सदन में वोट करवा कर सदन का समय बढ़वा सकते हैं।

श्री अमराराम (धोद) : 4.30 बजे से पहले अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : कोई भाषण नहीं होगा। पास कराने के लिए अध्यक्षजी खड़ी हो गयी थीं बस।

श्री अमराराम (धोद) :...(व्यवधान)...समय 4.30 बजे से पहले बढ़ाया जा सकता है हमेशा बढ़ता रहा है लेकिन 4.30 बजे के बाद...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद :...(व्यवधान)...बिलकुल अध्यक्षजी ने खड़े होकर मांग...(व्यवधान)...चालू करवा ली थी। मांग पास होगी अब।

श्री अमराराम (धोद) : अगर 4.30 बजे तक समय बढ़ सकता था तो उस समय निश्चित रूप से बढ़ जाता। लेकिन समय बढ़ाना नहीं। आपने मांग संख्या 36 को पारण करना शुरू कर दिया तो अब समय बढ़ाने का क्या समय रह गया? इसलिए मांग पारित करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : अब कोई भाषण नहीं होगा। किसी भी सूरत में नहीं होगा। कतई नहीं सुनेंगे।

श्री श्रवण कुमार : पारित करने के लिए बोल दिया। अध्यक्ष महोदय के शब्द पर कायम रहना चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चलो ठीक है।

श्री श्रवण कुमार : नहीं अध्यक्ष महोदय, ने शब्द चालू कर दिया...। मांग संख्या 36 चालू कर दिया था। उसके बाद में महावीरजी के बोलने पर अगर माननीय अध्यक्ष महोदय महावीरजी के कहने से चलते हैं तो...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि सदन यही चाहता है, वैसे परम्परा भी रही है और आसन को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है नियमों में रिलैक्स करके और जो है उत्तर दिया जा सकता है।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा कि आपका ध्यान पहले भी आकृष्ट किया है कि मुख्य मंत्री सदन में रहती नहीं हैं। और आज की मांग का ताल्लुक वित्त मंत्री से हैं वो सदन में नहीं है। इसलिए आप समय बढ़वाना चाहते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पर मान लो प्रतिपक्ष को यह खतरा है कि को-आपरेटिव पर चर्चा करवाई तो...(व्यवधान)...आप इसलिए चर्चा नहीं करवाना चाहते हैं कि आपको खतरा उत्पन्न हो गया है और...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मुख्य मंत्री सदन में नहीं होती।

श्री श्रवण कुमार : आप गाइड नहीं कर सकते (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : पास करवाइये मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

श्री जुबेर खान : आज तक भी कभी मुखबन्द होरक मांगों के समय के बाद मे कभी पास नहीं हुई है।

श्री श्रवण कुमार :...(व्यवधान)...इस आसन को गाइड नहीं कर सकते। गाइड लाइन दे रहे हो आप तो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सदन का समय तो बढ़ाएं माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आज का बिजनस समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए। यह तो करें।

श्री संयम लोढ़ा : सिर्फ इसलिए कि मुख्य मंत्री सदन में नहीं हैं और बहुत सी मांगों का ताल्लुक मुख्य मंत्री...

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार :...(व्यवधान) और अध्यक्ष महोदय, आपने मांग संख्या 36 पारित करने के लिए...

श्री संयम लोढ़ा : सिर्फ मुख्य मंत्री का इन्तजार करने के लिए सदन का समय बढ़वाना चाहते हैं।

डा. सी. पी. जोशी :...(व्यवधान)...आसन की व्यवस्था नहीं बदलेगी। अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था नहीं बदलेगी।

श्री श्रवण कुमार : मांग संख्या 36 चालू कर दी थी।

श्री संयम लोढ़ा : मुख्य मंत्री सदन के प्रति गम्भीर नहीं हैं।

श्री श्रवण कुमार : आप सत्ता पक्ष के दबाव में आकर अपने निर्णय को नहीं बदलें।

श्री संयम लोढ़ा : मुख्य मंत्रीजी को यह मालूम था कि 4.30 बजे मुखबन्द का समय है इसके बावजूद।

श्री अमराराम (धोद) : यह मुखबन्द का समय नहीं बढ़ सकता।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय. मुख्यमंत्री सदन में मौजूद नहीं हैं और सिर्फ इसीलिए सदन का समय बढ़वाना चाहते हैं।

श्री विष्णु मोदी :...(व्यवधान)...उसकी चर्चा में मशगूल हैं। भारत सरकार से अकाल के बारे में एक टीम आयी है और माननीय मुख्य मंत्रीजी उस...।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, इस सदन की तो बहुत शानदार परम्पराएं रही हैं। समय भी बढ़ाया जाता रहा है और भी बहुत कुछ हुआ है लेकिन सब प्रश्न चिन्ह लगाते जा रहे हैं आप शानदा परम्पराओं पर। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का। मैं इससे पहले कि मैंने अनुमति मांगी थी सदन से कि क्या सदन का...(व्यवधान)...बीच में नहीं बोलिये। लेट मी फिनिश। मुझे मेरा वाक्य तो पूरा करने दीजिये। मैंने सदन से अनुमति मांगी थी। सदन ने मुझे अनुमति नहीं दी थी...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मना किया है।

श्री अध्यक्ष : हां तो मना किया है। मैं कब कह रही हूं। बीच में बोलने की क्या आवश्यकता है आपको? क्यों बीच में बोलते हैं आप लोग? सदन ने अनुमति नहीं दी। गुलेटिन लग जाना चाहिए था 4.30 बजे आप लोग बराबर बोलते रहे गुलेटिन नहीं लग पाया। मैं समय नहीं बढ़ाऊंगी। किसी को बोलने भी नहीं दूंगा। और न अब मंत्रीजी को जवाब देने की आवश्यकता है। मैं तो इससे पहले कि मैं मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगी इन मांगों को, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूं जो कार्यवाही में आया है कि रामगंजमण्डी से आने वाले माननीय सदस्य ने क्या कहा था। मुझे इसमें कोई ऐसी बात नहीं लगी कि जिसको कोई एक्सपंज किया जाए। सुना रही हूं आपको "ये सोनिया गांधी के ओ.एस.डी. का एक पत्र है जिसको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं।"...

डा. सी. पी. जोशी : आई एम सारी। इसके पहले वाला पढ़िये आप आउट आफ कांटेक्स्ट नहीं। इसके पहले वाला सेटेन्स पढ़िये आप यह आउट आफ कांटेक्स्ट है। इसके पहले है। अध्यक्ष महोदय...आप यहां सलेक्टिव रीड कर रहे हैं...It is very unfortunate. Very unfortunate आप पूरा इसका मंगवाकर देखिये आप सलेक्टिव रीड कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। वैरी अनफोर्चूनेट इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि आप इसको टोटल क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? आप स्टार्ट से देखिये कहां से स्टार्ट हुआ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, यदि प्रतिपक्ष इसके लिए तैयार नहीं है कि आप समय बढ़ाये, हां ना अगर डिवीजन मांगते हैं यह सदन की कार्यवाही इस प्रकार रोकना चाहते हैं यह उचित नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी : काहे को उचित नहीं है। (व्यवधान) आप गलत क्यों पढ़ रहे हैं। आपने पूरा कंटैक्स्ट पढ़ने के लिये कहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ :...(व्यवधान) आपने मतदान हेतु सदन के सामने यह संकल्प रखा ही नहीं, आप मतदान हेतु रखते उसके बाद हम हां या ना करते। अध्यक्ष महोदय, साढ़े चार बजे मुख बन्द था। उसके बाद समय बढ़ाने के लिये सरकारी मुख्य सचेतकजी ने आपके सामने प्रस्ताव रखा आप उस पर हां या ना करवाते। अब मंत्री महोदय अपनी बात कहना चाहते हैं, क्या संदेश जायेगा।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी है, बिराजो।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक महोदय ने सदन का समय बढ़ाने का जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसके बारे में सदन की राय लेना चाहूंगी। क्योंकि गुलेटिन लगने के बाद भी 5 बजे से पूर्व आज का बिजनेस पूरा नहीं हो पायेगा, इसलिए सदन का समय बढ़ान की अनुमति है क्या?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज के सारा बिजनस पूर्ण होने तक बढ़ाया जाता है।

व्यवस्था का प्रश्न

अखबार में छपी खबर के आधार पर आरोप लगाने विषयक

नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आपने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया। मैं बहुत विनम्र शब्दों में आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि थोड़ा धीरे बोला करें तो पूरी बात मेरी समझ में आ जाये। (व्यवधान) आप बीच में नहीं बोलें, यह गलत बात है। आपकी पिच भी थोड़ी लो रहे और थोड़ा धीरे भी बोलें तो पूरी बात समझ में आ जायेगी लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रही हूं जो कुछ अभी तक मेरे पास आया है... (व्यवधान) सुनिए आप, पूरी सुन लीजिए मुझे पहले।

डा. सी. पी. जोशी : मैडम, आपने रूलिंग दी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आसन पैरों पर है।

श्री अध्यक्ष : आप पूरी बात ही नहीं सुन रहे हैं, मैं क्या कह रही हूं पूरी बात तो सुन लें। (व्यवधान) माननीय मुख्य सचेतकजी, आप बैठे बैठे नहीं बोलें। हरिमोहनजी, क्या हो जाता है आप लोगों को, आप तो सब वरिष्ठ सदस्य हो। क्या हो जाता है आप लोगों को? मैं निवेदन कर रही हूं कि मेरे पास जो अभी तक आया है इसमें मुझे ऐसी कोई भी बात प्रतीत नहीं हुई कि जो कोई असंसदीय हो या कोई आरोप हो लेकिन फिर भी यदि आपको तसल्ली नहीं है इस बात से तो मैं उसके पहले की कार्यवाही भी मंगा लूंगी और उसमें कोई बात होगी तो निश्चित तौर से उस पर आगे व्यवस्था दूंगी।

डा. सी. पी. जोशी : बिलकुल ठीक है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ऐसा नहीं करे अध्यक्ष महोदय, समय बढ़ाने के लिये सरकारी मुख्य सचेतकजी ने प्रस्ताव रखा था।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव रखे हैं। कुछ माननीय सदस्य बोले भी हैं तो सरकार उत्तर न दे, अध्यक्ष महोदय यह बात ठीक है कि साढ़े चार बजे मुखबन्द का प्रयोग होना था लेकिन इस आसन का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है नियमों में रिलेशन दे सकते हैं। और इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है है...

श्री अध्यक्ष : मैंने सदन से अनुमति चाही थी, सदन ने मुझे अनुमति नहीं दी (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, उस समय अनुमति और नहीं अनुमति का कोई सवाल नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, आप दुबारा सदन की अनुमति मांग लें। यदि ऐसा लगता है कि सदन की अनुमति नहीं है तो हम कुछ नहीं कहेंगे।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दी कि अब कोई माननीय सदस्य नहीं बोलेगा, न जवाब होगा। केवल मांग पारित होगी। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आप आसन की व्यवस्था की अवमानना कर रहे हैं चीफ व्हिप महोदय।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, यह कोई अवमानना नहीं है। (व्यवधान) यह पहला मौका नहीं है, यह होता रहा है।

श्री जुबेर खान : आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मुखबन्द समय से भी बाद में पास हुअ हो। (व्यवधान) आप एक उदाहरण बता दीजिए, आज तक कोई नहीं हुआ।

श्री महावीर प्रसाद जैन :...(व्यवधान) इस. राजस्थान की इस विधान सभा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, सदन में पहली बार ऐसा सुनने को मिला है कि अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सरकारी मुख्य सचेतकजी ने प्रस्ताव रख दिया मंत्रियों के जवाब जब तक नहीं होंगे तो क्या संदेश जायेगा। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय मंत्रियों के जवाब देने के लिये अनुमति प्रदान करें, अनुमति प्रदान करें।

एक माननीय सदस्य : (व्यवधान) अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दी है।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों ने उठाया है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मंत्रियों के उत्तर की अनुमति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष : आप डिप्टी स्पीकर महोदय को बुला लो, मैं तो नहीं रहूंगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आसन को इतना कठोर नहीं होना चाहिये। समय पर प्रस्ताव इन्होंने रख दिया, आसन की तरफ से अगर व्यवस्था आ जाती हां और ना में प्रस्ताव सदन के समक्ष...(व्यवधान) मंत्रियों को अपनी बात कहनी है। आज की मांग कमजोर वर्ग से सम्बन्धित है। समाज के पिछड़े लोगों की मांग है।

श्री श्रवण कुमार : आप आसन की गरिमा खतम करना चाहते हो। आप लोगों के दिमाग में यह बात है कि इस आसन की व्यवस्था खतम हो. इसकी गरिमा खतम हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सहकारिता की मांग किसान से सम्बन्धित मांग है. कई महत्वपूर्ण घोषणाएं होनी है, कृषि, सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण विभाग...(व्यवधान) दो दो मांगे...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आसन की व्यवस्था के खिलाफ व्यवस्था का सवाल हनीं उठा सकते। आसन ने व्यवस्था दे दी और आसन की व्यवस्था एक बार हो गई उसको माना जायेगा। आसन एक बार व्यवस्था दे चुका है। (व्यवधान) क्या हो गया मंत्री नहीं बोलेंगे तो, फिर बोल लेंगे।

श्री श्रवण कुमार : आसन की व्यवस्था को कायम रखें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मंत्रियों को उत्तर देने का प्रस्ताव सदन के सामने रख कर आप सदन से करवाएं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : संसदीय कार्य मंत्री महोदय, आसन व्यवस्था दे चुका है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : मैं समझता हूं सदन की तौहीन होगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुख्य सचेतक महोदय जब आपने गुलेटिन का टाइम बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था उस समय सदन ने अनुमति दी नहीं... (व्यवधान) और तब मैं हूं नहीं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्षजी, व्यवस्था का प्रश्न सत्तारूढ पार्टी के सदस्यों ने उठाया है। पहले उन विद्वान सदस्य को अपनी पार्टी से बाहर निकालो।

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, अगर आसन अपनी व्यवस्था को बदलता है तो तौहीन होती है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 36...(व्यवधान) आप डिप्टी स्पीकरजी को बुला लीजिए, काल डिप्टी स्पीकर। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला :...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के लोग

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

आपकी व्यवस्था को अस्वीकार कर रहे हैं यह बहुत बुरी बात है और सदन में नई परम्परा कायम कर रहे हैं आप। सत्ता पक्ष के लोग आसन की व्यवस्था के विरोध में बोल रहे हैं, यह बहुत बुरी बात है।

श्री संयम लोढ़ा : सत्ता पक्ष के लोग व्यवस्था का प्रश्न भी उठाते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आप निवेदन तो सुन लें, अध्यक्ष महोदय, समय पर जब इन्होंने प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव पर अगर हां या ना में मतदान आप करवा लेते उसके बाद आप फैसला करते तो समझ में आता। यह सदन के विचारार्थ आया ही नहीं कि सदन का समय बढ़ाया जाये या नहीं बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष : आसन की व्यवस्था का मखौल न बनवायें। आई एम वैरी सारी। (व्यवधान) मैं क्षमा चाहती हूं, आई एम वैरी सारी।

श्री महावीर प्रसाद जैन :...(व्यवधान) अगर हम आसन से प्रार्थना नहींकर सकते तो आप इसको बढ़ाये, इसको पास कराये।

श्री अध्यक्ष : (व्यवधान) इसलिए मैं जा रही हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन तो सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, हमारी प्रार्थना तो सुन लीजिए।

श्री जुबेर खान : साढ़े चार बजे से पहले जब समय नहीं बढ़ा...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप स्पीकर पर इस तरह का प्रभाव नहीं डाल सकते। संसदीय कार्य मंत्रीजी आप माननीय अध्यक्षजी पर इस प्रकार से कोई दवाब नहीं डाल सकते। उन्होंने जो व्यवस्था दी वह शिरोधार्य करके आगे चलना चाहिये।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी आप बहुत गलत परम्परा डाल रहे हैं, आप आसन पर विश्वास रखिये, आप इस तरह से गलत परम्परा डाल रहे हैं...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप हमेशा आसन द्वारा दी गई व्यवस्थाओं का अनुसरण नहीं करते हैं। (व्यवधान) इस प्रकार मानते नहीं हैं व्यवस्थाओं को... (व्यवधान)

(16.56 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री संयम लोढ़ा : आप आसन पर अविश्वास कर रहे हैं। आप आसन पर अविश्वास कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। गलत परम्परा डाल रहे हैं आप।

श्री ओम बिरला : किस तरीके से लोकतंत्र का गला घोंटा, प्रजातंत्र का गला घोंटा। (व्यवधान) जो भ्रष्टाचार किया वह राजस्थान की जनता के बीच आना चाहिये क्योंकि एक-एक रुपया को-आपरेटिव का राजस्थान की जनता का है, उस गांव के किसान का है...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : राजेन्द्रजी, अध्यक्षजी व्यवस्था को मेहरबानी करके ऐसी परम्परा नहीं डालें, अध्यक्षजी ने जो व्यवस्था दे दी...(व्यवधान) राजेन्द्रजी, नई परम्परा डाल रहे हैं आप अध्यक्ष की व्यवस्था को चैलेंज करके। अध्यक्ष पर अविश्वास हो गया। यह पहली बार होगा कि अध्यक्ष...(व्यवधान) इससे बड़ा अनफोर्च्युनेट कभी नहीं हुआ।

श्री संयम लोढ़ा : आप लोगों की वजह से सदन में नई परम्परा कायम हुई है आज...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता कि पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर अध्यक्ष को जाते देख रहा है।

श्री संयम लोढ़ा : आसन पर अविश्वास किया है आपने।

(17.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर, माननीय सदस्य, आसन पैरों पर। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आसन पैरों पर, आसन पैरों पर। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : एक संसदीय मंत्री ने पहली बार इतिहास बनाया है कि अध्यक्ष के निर्णय को नहीं मानकर. अध्यक्ष को कुर्सी से जाना पड़ा। (व्यवधान) इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : आप सच्चाई नहीं जानना चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, उपाध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय के आदेश को आप भी नहीं बदल सकते हैं। अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था को आप बदल नहीं सकते हैं।

श्री मदन दिलावर : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति...(व्यवधान) सब लोगों के मामलों पर जवाब देना...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि पारण होगा। (व्यवधान) आप नहीं बदल सकते हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : और हमें अफसोस है, संसदीय कार्य मंत्री अध्यक्ष के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्षजी को बुलवाइये, आप फैसला करवाइये। (व्यवधान) यह ठीक नहीं करवा रहे हैं। (व्यवधान) अध्यक्षजी को बुलवाकर फैसला करवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था है, अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी, कोई समय नहीं बढ़ेगा, कोई रिप्लायी नहीं होगा, पारण होगा। (व्यवधान) आसन के प्रति अविश्वास प्रकट कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के कई सदस्य सहकारिता के गबन के आरोप में, भ्रष्टाचार में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ . आप उपाध्यक्ष महोदय, बिराजिये तो मैं प्रार्थना करूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्यगण, सदन की कार्यवाही शान्तिपूर्ण चलाने के लिये दोनों ही पक्षों की जिम्मेदारी बराबर है। और मेरा आपसे यही कहना है कि इस वातावरण के अन्दर ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जिस मुद्दे के ऊपर हम इतने उत्तेजित होकर और इसमें व्यवस्था के अन्दर चलते काम के अन्दर किसी प्रकार की दखलदांजी करें। मैं व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिये संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा, उनको कहना चाहूंगा कि आप जो बात कहना चाहो, हम पहले उनकी बात सुन लें, फिर आपकी जो बात होगी, मैं सुनकर के व्यवस्था दे दूंगा।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह तरीका देखो।

श्री उपाध्यक्ष : कहने दीजिए बात, तो इसका मतलब...(व्यवधान) बात कहने दीजिए...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय ने एक बार व्यवस्था दे दी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्षजी ने गुलेटिन लागू कर दिया। गुलेटिन लागू कर दिया, यह मान नहीं रहे हैं गुलेटिन को।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, आज बहुत महत्वपूर्ण विभाग पर मांग है। (व्यवधान) सरकार के द्वारा जो घोषणाएं की जानी हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : और यह अध्यक्ष की परम्पराओं को नहीं मान रहे हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय ने गुलेटिन लागू कर दिया और सत्तापक्ष गुलेटिन को नहीं मान रहा है, यह बात सदन के इतिहास में पहली बार हो रही है। गुलेटिन लागू होने को सत्तापक्ष नहीं मान रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकारा है आपने।

श्री उपाध्यक्ष : मान रहे हैं, मान रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : कहां. मान रहे हैं. कहां मान रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा नाम पुकारा है। मुझे आसन ने अनुमति दी है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्षजी चली गयीं, सदन का बायकाट करके गयी हैं, पहली बार।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुझे आसन ने अनुमति दी है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय ने आपको काल किया है और वह सदन से, इनकी व्यथा से, यहां से उठकर गयी हैं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष के निर्णय को आप भी बदलने का अधिकार नहीं रखते हैं। उन्होंने गुलेटिन लागू कर दिया, मांगें पारित होने की स्थिति आ गयी। और उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री नहीं मान रहे हैं। मुझे तो यह, जिनको बजट पास कराना है, वही गुलेटिन को नहीं मान रहे हैं। यह संसदीय इतिहास में मैं समझता हूं, इनके लिये काला धब्बा होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा नाम पुकारा आपने, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : सरकार तैयार है, आप मत कराओ चर्चा। (व्यवधान) आप को-आपरेटिव के करप्शन से डरना चाहते हो, मत करो चर्चा।

श्री जुबेर खान : मांग संख्या 36, अध्यक्ष महोदय ने पारण के लिये पुकार दी। (व्यवधान) आप पारण कराइये, आप मांगों का पारण कराइये।

डा. सी. पी. जोशी : आप अध्यक्ष को बुलाकर कराइये पास (व्यवधान) आप मेहरबानी करके अध्यक्ष को बुलाकर पास कराइये। (व्यवधान) गलत परम्परा मत डालिये। अध्यक्ष को कुर्सी पर बुलाकर पास कराइये। गलत परम्परा डल जाएगी। आप 5 मिनट हाउस एडजोर्न कर लीजिए। अध्यक्ष को बुलवाकर कराइये। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : जो अध्यक्षजी ने व्यवस्था दी है, उसी के अनुरूप सदन चलेगा। अध्यक्षजी की व्यवस्था के खिलाफ जा रहे हैं...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष से करवाकर एक स्वस्थ परम्परा बनाइये। (व्यवधान) एक गलत परम्परा डाल रहे हैं आप। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आप हाउस को एडजोर्न करिये, अध्यक्ष महोदय को बुलवाकर करवाइये, स्वस्थ परम्परा डालिये।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय ने मांग नम्बर 36 पारण के लिये पुकार दी

(श्री जुबेर खान)

थी और अध्यक्ष महोदय ने मांग को पारण के लिये आसन से जब पुकार दिया तो उसके बाद नहीं हो सकता है।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन की परम्पराओं को ध्वस्त करने का काम सत्तारूढ़ पार्टी ने आज किया है। (व्यवधान) जो अध्यक्षजी ने व्यवस्था दी है उस पर अविश्वास प्रकट किया है इन्होंने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकारा है आपने। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपने अनुमति दी है।

श्री जुबेर खान : अगर इस तरह से सत्तापक्ष आसन को दबायेगा, यह संसदीय परम्पराओं के लिये अच्छा नही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बात सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अनुमति दी है...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप बोल ही नहीं सकते हैं...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : कोई अलाऊ नहीं है, कैसे बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : यह कौनसी प्रणाली है...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : गुलेटिन के ऊपर कोई नहीं बोल सकता है। (व्यवधान) कोई नहीं बोल सकता, गुलेटिन के ऊपर...(व्यवधान) गुलेटिन के ऊपर कोई नहीं बोल सकता है...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : शोरगुल करने से कुछ नहीं होता है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मांग पारित कराइये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : गुलेटिन अध्यक्ष महोदय ने लागू कर दिया। जब मुखबन्द का प्रयोग हो गया उसके बाद किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। और मुझे ताज्जुब हो रहा है कि सत्तापक्ष नियमों की अवहेलना कर रहा है। और अध्यक्ष के आदेश की अवहेलना कर रहा है।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी।

एक माननीय सदस्य : आप किसका निर्वहन कर रहे हो...(व्यवधान) सदन की मर्यादा तोड़ रहे हो, परम्परा तोड़ रहे हो, आसन का अपमान कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी, कोई रिप्लायी नहीं होगी। कोई बोलेगा नहीं, सीधे मांग पारण होगी और आप माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था को दबल रह हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइण्ट आफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया का नियम 306...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता को यह जानने का अधिकार दिया सदन में सहकारिता मंत्री...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : सदन नियमों से चलेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नियमों का निलम्बन, कोई सदस्य, अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेगा कि सदन के समक्ष किसी खास प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलम्बित कर दिया जाये...(व्यवधान) और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो वह प्रासंगिक नियम उस समय के लिये निलम्बित कर दिया जायेगा।

श्री संयम लोढ़ा : आसन पैरों पर...(व्यवधान) आसन पैरों पर...आसन पैरों पर...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह नियम 306 यह कहता है...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था के खिलाफ कौनसा पाइण्ट आफ आर्डर है...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : व्यवस्था को चैलेंज कर दिया इन्होंने आज।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नियम. 306, मैं प्रस्ताव रखता हूं, उपाध्यक्ष महोदय. मैं प्रस्ताव रखता हूं, नियम 306 के अन्तर्गत...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर, आसन पैरों पर...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : उधर, उधर. इधर के लिये ही है क्या पैरों पर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है उसके अनुरूप आप कार्यवाही चलाइये...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप एक बार स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान) आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : इन्होंने राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन की उस महान परम्परा को ध्वस्त किया है जो आसन ने व्यवस्था दी है उसका प्रतिकार किया है और आसन पर अविश्वास प्रकट किया है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर।

श्री मदन राठौड़ : अध्यक्ष की व्यवस्था नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य रोज अस्वीकार करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर, आसन पैरों पर। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मांग पारित कराओ, मांग पारित कराओ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : यह नहीं कराना चाहते हैं।

डा. सी. पी. जोशी : मांग पास कराइये. ये नहीं कराना चाहते हैं।

श्री संयम लोढ़ा : जो आसन ने व्यवस्था दी है उसके अनुरूप हाउस चलाइये, उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह आसन ही है।

श्री संयम लोढ़ा : पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने आसन पर अविश्वास प्रकट किया है और इस सदन की महान परम्परा का प्रतिकार किया है। (व्यवधान) शर्मनाक है यह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने मेरा नाम पुकारा, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : एक नयी परिपाटी चालू की है...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : संसदीय मंत्री ने आसन की व्यवस्थाओं पर अनास्था व्यक्त करके, उन पर अंगुली उठाकर जिस तरह से व्यवहार किया है और अध्यक्षजी ने जो कार्य शुरू कर दिया, मांग 36 पास कराना शुरू कर दिया था तो पास होनी चाहिए... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, इनके दवाब से आहत होकर आसन छोड़कर गयी हैं, उपाध्यक्ष महोदय, और इस सदन में यह पहली बार हुआ है जिसकी जिम्मेदारी आप पर है...(व्यवधान) आप लोगों के ऊपर है इसकी जिम्मेदारी... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह बुजुर्ग महिला आपकी वजह से व्यथित होकर चली गयीं...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, एक बात सुन लीजिए। एक मिनट...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य...(व्यवधान) बिराजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, आप बिराजिये, एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, शांति से सुन लीजिए। मैं बिलकुल बात कर रहा हूं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय जब आसन पर थीं तो 4 बजकर 22 या 25 मिनट पर माननीय मुख्य सचेतकजी खड़े हुए और खड़े होकर कहा कि समय बढ़ाना चाहिए। उस समय सदन में समय नहीं बढ़ाया जा सका और अध्यक्षजी ने यह कहा कि साढ़े चार तक चलने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। उसके

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बाद सदन में वाद-विवाद चलता रहा और पौने पांच के करीब समय हो गया। तब तक हम समय नहीं बढ़ा पाये। उस समय माननीय अध्यक्षजी ने एक बार मुंह से कहा, ठीक है अब मैं मांग पारित कराऊं, लेकिन मैंने खड़े होकर आग्रह यह किया था कि... (व्यवधान) सुन लीजिए।

श्री जुबेर खान : हद हो गयी, हद हो गयी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य. आप सुन लीजिए।

श्री संयम लोढ़ा : उन्होंने कहा कोई चर्चा नहीं होगी, कोई रिप्लायी नहीं होगा और मांग पारित करेंगे। अध्यक्षजी ने यह कहा था।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात कह देना।

श्री जुबेर खान : आपका कथन असत्य है, माननीय मंत्रीजी आप असत्य वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं-नहीं।

(सदन में भारी व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आप प्रोसीडिंग्स मंगवा कर दिखा लीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष ने...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको जवाब देने का मौका मिलेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सुनिये। अध्यक्ष महोदय ने जो माननीय सदस्य रामगंज मण्डी से आते हैं, माननीय सदस्य जो रामगंज मण्डी से आने वाले हैं उन्होंने एक अखबार का रैफरेंस देकर कहा था...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : वह तो खतम हो गयी बात।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उसी बात को लेकर उन्होंने एक कोशिश और उसके बाद उन्होंने कहा तो हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने और मसूदा से आने वाले ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि साढ़े चार बजे यह (व्यवधान) साढ़े चार बजे मुखबन्द का प्रयोग होता है। समय नहीं बढ़ाया जाता है। उसके बाद...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उसके बाद में हमारे संसदीय कार्य मंत्रीजी ने और मुख्य सचेतकजी ने कहा कि मंत्रियों का जवाब नहीं आया है तो मंत्रियों का जवाब दिला दिया जाए। फिर रामसिंहजी बोले...(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला क्या है? जब आसन व्यवस्था देकर गये हैं तो बात ही खतम हो गयी। आसन पर अध्यक्ष थे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं बोल रहा हूं। वह बात ही खतम कर रहा हूं। यह आपने...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आप जैसा वरिष्ठ मंत्री आसन की दी हुई व्यवस्था को दरकिनार कर रहा है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

(भारी व्यवधान जारी)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, हमें...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : और राजस्थान के उस सर्वोच्च सदन की और उस आसन से दी गयी व्यवस्था को...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय ने अपने मुख से क्या बोला है, वह आप यहां से निकलवाइये।

श्री संयम लोढ़ा : यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय ने कहा है वह कह रहा हूं मैं। अध्यक्ष महोदय ने यह कहा है कि मैं डिमाण्ड पारित करवा रही हूं। यही कहा है।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप आसन की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं?

श्री अमराराम (धोद) : अब कोई भी चर्चा नहीं होगी केवल मांग पारित होगी और मांग संख्या-36 पुकार ली गयी थी इन्होंने...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक मिनट, मुझे कोई बात कह लेने दो न आप।

श्री रामसिंह विश्नोई : पहले आप आपकी मंशा बताइये कि आपकी मंशा क्या है? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक मिनट। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, अध्यक्ष महोदय जो व्यवस्था देकर गये हैं, उसके बारे में आपकी क्या मंशा है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बात सुनिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वही कह रहा हूं मैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, यह हो ही नहीं सकता। हम...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वही करवा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : आप हाउस में पारित करवाइये।

श्री ओम बिरला : इनके स्टेटमैन्ट का मतलब क्या है?

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय ने मांग पारित करना शुरू कर दिया था और उन्होंने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ने यहां यह व्यवस्था दे दी। कोई चर्चा नहीं होगी, मांग पारित करने के लिए उन्होंने पुकार लिया। पास करने का बोल लिया और अब क्या व्यवस्था होगी इस पर?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हम माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय का आदर करते हैं, उनकी व्यवस्थाओं का आदर करते हैं, उनमें किसी प्रकार से उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान) हम तो यह कह रहे हैं कि जैसी आसन व्यवस्था दे, वैसा करे, हमारी तो प्रार्थना थी केवल, अध्यक्षीय व्यवस्था का हम पालन करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आपने अविश्वास प्रगट किया है आसन पर। मांग पास करवाइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : फिर खड़े हो गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा है कि...(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : फिर खड़े हो गये?

श्री अमराराम (धोद) : यह आसन को चेलेंज कर रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग पारित करवाइ जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। उनको कहने दीजिए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह किस विषय पर बोल रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : इनको कहने दीजिए।

श्री अमराराम (धोद) : जब आपके वरिष्ठ मंत्री बोल गये तो अब क्या बच गया? अध्यक्षजी ने व्यवस्था दे दी यहां पर। एक-एक मंत्री बोलेंगे तो सब बोलेंगे क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय का सम्मान करना चाहिए। समय पर करना चाहिए जब तो कर नहीं पाते हैं और यह बाद में वह नम्बर बढ़ा रहे हैं मुख्य मंत्रीजी की निगाह में, अब खड़े हो रहे हो...(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : एक मिनट। यह वाद-विवाद का विषय नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था कर दो कि कोई चर्चा नहीं होगी, कोई नहीं होगा और मांग पास होगी। अध्यक्ष महोदय ने मांग पुकार लिया और मांग संख्या-36 पास करने के लिए उन्होंने पुकार लिया। उन्होंने तो, अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था है। उसको यह चेलेंज नहीं कर सकते।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्षजी यह कहकर गयी हैं कि संसदीय कार्य मंत्रीजी, अध्यक्ष की व्यवस्था का मखौल मत उड़ाओ और यह कहकर वह गयी हैं। यह आपसे कहकर गयी हैं। (व्यवधान) यह संसदीय कार्य मंत्री ने जो अपमान किया है आसन का, सरकारी मुख्य सचेतक और संसदीय कार्य मंत्री ने अपमान किया है और वह अध्यक्षजी व्यथित होकर गयी हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह कह कर गयी है कि अध्यक्ष की आप व्यवस्था का मखौल मत उड़ाइये और उन्होंने कहा कि कोई नहीं बोलेगा। कोई जवाब नहीं होगा, केवल डिमाण्ड पास होगी और वहां बार-बार खड़े होकर क्या कहना चाहते हो? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष की व्यवस्था को कोई भी नहीं बदल सकता है। आप भी नहीं बदल सकते हैं।

श्री ओम बिरला : आप भी नहीं खड़े हो सकते। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय दु:खी होकर गयी हैं। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : आप इनको बोलिये। आप मांग पास करवाइये। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं होने देंगे।

श्री जुबेर खान : हाथ में कुछ नहीं रहा है क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने साफ कह दिया था कि सरकारी मुख्य सचेतक महोदय समय नहीं बढ़ाया है। दो बार कहा है यहां पर। यह भी कह दिया था कि कोर्ड मंत्री नहीं बोलेगा। कोई सदस्य नहीं बोलेगा और मांगों का पारण होगा। यह भी कहा था कि मांग नम्बर-36, फलां-फलां पारित किया जाए। यहां रिकार्ड पर आ गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : अब आप पारित करवाओ। करवाइये आप।

श्री जुबेर खान : अब कैसे बात कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, वही बात...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : क्या आप अध्यक्षजी की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान : माननीय वरिष्ठ मंत्री आसन से कही हुई बातों को झूठला रहे हैं। यह तो रिकार्ड में है। आप निकलवा लीजिए। (व्यवधान) और माननीय नेता महोदय को आप गलत तथ्य बता रहे हैं। उन्हें तो सही तथ्य बताइये। सारा सदन उनकी इज्जत करता है। आप उनको तो सही तथ्य बताइये। (व्यवधान) कि अध्यक्ष महोदय ने साफ कह दिया था कि कोई मंत्री बोलेगा, कोई रिप्लाई नहीं होगा। कोई समय नहीं बढ़ाया गया है इसलिए मांगों का पारण के अलावा कुछ नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, आप बात तो सुनिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन था कि...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय दु:खी होकर गये हैं। आपके कर्मों से, आपके कर्मों से दु:खी होकर गयी हैं।

श्री जुबेर खान : क्यों आप बार बार खड़े हो जाते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सदन आपकी (व्यवधान) आप चाहे जो बोलेगा और चाहे जो नहीं बोलेगा यह...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आपके वरिष्ठ मंत्री बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामसिंह विश्नोई : मांग पास होगी, सिर्फ मांग पास होगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कुछ बात कह रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, यह नहीं बोलेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के मंत्री (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अगर अध्यक्ष की व्यवस्था का इस तरह से पालन नहीं हो तो, सारी अध्यक्ष की व्यवस्था हो गयी।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, आप यह तो सुनें कि...(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था हो गयी, उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था हो गयी। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आप मांग पारित करवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए। मांग पारित करवा रहे हैं। माननीय सदस्य, बैठिये आप। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय को बुलवाइये। यह मेरा निवेदन है। यह अच्छा रहेगा कि अध्यक्षजी को बुलाना चाहिए। अध्यक्षजी आये तो अच्छा रहेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप बिराजिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप बिराजिये जिससे हम खड़े होकर कुछ कह सकें। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : यह सारा रिकार्ड पर आया है। रिकार्ड पर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय को बुलाना ठीक रहेगा।

श्री जुबेर खान : आप मांग पारित करवाइये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी कोई मंशा नहीं है पर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : करवा रहे हैं न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन इनकी (व्यवधान) मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है। यह मैं बताना चाहता हूं। आप उनको दो मिनट नहीं दे तो...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप सुनो तो सही। आपने बोलने के लिए कहा है हमें।

श्री हेमाराम चौधरी : इन्होंने व्यवस्था को मानने से इनकार किया है इसलिए अध्यक्ष महोदय व्यथित होकर यहां से चली गयीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इस आसन पर अध्यक्ष महोदय थीं जब (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बीच में आप किसी के भी...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आप चिल्लाकर थोड़े ही दबा सकते हैं आप किसी को (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्षजी बड़ी दु:खी होकर गयी हैं। और इस सरकार के आचरण के खिलाफ दु:खी होकर गयी हैं।

श्री अमराराम (धोद) : यह प्रोपर्टी किसी की नहीं है, सदन नियमों से चलता है। आपकी भी प्रोपर्टी नहीं है, हमारी भी प्रोपर्टी नहीं है, सदन नियमों से चलेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : उन्होंने कहा कि यह संसदीय कार्य मंत्री अध्यक्षीय आसन का मखौल उड़ा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : इतनी व्यथित होकर गयी हैं। इनके व्यवहार से अध्यक्ष महोदय को पीड़ा पहुंची है। आपके, आपने अध्यक्षजी आसन का मखौल उड़ाने का काम किया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। वह सब हमें ध्यान में है। आप बिराजिये।

श्री जुबेर खान : मांग पारित करवाइये। क्या लेना देना है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : क्षमा मांगकर बुला लाइये उनको।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर सदन की यही इच्छा है और यह भावना है कि मांगें पारित करवा दी जाए तो मैं यह मांगे...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, सदन की तो भावना तो नहीं है यह।

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्षजी का आदेश है केवल, सदन की भावना नहीं है। आप हां और ना करवा लीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप. कोई भावना नहीं है। आप वोट करवा लीजिए। आप वोट करवा लीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह आसन के सम्मान को मानने के लिए (व्यवधान) स्वीकार करने की बात है।

श्री जुबेर खान : यह माननीय अध्यक्षजी की व्यवस्था को...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको हां और ना करवाना पड़ेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको, वोट करवा लीजिए आप।

डा. सी. पी. जोशी : आपको आपत्ति हो तो बहुमत के आधार पर यह फैसला (व्यवधान) बहुमत के आधार पर आसन की व्यवस्था को नहीं बदल सकते। बहुमत के आधार पर हम नहीं चलेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यदि यह सदन की इच्छा लेना चाहते हैं तो आपको हां और ना लेना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्षजी की व्यवस्था को बदल नहीं सकते।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई पांच सदस्य कहें तो वह इच्छा नहीं हो सकती।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कोई विवाद का प्रश्न नहीं है। मेरी बात सुनिये।

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद और दु:ख है कि आप सदन में (व्यवधान) अपमान किया जा रहा है।

(17.19 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये माननीय सदस्यगण, इसमें कोई ताली बजाने वाली बात नहीं है। मुझे कुछ व्यक्तिगत काम था और उसकी वजह से मैं चली गयी थी और अब मैं सीधे मांग पास करवाउंगी। अब आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। माननीय सदस्य लूनी से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

मांगों का पारण

मांग संख्या-36-सहकारिता का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-36 सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 44,56,10,000/-(चवालीस करोड़ छियासठ लाख दस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-37-कृषि का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-37 कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,01,65,20, 000/-(दो अरब एक करोड़ पैंसठ लाख बीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग सर्व-सम्मति से स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5, 13,90,92,000/-(पांच अरब तेरह करोड़ नब्बे लाख बानवे हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गई।

मुखबन्द

अनुदान की शेष मांगों का पारण

मांग संख्या-1-राज्य विधान मण्डल

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-1-राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,22,41,000/-(पन्द्रह करोड़ बाइस लाख इकतालीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी। आप इतना शोर न मचायें। यह तो विधान मण्डल की थी, सबकी है। इसलिए उन्होंने भी हां की है। अब आपका है।

मांग संख्या-2-मंत्री परिषद्

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-2-मंत्री परिषद् के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये

(श्री अध्यक्ष)

5,03,58,000/-(पांच करोड़ तीन लाख अठावन हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-3-सचिवालय

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-36 सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,84, 11, 50,000/-(एक अरब चौरासी करोड़ ग्यारह लाख पचास हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-4-जिला प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-4 जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,18,26,47,000/-(अक्षरे एक अरब अठारह करोड़ छब्बीस लाख सैंतालीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-5-प्रशासनिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-5-प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 60,35,57,000/-(अक्षरे साठ करोड़ पैंतीस लाख सतावन हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-7-निर्वाचन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-7-निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 60,06,74,000/-(अक्षरे साठ करोड़ छह लाख चौहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-8-राजस्व

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-8-राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को रुपये 2,09,94,82,000/-(अक्षरे दो अरब नौ करोड़ चौरानवे लाख बयासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-10-विविध सामान्य सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-10-विविध सामान्य सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,77,47,000/-(अक्षरे बारह करोड़ सतहत्तर लाख सैंतालीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-11-विविध सामाजिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-11-विविध सामाजिक सेवायें के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,83,30,000/-(अक्षरे नौ करोड़ तिरासी लाख तीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-12-अन्य कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-12-अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 46,22,31,000/-(अक्षरे छियालीस करोड़ बाइस लाख इकतीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-13-आबकारी

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-13-आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 30,82,57,000/-(अक्षरे तीस करोड़ बयासी लाख सतावन हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-14-बिक्री कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-14-बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये

(श्री अध्यक्ष)

9,83,30,000/-(अक्षरे नौ करोड़ तिरासी लाख तीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,50,04,65,000/-(अक्षरे तेरह अरब पचास करोड़ चार लाख पैंसठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-18-जन सम्पर्क

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-18-जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,76,76,000/-(अक्षरे नौ करोड़ छिहत्तर लाख छिहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-20-आवास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-20-आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 61,56.60.000/-(अक्षरे इकसठ करोड़ छप्पन लाख साठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-22-क्षेत्र का विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-22-क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,79,36,09,000/-(अक्षरे एक अरब उन्नासी करोड़ छत्तीस लाख नौ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-23-श्रम और रोजगार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-23-श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 47,88,30,000/-(अक्षरे सैंतालीस करोड़ अठासी लाख तीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान कीं जाए?

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-25-कोषागार व लेखा प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-25-कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 45,05,22,000/-(अक्षरे पैंतालीस करोड़ पांच लाख बाइस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-27-पेयजल योजना

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-27-पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,45,25,99,000/-(अक्षरे इक्कीस अरब पैंतालीस करोड़ पच्चीस लाख निन्यान्वे हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,64,71,15,000/-(अक्षरे नौ अरब चौंसठ करोड़ इकहत्तर लाख पन्द्रह हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-30-जनजाति क्षेत्रीय विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-30-जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,94,33,98,000/-(अक्षरे चार अरब चौरानवे करोड़ तैंतीस लाख अठानवे हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-31-पुनर्वास एवं सहायता

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-31-पुनर्वास एव सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,40,000/-(अक्षरे ग्यारह लाख चालीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-32-नागरिक आपूर्ति

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-32-नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय

(श्री अध्यक्ष)

को रूपये 30,52,68,000/-(तीस करोड़ बावन लाख अड़सठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 5,05,70,89,000/-(पांच अरब पांच करोड़ सत्तर लाख नवासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 1,42,36,08,000/-(एक अरब बयालीस करोड़ छत्तीस लाख आठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 1,34,35,55,000/-(एक अरब चौंतीस करोड़ पैंतीस लाख पचपन हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-39-पशुपालन एवं चिकित्सा

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-39-पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,37,43,66,000/-(एक अरब सैंतीस करोड़ तैंतालीस लाख छियासठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-40-राजकीय उपक्रम

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-40-राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 20,96,15,000/-(बीस करोड़ छियानवे लाख पन्द्रह हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-44-लेखन सामग्री एवं मुद्रण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-44-लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,15,67,000/-(तेरह करोड़ पन्द्रह लाख सड़सठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-45-राज्य कर्मचारियों को ऋण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-45-राज्य कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,000/-(सात हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-46-सिंचाई

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-46-सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,23,70,40,000/-(अठारह अरब तेइस करोड़ सत्तर लाख चालीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-47-पर्यटन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-47-पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 24,73,25,000/-(चौबीस करोड़ तेहत्तर लाख पच्चीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-48-विद्युत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-48-विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 22,04,73,15,000/-(बाइस अरब चार करोड़ तेहत्तर लाख पन्द्रह हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के मुआवजों और समनुदेश

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेश के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,76,39,000/-(एक करोड़ छिहत्तर लाख उनतालीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ठ संघटक योजनाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ठ संघटक योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,41,66,39,000/-(एक अरब इकतालीस करोड़ छियासठ लाख उनतालीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गयी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2004

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 28 जुलाई, 2004 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.37 बजे दिनांक 28 जुलाई, 2004 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

अलवर जिले में श्रम न्यायालय

37. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न जिलों में श्रम न्यायालय कार्यरत हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त न्यायालयों में किस-किस जिले के कितने-कितने मुकदमें विचाराधीन हैं? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार मुकदमों की संख्या एवं भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अलवर जिले में श्रम न्यायालय स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य के विभिन्न जिलों में 11 श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण कार्यरत हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमों की जिलेवार सूचना परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। अलवर जिले में श्रम न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है।

राज्य के विभिन्न जिलों में निम्नलिखित श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण कार्यरत हैं

1. श्रम न्यायालय सं.-1 जयपुर
2. श्रम न्यायालय सं.-2 जयपुर
3. औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर।

(श्रम मंत्री)

4. श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, उदयपुर।

5. श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, जोधपुर।

6. श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, बीकानेर।

7. श्रम न्यायालय एव औद्योगिक न्यायाधिकरण, कोटा।

8. श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, भरतपुर।

9. श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, भीलवाड़ा।

10. श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, अजमेर।

11. श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, श्रीगंगानगर।

विभिन्न श्रम न्यायालयों एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण में विचाराधीन प्रकरणों की जिलेवार सूचना।

क्र.सं.	जिले का नाम	लम्बित कैसेज
1	2	3
1.	जयपुर	5678
2.	सीकर	375
3.	टौंक	495
4.	दौसा	366
5.	झुन्झुनूं	460
6.	अजमेर	822
7.	जोधपुर	334
8.	पाली	120
9.	सिरोही	63
10.	नागौर	54
11.	जालौर	46
12.	बाड़मेर	96
13.	जैसलमेर	33

1	2	3
14.	श्रीगंगानगर	57
15.	हनुमानगढ़	46
16.	भीलवाड़ा	546
17.	चित्तौड़गढ़	333
18.	बीकानेर	450
19.	चुरू	265
20.	अलवर	1423
21.	भरतपुर	1264
22.	धौलपुर	734
23.	करौली	370
24.	सवाईमाधोपुर	407
25.	कोटा	2282
26.	बूंदी	536
27.	झालावाड़	305
28.	बारां	440
29.	उदयपुर	626
30.	राजसमन्द	100
31.	डूंगरपुर	120
32.	बांसवाड़ा	155
33.	अन्य (राज्य के बाहर)	5
	योग	19406

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर

तारानगर में बीज वितरण

40. डा. चन्द्र शेखर बैद (तारानगर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में प्रमाणित एवं उन्नत बीज तथा नि:शुल्क कीटनाशक वितरण की क्या व्यवस्था है एवं वितरण किस एजेन्सी के माध्यम से होता है?

(2) विधान सभा क्षेत्र तारानगर की तारानगर एवं राजगढ़ तहसील में अभी तक उक्त बीज वितरण की सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं होने के कारण फसल की बुआई में किसानों को हुई कठिनाई के लिए कौन दोषी है? अब सरकार की समुचित बीज वितरण व्यवस्था लागू करने की क्या योजना है?

उत्तर

(1) राज्य में प्रमाणित एवं उन्नत बीज वितरण, बीज निगम, कृषकों, तिलहन संघ, केन्द्रीय राज्य फार्म एवं निजी अधिकृत बीज विक्रेताओं के माध्यम से तथा कीटनाशक वितरण, राजफैड, क्रय विक्रय सहकारी समितियां व ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं निजी अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से होता है। राज्य में कीटनाशक रसायनों का नि:शुल्क वितरण की कोई योजना नहीं है।

(2) खरीफ 2004 के लिए जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा अंकलित मांग क्रमश: तारानगर तहसील की विभिन्न प्रमाणित व उन्नत बीजों की 495 क्वि. एवं राजगढ़ की 450 क्वि. है। जिसकी आपूर्ति हेतु तारानगर में 538 क्वि. एवं राजगढ़ में 541 क्वि. की व्यवस्था सुनिश्चित की जा चुकी है।

निजी क्षेत्र की तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश

41. श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में निजी क्षेत्र के चिकित्सा, इंजीनियरिंग, लॉ कालेज एवं अन्य तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश के क्या नियम हैं?

(श्री कालीचरण सर्राफ)

(2) राजस्थान में निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की संख्या कुल कितनी है और वे कहां-कहां स्थापित हैं?

(3) निजी संस्थाओं हेतु कितनी-कितनी सीटें आवंटित हैं तथा उसमें प्रवेश हेतु क्या प्रक्रिया निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार वर्तमान प्रक्रिया के स्थान पर कोई नई पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राज्य में निजी क्षेत्र के चिकित्सा, इंजीनियरिंग, लॉ कालेज एवं अन्य तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न याचिकाओं में पारित निर्णयों के अनुरूप प्रक्रिया अपनाई जाकर किये जाते है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) राजस्थान में निजी क्षेत्र में वर्तमान में दो मेडिकल कालेज स्थापित है जो जयपुर जिले में सीतापुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, सांगानेर में तथा शोभा नगर, दिल्ली रोड, जयपुर में स्थित है।

(3) राज्य में स्थापित दोनों निजी मेडिकल कालेजों की वर्तमान स्वीकृत प्रवेश क्षमता 100-100 छात्र प्रतिवर्ष है। इंजीनियरिंग एवं विधि महाविद्यालयों से सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट-1 में समाहित है। प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धी विवरण प्रश्न के भाग एक के उत्तर में परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(4) जी नहीं। वर्तमान प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत निर्धारित की हुई है।

परिशिष्ट-1

निजी क्षेत्र के चिकित्सा महाविद्यालय :

चिकित्सा शिक्षा में छात्रों को प्रवेश याचिका संख्या 350/93 इस्लामिक एकेडमी आफ एजूकेशन बनाम कर्नाटका सरकार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.8.2003 को पारित निर्णय की अनुपालना में सम्बन्धित निजी मेडिकल/ डेंटल कालेज की प्रवेश क्षमता का 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रवेश

परीक्षा से तथा शेष 50 प्रतिशत प्रबन्धन कोटा की सीटों पर निजी मेडिकल/डेंटल कालेजों के फैडरेशन द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा (सीईटी) के प्राप्तांकों की मैरिट के आधार पर दिया जाना निर्धारित है।

निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग महाविद्यालय :

इंजीनियरिंग कालेजों में छात्रों को प्रवेश, याचिका संख्या 350/93 इस्लामिक एकेडमी आफ एजूकेशन बनाम कर्नाटका सरकार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.8.2003 को पारित निर्णय की अनुपालना में राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा अथवा अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से किये जा सकते है। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये की गई व्यवस्था इस प्रकार है:-

राज्य से अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालय

(क) अनुदानित पाठ्यक्रमों में शत प्रतिशत प्रवेश स्थानों पर राज्य के निवासी छात्रों को राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिये जाते है एवं राज्य की आरक्षण नीति के अनुरूप आरक्षण प्रदान किया जाता है।

(ख) स्व-वित्तपोषित आधार पर संचालित पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता के 15 प्रतिशत स्थान राज्य के बाहर के छात्रों के लिए चिन्हित है तथा इन स्थानों पर All India Engineering Entrance Examination (AIEEE) परीक्षा में प्राप्त मैरिट के आधार पर प्रवेश दिये जाते है। शेष 85 प्रतिशत स्थानों पर राज्य के निवासी छात्रों को राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिये जाते है। स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता के 50 प्रतिशत स्थानों पर राज्य के आरक्षण नीति के अनुरूप आरक्षण प्रदान किया जाता है।

निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालय :

(क) निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 70 प्रतिशत स्थानों पर राज्य के निवासी छात्रों को राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है।

(ख) निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों में राज्य के बाहर

के छात्रों के लिए प्रवेश क्षमता के 15 प्रतिशत स्थान चिन्हित है जिन पर All India Engineering Entrance Examination (AIEEE) परीक्षा में प्राप्त मैरिट के आधार पर प्रवेश दिये जाते है।

(ग) निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 15 प्रतिशत स्थान मैनेजमेन्ट कोटा के रूप में स्वीकृत किये जाते हैं। मैनेजमेन्ट कोटा के प्रवेश स्थानों पर भी राज्य स्तरीय अथवा अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा की मैरिट के आधार पर प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है।

निजी विधि महाविद्यालय :

(क) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 317/1993 में दिनांक 31.10.2002 को पारित निर्णय के अनुरूप राज्य सरकार के पत्र संख्या प.3(2) शिक्षा-4/2003 दिनांक 21.5.2003 द्वारा निजी गैर अनुदानित संस्थाओं को स्वयं की प्रवेश नीति बनाकर प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है लेकिन ऐसी संस्थाऐं भी राज्य सरकार द्वारा जारी शैक्षणिक कलेण्डर की पालना करने हेतु बाध्य होगी तथा प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यार्थियों की योग्यता सूची बनाकर योग्यता क्रम में प्रवेश दिये जावेंगे एवं सभी प्रवेशों में सम्बद्धक विश्वविद्यालयों के नियमों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु प्राप्त धनराशि

42. डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण के लिए सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिवर्ष केन्द्र से धनराशि प्राप्त होती थी? यदि हां, तो किन-किन वर्षों में कितनी-कितनी धन राशि उपलब्ध हुई तथा इस योजना के अन्तर्गत यह राशि कब से मिलनी बन्द हुई?

(2) क्या यह सही है कि उक्त धनराशि के बन्द होने से इस परियोजना की प्रगति में अवरोध हुआ है? यदि हां, तो सरकार इस योजना के अन्तर्गत पुन: उक्त राशि प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास कर रही है एवं उक्त राशि के नहीं मिलने के क्या कारण रहे?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि वर्ष 1987-88 से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण के लिये सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र से धनराशि प्राप्त होती थी। वर्ष 1999-2000 के बाद यह राशि मिलनी बन्द हो गई। वर्षवार उपलब्ध हुई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	सहायता (करोड़ रुपये)
1987-88	15.00
1988-89	11.57
1989-90	27.18
1990-91	30.24
1991-92	33.12
1992-93	52.02
1993-94	52.00
1994-95	60.00
1995-96	60.00
1996-97	60.00
1997-98	60.00
1998-99	30.00
1990-2000	8.00

(2) यह सही है कि उक्त धनराशि के बन्द होने से इस परियोजना की प्रगति में अवरोध हुआ है। राज्य सरकार द्वारा सहायता पुन: बहाल करने हेतु केन्द्र सरकार को पत्र लिखे गये। लेकिन केन्द्र सरकार ने सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम मानदण्ड बदल दिये हैं इस आधार पर सहायता देने में असमर्थता जाहिर की।

चौमूं के अकाल राहत कार्यों की बकाया मजदूरी

43. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत अकाल के दौरान विधान सभा क्षेत्र चौमूं में कौन-कौन से राहत कार्य करवाए गए? इन कार्यों में कितने मजदूरों ने कार्य किया तथा कितने मजदूरों को नकद भुगतान हुआ तथा कितनों को अनाज दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अकाल राहत कार्यों में काम करने वाले मजदूरों में से कितने मजदूरों की मजदूरी का अभी तक भुगतान नहीं हुआ? सरकार उक्त मजदूरों को अब कब तक भुगतान करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) गत अकाल के दौरान विधान सभा क्षेत्र चौमूं में कच्ची सड़क निर्माण कार्य, तलाई खुदाई कार्य, विद्यालयों में चारदीवारी निर्माण कार्य, सार्वजनिक शुष्क शौचालय निर्माण कार्य, नाली व रोड़ से मिट्टी उठाने का कार्य, ग्राम पंचायतों में सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य, विद्यालयों में कमरे निर्माण कार्य, हैलीपेड निर्माण कार्य, व्यक्तिगत लाभ योजनान्तर्गत निजी आवास निर्माण कार्य, निजी कुएं गहरे कराने के कार्य, कालिन/बुनकर की कताई कार्य कराये गये।

इन कार्यों पर 8048 श्रमिक नियोजित किये गये। इनमें से 5580 श्रमिकों को 25% नकद तथा 75% गेहूं के रूप में मजदूरी का भुगतान किया गया। शेष व्यक्तिगत लाभ योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों पर 2468 श्रमिक नियोजित किये गये जिन्हें मात्र 75% गेहूं के रूप में मजदूरी का भुगतान किया गया। शेष देय 25% नकद राशि के रूप में मजदूरी का भुगतान लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा किया गया।

(2) उक्त अकाल राहत कार्यों में नियोजित हुए किसी भी श्रमिक का कोई भुगतान शेष नहीं है।

जिला उदयपुर की रुग्ण औद्योगिक इकाइयां

44. श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री शांतिलाल चपलोत)

(1) गत तीन वर्षों में जिला उदयपुर के कौन-कौन से उद्योग किन-किन कारणों से बन्द हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उदयपुर सीमेन्ट फैक्ट्री कितने समय से बन्द है, उसमें कार्यरत श्रमिकों का कितने समय से वेतन बकाया है?

(3) क्या यह सही है कि श्रमिकों के बकाया भुगतान हेतु मा. मुख्य मंत्री एवं उद्योग मंत्री सहित अनेक ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या यह सही है कि भवाल सिन्थेटिक, मावली तहसील स्थित फैक्ट्री काफी समय से बन्द है? यदि हां, तो क्या सरकार इसके पुनर्संचालन हेतु वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में जिला उदयपुर के 63 उद्योग बन्द हुए है। (सूची संलग्न "क") पर है।

(2) उदयपुर सीमेन्ट फैक्ट्री (जे.के. उदयपुर उद्योग लि.) से दिनांक 26.3.2002 से उत्पादन बन्द होकर पुन: 18.6.2002 को तालाबन्दी हुई है। कार्यरत श्रमिकों को दिनांक 1.4.2002 से 17.6.2002 तक की अवधि के वेतन के विरूद्ध प्रबन्धक पक्ष द्वारा एडहाक एडवान्स चार किस्तों में किया गया है इस प्रकार प्रति श्रमिक 9600 रुपये बतौर एडवान्स दिया गया है।

(3) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदया के कार्यालय के माध्यम से ज्ञापन प्राप्त हुआ है। श्रमिकों के बकाया भुगतान हेतु ज्ञापन श्रम विभाग को भी प्राप्त हुए है। लेकिन वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के अन्तर्गत निर्धारित सीमा प्रति माह 1600 रुपये से अधिक श्रमिकों का वेतन होने के कारण श्रम विभाग के स्तर पर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(4) जी हां, मावली तहसील स्थित फैक्ट्री की दिनांक 22.3.2003 को तालाबन्दी हुई है। बन्द एवं रुग्ण इकाईयों को राज्य सरकार संचालित नहीं करती है। रुग्ण इकाईयों के पुनरोद्धार एवं वित्तीय पुनर्सरचना का कार्य औद्योगिक वित्तीय

(उद्योग मंत्री)

पुनर्संरचना ब्यूरो देखता है। भावल सिन्थेटिक ने इकाई के वित्तीय पुनर्संरचना का प्रकरण ब्यूरो को विलम्ब से प्रस्तुत किया। अत: बी.आई.एफ.आर. ने उनके सन्दर्भ को टाईम बार्ड होने के कारण निरस्त कर दिया।

जिला उद्योग केन्द्र, उदयपुर

गत तीन वर्षों में जिला उदयपुर के बन्द उद्योग

क्र.सं.	नाम इकाई व पता	उत्पाद	बन्द होने के कारण
1	2	3	4
1.	मै. रायल पी.वी.सी. शूज प्रा. लि.	चप्प्ल	बाजार प्रतिस्पर्धा
2.	उदयपुर केमिकल एण्ड फर्टीलाईजर	फर्टीलाईजर	"
3.	मै. राजकुमार झा	सोपस्टोन पाउडर	" "
4.	मै. रामापीर टाईल्स	टाईल्स, चिप्स	"
5.	मै. सरावती स्टोन कटिंग	स्टोन कटिंग	"
6.	मै. श्री मां इण्डस्ट्रीज	फर्नीचर	"
7.	मै. श्रीनाथ मार्बल	स्टोन कटिंग	"
8.	मै. अम्बिका मार्गल सांगवा-मावली	चिप्स	यंत्र/संयंत्र विक्रय होने से
9.	मै. माईक्रोटेक इण्डीया प्रा. लि. ई-146 (ए) औ. क्षेत्र, गुडली	फोस्फोरिक एसिड	वित्तीय कमी
10.	एक्यूरेट पाईप एण्ड प्लास्टिक ए-193 मादडी, उदयपुर	रिजिडपीवीसी पाईप	प्रबन्ध व्यवस्था
11.	अभिषेकमार्बल एण्ड ग्रेनाईट जी.1-35 औ. क्षेत्र, गुडली	इलेक्ट्रीक आईटम	बाजार प्रतिस्पर्धा

1	2	3	4
12.	मै. एग्रो पोलीमर्स प्रा. लि. ई-96 औद्यो. क्षेत्र. मादड़ी. उदयपुर	पीपी फिल्म	वित्तीय कमी
13.	टेक्नोफब इंजिनियर्स एण्ड कंसलटेन्ट ए-192(ए) औ. क्षेत्र. मादड़ी, उदयपुर	सोडियमबाइ सल्फेट	बाजार प्रतिस्पर्धा
14.	राजदीप ग्रेनाईट्स एण्ड मार्बल्स एफ 7 औ. क्षेत्र, गुडली	ग्रेनाईट स्लेब्स	"
15.	मै. आर्किज इण्डस्ट्रीज जी-1-163 औ. क्षेत्र, गुडली	सोक्स	"
16.	मै. अरावली रोप्स प्रा. लि. एच-14 औ. क्षेत्र, गुडली	वायर रोप्स	"
17.	मै. भण्डारी ट्यूब गुडली	कोपर ट्यूब्स	"
18.	हाईटेक क्लोरोकेम प्रा. लि. ई-147 औ. क्षेत्र, गुडली	क्लोरीनेटेड पेराफीन वेक्स	"
19.	मै. जैन पोलीमर्स, जी. 173 औ. गुडली	प्लास्टिक	"
20.	मै. वीनस इलेक्ट्रोनिक्स जी 1-135 औ. क्षेत्र. गुडली	पटीफिटिंग कन्टेनर्स लाइटफिटिंग	"
21.	मै. अनमोल ट्यूब्स प्रा. लि. जी 1-134 औ. क्षेत्र. गुडली	साइकिल ट्यूब	"
22.	मै. पुजा ग्रेनाईट्स जी 1-160 गुडली	ग्रेनाइटटाइल्स	"
23.	मै. ग्लोरी कास्मेटिक प्रा. लि. गुडली	शेम्पू टलकम पाउडर	"

1	2	3	4
24.	मै. टेम्पटेक जी.174 औ. क्षेत्र, गुडली	थर्मोकपल्स रेजिस्टेन्ट, टेम्पडिटेक्टर	"
25.	मै. कांची मल्टीलेयर्स प्रा. लि. एच-130 गुडली	एलडीपाई बैग/फिल्म	" "
26.	मै. सोनिया ग्रेनाईटस जी-136 औ. क्षेत्र, गुडली	ग्रेनाइट टाइल्स	बाजार प्रतिस्पर्धा
27.	मै. मोहित इंजिनियरिंग कं. जी. 1-128 औ. क्षेत्र, गुडली	डेजर्ट कुलर एसेम्बलिंग	" "
28.	मै. मेवाड केमीकल इण्डस्ट्रीज एफ-182 औ. क्षेत्र, गुडली	सिन्थेटिक परफ्यूमरी कम्पाउण्ड	" "
29.	मै. सन इंजिनियरिंग कं. एफ 181 औ. क्षेत्र, गुडली	फेब्रीकेशनकार्य	"
30.	मै. मेकिया सीमेन्ट ब्लाक्स ई-145 औ. क्षेत्र, गुडली	सीमेन्ट ब्लाक्स	"
31.	मै. एस. के. टेक्नोक्राफ्टस प्रा. लि. एफ. 44 औ. क्षेत्र, गुडली	सोपस्टोन पाउडर	वित्तीय कमी
32.	मै. विरल ओर्गेनिक्स इण्डस्ट्रीज जी-1-202 औ. क्षेत्र, गुडली	सोडियमबाई सल्फाइड	"
33.	मै. ए.बी.डी. इण्डस्ट्रीज एफ-9 औ. क्षेत्र, गुडली	ब्रास पाइपरोड	बाजार प्रतिस्पर्धा
34.	मै. आदर्श प्रा. लि. जी 1-18 गुडली	कंट्रोल पेनल	"
35.	मै. एल. क्यू. प्लास्टिक जी-129 औ. क्षेत्र, गुडली	प्लास्टिक सूतली	"
36.	मै. सनी इंजिनियरिंग एण्ड एलाईडवर्क्स जी 1-195 औ. क्षेत्र, गुडली	मशीन पार्टस	"

1	2	3	4
37.	मै. कार्नेशन सिन्थेटिक्स प्रा लि.	सिन्थेटिक	भूमि भवन/संयंत्रविक्रय
38.	मै. हेपनी इण्डस्ट्रीज औ. सम्पदा, प्रतापनगर	एक्वामीन लिक्विड फर्टीलाईजर	"
39.	मै. उदय हैण्डीक्राफ्ट्स एच. 185 उद्योग विहार, सुखेर	स्क्रीनप्रिन्टिग	"
40.	मै. सिल्वर पोलीटेक्स एस.92 औ. क्षेत्र 9, मादडी, उदयपुर	एचडीपीई बैग	" "
41.	मै. सोना एन्टरप्राईजेज एच. 137 उद्योग विहार, सुखेर	एचडीपीई सेक्स	"
42.	मै. गिलुण्डिया कंडक्टर्स एफ 231 ए औ. क्षेत्र, मादडी, उदयपुर	एल्यूमिनियम वायर	उत्पादन बन्द होने
43.	मै. ट्रांस इलेक्ट्रोनिक्स ई-200 औ. क्षेत्र, मादडी, उदयपुर	इलेक्ट्रोनिक्स आइटम	" "
44.	मै. तिलोक वायर एण्ड प्रोडक्ट्स सुखेर	एल्यूमिनियम क्लोराईड्स	" "
45.	मै. सोना उद्योग एफ. 61 औ. क्षेत्र, मादडी, उदयपुर	प्रिन्टर कार्य	"
46.	मै. कमल इंजिनियरिंग वर्क्स सी-2(1) औ.क्षेत्र, मादडी, उदयपुर	राकफास्फेट पाउडर	भूमि भवन/संयंत्र विक्रय
47.	मै. सुवीस ड्रग्स एण्ड मार्बल्स प्रा. लि.	मार्बल स्लेब्स	वित्तीय कमी
48.	मै. श्रीसांई पीवीसी पाईप्स लदाना-मावली	फ्लेक्सीबल पीवीसी पाईप	वित्तीय कमी
49.	मै. अग्रोहा आयल इण्डस्ट्रीज एच. 37 (बी) फतहनगर	खाद्य तेल	"
50.	मै. ऋषभ आयल इण्डस्ट्रीज एच. 36(ए) औ. क्षेत्र, फतहनगर	"	"

1	2	3	4
51.	मै. जे.के. उदयपुर उद्योग लि. श्रीपतनगर त. मावली	सीमेन्ट	उत्पादन बन्द
52.	भवाल सिन्थेटिक्स लि. बीकाखेडा त. मावली	सिन्थेटिक यार्न	" "
53.	मै. लिबर्टी थ्रेड प्रा. लि. पालडी-बडगांव	सिलाईधागा	वित्तीय कमी
54.	मै. श्रुति सिन्थेटिक्स लि. लोयरा बडगांव	सिन्थेट्रिक्स यार्न	उत्पादन बन्द
55.	मै. राजस्थान पेट्रो सिन्थेटिक्स लि. सुखेर	-"-	"
56.	मै. विवेक फेब्रिक्स लि. थूर बडगांव	कपडा	यंत्र/संयंत्र विक्रय
57.	मै. एम. आर. मोर फेब्रीक्स प्रा. लि. औ. क्षेत्र, मादडी, उदयपुर	-"-	उत्पादन बन्द
58.	मै. श्वेता इण्डस्ट्रीज एच. 1.60 औ. क्षेत्र, फतहनगर	वाशिंग पाउडर	"
60.	मै. कंधारी रबर्स लि. अम्बेरी	बूटाईल ट्यूब	उत्पादन बन्द
61.	मै. अंलकृत मार्बल्स प्रा. लि. सुखेर	मार्बल स्लेब्स	"
62.	मै. क्रियेटिव फाईन केम प्रा. लि. भरोडिया-बडगांव	कोपर कंसनट्रेट	"

महाप्रबन्धक

जिला उद्योग केन्द्र, उदयपुर

गंगरार में सड़क निर्माण

45. श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार में विगत पांच वर्षों में कृषि मण्डी व कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कहां-कहां कितने-कितने कि.मी. सड़क का निर्माण करवाया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र गंगरार में सड़कों के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विगत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र गंगरार में कृषि उपज मण्डी समिति एवं कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं।

(2) जी नहीं। मण्डी में निर्माण कार्यों की प्राथमिकता एवं वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सड़कों के प्रस्ताव नहीं लिए गए हैं।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र गंगरार में विगत पांच वर्षों में निर्मित सड़कों का विवरण

क्र.सं.	सड़क का नाम	योजना का नाम	निर्मित लम्बाई (कि.मी.)	कार्य पूर्ण होने का वर्ष
1.	स.स. चौगावड़ी	एम.डी.एफ.	4.50	1999-2000
2.	स. स. लालास	आर.आई.डी.एफ. (पंचम)	7.35	2000-2001
3.	स.स. सादी	आर.आई.डी.एफ. (पंचम)	4.15	2000-2001
4.	स. स. रघुनाथपुरा	मण्डी कोष	1.45	2002-2003
	योग		**17.45**	

राज्य में शराब तस्करी की रोकथाम

46. श्री रामचन्द्र सराधना (जमुवारामगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में दिनांक 1 जनवरी, 2004 से अब तक शराब तस्करी के साथ पुलिस की कितनी मुठभेड़ कहां-कहां हुई और उनमें कितने पुलिसकर्मी व नागरिक मारे गये या घायल हुए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शराब तस्करों के विरुद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और इसके लिये क्या कार्य योजना है?

उत्तर

(1) प्रदेश में 01 जनवरी, 2004 से अब तक (15.6.2004) शराब तस्करों के साथ पुलिस की कुल 5 मुठभेड हुई जिनमें 6 पुलिसकर्मी एवं 2 नागरिक घायल हुए, इन मुठभेड़ों का ब्यौरा इस प्रकार है-

अ स्थान, थाना एवं जिला	ब समय, तिथि	स हताहत पुलिसकर्मी/ नागरिक की संख्या
1. कच्ची बस्ती बाईपास रोड़ टीला नं. 1, थाना जवाहर नगर जिला जयपुर शहर (द.)	12.30 ए. एम. दि.24.2.2004	का.नि. चन्द्रभान नं. 5576
2. ग्राम बड़नगर, थाना प्रागपुरा जिला जयपुर (ग्रामीण)	दि. 6.5.2004	का.नि. शेरसिंह नं. 812
3. ग्राम बीसया थाना शिवदास जिला जयपुर (ग्रा.) पुरा	दि. 15.5.2004	नागरिक कैलाश सिंह, भवानीसिंह घायल हुए।
4. ग्राम बावलिया थाना-सांचोर, जिला-जालौर		
5. ग्राम बिरोल के पास थाना-सांचोर, जिला-जालौर	दि. 18.6.2004 समय 1.5 एएम	1. श्री हंसाराम, स.उ.नि. 2. श्री उम्मेद सिंह नं. 690 3. अन्य दो कानि.

मुठभेड़ों में किसी भी पुलिसकर्मी एवं नागरिक की मृत्यु नहीं हुई है।

(गृह मंत्री)

(2) शराब तस्करों की तस्करी की रोकथाम हेतु राज्य की पुलिस द्वारा सभी थाना क्षेत्रों में प्रभावी रात्रि गश्त एवं नाकेबन्दी की जा रही है। शराब तस्करों के विरूद्ध समय समय पर विशेष अभियान चलाये जाकर उनकी धरपकड़ की जाती है तथ बीट कानिस्टेबल एवं बीट प्रभारियों माध्यम से शराब तस्करी की सूचनाओं का संकलन कर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाती है।

अभियांत्रिकी महाविद्यालयों द्वारा शुल्क वसूली में भिन्नता

47. **श्री प्रहलाद गुंजल** (रामगंज मण्डी) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा संचालित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में विद्यार्थियों से एक ही ट्रेड के लिये अलग-अलग शुल्क वसूला जा रहा है? यदि हां, तो इन शिक्षण संस्थाओं में शुल्क वसूली के दोहरे मानदण्ड का आधार क्या है? क्या ऐसा करना अभियांत्रिकी महाविद्यालयों का निजीकरण करने के समान नहीं है?

(2) क्या सरकार अपने अधीन संचालित सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में शुल्क के समानीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। एक ही ट्रेड (ब्रान्च) के लिए एक ही शुल्क निर्धारित है। राज्य से अनुदानित इंजीनियर महाविद्यालयों में सत्र 2003-2004 हेतु राज्य पोषित सीट के लिए 18,000 रुपये व स्व-वित्त पोषित सीट के लिए 41,000 रुपये शुल्क के रुप में निर्धारित किये गये थे।

(2) जी नहीं। स्व-वित्त पोषित आधार पर संचालित पाठ्यक्रमों का शुल्क तथा राज्य पोषित पाठ्यक्रमों का शुल्क भिन्न-भिन्न होता है।

सराड़ा में सौ दिवसीय कार्य योजना के अन्तर्गत सम्पादित कार्य

48. **श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

(1) उदयपुर जिले में 100 दिवसीय कार्य योजना के अन्तर्गत क्या-क्या कार्य कराए गए?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में कोई भी कार्य नहीं कराए गए? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) 100 दिवसीय कार्य योजना के अन्तर्गत उदयपुर जिले में 2 लघु सिंचाई परियोजनाओं पर परिशिष्ट "अ" अनुसार कार्य कराये गये जो अब भी प्रगति पर है। इसके अलावा वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चरों के 333 तखमीने तैयार किये गये जिन पर इस वर्ष कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

(2) सराड़ा विधान सभा क्षेत्र में दो बांधों का कार्य प्रगतिरत है इसके अलावा पंचायत समिति सराड़ा में 27 वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चरों के तखमीने बनाये गये।

परिशिष्ट-"अ"

उदयपुर जिले में 100 दिवसीय कार्य योजना के अन्तर्गत करायें गये कार्य

1. **मोहम्मद फलासिया सिंचाई परियोजना (विधान सभा क्षेत्र झाडोल) :-** मोहम्मद फलासिया सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर का आर.डी. मीटर से 6960 मीटर तक में खुदाई 6700 क्यूबीक मीटर एवं 4 पक्के कार्यों का निर्माण कराया जाकर 50 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है।

2. **क्यारी सिंचाई परियोजना (विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा) :-**क्यारी सिंचाई परियोजना की दांई एवं बांई नहर का क्रमश: आर.डी. 0 से 4500 मीटर एवं आर.डी. 0 से 2500 मीटर तक निर्माण कार्य कराया गया. जिसमें खुदाई 6400 क्यूबीक मीटर एवं लाईनिंग 0.504 कि.मी. तथा 9 पक्के कार्यों का निर्माण कराकर 30 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है।

100 दिवसीय कार्य योजना के अन्तर्गत 80 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के लक्ष्य के अनुरूप उक्त दोनों परियोजनाओं में कुल हैक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है।

निवाई (टोंक) में अकाल राहत सामग्री वितरण में अनियमितता

49. **श्री हीरालाल (निवाई)** : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि निवाई जिला टोंक में अकाल राहत के गेहूं के फर्जी अकाल राहत कूपन छपाकर भ्रष्टाचार किये जाने का प्रकरण सामने आया था? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन व्यक्ति लिप्त पाये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई थी? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति के खिलाफ? प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) इस मामले में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील निवाई जिला टोंक में सम्वत् 2059 अन्तर्गत अकाल राहत के तहत श्रमिकों की मजदूरी के भुगतान के कूपनों में कांट-छांट कर गेहूं की मात्रा बढ़ा कर एवं फर्जी कूपन छपवाकर गेहूं का दुरूपयोग करने के सम्बन्ध में एफ.पी.एस. डीलर, डागस्थल श्री जन्सी लाल गुर्जर तथा एफ.पी.एस..डीलर, छोरिया श्री रामफूल गुर्जर लिप्त पाये गये है।

(2) श्री जन्सी लाल गुर्जर एफ.पी.एस. डीलर डागस्थल द्वारा 150 क्विंटल गेहूं का दुरूपयोग करने बाबत उनके विरूद्ध एफ.आई.आर. नं. 488/3 दिनांक 23.13.2003 पुलिस थाना, निवाई तथा श्री रामफूल गुर्जर एफ.पी.एस. डीलर छोरिया के विरुद्ध 10356 क्विंटल गेहूं के दुरूपयोग के आरोप में एफ.आई.आर. नं. 13/04 दिनांक 10.1.2004 पुलिस थाना, निवाई में दर्ज कराई जा चुकी है। एफ.आई.आर. की प्रतियां संलग्न है।

(3) इस मामले में अब तक एफ.पी.एस. डीलर डागस्थल एवं छोरिया ही दोषी पाये गये है जिसके विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई जा चुकी है तथा पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है। जांच के पश्चात् सम्बन्धित न्यायालय में चालान पेश करने की कार्यवाही की जावेगी।

(एफ.आई.आर. की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य के बन्द मिनी सीमेन्ट प्लान्टों का पुनर्संचालन

50. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में पिछले 15 वर्षों के दौरान कितने मिनी सीमेन्ट प्लान्ट किस-किस जगह स्थापित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सीमेन्ट प्लान्टों में से कितने प्लान्ट वर्तमान में चालू हैं और कितने बन्द हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सीमेन्ट प्लान्टों के बन्द होने के कारण रहे? क्या सरकार इनका पुनर्संचालन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस हेतु क्या योजना विचाराधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में गत 15 वर्षों के दौरान कुल 180 सीमेन्ट प्लान्ट स्थापित हुए है। (सूची "अ" संलग्न है)

(2) उक्त सीमेन्ट प्लांटों में 42 प्लान्ट चालू है तथा 138 प्लान्ट बन्द है (सूची "अ" संलग्न है)

(3) उक्त सीमेन्ट प्लांटों के बन्द होने के प्रमुख कारण निम्न प्रकार रहे है:-

1. राजस्थान वित्त निगम की ब्याज दर अधिक होना
2. ट्रक यूनियनों द्वारा माल भाड़े में गैर वाजिब वृद्धि
3. आर.एस.ई.बी. द्वारा टेरिफ दरों में वृद्धि
4. आर.एस.एम.डी.सी./प्राइवेट पार्टियों द्वारा लाईम स्टोन दरों को बढाना
5. औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इकाईयों से चुंगी लेना
6. आई.एस.आई. शुल्क में तिगुनी वृद्धि
7. आबकारी शुल्क सीमा 30 लाख रुपये कम होना

(उद्योग मंत्री)

उक्त के अतिरिक्त मिनी सीमेन्ट प्लांटों की बड़े सीमेन्ट उद्योगों के प्रतिस्पर्धा, मैनेजमेन्ट समस्या इत्यादि रहे है। जहां तक इन्हें पुन: संचालित करने का विचार है तो सरकार स्वयं किसी भी उद्योग को पुन: संचालित नहीं करती उद्योगपति यदि किसी बन्द/रुग्ण इकाई को पुन: संचालित करना चाहे तो संलग्न सहायता पुंज के अनुसार इकाई/उद्योगपति को सहायता/सुविधा उपलब्ध कराने में सहयोग करती है (सूची "ब" संलग्न है)

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य में खनन पट्टों के आबंटन हेतु दिशा निर्देश

51. श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में जिस प्रकार चरागाह भूमि, वनभूमि, नगरपालिका भूमि, पंचायत भूमि, सिवायचक भूमि आदि वर्गीकृत भूमि है उसी प्रकार खनिज भूमि के नाम से भूमि का वर्गीकरण नहीं है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उपरोक्त की भांति खनिज भूमि का वर्गीकरण भी करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि खनन पट्टा वन, चारागाह, नगरपालिका अथवा पंचायत भूमि में नहीं दिया जा सकता? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि वन भूमि में खनन पट्टा देने से पूर्व अन्य भूमि वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु दिये जाने के पश्चात् ही वन भूमि पर खनन पट्टा स्वीकृत होता है?

(4) खनन पट्टाधारी को खान आवंटन के पश्चात् न्यायालय द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप को रोकने हेतु सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? जिससे आवंटित खाने बन्द न हो सके? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार वन भूमि में खनन पट्टों के आवंटित करने की स्थिति में खनिज पदार्थ को बाहर निकालने व रोजगार के अवसर विकसित करने हेतु कोई निश्चित योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। एम.एम.डी.आर. एक्ट 1957 में खनिजों के उत्खनन के अधिकार देने का प्रावधान है न कि भूमि के आवंटन का इसी को ध्यान में रखते हुए लेण्ड रेवेन्यम एक्ट अथवा अन्य नियमों में खनिज भूमि के वर्गीकरण का प्रावधान नहीं रखा गया है।

जी नहीं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है खनिज विभाग द्वारा भूमि का आवंटन नहीं किया जाता बल्कि खनिजों के उत्खनन के अधिकार दिये जाते हैं। अत: अलग से वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं है।

(2) प्रधान खनिज के खनन पट्टे वन भूमि को छोड़कर शेष तरह की भूमि में दिये जाने पर नियमों में कोई रोक नहीं है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियमावली 1986 के नियम 4(5) के अनुसार ऐसी भूमि जो सरकार द्वारा सरकारी या स्थानीय निकाय के लिए अथवा जनहित में विशेष प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु आरक्षित घोषित की गई, में खनन पट्टे स्वीकृत नहीं किये जा सकते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत चारागाह भूमि में 4 हेक्टेयर तक का प्रधान अथवा अप्रधान खनिज का खनन पट्टा जिला कलक्टर की अनापत्ति के बाद एवं उससे बड़ा खनन पट्टा राजस्व विभाग की अनापत्ति प्राप्त होने के बाद दिया जा सकता है। इसी प्रकार वन भूमि में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 तथा उसके अधीन बनाये नियमों के तहत केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना प्रधान अथवा अप्रधान खनिज का खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

(3) जी हां।

(4) न्यायालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाही में राज्य सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

(5) इस तरह के प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

सवाईमाधोपुर जिले में किसानों को ट्रेक्टर की खरीद हेतु अनुदान

52. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हीरालाल)

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास (सवाईमाधोपुर) की तहसील बौंली व मलारना डूंगर में सरकार द्वारा वर्ष 2003-2004 मे कौन-कौन सी योजना में किस-किस किसान को कितनी-कितनी राशि का अनुदान दिया गया? लाभान्वित किसानों की नामजद सूची मय ग्राम व अनुदान राशि के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सवाई माधोपुर के किसानों को ट्रेन लेने हेतु 30,000 रुपये की अनुदान राशि दी गई है? यदि हां, तो लाभान्वित किसानों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास (सवाईमाधोपुर) की तहसील बौंली व मलारना डूंगर में सरकार द्वारा वर्ष 2003-04 में विभिन्न योजनाओं में दिये गये अनुदान का योजना/गतिविधि/तहसीलवार संकलित विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं। लाभान्वित किसानों की नामजद सूची मय ग्राम व अनुदान राशि परिशिष्ट-2 पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। वर्ष 2003-04 में सवाई माधोपुर जिले में 9 (नौ) कृषकों को ट्रेन से लाभान्वित किया गया। कृषकों की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न हैं।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण के तहत दर्ज प्रकरण

53. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दिनांक 8 दिसम्बर, 2003 से 31 मई, 2004 तक प्रदेश के पुलिस थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण के तहत कितने मामले किस-किस धारा में दर्ज किये गये? थानावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त दर्ज किस-किस मुकदमें में क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा कुल कितने मुकदमों में प्रकरण को झूठा मानते हुए अन्तिम प्रतिवेदन (एफ.आर.) लगाया गया? अभी तक कितने प्रकरण अन्वेषण में चल रहे हैं?

उत्तर

(1) दिनांक 8 दिसम्बर, 2003 से 31 मई, 2004 तक प्रदेश के पुलिस थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कुल 2107 मामले दर्ज हुए। धाराओं का वर्णन, जिलेवार, थानावार तारीख सहित विवरण परिशिष्ट "अ" पृष्ट 1 से 132 तक संलग्न है।

(2) मुकदमों में की गई कार्यवाही का विवरण पृथक-पृथक संलग्न परिशिष्ट "अ" पृष्ट 1 से 132 तक वर्णित है। कुल 602 मुकदमों में प्रकरण को झूंठा मानते हुए एफ.आर. लगाई गई हैं। अभी तक 633 प्रकरण अन्वेषण में चल रहे हैं।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजकीय विद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों का समानीकरण

54. श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार गांवों में लड़कों हेतु संचालित मिडिल सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी स्कूलों एवं कालेजों की तरह लड़कियों के लिये भी पृथक् से कन्या विद्यालय/कालेज खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार सभी स्कूलों, कालेजों में एक समान पाठ्यक्रम लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार शहरों के समान गांवों के विद्यालयों में भी तकनीकी शिक्षा खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार गेस्ट फैकल्टी टीचर्स को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उपलब्ध सीमित वित्तीय संशोधनों में पारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कन्या विद्यालय खोलने पर प्राथमिकता से विचार किया जाता है। संशोधन उपलब्ध हाने पर कालेज खोलने पर विचार किया जावेगा।

(शिक्षा मंत्री)

(2) प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों में राजस्थान पाठ्यपुस्तक मण्डल द्वारा निर्धारित समान पाठ्यक्रम लागू है। बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक समान पाठ्यक्रम लागू है। राज्य के विभिन्न सम्बद्ध (Affiliated) महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम का निर्माण सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की एकेडमिक काउसिंलों द्वारा अपने स्तर पर किया जाता है।

(3) विद्यालयों में तकनीकी शिक्षा के कार्यक्रमों का संचालन नहीं किया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा के लिए इंजीनियर कालेज, पालीटैक्निक संस्थान तथा आई.टी.आई. की पृथक से स्थापना की जाती है।

(4) जी नहीं। गैस्ट फैकल्टी की व्यवस्था अल्पकालीन अवधि के लिए एवं चालू शैक्षिक सत्र अथवा पद भरने तक जो भी पहले हो तक के लिए प्रति कालांश के हिसाब से मानदेय पर की जाती है। जिसे नियमित किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

नदबई के ग्रामों में पेयजल व्यवस्था

55. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर** (नदबई) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नदबई के ग्राम कवई, खांगरी, करई एवं माझी खारे पानी की समस्या से ग्रस्त हैं?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों को मीठे पानी की आपूर्ति किये जाने हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व इन पर कब तक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम खांगरी को छोड़कर शेष 3 ग्राम खारे पानी की समस्या से प्रभावित है।

(2) जी हां। इन 3 ग्रामों हेतु नलकूप निर्माण एवं पाईप लाईन का कार्य स्वीकृत किया जा चुका है। स्वीकृत कार्य माह सितम्बर. 2004 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट- "अ" पर संलग्न है।

परिशिष्ट- "अ"

विधान सभा क्षेत्र नदबई के खारे पानी की समस्या से प्रभावित 3 ग्रामों की स्वीकृत योजनाओं एवं कार्य प्रगति का विवरण

क्र. सं.	तहसील	ग्राम का नाम	जनसंख्या वर्ष 1991	स्वीकृत माह/वर्ष एवं राशि	स्वीकृत कार्य	कार्यों की प्रगति	कार्य पूर्ण करने की अवधि	हैण्डपम्प का विवरण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	नदबई	कवई	3655	फरवरी, 2004 स्वीकृत राशि रु. 3.36 लाख	1 नलकूप, पाइप लाइन जोड़ने व बिछाने का कार्य एवं विद्युत सम्बन्ध	स्त्रोत स्थान के चयन बाबत भू-जल वैज्ञानिक की राय ली जा रही है।	सितम्बर, 2004 के अन्त तक प्रस्तावित	6है.पं. कार्य शील	16.5.2004 से 16.5.2004 तक टैकरों से परिवहन करवाया गया। उपरान्त पेयजल उपलब्ध इसके ग्रामवासियों की मांग पर उपखण्ड अधिकारी, नदबई के निर्देशानुसार टैंकर बन्द कर ग्राम मे स्थानीय स्त्रोत से डीजल सैट द्वारा 2 घंटे प्रात:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	व 2 घंटे की जा								सायंकाल जलापूर्ति रही है। वर्तमान में जल स्तर 20 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है।
2.	नदबई	करही	2093	मई, 2004 स्वीकृत राशि रु. 2.87 लाख	1 नलकूप, पाइप व विद्युत सम्बन्ध	नलकूप निर्माण का कार्य प्रगति पर	सितम्बर 2004 के अन्त तक कार्य पूर्ण करना प्रस्तावित है।	4है.पं. कार्य शील	30.4.2004 से लगातार टैकरों द्वारा पेयजल परिवहन 15 लीटर पति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से किया जा रहा है।
3.	नदबई	मांझी	1261	फरवरी, 2004 स्वीकृत राशि रु. 3.36 लाख	1 नलकूप, पाइप लाइन जोड़ने व बिछाने का कार्य एवं विद्युत सम्बन्ध	1 नलकूप निर्माण प्रगति में। 2. विद्युत सम्बन्ध लेने की कार्यवाही प्रगति पर।	अगस्त, 2004 के अन्त तक प्रस्तावित।	3है.पं. कार्य शील	27.4.2004 से टैकरों द्वारा 15 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से किया जा रहा है।

सवाईमाधोपुर व करौली जिले के राशन विक्रेताओं के विरुद्ध प्राप्त जन-शिकायतों

56. श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सवाई माधोपुर एवं करौली में वर्ष 2001 से अब तक कुल कितनी जन शिकायतें खाद्य एवं केरोसीन डीलरों की दर्ज की गई? किन-किन डीलरों की शिकायतें माहवार, क्या-क्या दर्ज की गई? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शिकायतों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त ऐसी प्राप्त शिकायतें जिन पर अब तक कार्यवाही नहीं की गई है, सरकार अब उन पर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2001 से अब तक जिला सवाईमाधोपुर में 251 शिकायतें एवं जिला करौली में 34 शिकायत खाद्य एवं केरोसीन डीलरों के विरूद्ध पंजीकृत की गयी हैं। सूची परिशिष्ट "1" व "2" पर संलग्न है।

(2) दोनों जिलों में कुल 285 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें सभी की जांच कराने पर 225 प्रकरणों में प्रतिभूति राशि जब्त की गई (इनमें से 18 लाइसेन्स रद्द किये गये है), 13 प्रकरण जांच में दोषी नहीं पाये जाने के कारण ड्राप किये गये, 45 प्रकरण विचाराधीन हैं तथा 2 प्रकरणों में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गयी है। प्रकरणवार सूचना संलग्न परिशिष्ट "1" व "2" में दर्शायी गयी हैं।

(3) जिला सवाईमाधोपुर में 38 शिकायतों तथा जिला करौली में 7 शिकायतों की जांच विचाराधीन है। यदि जांच में शिकायतें सही पाई जायेंगी तो. दोषी डीलरों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मानपुरा तहसील किशनगढ में अनुचित रॉयल्टी वसूली

57. श्री हरीश चन्द्र कुमावत (नावां) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य में बजरी, कंकरीट, पत्थर व रोड़ी की रायल्टी की दरें सब स्थानों पर एक समान हैं? यदि हां, तो वर्णित सामग्री की दरें वर्तमान समय में क्या हैं? दरों की सूची व लागू करने के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त लागू दरें वसूल करने के लिए वजन मापने का क्या तरीका अपनाया जाता है? क्या इसके लिए कोई दिशा-निर्देश हैं? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) 100 घनफुट बजरी, कंकरीट, रोड़ी व पत्थर का वजन कितना टन निर्धारित किया हुआ है?

(4) क्या जिस क्षेत्र में रायल्टी वसूली होती है वहां पर ऐसा कोई सूचना पट्ट लगा हुआ होता है जिससे रायल्टी की दर व 100 घनफुट का वजन की जानकारी आम लोगों को हो सके? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या यह सही है कि मानपुरा क्षेत्र तहसील किशनगढ़ में 400 घनफुट बजरी की रायल्टी की राशि ठेकेदार द्वारा 300 रुपये वसूल की जाती है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो अनुचित रूप से रायल्टी की राशि वसूल न की जाये इसके लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। वर्णित खनिजों की रायल्टी वर्तमान समय में रु. 8/-प्रति टन है। दरों की सूची व लागू करने के आदेश (परिशिष्ट "अ") पर संलग्न है।

(2) लागू दरें वसूल करने के लिए वजन निर्धारण हेतु तुलायंत्र के अनुसार तथा जहां तुलायत्र नहीं है वहां राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के परिशिष्ट-प्रथम में अंकित कन्वर्जन फेक्टर के आधार पर वजन की गणना की जाती है। इसकी प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(खनिज मंत्री)

(3) 100 घनफुट बजरी, रोड़ी पत्थर व कंकरीट का राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियमावली 1986 के शिड्यूल के अनुसार टन में परिवर्तन करने पर वजन 3.96 टन अर्थात् 4 टन के लगभग आता है।

(4) जी नहीं। वर्तमान नियमों में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार इस तरह के सूचना पट्ट लगाए जाने पर शीघ्र विचार करेगी।

(5) मानपुरा क्षेत्र किशनगढ़ में बजरी वाहनों की चैकिंग के दौरान कुछ ऐसी रायल्टी रसीदें जो ठेकेदार द्वारा जारी की गई थी, को बरामद किया गया है जिनमें वजन का कालम रिक्त पाया गया तथा वसूल की गई राशि रुपये 300/- अंकित की हुई पाई गई। बिना वजन दर्ज किये रु. 300/- रायल्टी के वसूल करने पर ठेकेदार को विधिक चेतना-पत्र जारी कर दिया गया है।

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान सरकार

खान (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 2004

खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 67) की धारा 15(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार समय-समय पर संशोधित राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 को और संशोधित करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत (संशोधन) नियम 2004 है।

2. अनुसूची । का संशोधन :-राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 में संलग्न अनुसूची । में क्रम संख्या 1. 2. 3. 4(i), (ii), (iv). 5, 6. 7, 8, 9, 10

(खनिज मंत्री)

(i). 11, 12, 13, 14, 15, 16 व 17 के सामने विद्यमान प्रविष्टियां क्रमश: निम्नानुसार प्रतिस्थापित किये जायेंगे :

क्र. सं.	खनिज का नाम	खनिज की किस्म/ आकार एवं प्रकार	रायल्टी की दर (रु. प्रतिटन)	कनवर्जन फेक्टर टन/ घनमीटर
1	2	3	4	5
1.	सेण्डस्टोन	आयामी पत्थर	75.00	2.4
		(i) ड्रेस्ड, पालिशड अथवा कटस्लेब. पट्टीकातला एश्लर, फर्श और छत के पत्थर अथवा ब्लाक		
		(ii) अनड्रेस्ड. असमान अथवा रफस्लेब, पट्टीकातला एश्लर, फर्श और छत के पत्थर व ब्लॉक इत्यादि		
		(अ) भरतपुर, धौलपुर. सवाई माधोपुर, करौली, कोटा व बूंदी जिले	50.00	
		(ब) अन्य सभी जिले	45.00	
2.	लाइमस्टोन	आयामी पत्थर जिनका उपयोग फर्श, छत व पिलर्स इत्यादि में होता है		2.7
		(i) कोटा. झालावाड़ एवं जैसलमेर जिले	70.00	
		(ii) अन्य सभी जिले	40.00	

1	2	3	4	5
3.	लाइमस्टोन और लाइम	(i) चूना बनाने के लिए उपयुक्त	45.00	1.4
		(ii) लाइम	70.00	
4.	संगमरमर (मारबल)	(i) ब्लाक (ड्रेस्स और नवकाशी किये हुए) स्लेब और टाइल्स और फिनिशड माल	325.00	2.7
		(ii) असमान ब्लाक जिनका एक आयाम 35 सेन्टीमीटर और दूसरा 60 सेन्टीमीटर से कम न हो	165.00	
		(iii) खण्डा और करेजी जिनका आयाम 35 सेन्टीमीटर से अधिक न हो	55.00	
5.	ग्रेनाइट, डायोराइट और अन्य आग्नेय चट्टानें जो चिराई और पालिशिंग के उपयुक्त हो	(i) ब्लाक एवं ब्लाक जिनसे स्लेब एवं टाइल्स बन सकती है	130.00	30
		(ii) छोटे ब्लाक जिनका आयाम 60 सेन्टीमीटर से अधिक न हो और जो टाइल्स बनाने के काम में आए	52.00	2.0
6.	चिप्स व पाउडर बनाने वाले खनिज जैसे , मारबल, डोलोराइट,	चिप्स और पाउडर बनाने में उपयोग	55.00	2.7

1	2	3	4	5
	सरपेनटाइन. डायोराइट. चर्ट, लाइमस्टोन			
7.	(i) मेसेनरी स्टोन (सेण्डस्टोन, लाइमस्टोन ग्रेनाइट. रायोलाइट क्वार्टजाइट, शिस्ट, फाइलाइट, धांधडा आदि)	खण्ड बैलोरिट, रोडमेटल, फाचरा, मिट्टी. पापड, कशर डेस्ट. ग्रेवल, झाझड़ा आदि	8.00	1.4
	(ii) सेण्डस्टोन, लाइमस्टोन और अन्य चट्टानें	कोबल्स बनाने में उपयोग	45.00	
8.	बजरी, कंकर, साधारण बालू और साधारण मिट्टी	(i) बजरी, कंकर	8.00	1.4
		(ii) साधारण बालू अथवा साधारण मिट्टी उपयोग		
		(अ) मिट्टी के बर्तन, टाइल्स आदि के निर्माण हेतु	6.00	
		(ब) निर्माण में भराव व लेवलिंग के प्रयोजन से सड़कों, रेलवे, भवनों व एम्बेकमेंट अथवा भराव के प्रयोजन से	1.5	
9.	ईट, मिट्टी, मुर्रम, सुखी		8.00	1.4
10.	लाइम कंकर, झांझरा कंकर और धांधला (जलाने हेतु उपयुक्त)	(i) लाइम कंकर, झांझरा कंकर	10.00	1.4
11.	फाइलाइट और शिस्ट	आयामी पत्थर जिनका उपयोग	22.00	2.2

1	2	3	4	5
		पट्टीकातला, फर्श व छत आदि में होता है		
12.	मुलतानी मिट्टी		50.00	1.0
13.	बेन्टोनाइट		60.00	1.2
14.	स्लेटस्टोन		50.00	2.0
15.	साल्ट पीटर (कल्मी शोरा)		1150.00	
16.	साधारण ब्ले जिसका उपयोग रंगाई में हो		11.00	1.5
17.	ईट मिट्टी, शेल, शिस्ट, नाइरोज, फाइलाइट, क्वार्टरजाइट, स्लेटस्टोन, साधारण क्ले, बालू (बजरी सहित) और अन्य चट्टानें /खनिज जिनका उपयोग विशेष प्रयोजनों के लिए हो	किसी भी उद्योग में विशेष प्रयोजनों के लिए	55.00	1.4

(प. 15(5)खान/ग्रुप-2/96-पार्ट)

आज्ञा से,

(पुरुषोत्तम बियांणी)

उप शासन सचिव

राजगढ़ (चूरू) में कृषक सहायता से वंचित कृषकों को अनुदान

58. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि कार्य करते समय अकाल मृत्यु होने पर कृषक को कितनी राशि की सहायता/अनुदान दिया जाता है? इसके क्या मानदण्ड है? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री नन्दलाल पूनिया)

(2) तहसील राजगढ़ (चूरू) में पिछले 10 वर्षों में कितने कृषको को एवं कितनी राशि की सहायता/अनुदान उपलब्ध करवाया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अभी तक कितने कृषक सहायता राशि से वंचित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त कृषकों को सहायता राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजीव गांधी कृषक साथी योजना के अन्तर्गत कृषक/खेतीहर मजदूर की कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना घटित होने पर मृत्यु की स्थिति में रु. 30000/- की सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना का लाभ निम्नांकित परिस्थितियों में देय है :-

1. कृषकों/खेतिहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य में कृषि यंत्रों का उपयोग करते हुए (जिसमें खेती से सम्बन्धित सिंचाई कार्य भी शामिल है)

2. सिंचाई कार्य हेतु कुआं खोदते समय ट्यूबवैल स्थापित करते समय एवं ट्यूबवैल संचालित करते समय बिजली करण्ट लगने तथा खेत में से गुजरने वाली विद्युत लाइन के क्षतिग्रस्त होने से मृत्यु या अंग-भंग होने पर।

3. कृषकों द्वारा खेतों में फसलों फल-सब्जियों पर रासायनिक दवाइयों आदि का छिड़काव करते समय दुर्घटना में मृत्यु होने पर।

4. मुख्य मण्डी यार्ड, उप मण्डी यार्ड व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित क्रय केन्द्रों पर कृषि यंत्रों का उपयोग करते समय दुर्घटन में मृत्यु या अंग-भंग होने पर।

5. मण्डी में बोरियों की धांग लगाते समय मृत्यु या अंग-भंग होने पर।

(कृ.ि मंत्री)

6. मण्डी प्रांगण में ट्रैक्टर, ट्राली, ऊंट लढ्ढा, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी आदि उलट जाने पर दुर्घटना में काश्तकार की मृत्यु या अंग-भंग होने पर।

7. मण्डी प्रागंण में कार्यरत पल्लेदार/हमाल/मजदूर की मण्डी प्रांगण में कृषि विपणन कार्य करते हुए दुर्घटना में मृत्यु या अंग-भंग होने पर।

8. अपने अथवा किराये के सावन जिसमें काश्तकार स्वयं हो मण्डी में कृषि उपज लाते समय रास्ते में हुई दुर्घटनों में अंग-भंग या मृत्यु होने पर अथवा कृ.ि उपज बेचकर अपने या किराये के सावन से गांव लौटते समय (अगले दिन तक) में हुई दुर्घटना में अंग-भंग या मृत्यु होने पर।

9. काश्तकार/खेतिहर मजदूर के कृषि प्रयोजनार्थ ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी आदि से घर से खेत में जाते/आते समय दुर्घटना होने पर मृत्यु या अंग-भंग होने पर।

10. राज्य में कुट्टी काटने की मशीन अथवा कृषि संयंत्रों से कृषक/मजदूर पुरुषों महिलाओं के केश मशीन में आने से हुई दुर्घटना (डी स्केल्पिंग) पर।

11. कृ.कों/खेतिहर मजदूरों के खेत पर कार्य करते हुए सांप या जहरीले जानवर के काटने/ऊंट के काटने पर मृत्यु या अंग-भंग होने पर।

12. कृ.ि कार्य करते हुए आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु या अंग-भंग होने पर।

नियमों की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) इस योजना के अन्तर्गत तहसील राजगढ़ (चूरू) में पिछले दस वर्षों में 105 कृ.क/खेतिहर मजदूरों को रु. 2122500/-की सहायता राशि प्रदान की गई है। जिसकी व.िवार सूची परिशिष्ट- "अ"-1 पर संलग्न है।

(3) मण्डी क्षेत्र में अभी तक 24 कृषक/खेतिहर मजदूरों के प्रकरण मण्डी स्तरीय कमेटी की बैठक नहीं होने/जांच विचाराधीन होने के कारण लम्बित है। जिसकी सूची परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(4) हां। कृषक साथी योजना के प्रावधानानुसार कृषकों से प्राप्त दावों को सहायता राशि स्वीकृति के लिए मण्डी स्तरीय कमेटी के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाता है। शीघ्र ही बैठक में इन दावों को प्रस्तुत कर कमेटी के निर्णयानुसार दावों का निस्तारण किया जाना है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति के लम्बित प्रकरण

59. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति प्रकरण लम्बित है? यदि हां, तो कब से? इसके लम्बित रहने के या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने जब-जब अधिकारियों की पदोन्नति की तब-तब केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा उन अधिकारियों को वापस पदावनत कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

(3) सरकार अब कब तक इन अधिकारियों को पदोन्नति देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में वर्ष 2004 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति का प्रकरण अधिकारियों की वरिष्ठता सूची विवादित होने के कारण लम्बित है। चालू वर्ष की रिक्तियों पर पदोन्नति की कार्यवाही नियमानुसार यथा शीघ्र की जावेगी।

(2) जी नहीं।

(3) माननीय न्यायालय निर्णयों के परिपेक्ष में प्रभावी नियमों के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही की जावेगी।

फुलेरा में महिला महाविद्यालय

60. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री नवरतन राजोरिया)

(1) राज्य में नये महिला महाविद्यालय खोले जाने के क्या मानदण्ड हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा कस्बे की जनसंख्या, छात्राओं की संख्या एवं जनता की मांग को दृष्टिगत रखते हुए उक्त कस्बे में सरकार महिला महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में नवीन राजकीय महाविद्यालय (पुरूष/महिला/सहशिक्षा) की स्थापना से पूर्व मास्टर-प्लान के अनुसार निम्न निर्धारित मानदण्ड होना आवश्यक हैं: -

1. प्रस्तावित स्थान से 20 कि.मी. की परिधि में कम से कम 5 सीनियर सैकण्डरी विद्यालय संचालित हों, ताकि महाविद्यालय में प्रस्तावित विषयों में विद्यार्थी उपलब्ध हो सकें।
2. प्रस्तावित स्थान से 30 कि.मी. की परिधि में अन्य कोई महाविद्यालय संचालित नहीं हो। यह शर्त सम्भागीय मुख्यालयों एवं औद्योगिक शहरों में लागू नहीं होगी।
3. प्रस्तावित स्थान अन्य सभी दृष्टियों से उपयुक्त हो।
4. महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु भवन आदि की उपयुक्त व्यवस्था हो।

निजी क्षेत्र में नवीन महिला महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 1993 के अन्तर्गत महाविद्यालय खोलने के नियम की प्रति सदन की पटल पर प्रस्तुत है (परिशिष्ट-1) इस सत्र के लिये बिन्दु-2 में आंशिक संशोधन कर विद्यार्थी हित में समानभाव से नये खोलने की अनुमति दी गई है।

(2) संसाधनों की उपलब्धि होने पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

परिशिष्ट-1

महाविद्यालय प्रारम्भ करने के निर्धारित मानदण्ड

नये महाविद्यालय की स्थापना से पूर्व मास्टर प्लान के अनुसार निम्न निर्धारित मानदण्ड पूर्ण होने आवश्यक है :-

1. प्रस्तावित स्थान से 20 किलोमीटर की परिधि में कम से कम पांच सीनियर सैकण्डरी विद्यालय संचालित हों, ताकि महाविद्यालय में प्रस्तावित विषयों में विद्यार्थी उपलब्ध हो सकें।
2. प्रस्तावित स्थान से 30 किलोमीटर की परिधि में अन्य कोई महाविद्यालय संचालित नहीं हो। यह शर्त सम्भागीय मुख्यालयों एवं औद्योगिक शहरों में लागू नहीं होगी।
3. प्रस्तावित स्थान अन्य सभी दृष्टियों से उपयुक्त हो।
4. महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु भवन आदि की उपयुक्त व्यवस्था उपलब्ध हो।

कठूमर में सिंचाई की प्रस्तावित योजना

61. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कठूमर में कृषि कार्य हेतु सिंचाई का कोई स्रोत नहीं है?

(2) क्या यह सही है कि सरकार की उक्त क्षेत्र में सिंचाई हेतु कोई योजना है? यदि हां, तो क्या सरकार कैनाल से सर्वे कराकर सिंचाई की व्यवस्था करने का विचार रखती है?. यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि पूर्व में घाट कैनाल से बांधों में पानी का भराव होता था? परन्तु अब उक्त पर अतिक्रमण हो जाने के कारण भराव नहीं हो पाता है? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। वर्तमान सिंचाई व्यवस्था जल पलायन द्वारा होती है जिसमें नहरें बनाना प्रस्तावित नहीं हैं।

[सिंचाई मं...)

(3) जी नहीं।

डे..ना (नागौर) में अकाल राहत के तहत निर्मित सड़कें

62. ! ' रिछपाल सिंह मि' (डेगाना) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृ करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में वर्ष 2002-03 के दौरान अकाल राहत के तहत कौन-कौन से कार्य कितनी . शि के स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) व . 2002-03 के दौरान विधान सभा डेगाना (नागौर) में कितने कि.मी. .वल सड़कों के निर्माण की स्वीकृति अकाल राहत के तहत जारी की गई? विवरण सड़क..र मय कि.मी. सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त ग्रेवल सड़कों में से कितनी पूर्ण हो गयी? कितनी अधूरी रही? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(.) क्या सरकार उक्त अधूरी सड़कों को पूरा करने का विचार रखती है? यदि हां, त ' कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में वर्ष 2002-03 के दौरान कुल 609 कार्य 974.70 लाख रुपये की राशि के स्वीकृत किये गये। विवरण सदन के पटल पर रख दिय गया है। (परिशिष्ट-1)

(2) व . 2002-03 के दौरान विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में 83 ग्रेवल सड़कों के निर्माण की स्वीकृति अकाल राहत के तहत जारी की गई। विवरण सड़कवार मय कि.मी. सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-2)

(3) स्वीकृत ग्रेवल सड़कों में से पूर्ण हुई सड़के तथा अपूर्ण रही सड़कों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(.) अभाव स्थिति समाप्त होने के उपरान्त अधूरी सड़कों को भविष्य में क्षेत्र में अभा व की स्थिति होने तथा राहत कार्य शुरू किये जाने पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य पूर्ण कराया जा सकेगा।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में गयी)

अजमेर जिले में वन भूमि पर वृक्षारोपण पर व्यय

63. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर जिले में 15 वर्ष पूर्व वन घनत्व कितना था? अब कितना है?

(2) जिले में गत 15 वर्षों में वन विभाग ने कितने वृक्षों का रोपण किया और किस-किस स्थान पर?

(3) रोपित किये वृक्षों पर कितना व्यय हुआ और कितने वृक्ष पनपे? वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

(1) उपग्रह चित्र के आधार पर वर्ष 1991 में प्रकाशित भारतीय वन सर्वेक्षण की द्विवार्षिक रिपोर्ट अनुसार वर्ष 1989 में अजमेर जिले के वृक्षाच्छादित क्षेत्र में से 47 वर्ग किलोमीटर पर सघन वन (घनत्व 0.4 से ऊपर) एवं 75 वर्ग किलोमीटर पर खुला वन (घनत्व 0.1 से 0.4 के बीच) पाया गया था। इस प्रकार कुल वृक्षाच्छादित क्षेत्र में 0.1 घनत्व से ऊपर कुल 122 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाया गया था जबकि उन्नत तकनीक से उपग्रह चित्र को विश्लेषण कर अजमेर जिले में वर्ष 2001 में प्रकाशित भारतीय वन सर्वेक्षण की द्विवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 0.4 से ऊपर सघन वन 177 वर्ग किलोमीटर एवं खुला वन (घनत्व 0.1 से 0.4 के बीच) 178 वर्ग किलोमीटर पाया गया है। 2001 को प्रकाशित यह रिपोर्ट 0.1 घनत्व से ऊपर वृक्षाच्छादित क्षेत्र 355 वर्ग किलोमीटर बतलाया गया है। वास्तव में 2001 की रिपोर्ट 1999 एवं 2000 के वनों की स्थिति को ही दर्शाती है। वर्ष 2003 की रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं होने के कारण वर्तमान की वृक्षाच्छादित क्षेत्र (0.1 घनत्व से ऊपर) 355 वर्ग किलोमीटर ही माना जा रहा है।

(2) अजमेर वन मण्डल में कुल 96,82,929 पौधे रोपित किये गये। स्थानवार विवरण संलग्न है।

(3) रोपित किये गये पौधों पर राशि रुपये 12,57,10,122/-का व्यय हुआ है। वर्तमान में उपलब्ध वर्ष 1997-98 से 2002-2003 तक कराये गये 33 वृक्षारोपण क्षेत्र के मूल्यांकन रिपोर्ट (परिशिष्ट "क") के आधार पर वृक्षारोपण क्षेत्र में जीवितता का भारित औसत (Weighted Average) 63 प्रतिशत है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बारां जिले की क्षतिग्रस्त

64. **श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बारां में गत तीन पांच वर्षों में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किस-किस पंचायत समिति के किस-किस ग्राम में कितनी-कितनी लम्बाई की कितनी-कितनी लागत की सड़कें स्वीकृत की गई? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त स्वीकृत सड़कों का कार्य पूर्ण करा लिया गया? यदि नहीं, तो कौन-कौन सी सड़कें अधूरी हैं तथा उनको कब तक पूरा कर दिया जावेगा?

(3) क्या यह सही है कि बनाई गई सड़कें पूर्ण गुणवत्ता के अनुरूप नहीं होने के कारण कुछ समय उपरान्त क्षतिग्रस्त हो गई? यदि हां, तो कौन-कौन सी सड़कें किन कारणों से क्षतिग्रस्त हुई तथा इसके लिये कौन-कौन व्यक्ति दोषी है? क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार जिला बारां में आगामी वर्षों में सड़कों का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो उनकी स्वीकृतियां कब तक जारी कर दी जायेगी? प्रस्तावित कार्य योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) बारां कृषि उपज मण्डी समिति को गत पांच वर्षों में कितनी-कितनी राशि टैक्स के रूप में प्राप्त हुई तथा उक्त प्राप्त राशि के विरुद्ध विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि किस-किस मद पर व्यय की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बारां में गत 5 वर्षों में स्वीकृत सड़कों की पंचायत समिति वार सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृत सड़कों में से पूर्ण हुई तथा अधूरी सड़कों की सूचना परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(3) जी नहीं। बनाई गई सड़कें पूर्ण गुणवत्ता के अनुरूप ही है तथा सड़कों सही हालत में हैं।

(कृषि विपणन मंत्री)

(4) वित्तीय वर्ष 2003-04 में नवीन सम्पर्क सड़कों के निर्माण की मिंसिग लिंक एवं सड़कों की विशेष मरम्मत की परियोजनाएं स्वीकृत करने के कारण मण्डी समिति की वर्ष 2004-05 की आय से उक्त योजनाओं को पूर्ण करने हेतु राशि विपणन बोर्ड को उपलब्ध कराये जाने के कारण चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 में नवीन सम्पर्क सड़कों के निर्माण हेतु विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

(5) कृषि उपज मण्डी समिति बारां की गत 5 वर्षों की मण्डी शुल्क से प्राप्त आय एवं विभिन्न मदों पर व्यय का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" के अनुसार है।

परिशिष्ट "अ"

गत पांच वर्षों में बारां जिले में पंचायत समिति क्षेत्र वार स्वीकृत सड़कों का विवरण

क्र. सं.	विधान सभा	सड़का का नाम	योजना का नाम	स्वीकृति लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृति राशि (लाखों में)	दिनांक	पूर्ण/अपूर्ण	व्यय राशि (लाखों में)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**पंचायत समिति अन्ता**								
1.	पीपल्दा	स.स. किशनपुरा	आर.आई.डी.एफ.	3.15	28.80	14.8.1999	पूर्ण 2001-2002	28.07	
2.	पीपल्दा	स.स. बम्बोरी कला से बालूदा पूलिया	मण्डी कोष	3.00	39.00	7.7.2000	पूर्ण 2002-2003	29.15	
3.	पीपल्दा	स. स. मांगरोल रोड़ से सिन्धनिया वाया जेतलहेड़ी	[illegible] को[illegible]	[illegible]	[illegible]	27.02.2003	पूर्ण 2003-04	20 20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	पीपल्दा	स.स. माल बम्बोरी रामपुरिया भक्तार	मण्डी कोष	2.85	35.00	5.7.2003	प्रगति पर है	12.77	अक्टूबर. 2004 तक पूर्ण करवा दी जावेगी। यदि बजट समय पर प्राप्त हो जायेगी।
			योग	**11.30**	**123.06**			**90.19**	
2.	**पंचायत समिति किशनगंज**								
1.	किशनगंज	स.स. असनावर	मण्डी कोष	2.00	9.54	29.01.2000	पूर्ण	8.16	
2.	किशनगंज	स.स. पिपल्दा कला	मण्डी कोष	4.00	47.69	29.01.2000	पूर्ण	40.02	
			योग	**6.00**	**57.23**			**48.18**	
3.	**पंचायत समिति शाहबाद**								
1.	किशनगंज	स.स. पिपलखेड़ी	मण्डी कोष	7.10	42.20	29.01.2000	पूर्ण 2001-02	39.12	
2.	किशनगंज	स.स. कस्बा नोरेरा	मण्डी कोष	3.00	30.00	29.01.2000	पूर्ण 2001-02	25.92	
3.	किशनगंज	स.स. बोयल से बासना	मण्डी कोष	13.00	186.00	29.01.2000	पूर्ण 2001-02	187.28	
			योग	**23.10**	**258.20**			**252.32**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	पंचायत समिति बारां								
1.	अटरू	स.स. करनाहैड़ा	मण्डी कोष	3.50	36.26	29.01.2000	पूर्ण 2001-02	36.16	
2.	अटरू	स.स. कल्याणपुरा से मंजरावता	मण्डी कोष	2.00	25.40	29.01.2000	पूर्ण 2001-02	23.80	
3.	बारां	स.स. विजयपुर से रानीहैड़ा	मण्डी कोष	0.40	6.54	27.02.2003	पूर्ण 2001-02	6.17	
			योग	5.90	68.20			66.13	
5.	पंचायत समिति अटरू								
1.	अटरू	स.स. कानोटिया	मण्डी कोष	2.80	29.56	29.01.2000	पूर्ण 2001-02	24.99	
2	अटरू	स.स. सालपुरा से क्षत्रपुरा	मण्डी कोष	1.75	15.75	01.01.2001	पूर्ण 2001-02	12.37	
3.	अटरू	स.स. बडोरा	मण्डी कोष	5.20	50.06	29.09.2003	प्रगति पर	0.25	वर्तमान में सड़क का

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		खानपुर रोड़ से देवनारायण मन्दिर झाडोता							अलाइमेन्ट विवाद होने के कारण कार्य बन्द है। मार्च 2005 तक पूरा करवा दिया जायेगा।
			योग	**9.75**	**95.37**			**37.61**	
6.	पंचायत समिति छबड़ा								
1.	छबड़ा	स.स. भिलवाडा नीचा	मण्डी कोष	4.00	35.10	29.01.2000	पूर्ण 2001-02	28.38	
2.	छबड़ा	स.स. गोडिया मेहर	मण्डी कोष	3.25	29.42	29.01.2000	पूर्ण 2001-02	24.67	
			योग	**7.25**	**64.52**			**53.05**	
	पंचायत समिति छिपा बड़ौद								
1.	छबड़ा	स. स. बिलड़ी	आर.आई.डी.एफ.	5.75	59.63	15.09.1999	पूर्ण 2000-01	47.28	
			योग	**5.75**	**59.63**			**47.28**	

परिशिष्ट "ब"

कृषि उपज मण्डी समिति बारां की गत 5 वर्षों की मण्डी शुल्क से प्राप्त आय एवं विभिन्न मदों पर व्यय का विवरण

(राशि लाख रुपये में)

क्र. स.	वर्ष	मण्डी शुल्क से आय	संस्थापन व्यय	बोर्ड अंशदान व्यय	निर्माण कार्य पर व्यय	मण्डी सुविधाओं पर व्यय	योग व्यय
1.	1999-2000	377.18	42.02	68.89	267.77	24.62	403.30
2.	2000-2001	382.46	42.58	84.04	229.48	27.66	383.76
3.	2001-2002	417.97	45.10	81.83	302.02	27.68	456.63
4.	2002-2003	314.73	46.45	104.85	570.01	29.79	751.10
5.	2003-2004	480.82	52.92	123.21	249.36	34.96	460.35

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजकीय उपक्रमों की वित्तीय स्थिति

49. डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य के कौन-कौन से राजकीय उपक्रम लाभ में तथा कौन-कौन से उपक्रम घाटे में चल रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजकीय उपक्रम ब्यूरो की परिधि में आने वाले राजकीय उपक्रमों की नामवार सूची. वर्ष 2002-2003 के अनुरूप परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

POSITION OF PROFIT & LOSS OF PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS UNDER THE PURVIEW OF BPE FOR THE YEAR 2002-2003

S.No.	Name of Undertaking	PROFIT OR LOSS	
1	2	3	
	ENERGY DEPARTMENT		
1.	Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd.	—	LOSS
2.	Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd.	PROFIT	—
3.	Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd.	—	LOSS
4.	Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Ltd.	PROFIT	—
5.	Ajmer Vidyut Vitran Nigam Ltd	PROFIT	—
6.	Rajasthan Renewable Energy Corporation Ltd.	PROFIT	—
	MINES DEPARTMENT		
7.	Rajasthan State Mines & Mineral Ltd.	PROFIT	—
8.	Rajasthan State Mineral Development Corporation	Merged with RSMML	
9.	Rajasthan State Tungsten Development Corporation	Under the process of winding up	

1	2	3	
	TOURISM DEPARTMENT		
10.	Rajasthan State Hotels Corporation	—	LOSS
11.	Rajasthan Tourism Development Corporation	—	LOSS
	INDUSTRIES DEPARTMENT		
12.	Rajasthan financial Corporation	PROFIT	—
13.	Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation	PROFIT	—
14.	Rajasthan Small Industries Corporation	—	LOSS
15.	Rajasthan State Handloom Development Corporation	—	LOSS
16.	Rajasthan Electronics Ltd.	—	LOSS
	AGRICULTURE DEPARTMENT		
17.	Rajasthan State Agriculture Marketing Board	PROFIT	—
18.	Rajasthan State Warehousing Corporation	PROFIT	—
19.	Rajasthan State Seeds Corporation	PROFIT	—
20.	Rajasthan State Agro Industries Corporation	—	LOSS
	TRANSPORT DEPARTMENT		
21.	Rajasthan State Road Transport Corporation	—	LOSS
	PUBLIC WORKS DEPARTMENT		
22.	Rajasthan State Road Development & construction Corporation	PROFIT	—
	PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT		
23.	Rajasthan jal Vikas Nigam Lt.	PROFIT	—
	FINANCE (EXCISE) DEPARTMENT		
24.	Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Ltd.	PROFIT	—

1	2	3	
	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING DEPARTMENT		
25.	Rajasthan Housing Board	PROFIT	—
	COMMAND AREA DEVELOPMENT DEPARTMENT		
26.	Rajasthan Land Development Corporation	PROFIT	—
	FOREST DEPARTMENT		
27.	Rajasthan Rajya Van Vikas Nigam Ltd.	No Commercial activities	
	STATE ENTERPRISES DEPARTMENT		
28.	Rajasthan State Chemical Works, Didwana (SSW)	PROFIT	—
29.	Government Salt Works, Didwana	—	LOSS

आवां ग्राम तहसील सांगोद (कोटा) में नवीन उच्च जलाशय

50. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम आवां तहसील सांगोद, जिला कोटा में ग्रामीण जल योजना (पाइप्ड) वर्ष 1973-74 में शुरू की गई थी?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत आवां गांव में एक उच्च जलाशय का निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो इसका निर्माण किस वर्ष में किया गया व इस पर कुल कितनी राशि व्यय हुई?

(3) क्या यह सही है कि इस जलाशय के निर्माण के बाद आज तक इसका उपयोग नहीं हो सका है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इस गांव में नवीन उच्च जलाशय बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) जी हां। इस उच्च जलाशय का निर्माण वर्ष 1972-73 में कराया गया था व इसके निर्माण में रुपये 50,000/- की राशि व्यय हुई।

(3) जी नहीं। इस उच्च जलाशय का उपयोग वर्ष 1988 तक हुआ।

(4) वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। यदि ग्रामवासी तत्पर हो तो कार्य "स्वजलधारा कार्यक्रम" में सम्भव है।

बनीपार्क की पेयजल व्यवस्था

51. प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में कौन-कौन सी आवासीय कालोनी हैं? जिनमें पाइप लाइन से पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में कुल कितने ट्यूबवैल किन-किन क्षेत्रों में खुदे हुए हैं? उनमें से कितने चालू हैं? प्रत्येक ट्यूबवैल से किन-किन क्षेत्रों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क के किन-किन क्षेत्रों में पाइप लाइन नहीं डाली गयी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त निर्वाचन क्षेत्र में माह मार्च, 2004 से कितने टैंकर पेयजल हेतु किन-किन क्षेत्रों में उपलब्ध कराये गये? प्रत्येक टैंकर की दर क्या है तथा माह मई, 2004 तक इस पर कितना व्यय किया गया?

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) बनीपार्क विधान सभा क्षेत्र में कुल 488 नलकूप खुदे हुए है एवं सभी 488 नलकूप चालू है। विवरण परिशिष्ट-"ब" पर उपलब्ध है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(4) मार्च, 2004 से मई, 2004 तक पेयजल हेतु बनीपार्क क्षेत्र में 12221 ट्रिप टैंकर द्वारा जल वितरण किया गया है। प्रति टैंकर ट्रिप क्षमता 4000 लीटर की दर शहरी क्षेत्र में रुपये 65.50 एवं ग्रामीण क्षेत्र में रुपये 125.00 है। मार्च, 2004 से मई, 2004 तक रुपये 8.13 लाख का व्यय भार हो चुका है। क्षेत्र का विवरण परिशिष्ट-"स" पर उपलब्ध हैं।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

डूंगरपुर (बीकानेर) में कार्यरत ट्यूबवैल

52. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ (बीकानेर) में कन्टीजेन्सी बजट व विधायक कोष, सांसद कोष से वर्ष 2002 से जून, 2004 तक कितने ट्यूबवैल बनाये गये उनमें से कितने चालू किये गये एवं कितने बनाये जाने शेष है?

(2) क्या सरकार निर्मित सभी ट्यूबवैलों को चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में वर्णित अवधि में कन्टीजेन्सी मद एवं विधायक कोष के अन्तर्गत निर्मित एवं चालू किये गये नलकूपों का विवरण निम्नानुसार है :-

	मद	जिला	स्वीकृत नलकूप	निर्मित नलकूप	चालू
अ	कन्टीजेन्सी	बीकानेर	16	16	15
		चूरू	1	1	1
ब	विधायक कोष	चूरू	2	2	2
	कुल		19	19	18

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

समस्त नलकूप बनाये जा चुके हैं। मात्र 1 नलकूप चालू करना शेष है। सांसद कोष में वर्णित अवधि में कोई नलकूप स्वीकृत नहीं हुआ है।

ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। उपरोक्तानुसार 18 नलकूप वर्तमान में चालू है व 1 निर्मित नलकूप को माह अगस्त, 2004 में चालू करना लक्षित है।

परिशिष्ट-"अ"

विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में वर्ष 2002 से 2004 के मध्य कन्टीजेन्सी मद, विधायक/सांसद कोष से निर्मित/चालू नलकूपों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	स्वीकृत मद	स्वीकृत वर्ष	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	राजपुरा	कन्टीजेन्सी	9/2002	पूर्ण एवं चालू
2.	बेनीसर	कन्टीजेन्सी	9/2002	पूर्ण एवं चालू
3.	लाखासर	कन्टीजेन्सी	9/2002	पूर्ण एवं चालू
4.	माणकरासर	कन्टीजेन्सी	9/2002	पूर्ण एवं चालू
5.	कुन्तासर	कन्टीजेन्सी	9/2002	पूर्ण एवं चालू
6.	हेमासर	कन्टीजेन्सी	9/2002	पूर्ण एवं चालू
7.	रेडी	कन्टीजेन्सी	9/2002	पूर्ण एवं चालू
8.	हरीजन बस्ती रानासर	कन्टीजेन्सी	9/2002	पूर्ण एवं चालू
9.	धोलियां	कन्टीजेन्सी	9/2002	पूर्ण एवं चालू
10.	हुडो का बास पुनरासर	कन्टीजेन्सी	9/2002	पूर्ण एवं चालू
11.	बीरमसर	कन्टीजेन्सी	11/2002	पूर्ण एवं चालू
12.	बउदासर चारनान	कन्टीजेन्सी	11/2002	पूर्ण एवं चालू

1	2	3	4	5
13.	धर्मांश डेलिनिया जोहड	कन्टीजेन्सी	11/2002	पूर्ण एवं चालू
14.	अभयसिंहपुरा	कन्टीजेन्सी	2/2004	पूर्ण एवं चालू
15.	बीजासर	कन्टीजेन्सी	2/2004	पूर्ण एवं चालू
16.	इन्दपालसर बास गुसाईसर	कन्टीजेन्सी	5/2004	निर्मित कार्य पूर्ण एवं अगस्त, 2004 में चालू करना लक्षित।
17.	तेहनदेसर	कन्टीजेन्सी	2/2003	पूर्ण एवं चालू
18.	जोगलसर	विधायक कोष	1/2004	पूर्ण एवं चालू
19.	सइं छोटी	विधायक कोष	1/2004	पूर्ण एवं चालू

प्रश्न संख्या-53

(स्थगित)

बाड़मेर लिफ्ट वाटर सप्लाई प्रोजक्ट पर व्यय

54. डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर के 411 गांव एवं बाड़मेर शहर की पेयजल समस्या के समाधान हेतु पेयजल परियोजना बाड़मेर लिफ्ट वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की वित्तीय स्वीकृति जून, 2002 में 425 करोड़ की जारी हुई थी? यदि हां, तो उस योजना के अन्तर्गत कितना कार्य हुआ व कितनी धन राशि व्यय की गई? उक्त योजना कब तक पूर्ण कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। स्वीकृत परियोजना में बाड़मेर जिले के 412 गांव व बाड़मेर शहर भी सम्मिलित है।

स्वीकृत योजना के अन्तर्गत बाड़मेर शहर एवं मोहनगढ़ में प्रस्तावित हैडवर्क्स के लिए भूमि आबंटन का कार्य व प्रस्तावित पाइप लाइन का सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। माह जून, 2004 तक रुपये 2.89 लाख का व्यय हुआ है।

धन उपलब्धि के अनुसार क्रियान्वयन सम्भव होगा।

अलवर जिले में खान आबंटन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें

55. डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1990 से 1993 के बीच अलवर जिले में खानों के आवंटन में अनियमितता व भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो किसके द्वारा व कब? शिकायतों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सम्बन्ध में कोई जांच करवाई गई? यदि हां, तो किस स्तर पर व किसके द्वारा? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1990 से 1993 के बीच अलवर जिले में खानों के आवंटन में हुई अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत तिथी
1.	श्री रामलाल, अलवर	27.5.1991
2.	श्री मुकेश शर्मा, होपसर्कस, अलवर	27.5.1991
3.	श्री राजेश बंसल, चर्च रोड बैंक बिल्डिंग, अलवर	29.5.1991
4.	श्री बी. एल. गुप्ता	27.5.1991
5.	श्री नाथू सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, भा.ज.पा. एवं पूर्व सांसद	23.12.1991

शिकायतों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-अ)

(2) जी हां। श्री रामलाल, मुकेश शर्मा, राजेश बंसल द्वारा की गई शिकायत पर विभाग द्वारा प्रारम्भिक जांच कर प्रकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया गया (परिशिष्ट-ब) संलग्न है।

श्री नाथू सिंह की शिकायत के बिन्दुओं के सम्बन्ध में कार्मिक (क-3) विभाग द्वारा विभागीय जांच कराई जाकर दिनांक 7.11.1997 को कार्मिक विभाग द्वारा दण्डादेश पारित किया गया (परिशिष्ट स) संलग्न है।

(दण्डादेश की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य की बन्द खदानों से राजस्व हानि

56. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली) · क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान के विभिन्न जिलों में सैन्डस्टोन, लाइमस्टोन, मेशेनरीस्टोन मार्बल, कोटा स्टोन की प्रत्येक जिले में 31 मार्च, 2004 तक कितनी-कितनी खानें विभाग के रेकार्ड के अनुसार चालू बताई गई और प्रत्येक जिले में रायल्टी एवं एक्सस रायल्टी से कितनी आय हो रही थी?

(2) राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रत्येक जिले में सभी प्रकार की कितनी खाने विभाग को पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में बन्द करना पड़ा और उससे विभाग को प्रत्येक जिले में कितनी राजस्व की हानि उठानी पड़ी?

(3) बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां में पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के फलस्वरूप कुल बन्द खानों में से कितनी खाने (सेन्डस्टोन, कोटा स्टोन, लाइमस्टोन) की प्रत्येक जिले में 15 जून. 2004 तक चालू हो गई? विभाग को रायल्टी बढ़ाने के पश्चात् कितनी आय प्राप्त हो रही है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) खदानें बन्द होने के फलस्वरूप सरकार को प्रत्येक जिले में कितनी आय की हानि हो रही है?

उत्तर

(1) राजस्थान के विभिन्न जिलों में खनिज सेण्डस्टोन, लाइमस्टोन, मेसेनरी स्टोन, मार्बल. कोटा स्टोन की दिनांक 31 मार्च, 2004 तक कुल 19340 खाने चालू थी। जिलेवार खानों की संख्या एवं रायल्टी एवं एक्सेस रायल्टी की सूचना संलग्न (परिशिष्ट-अ) पर है।

(2) राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कुल 20758 खानें पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में बन्द हुई। बन्द खानों की सूचना जिलेवार (परिशिष्ट-ब) पर एवं सम्भावित राजस्व हानि की सूचना जिलेवार सूची संलग्न (परिशिष्ट-स) पर है।

(खनिज मंत्री)

(3) दिनांक 15 जून, 2004 तक बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां में पर्यावरण सहमति जारी होने के फलस्वरूप जो खानें बन्द हुई उनमें से पुन: चालू खानों का विवरण निम्न प्रकार है :-

नाम खनिज	जिला बूंदी	बारां	कोटा	झालावाड़	योग
मेसेनरी स्टोन	21	10	13	—	44
लाइम स्टोन (बर्निंग)	22	—	—	—	22
सेण्डस्टोन	597	4	8	20	629
लाईमस्टोन (कोटा स्टोन)	—	—	35	12	47
योग	640	14	56	32	742

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.5.2004 के तहत राज्य में खनिजों की रायल्टी में वृद्धि की गई है। वृद्धि के बाद उपरोक्त जिलों में माह जून में निम्न प्रकार आय प्राप्त हुई :

क्र.सं.	जिला	आय (लाखों में)
1.	कोटा	240.00
2.	बूंदी	38.22
3.	झालावाड़	16.17
4.	बारां	4.21

(4) सरकार को खानें बन्द होने से दिनांक 30.6.2004 तक लगभग 511.06 लाख रुपये की राजस्व हानि हुई है। जिलेवार हानि का विवरण प्रश्न के बिन्दू संख्या-2 में संलग्न (परिशिष्ट-स) के अनुसार है।

परिशिष्ट-अ

क्र. सं.	जिला	लाईम स्टोन	मैसेनरी स्टोन	सैण्ड स्टोन	मार्बल	कोटा स्टोन	जो आय प्राप्त हुई (लाखों में) 20.3.2004 तक
		खनन पट्टों की संख्या					रायल्टी एवं एक्सेस रायल्टी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	नागौर	84	187	5	798	—	935.84
2.	बीकानेर	6	109	27	19	—	200.81
3.	चूरू	—	—	—	—	—	—
4.	जैसलमेर	124	43	—	123	—	1078.93
5.	गंगानगर	—	—	—	—	—	—
6.	हनुमानगढ़	—	—	—	—	—	—
7.	भीलवाडा	5	52	2127	24	—	513.59
8.	चित्तौड़गढ़	8	4	78	16	—	3320.37
9.	जोधपुर	78	110	10246	6	—	754.61
10.	पाली	47	89	—	29	—	29.01
11.	सिरोही	36	20	—	93	—	377.78
12.	बाड़मेर	—	134	—	—	—	3.65
13.	जालौर	—	136	—	—	—	41.44
14.	कोटा	1	24	20	—	53	6.86
15.	बारां	—	20	7	—	—	5.97
16.	बूंदी	25	49	819	2	—	3067.77
17.	झालावाड़	—	4	45	—	31	97.75

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	उदयपुर	17	78	—	367	—	5682.20
19.	राजसमन्द	38	9	—	1335	—	5694.36
20.	डूंगरपुर	—	11	—	130	—	133.32
21.	बांसवाड़ा	18	10	—	93	—	515.25
22.	भरतपुर	—	320	28	—	—	475.25
23.	अलवर	—	37	—	116	—	546.49
24.	करौली	—	73	183	—	—	355.00
25.	धौलपुर	—	23	56	—	—	244.60
26.	जयपुर	17	608	—	44	—	87.07
27.	दौसा	—	49	—	2	—	9.68
28.	अजमेर	8	65	—	102	—	755.97
29.	सीकर	6	71	—	28	—	6.59
30.	झुंझुनुं	3	108	—	4	—	0.85
31.	टौंक	39	—	—	—	—	—
32.	सवाईमाधोपुर	78	—	—	1	—	0.12
	योग	**638**	**2443**	**13641**	**3332**	**84**	**24477.33**

परिशिष्ट-ब

पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में बन्द खानों की संख्या एवं खानें तथा राजस्व की सम्भावित हानि (30.6.2004 तक)

क्र. सं.	जिला	बन्द खानों का विवरण			
		प्रधान खनिज के खनन पट्टे	अप्रधान खनिज के खनन पट्टे	क्वारी लाइसेन्स	योग
1	2	3	4	5	6
1.	अलवर	6	99	0	105
2.	भरतपुर	18	334	0	352
3.	धौलपुर	0	79	0	79
4.	करौली/सवाईमाधोपुर	35	256	0	291
5.	बूंदी	4	827	0	831
6.	कोटा	3	105	0	108
7.	झालावाडा	1	53	0	54
8.	अजमेर	157	93	0	250
9.	जयपुर/दौसा	41	244	0	285
10.	नागौर	10	206	932	1148
11.	सीकर/झुंझुनूं	38	113	42	193
12.	टौंक	34	90	8	132
13.	बीकानेर/चूरू	77	124	52	253
14.	जैसलमेर	12	189	0	201
15.	श्री गंगानगर/हनुमानगढ़	9	2	0	11
16.	जोधपुर	15	285	9816	10116

1	2	3	4	5	6
17.	सिरोही	3	128	0	131
18.	पाली	30	187	89	306
19.	बाडमेर	10	189	0	199
20.	जालौर	5	306	0	311
21.	भीलवाड़ा	101	70	1960	2131
22.	चित्तौड़गढ़	41	18	1900	1959
23.	राजसमन्द	58	715	0	773
24.	उदयपुर	111	139	8	258
25	बांसवाड़ा	5	73	8	86
26.	डूंगरपुर	63	36	74	173
27.	बारां	0	22	0	22
	योग	**887**	**4982**	**14889**	**20758**

परिशिष्ट-स

पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में बन्द खानों से राजस्व हानि की सूची

क्र. सं. 1	जिला 2	राजस्व हानि (लाखों में) 3
1.	बीकानेर	36.31
2.	गंगानगर/हनुमानगढ़	11.50
3.	जैसलमेर	—
4.	नागौर	33.90
5.	भीलवाड़ा	20.00
6.	चित्तौड़गढ़	172.64

1	2	3
7.	जोधपुर	—
8.	सिरोही	0.28
9.	पाली	—
10.	बाड़मेर	—
11.	जालौर	—
12.	बूंदी	—
13.	कोटा/बारां	—
14.	झालवाड़	—
15.	उदयपुर	145.16
16.	राजसमन्द	8.64
17.	डूंगरपुर	15.00
18.	बांसवाड़ा	0.15
19.	जयपुर	7.16
20.	अजमेर	20.00
21.	सीकर	13.71
22.	झुंझुनूं	3.51
23.	नागौर	—
24.	टौंक	—
25.	अलवर	13.96
26.	भरतपुर	—
27.	करौली	—
28.	धौलपुर	8.70
29.	दौसा	0.44
30.	सवाईमाधोपुर	—
	योग	**511.08**

शस्त्र अनुज्ञापत्र के लम्बित प्रकरण

57. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा हथियारों का लाइसेन्स जारी करने की क्या प्रक्रिया है?

(2) क्या यह सही है कि निर्धारित मानदण्डों एवं प्रक्रिया को पूरा करने के बावजूद भी हथियार लाइसेन्स जारी नहीं किये जाते हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने के बावजूद मृतक के जायज वारिस को हथियार लाइसेन्स जारी नहीं करने के अनेकों प्रकरण वर्षों से लम्बित हैं अथवा निरस्त कर दिये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार निकट भविष्य में इन्हें प्राइज़ से हथियार लाइसेन्स जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में हथियारों के लाइसेन्स प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को आर्म्स एक्ट 1959 एवं आर्म्स रूल्स, 1962 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन करने पर पुलिस अधीक्षक से आवेदक के चरित्र सत्यापन, आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी, जहां आवश्यक हो राज्य विशेष शाखा की जांच रिपोर्ट व आवश्यकतानुसार अन्य प्राप्त जांच रिपोर्टों को मध्यनजर रखते हुए गुणावगुण के आधार पर लाइसेन्स की आवश्यकता एवं औचित्य की पुष्टि व संतुष्टि उपरान्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लाइसेन्स जारी किया जाता है।

सीमान्त एवं संवेदनशील जिलों में राज्य विशेष शाखा (इन्टे.) की रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् ही लाइसेन्स जारी किये जाते हैं।

(2) जी नहीं। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गुणावगुण एवं संतुष्टि के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।

(3) राज्य में दिनांक 1.1.2004 तक मात्र 206 आवेदन पत्र पेण्डिंग है। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। इन प्रकरणों में वांछित औपचारिकताएं पूर्ण होने पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लाइसेन्स जारी करने बाबत निर्णय लिया जायेगा।

(गृह मंत्री)

(4) राज्य सरकार द्वारा मृतकों के वारिसों के हथियार लाइसेन्स के लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण दो माह की अवधि में किये जाने हेतु समस्त जिला मजिस्ट्रेटों को दिनांक 2.6.2004 को निर्देश प्रदान किये हैं।

परिशिष्ट-"अ"

पिछले तीन वर्षों में मृतक लाइसेन्सधारियों के उत्तराधिकारियों को जारी किये गये आर्म लाइसेन्स एवं दिनांक 1.1.2004 को जिलेवार बकाया आवेदन पत्रों का विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	गत तीन वर्षों (2001 से 2003) में जारी लाइसेन्सों की कुल संख्या	1.1.2004 को बकाया आवेदन पत्रों की कुल संख्या
1	2	3	4
1.	अजमेर	26	29
2.	अलवर	76	102
3.	बांसवाड़ा	24	19
4.	बाड़मेर	41	52
5.	बारां	48	48
6.	भरतपुर	74	02
7.	भीलवाड़ा	08	29
8.	बीकानेर	36	09
9.	बूंदी	06	04
10.	चित्तौड़गढ़	18	14
11.	चूरू	14	09
12.	दौसा	03	06

1	2	3	4
13.	धौलपुर	123	102
14.	डूंगरपुर	08	03
15.	हनुमानगढ़	62	97
16.	जयपुर	24	06
17.	जैसलमेर	19	106
18.	जालौर	09	06
19.	झालावाड़	26	01
20.	झुंझुनूं	14	49
21.	जोधपुर	68	21
22.	करौली	15	07
23.	कोटा	58	51
24.	नागौर	29	19
25.	पाली	21	26
26.	राजसमन्द	125	17
27.	सवाईमाधोपुर	34	00
28.	सीकर	16	27
29.	सिरोही	86	23
30.	श्रीगंगानगर	263	300
31.	टौंक	01	15
32.	उदयपुर	28	05
	कुल	**1392**	**1206**

बारां जिले में शस्त्र क्रय करने हेतु जारी अनुज्ञा-पत्र

58. श्री प्रमोद कुमार जैन "भाया"(बांरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले में जिला मजिस्ट्रेट, बारां द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2003 से 31 मार्च, 2004 तक किस-किस व्यक्ति को किस-किस प्रकार के शस्त्र के क्रय हेतु अनुज्ञा पत्र/लाइसेन्स जारी किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 1 जनवरी, 2003 से 31 मार्च, 2004 तक जो नवीन शस्त्र लाइसेन्स जारी किये गये हैं, उनमें से कई लाइसेन्स जारी किये गये हैं, उनमें से कई लाइसेन्स धारी के विरूद्ध न्यायालयों व पुलिस थानों में आपराधिक प्रकरण जेरकार होने के बावजूद शस्त्र लाइसेन्स जारी कर दिये गये? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत आपराधिक प्रकरण लम्बित होने पर भी नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जा सकते हैं? यदि हां, तो सम्बन्धित आर्म्स एक्ट के नियमों व परिपत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उपरोक्त आपराधिक छवि के व्यक्तियों को नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने की अभिशंसा किस-किस जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई एवं नियम विरूद्ध अभिशंसा करने वाले जिला पुलिस अधीक्षकों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) बारां जिले में जिला मजिस्ट्रेट, बारां द्वारा दिनांक 1.1.2003 से 31.3.2004 तक कुल 74 व्यक्तियों को शस्त्र के क्रय हेतु अनुज्ञा-पत्र/लाइसेन्स जारी किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त 74 व्यक्तियों के विरुद्ध पूर्व से ही मुकदमें दर्ज थे। उक्त 5 व्यक्तियों में तीन व्यक्तियों श्री किरण कुमार, मनोज गर्ग एवं अजय खत्री को पूर्व में ही न्यायालय द्वारा बरी किया गया था तथा श्री राधेश्याम को 200/-रु. के अर्थ दण्ड से दण्डित कर न्यायालय ने प्रकरण का निस्तारण कर दिया। इसके साथ ही श्री आनन्द गर्ग को 11 मुकदमों में से 9 में बरी किया गया व 2 मुकदमें विचाराधीन है। उक्त

(गृह मंत्री)

व्यक्ति के विरूद्ध सभी मुकदमात राजनैतिक गतिविधियों के दौरान दर्ज होने व व्यापारी व्यक्ति होने तथा कस्बा भँवरगढ़ में पेट्रोल पम्प होने से उक्त व्यक्ति को आत्मरक्षा हेतु पुलिस अधीक्षक, बारां द्वारा नवीन शस्त्र लाइसेन्स जारी करने की अभिशंसा की गई थी। पूर्ण विवरण परिशिष्ट- "ब" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। किन्तु आर्म्स एक्ट की धारा 9 में जिन व्यक्तियों को शस्त्र प्राप्त करने से वंचित माना गया है। उस श्रेणी में इनमें से कोई भी व्यक्ति नहीं था। अत: आर्म्स लाइसेन्स लेने के लिये यह अपात्र नहीं थे। आर्म्स एक्ट की धारा 9 के प्रावधान की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(4) श्री किरण कुमार पुत्र राधेश्याम गुर्जर निवासी बारां, श्री राधेश्याम पुत्र किशन लाल पारेता, निवासी हरनावदाशाहजी एवं श्री मनोज गर्ग पुत्र रामफल गर्ग निवासी बारां को नवीन शस्त्र लाइसेन्स जारी करने की अभिशंसा तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री जगन लाल मीणा द्वारा की गई। एवं श्री अजय खत्री पुत्र विशनदास निवासी बारां, श्री आनन्द गर्ग पुत्र भगवान लाल गर्ग निवासी बारां को नवीन शस्त्र लाइसेन्स जारी करने की अनुशंसा तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विनिता ठाकुर द्वारा की गई थी।

संलग्न परिशिष्ट "स" के अनुसार इनमें से किसी व्यक्ति की अभिशंसा नियम विरुद्ध करना नहीं पाया जाता।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पुलिस कर्मियों के विरुद्ध लम्बित प्रकरण

59. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में सिपाही से पुलिस महानिदेशक तक के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों एवं पदस्थापित कर्मियों की संख्या में क्या कोई अन्तर है? यदि हां, तो रिक्त पदों की संख्या का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विभाग में सिपाही से लेकर आईपीएस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय और अनुशासनात्मक कार्रवाई के कितने प्रकरण विचाराधीन हैं? प्रकरणों का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 1. प्रदेश में सिपाही से डी.जी.पी. तक कुल 65592 पद स्वीकृत है।

2. उपरोक्त स्वीकृत पदों एवं पदस्थापित स्टाफ की संख्या में जो अन्तर है वह निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	पदस्थापित स्टाफ	रिक्त (अन्तर)
1.	आई.पी.एस.	184	148	36
2.	आर.पी.एस. (अति. पुलिस अधी.)	153	133	20
3.	आर.पी.एस. (उप. पुलिस अधी.)	464	382	82
4.	पुलिस अधीक्षक	889	782	107
5.	उप निरीक्षक पुलिस	3365	2722	643
6.	सहा. उप निरीक्षक पुलिस	3896	3134	762
7.	हैड कानिस्टेबल	3853	3228	625
8.	कानि.	52788	48302	4486
	कुल योग	**65592**	**58831**	**6761**

सिपाही से अति. पुलिस अधीक्षक तक के रिक्त पदों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) पुलिस विभाग में सिपाही से लेकर पुलिस निरीक्षक तक नियम 16 सी.सी.ए. रूल्स के अन्तर्गत 818 विभागीय जांचे एवं नियम 17 सी.सी.ए. रूल्स के अन्तर्गत 1079 विभागीय जांचे विचाराधीन है। सिपाही से लेकर निरीक्षक तक का जिलेवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। राजस्थान पुलिस सेवा के 3 अधिकारियों के विरूद्ध सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन है। (परिशिष्ट "स" संलग्न है) तथा सी.सी.ए. नियम 17 के अन्तर्गत कोई जांच

(गृह मंत्री)

विचाराधीन नहीं है। आई.पी.एस. अधिकारियों के विरूद्ध सीसीए नियम 16 एवं 17 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-अ

जिलेवार—रिक्त पद

क्र. सं.	जिले का नाम	अति. पु.अ.	उप पु.अ.	पु.नि.	उप. नि.	सउनि.	हैड कानि.	कानि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अजमेर	—	—	1	15	37	9	145
2.	भीलवाड़ा	—	—	1	6	16	11	79
3.	नागौर	—	—	1	3	5	7	84
4.	जयपुर ग्रामीण	—	—	—	4	22	12	53
5.	जयपुर शहर	—	—	1	98	44	79	341
6.	झुंझुनूं	—	—	—	3	12	14	49
7.	सीकर	—	—	—	2	8	15	87
8.	टौंक	—	—	—	6	12	17	77
9.	दौसा	—	—	1	—	11	2	41
10.	बीकानेर	—	—	—	7	3	5	194
11.	चूरू	—	—	2	1	6	5	9
12.	गंगानगर	—	—	—	5	29	17	193
13.	हनुमानगढ़	—	—	—	3	6	1	49
14.	भरतपुर	—	—	—	5	17	10	27
15.	अलवर	—	—	—	9	29	18	61
16.	सवाईमाधोपुर	—	—	1	5	6	13	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	धौलपुर	—	—	—	4	3	16	66
18.	करौली	—	—	—	4	6	1	67
19.	जोधपुर शहर	—	—	—	17	—	1	117
20.	जोधपुर ग्रामीण	—	—	—	—	3	11	31
21.	जालौर	—	—	—	2	2	5	66
22.	जैसलमेर	—	—	—	4	4	8	89
23.	बाड़मेर	—	—	—	3	—	9	80
24.	पाली	—	—	—	2	4	7	127
25.	सिरोही	—	—	1	1	—	9	84
26.	कोटा शहर	—	—	—	12	7	23	109
27.	कोटा ग्रामीण	—	—	—	8	3	14	92
28.	बूंदी	—	—	—	7	11	9	30
29.	झालावाड़	—	—	—	7	9	13	103
30.	बारां	—	—	1	7	2	7	94
31.	उदयपुर	—	1	—	20	10	15	177
32.	बांसवाड़ा	—	—	—	8	6	13	52
33.	चित्तौड़गढ़	—	—	—	9	19	8	134
34.	डूंगरपुर	—	—	—	3	8	1	40
35.	राजसमन्द	—	—	—	6	6	2	85
36.	जी.आर.पी. जोधपुर	—	—	1	—	—	4	32
37.	जी.आर.पी. अजमेर	—	—	—	10	2	10	63
38.	**कुल योग**	—	**1**	**14**	**306**	**368**	**421**	**3272**

परिशिष्ट-ब

जिलेवार-विभागीय कार्यवाही प्रकरण

क्र. सं.	जिला	पुलिस नि.		उप नि.		स.उप. नि.		हैड कानि.		कानि.	
		16CCA	17CCA	16CCA	17CCA	16CCA	17CCA	16CCA	17CCA	16CCA	17CCA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अजमेर	0	4	0	3	4	2	1	5	22	16
2.	भीलवाड़ा	0	0	0	2	1	4	5	2	9	11
3.	नागौर	0	0	0	8	0	1	1	2	11	16
4.	जयपुर ग्रामीण	0	2	0	1	1	3	1	1	8	3
5.	जयपुर शहर	0	2	0	3	4	2	3	2	16	13
6.	झुंझुनूं	0	12	0	20	4	8	6	13	60	33
7.	सीकर	0	18	3	23	0	10	7	14	48	27
8.	टौंक	0	0	0	5	5	0	2	1	8	1
9.	दौसा	0	8	0	3	0	2	1	14	5	0
10.	बीकानेर	1	4	3	13	4	3	4	2	22	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	चूरू	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0
12.	गंगानगर	1	3	6	4	3	4	1	1	15	10
13.	हनुमानगढ़	0	2	0	0	3	1	1	0	4	2
14.	भरतपुर	0	11	1	13	4	20	3	8	12	16
15.	अलवर	2	5	1	23	1	6	1	13	19	14
16.	सवाईमाधोपुर	0	0	0	0	2	1	0	0	4	2
17.	धौलपुर	0	11	2	25	1	6	1	3	15	9
18.	करौली	0	6	0	10	1	2	4	4	22	4
19.	जोधपुर शहर	0	1	0	3	0	4	1	1	22	9
20.	जोधपुर ग्रामीण	0	2	0	14	0	1	0	1	1	5
21.	जालौर	0	1	0	0	1	4	0	2	3	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	जैसलमेर	0	1	0	4	1	1	0	5	3	12
23.	बाड़मेर	0	4	1	1	1	2	1	0	8	1
24.	पाली	0	2	3	3	1	1	0	0	4	7
25.	सिरोही	0	0	0	3	0	0	1	4	22	10
26.	कोटा शहर	0	0	0	1	0	1	2	0	10	0
27.	कोटा ग्रामीण	0	4	0	18	1	6	6	9	19	9
28.	बूंदी	0	1	0	2	0	3	1	0	10	1
29.	झालावाड़	0	0	0	1	1	2	0	4	2	5
30.	बारां	0	0	0	0	2	6	3	2	16	6
31.	उदयपुर	0	7	4	3	2	7	1	8	19	53
32.	बांसवाड़ा	0	0	0	3	0	0	3	0	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.	चित्तौड़गढ़	0	3	6	5	1	2	6	1	26	5
34.	डूंगरपुर	0	1	0	6	0	3	0	4	6	0
35.	राजसमन्द	0	0	1	0	3	0	4	0	8	2
36.	जी.आर.पी. जोधपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
37.	जी.आर.पी. अजमेर	0	1	0	1	0	0	0	4	3	0
38.	**कुल योग**	**4**	**110**	**31**	**228**	**52**	**119**	**72**	**130**	**471**	**312**

परिशिष्ट-स

क्र.सं.	आरोपित अधिकारी का नाम	आरोप पत्र जारी करने की दिनांक	प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाही नियम 16/17	वर्तमान स्थिति
1.	श्री कैलाश गोयल, आर.पी.एस.	10.1.1996	16	प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने विभागीय जांच कार्यवाही स्थगित रखने के आदेश दिये हुए हैं।
2.	श्री धर्मवीर सिंह, आर.पी.एस.	7.5.2002	16	जांच कार्यवाही से जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।
3.	श्री अजय सिंह, आर.पी.एस. श्री नारायणदान पुलिस निरीक्षक	2.1.2004	16	जांच अधिकारी से जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।

सलूम्बर उपखण्ड में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पदस्थापन

60. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सलुम्बर उप खण्ड पर उप अधीक्षक कार्यालय है? यदि हां, तो क्या सरकार यहां अतिरिक्त अधीक्षक कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार सलूम्बर उप अधीक्षक के अन्तर्गत गिंगला अस्थाई चौकी को स्थाई चौकी में परिवर्तन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में कौन-कौनसी नई पुलिस चौकी खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि सलूम्बर उप खण्ड पर उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय है। यहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने का विचार नहीं है।

(2) सलूम्बर उप अधीक्षक के अन्तर्गत गिंगला अस्थाई पुलिस चौकी को स्थायी पुलिस चौकी में परिवर्तन करने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में नई पुलिस चौकी खोले जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

खण्डार उपखण्ड में उप अधीक्षक, पुलिस का पदस्थापन

61. श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खण्डार मुख्यालय पर उप अधीक्षक पुलिस का कार्यालय संचालित है?

(2) क्या यह भी सही है कि खण्डार क्षेत्र डांग एवं दस्यु पीड़ित क्षेत्र है? यदि हां. तो क्या सरकार डांग क्षेत्र एवं भौगोलिक पृष्ठ भूमि को देखते हुये क्षेत्र में कानून व्यवस्था में सुधार एवं सुलभ न्याय को दृष्टिगत रखते हुये उप अधीक्षक पुलिस कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। विधान सभा क्षेत्र खण्डार मुख्यालय पर उप अधीक्षक पुलिस का कार्यालय संचालित नहीं है।

(2) यह सही है कि खण्डार क्षेत्र डांग एवं दस्यु पीड़ित क्षेत्र है। परन्तु वृत्ताधिकारी सवाईमाधोपुर (ग्रामीण) का कार्यालय जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर पर होने एवं इसके अधीन आने वाले पांचों पुलिस थाने. जिसमें थाना खण्डार भी शामिल है का जिला मुख्यालय से लगभग समान दूरी होने के कारण खण्डार मुख्यालय पर अलग से उप अधीक्षक पुलिस का कार्यालय खोलने का कोई विचार नहीं है।

पुलिस थाना भानीपुरा (सरदारशहर) में दर्ज प्रकरण

62. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरदारशहर तहसील के पुलिस थाना भानीपुरा में जनवरी, 2003 से मई, 2004 तक कितनी चोरी की घटनायें हुई? उनमें से कितनी चोरियों में कितना माल बरामद हुआ व कितने अभियुक्तों को पकड़ा गया? उनके खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेजं पर रखें।

(2) पुलिस थाना भानीपुरा में जनवरी, 2003 से मई, 2004 तक चोरी के अलावा कौन-कौनसी घटनायें हुई? उनमें सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरदारशहर तहसील के पुलिस थाना भानीपुरा में जनवरी, 2003 से मई, 2004 तक चोरी (नकबजनी, पशु चोरी एवं अन्य चोरी) के 29 अभियोग पंजिबद्ध हुये हैं, जिनमें 4 अभियोग में नतीजा एफ.आर. अदम वकू, 16 अभियोगों में नतीजा एफ.आर. अदम पता एवं 7 अभियोगों में 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चालान पेश न्यायालय किया गया तथा 2 अभियोग जैर तफ्तीश रहे हैं। इन दर्ज शुदा अभियोगों में 1,83,400 रु. का माल मशरूका गया एवं 48750/-रु. का माल वाजियाप्ता बरामद हुआ है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) पुलिस थाना भानीपुरा में जनवरी, 2003 से मई, 2004 तक चोरी के अलावा निम्नलिखित घटनायें हुई, जिनमें निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई :-

क्र. सं.	शीर्षक अपराध	दर्ज अभि.	एफआर अ.वकू	एफआर .पता	एफआर अ.सबूत	जैरतफ	चालान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	डकैती	—	—	—	—	—	—
2.	लूट	—	—	—	—	—	—
3.	कत्ल	2	—	—	—	—	2

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बलात्कार	4	2	—	—	—	2
5.	बलवां	3	1	—	—	—	2
6.	अन्य भा.द.स..	79	30	1	—	2	46
7.	आर्म्स एक्ट	—	—	—	—	—	—
8.	आब. एक्ट	9	—	—	—	—	9
9.	एन.डी.पी.एस. एक्ट	—	—	—	—	—	—
10.	जुआ एक्ट	—	—	—	—	—	—
11.	दिगर एक्ट	5	—	—	—	—	5
	कुल योग	**102**	**33**	**1**	**—**	**2**	**66**

परिशिष्ट-अ

दिनांक 1.3.2003 से 31.12.2003 तक दर्ज मुकदमे नकबजनी एवं चोरी पुलिस थाना भानीपुरा जिला चुरू

क्र. सं.	मुकदमा नं.	धारा	नाम पता मुस्तगीस	मसरूका	वाजिया पता	चोरी गये माल का विवरण	कितने अभियुक्तों को पकड़ा गया	नतीजा	पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2/ 3.1.03	379 IPC	श्री दुर्गाराम पुत्र लखूराम निवासी बिजरासर	100	—	एक बोरड़ी का पेड़ काट कर ले गए	भंवरलाल पुत्र पन्नाराम जाट	सीएस नं. 1/31.3.03	मुल्जिम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जैर तजबीज न्यायालय
2.	3/ 3.1.03	457, 380 IPC	श्री सत्यानारायण पुत्र रामेश्वर लाल ब्राह्मण निवासी भोजासर छोटा	4000	—	घर में घुस कर सोना चांदी के जेवरात ले गए	अज्ञात	एफआर अदम पता	बावजूद प्रयास के अभियुक्तगण का पता नहीं चल सका
3.	12/ 17.2.03	379 IPC	श्री ओकारमल पुत्र श्री दीपाराम नाई नि. हरदेसर	9000	8500	सात भेड़े व 3 बकरिया चोरी कर ले गए	1. महावीर दास 2. पृथ्वी सिंह	सीएम नं. 13/31.3.03	मुल्जिम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जैर तजबीज न्यायालय

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	31/ 14.5.03	379 IPC	सहायक अभियन्ता वितरण जोधपुर जे.ई.एन. जोधपुर विद्युत विभाग लि. सरदारशहर	1500	—	बिजली के तार चोरी कर ले गए	अज्ञात	एफआर अदम पता	बावजूद प्रयास के अभियुक्त गण का पता नहीं चल सका
5.	36/ 26.5.03	457, 380 IPC	श्री सादुल सिंह पुत्र श्री हीरसिंह राजपूत नि. बिल्यूबास रामपुरा	2000	250	मिठाई व मणीयारी का सामान दुकान में घुस कर चोरी कर ले गए	1. महावीर पुत्र कृष्ण 2. रामस्वरूप	सीएस नं. 27 31.8.03	मुल्जिम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जैर तजबीज न्यायालय
6.	43/ 24.6.03	379 IPC	श्री करणीसिंह पुत्र श्री शिवनाथ सिंह राजपुत नि. रणसीसर	7000	7000	10 बकरिया चोरी कर ले गए	खम्माराम पुत्र श्री गणेशाराम जाट	सीएम नं. 21/30.6.03	मुल्जिम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जैर तजबीज न्यायालय
7.	54/ 23.7.03	379 IPC 3/10 sc/st act	श्री रामलाल पुत्र श्री अर्जुन राम मेघवाल नि. सावर	—	—	ईंट चोरी कर ले गए	—	एफआर अदम वकु झुठा	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	59/ 10.8.03	379 IPC	श्री भींयाराम पुत्र ऊमाराम जाट नि. मालकसर	—	—	एक साण्ड व टोरडी चोरी कर ले गए	—	एफआर अदम वकु झुठा	—
9.	64/ 22.8.03	457, 380 IPC	श्री नन्दलाल पुत्र श्री बीरबल राम शर्मा नि. मेहरासर उपाध्यान	25000	25000	घर में घुस कर जेवरात व कपड़े चोरी कर ले गए	ओमी उर्फ ओमप्रकाश पुत्र हड़मान नायक	सीएम नं. 35/31.8.03	मुल्जिम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जैर तजबीज न्यायालय
10.	67/ 27.8.03	379 IPC	श्री कैलाश चन्द्र पुत्र श्री मूल चन्द खटीक नि. जे.ई.एन. जोधपुर विद्युत विभाग सरदारशहर	4000	—	घर में घुस कर सोना चांदी के जेवरात ले गए	अज्ञात	एफआर अदम पता	बावजूद प्रयास के अभियुक्तगण का पता नहीं चल सका

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	69/ 1.9.03	379 IPC	श्री रामकिशन पुत्र मूलचन्द मीणा नि. सारदड़ पुलिस थाना कोटपूतली हाल नायब तहसीलदार भानीपुरा	हरी मोठ ऊपाड़कर कर ले गए	—	मोंठ की फसल चोरी कर ले गए	—	एफआर अदम वकु झुठा	—
12.	77/ 22.9.03	379 IPC	श्री केसराराम पुत्र श्री निमाराम नायक नि. शिमला	10000	—	14 भेड़े चोरी कर ले गए	अज्ञात	एफआर अदम पता	बावजूद प्रयास के पता नहीं चल सका
13.	78/ 22.9.03	379, 427 IPC	श्री लादूराम पुत्र श्री रामूराम जाट नि. देवाणिया	—	—	30 मन पत्थर चोरी कर ले गए	—	अदम वकु सिविल नेचर	—
14.	79/ 24.9.03	457, 380 IPC	श्री हनुमानसिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह राजपूत नि. जैतसीसर	3500	—	जेवरात सोना चांदी घर में घुस कर चोरी कर ले गए	अज्ञात	एफआर अदम पता	बावजूद प्रयास के पता नहीं चल सका

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	89/ 8.11.03	447, 379 IPC	श्रीमती खातुन पत्नि श्री खैरू नि. वार्ड नं. 31 सरदारशहर	हरी मोंठ ग्वार बाजरा उपाड़कर कर ले गए	—	ग्वार मोठ बाजरा चोरी कर ले गए	अज्ञात	एफआर अदम पता	बावजूद प्रयास के पता नहीं चल सका
16.	92/ 8.12.03	379 IPC	श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री मूलचन्द खटीक हाल जे.ई.एन. जे.डी.वी. वी.एन.एल. सरदारशहर	5000	—	बिजली के तार चोरी कर ले गए	अज्ञात	एफआर अदम पता	बावजूद प्रयास के पता नहीं चल सका
17.	5/ 11.1.04	379 IPC	श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री मूलचन्द खटीक हाल जे.ई.एन. जे.डी.वी.वी.एन.एल. सरदारशहर	10000	—	बिजली के तार चोरी कर ले गए	अज्ञात	एफआर अदम पता	बावजूद प्रयास के पता नहीं चल सका

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	6/ 12.1.04	379 IPC	मोहन लाल पुत्र मनशाराम माली नि. रणसीसर	7000	—	सात बोरी ग्वार चोरी कर ले गए	अज्ञात	एफआर अदम पता	बावजूद प्रयास के पता नहीं चल सका
19.	7/ 12.1.04	380 IPC	श्री मोटाराम पुत्र श्री नानूराम जाट नि. बिजरासर	13000	—	सात बोरी ग्वार चोरी कर ले गए	अज्ञात	एफआर अदम पता	बावजूद प्रयास के पता नहीं चल सका
20.	10/ 12.1.04	379 IPC	श्री बजरंग लाल पुत्र श्री रामेश्वर लाल ब्राह्मण नि. दलुसर	15000	—	13 बोरी ग्वार चोरी कर ले गए	अज्ञात	एफआर अदम पता	बावजूद प्रयास के पता नहीं चल सका
21.	11/ 12.1.04	457, 380 IPC	श्री अमीलाल पुत्र फुसाराम जाट नि. पिचकराई टिब्बा	15000	—	घर में घुस कर सोना चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए	अज्ञात	एफआर अदम पता	बावजूद प्रयास के पता नहीं चल सका
22.	12/ 26.1.04	457, 380 IPC	श्री हेतराम पुत्र श्री सेवगराम ब्राह्मण नि. जैतसीसर	15000	—	दुकान में घुस कर दवाइयां चोरी कर ले गए	अज्ञात	एफआर अदम पता	बावजूद प्रयास के पता नहीं चल सका

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	15/ 8.3.04	457, 380 IPC	श्री रामकुमार पुत्र श्री गिरधारी लाल नि. फतहगढ़ हाल जे.ई.एन. जन स्वा. ग्रामीण सरदारशहर	20000	8000	सीआई जोईन्टस चोरी कर ले गए	1. रेवतसिंह 2. लेखराम 3. राकेश 4. मेहर चन्द 5. लालचन्द 6. देवीलाल 7. कालुराम 8. इन्द्राज	सीएस नं. 2/ 31.5.2004	चालान न्यायालय पेश किया गया जैर तजबीज न्यायालय है
24.	18/ 20.2.03	379 IPC	श्री भादर राम पुत्र श्री रतनाराम मेघवाल नि. रणसीसर हाल सरपंच रणसीसर	800	—	लकड़ियों चोरी कर ले गए	अज्ञात	एफआर अदम पता	बावजूद प्रयास के पता नहीं चल सका
25.	23/ 16.3.04	457, 380 IPC	श्री महीपाल सिंह पुत्र रामूराम जाट नि. ढीलसर थाना बिसाऊ हाल वरिष्ठ अ. रामावि. बजरावसर	1500	—	घर में घुस कर जेवरात चोरी कर ले गए	अज्ञात	एफआर अदम पता	बावजूद प्रयास के पता नहीं चल सका

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	24/ 19.3.04	379 IPC	श्री निरजनन्दन कुमार पुत्र श्री रामेश्वरप्रसाद गुप्ता नि. चित्रविहार जिला नालंदा, बिहार हाल जे.ई.एन. सरदारशहर	500	—	बिजली के तार चोरी कर ले गए	अज्ञात	एफआर अदम पता	बावजूद प्रयास के पता नहीं चल सका
27.	29/ 20.4.04	379 IPC	श्री निरजनन्दन कुमार पुत्र श्री रामेश्वरप्रसाद गुप्ता नि. चित्रविहार जिला नालंदा, बिहार हाल जे.ई.एन. सरदारशहर	4000	—	बिजली के तार चोरी कर ले गए	अनुसंधान जारी है।	—	—
28.	32/ 8.5.04	379 IPC	श्री कैलाश चन्द किड़ारू क.अ.ग्रा. जो.इ.वि.नि. सरदारशहर	4000	—	बिजली के तार चोरी कर ले गए	अनुसंधान जारी है।	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	33/ 13.5.04	457 IPC	श्री रामकुमार पुत्र श्री गिरधारी दास नि. फतेहगढ़ हाल जे.ई.एन. पीएचईडी फुसाराम जाट नि. पिचकराई टिब्बा	—	—	चोरी की नियत से घर में घुसे	1. मनीराम 2. रामकुमार	सीएस नं. 19/21.5.03	चालान न्यायालय पेश किया गया जैर तजबीज नयायालय है

चूरू जिले के थानों में दर्ज प्रकरण

63. डा. चन्द्रशेखर वैद (तारानगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) दिनांक 1 जनवरी, 2004 से अब तक जिला चूरू एवं तहसील तारानगर एवं राजगढ़ के विभिन्न थानों में भिन्न-भिन्न श्रेणियों के कितने अपराध पंजीकृत किये गये?

(2) पंजीकृत अपराधों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

(3) उक्त क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों के अपराधों की रोकथाम एवं जन सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) दिनांक 1 जनवरी, 2004 से दिनांक 30.6.2004 तक जिला चूरू के थानों पर भिन्न-भिन्न श्रेणी के कुल 1411 अभियोग पंजीकृत हुए हैं। (विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है) राजगढ़ तहसील के थानों में भिन्न-भिन्न श्रेणी के कुल 353 अभियोग व तारानगर में भिन्न-भिन्न श्रेणी के कुल 113 अभियोग पंजीकृत किये गये है। जिनकी थानेवार एवं भिन्न-भिन्न श्रेणियों का विवरण परिशिष्ट क्रमश: "ब" व "स" पर अंकित है।

(2) अपराध पंजीकृत होते ही त्वरित विधिवत कार्यवाही कर अनुसंधान को पूर्ण किया जाता है। अनुसंधान की कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट क्रमश: "अ", "ब" एवं "स" पर अंकित है।

(3) विभिन्न श्रेणियों के अपराधों की रोकथाम हेतु जिले में प्रभावी ढंग से गश्त व नाकाबन्दी कराई जा रही है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पैराटीचर्स पर लाठी चार्ज में घायल होमगार्ड की सेवा समाप्ति

64. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 20 अगस्त, 2002 को पैराटीचर्स के सदभावना

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

दिवस पर स्टेच्यू सर्किल, जयपुर पर पुलिस द्वारा किये गये लाठीचार्ज में कई राहगीर गम्भीर रूप से घायल हो गये? यदि हां, तो कौन-कौन? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त लाठी चार्ज में होमगार्ड कर्मी श्री श्योलाल गुर्जर पुत्र श्री रामगोपाल गुर्जर, निवासी भोजपुरा, पोस्ट बैनाडा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर की आंख पर चोट लग जाने पर उसे भी सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में भर्ती कराया गया था? यदि हां, तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या श्री श्योलाल गुर्जर की उक्त घटना में एक आंख पूरी तरह से खराब हो जाने पर उसके द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय को होमगार्ड में नियमित करने का प्रार्थना पत्र देने तथा वहां से उक्त प्रार्थना पत्र महानिदेशक पुलिस (होमगार्ड) को प्राप्त होने के पश्चात श्री गुर्जर की सेवायें होमगार्ड से समाप्त कर दी गई? यदि हां, तो क्यों? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार पुलिस लाठी चार्ज में एक आंख से विकलांग हुये उक्त होमगार्ड को पुन: सेवा में लेकर नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि दिनांक 20 अगस्त, 2002 को पैराटीचर्स के सदभावना दिवस पर स्टेच्यू सर्किल जयपुर पर पुलिस द्वारा किये गये लाठीचार्ज में कोई राहगीर गम्भीर रूप से घायल हुआ हो। दिनांक 20 अगस्त, 2002 को भीड़ द्वारा किये गये पथराव में 7 पैराटीचर्स (सोमदत्त, रामसुख जाट, विशनाराम, रामलाल विश्नोई, किशनाराम विश्नोई, नाथूराम व घेवर सिंह) तथा 19 पुलिस कर्मियों (विष्णु देव सामतानी, पु. नि., नरेन्द्र मोहन शर्मा, पु. नि., सोहेल राजा, पु.नि., समय सिंह, स.उ.नि., शिवचरण सिंह, हैड कानि., एवं कानिस्टेबल सर्व श्री मनोहरलाल, महेन्द्रसिंह, नन्दकिशोर, अरविन्द, महाराज सिंह, महेश कुमार, हरिसिंह, रामपाल, प्रेमसिंह, सुरेश चन्द्र, सुरजीत सिंह, कैलाश चन्द्र, मानसिंह एवं पूरणमल) के चोटे आई।

(2) होमगार्ड कर्मी श्री श्योलाल गुर्जर के पैराटीचर्स द्वारा की जा रही पत्थरबाजी व बैनरों के डण्डों से किये जा रहे प्रहार से आंख पर चोट लगने से उसे

(गृह मंत्री)

एस.एम.एस. अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मेडिकल रिपोर्ट व एक्स-रे रिपोर्ट की फोटो प्रतियां संलग्न है।

(3) श्री श्योलाल गुर्जर, बैल्ट नं. 1277 की होमगार्ड सेवायें समाप्त नहीं की गई है। यह वर्तमान में भी होमगार्ड का सदस्य है।

(4) राजस्थान होमगार्ड एक्ट, 1963 में निर्दिष्ट नियमों के तहत श्री श्योलाल गुर्जर, होमगार्ड की होमगार्ड से सेवाएं समाप्त नहीं की गई है, तथा राज्य सरकार की नियमित सेवा में लेने का कोई प्रावधान नहीं है।

(मेडिकल रिपोर्ट की फोटो प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गंगरार (चित्तौड़गढ़) पुलिस चौकी का क्रमोन्नयन

65. **श्री अर्जुन लाल जीनगर** (गंगरार) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ के कस्बे में स्थापित पुलिस चौकी को क्रमोन्नत कर थाना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जिला चित्तौड़गढ़ के कस्बा गंगरार में पूर्व में ही पुलिस थाना कार्यरत है।

अरावली प्रोजक्ट हेतु ज्ञापन से प्राप्त राशि का दुरुपयोग

66. **श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अरावली प्रोजेक्ट के लिये जापान से कितनी राशि सहायता के रूप में प्राप्त हुई व प्रोजेक्ट की इस राशि से क्या-क्या कार्य कहां-कहां किया जाना प्रस्तावित था? प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सहायता राशि में से गाड़ियां/फर्नीचर ख़रीदा गया

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

तथा भवन निर्माण पर राशि खर्च की गई? यदि हां, तो गाड़ियां व फर्नीचर तथा भवन निर्माण कार्य पर व्यय की गई राशि का विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जापान से प्राप्त सहायता राशि का उपयोग अरावली क्षेत्र में वन विकास पर किया जाना था? यदि हां, तो अरावली क्षेत्र में कहां-कहां वृक्षारोपण किया गया और उस पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जापान सरकार की समुद्र पारीय आर्थिक सहयोग निधि (OECF) एवं जापान बैंक आफ इन्टरनेशनल काआपरेशन (JBIC) से प्राप्त आर्थिक सहायता से राज्य में वर्ष 1992 से 2000 की अवधि में अरावली वृक्षारोपण परियोजना संचालित की गई। अरावली वृक्षारोपण परियोजना की कुल परियोजना लागत 176.70 करोड़ रुपये की थी जिसके विरूद्ध राशि 150.19 करोड़ रुपये ऋण के रूप में प्राप्त होने का अनुबन्ध हुआ। जापानी मुद्रा येन की विनियम दरों में परिवर्तन के फलस्वरूप इन संस्थाओं से कुल राशि 236.29 करोड़ रुपये प्राप्त हुई। इस परियोजना के क्रियान्वयन में कुल राशि 293.02 करोड़ की राशि व्यय हुई जिसमें से 236.29 करोड़ रुपये उक्त संस्थाओं से प्राप्त हुई।

इस राशि से प्रदेश के 12 जिलों यथा जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनूं, नागौर, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा व दौसा एवं राजसमन्द, उदयपुर में वन भूमि व पंचायत भूमि पर निम्न कार्य कराया गया :-

क्र.सं.	कार्य विवरण	लक्ष्य	प्राप्ति
1.	नंगी पहाड़ियों का पुनर्वनीकरण	25000हैक्टेयर	25400हैक्टेयर
2.	परिभ्रांषित वनों का पुनारोपण	104050 हैक्टेयर	105930 हैक्टेयर
3.	सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण	195000 हैक्टेयर	20060 हैक्टेयर
4.	नई पौधशालाओं की स्थापना	10	20
5.	एनीकट निर्माण	200	201
6.	कृषि वानिकी के तहत पौधों का वितरण (लाखों में)	850	950

(वन एवं पर्यावरण मंत्री)

प्रोजेक्ट रिपोर्ट की "एक्जीक्यूटिव समरी" सदन की मेज पर (परिशिष्ट "क") में संलग्न प्रस्तुत है।

(2) जी हां। यह सही है कि परियोजना के स्वीकृत प्रावधानानुसार गाड़ियां, फर्नीचर क्रय किये गये तथा भवन निर्माण पर भी राशि व्यय की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

1.	वाहन एवं इक्यूपमेंट	333.50 लाख रु.
2.	फर्नीचर	19.46 लाख रु.
3.	भवन निर्माण	534.80 लाख रु.

(3) जी हां। जापान से प्राप्त सहायता का उपयोग अरावली क्षेत्र के वन विकास कार्यो पर किया गया। बिन्दु सं. एक में वर्णित प्राप्त सहायता राशि से राजस्थान राज्य के उक्त 12 जिलों में वन भूमि एवं पंचायत भूमि पर वन विकास कार्य कराये गये, जिन पर कुल व्यय 245.10 करोड़ ही हुआ।

जिन स्थानों पर कार्य कराये गये उनकी सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न कर सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(प्रोजक्ट रिपोर्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

वन रक्षक का बकाया वेतन भुगतान

67. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री हरिराम मीणा वन संरक्षक कार्यालय उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी, सवाईमाधोपुर का माह जून व जुलाई 1989 का वेतन भुगतान हेतु कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 5/28/2001 कार्मिक/प्रमू. व.सं./7756 दि. 8 सितम्बर, 2003 द्वारा पूर्व आदेश 51/28/2001-29807 दिनांक 5 मार्च. 2003 को निरस्त कर उप मुख्य वन जीव प्रतिपालक राष्ट्रीय उद्यान घना भरतपुर के यहां से जून व जुलाई, 1989 में रिक्त रहे वन रक्षक पद के विरुद्ध भुगतान के आदेश दिये गये थे?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आदेश की अनुपालना में अब तक श्री हरिराम

(श्री हीरालाल)

मीना के माह जून-जुलाई, 1989 के वेतन का भुगतान नहीं हुआ? यदि हां, तो क्यों? अब सरकार कब तक उक्त कर्मचारी के वेतन का भुगतान करवा देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) श्री हरिराम मीणा के माह जून-जुलाई, 1989 के वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 5.3.2003 के क्रम में उप वन संरक्षक, आबू पर्वत के कार्यालय में रिक्त पद न होने से दिनांक 8.9.2003 के आदेश से उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, भरतपुर के यहां वेतन भुगतान के आदेश हुए थे। परन्तु जिस मद से वेतन का भुगतान होना था उसमें बजट अभाव के कारण वेतन भुगतान न हो सका। श्री हरिराम के उक्त अवधि के वेतन के भुगतान बाबत दिनांक 26.6.2004 को मण्डल वन अधिकारी, झालावाड़ के यहां रिक्त पद से भुगतान के आदेश जारी कर दिये गये हैं। इस आदेश की पालना में मण्डल वन अधिकारी झालावाड़ द्वारा श्री हरिराम मीणा का माह जून-जुलाई, 1989 का भुगतान जरिये ड्राफ्ट संख्या 797183 दिनांक 9.7.2004 किया जा चुका है।

सवाईमाधोपुर जिले में इको डवलपमेन्ट योजनान्तर्गत व्यय

68. श्री अशोक बैरवा "खण्डार" (खण्डार) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाईमाधोपुर में वानिकी विकास एवं क्षेत्रीय गांवों के विकास कार्यों के लिये "इको डवलपमेन्ट योजनान्तर्गत" ई.डी.सी. कमेटीज द्वारा कार्य करवाये जा रहे हैं? योजना का उद्देश्य नियम एवं कार्य प्रक्रिया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना पर प्रारम्भ से मार्च, 2004 तक वर्षवार, कार्यवार एवं ग्रामवार ई.डी.सी. कमेटी वार कुल कितना व्यय किया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अशोक बैरवा)

(3) उक्त योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों का वर्षवार व्यय का विवरण में कार्यवार सामग्री एवं श्रम (मद) पर कुल कितना व्यय किया गया? जिसमें सामग्री व्यय में सीमेन्ट, बजरी एवं पत्थरों पर कुल कितना व्यय गया? व्यय विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजनान्तर्गत ग्रामवार ई.डी.सी. द्वारा कार्यवार श्रम मद में कुल कितनी राशि श्रमिकों द्वारा हिस्सा राशि में समायोजित कराई गई एवं कितना नगद श्रम पर भुगतान किया गया?

(5) उक्त श्रम मद की राशि जो हिस्सा राशि में समायोजित की गई है, उससे ई.डी.सी. कमेटीज द्वारा क्या कार्य करवाये गये एवं क्या उनमें भी श्रम भुगतान राशि में से फिर हिस्सा राशि में उक्त भुगतान को समायोजित किया गया? कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। योजना का उद्देश्य नियम एवं कार्य प्रक्रिया के सम्बन्ध में जारी राज्यादेश 2.12.1997 एवं संशोधित आदेश दिनांक 24.10.2002 की प्रति परिशिष्ट 1 व 2 पर संलग्न है।

(2) उक्त योजना का वर्ष 2000-2001 से मार्च, 2004 तक वर्षवार, कार्यवार, ग्रामवार (ई.डी.सी.) वाइज कुल 777.56 लाख रुपये व्यय हुआ है। व्यय विवरण सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) इस योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों में सामग्री एवं श्रम मद पर कुल रुपये 7,81,30,945/- व्यय किया गया जिसमें सामग्री पर रुपये 3,12,52,378/- एवं श्रम मद पर रुपये 4,68,78,567/- व्यय किया गया। वर्षवार एवं कार्यवार विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न प्रस्तुत है। ई.डी.सी. द्वारा कराये गये कार्यों की सामग्री पर व्यय सीमेन्ट, बजरी, एवं पत्थरों पर पृथक-पृथक व्यय का रेकार्ड सम्बन्धित ई.डी.सी. के द्वारा रखा जाता है। सीमेन्ट, बजरी एवं पत्थर पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में सूचना भिजवाने के लिए ई.डी.सी. को सूचित किया जा रहा है। विवरण प्राप्त होते ही पूरक प्रत्युत्तर के साथ प्रेषित कर दिया जावेगा।

विभागीय कार्य कान्टेक्ट प्रणाली पंजीकृत ठेकेदारों से निविदा दरें आमन्त्रित

(वन एवं पर्यावरण मंत्री)

कर बी.एस.आर. दरें या उससे कम दरों पर कराये जाते हैं। ठेकेदार द्वारा कम्पलीट बी.एस.आर. दरों के आधार पर बिल तैयार कर स्वीकृत न्यूनतम दर के अनुरूप बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाता है। इस कारण से सीमेन्ट, बजरी व पत्थर पर होने वाले व्यय का लेखा-जोखा विभाग के स्तर पर संधारित नहीं किया जाता है।

(4) उक्त योजनान्तर्गत ग्रामवार ई.डी.सी. कार्यवार खाते में कुल रुपये 193.35 लाख राशि 25 प्रतिशत हिस्से के रूप में समायोजित करायी गयी है। नकद श्रम पर भुगतान के बारे में विस्तृत रेकार्ड सम्बन्धित ई.डी.सी. के पास रहता है। जानकारी प्राप्त की जा रही है, प्राप्त होते ही पूरक प्रत्युत्तर भिजवा दिया जावेगा।

(5) 25 प्रतिशत हिस्सा राशि ई.डी.सी. खातों में जमा है। अभी उसमें कार्य प्रारम्भ नहीं कराये गये हैं। अतः सूचना शून्य है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

प्याज की खरीद हेतु व्यवस्था

69. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के विभिन्न जिलों में कितना-कितना टन प्याज पैदा हुआ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने उक्त प्याज का मूल्य निर्धारित कर किसानों से खरीदने का फैसला किया है? यदि हां, तो उसकी प्रत्येक जिले में क्या-क्या व्यवस्था की गयी?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 2003-04 में विभागीय अनुमान के अनुसार 383203 मै. टन प्याज का उत्पादन हुआ है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां, केन्द्र सरकार की "बाजार हस्तक्षेप योजना" अन्तर्गत प्याज का मूल्य निर्धारित करके दिनांक 10.6.2004 से किसानों से प्याज खरीदने की कार्यवाही

(कृषि मंत्री)

राजफैड द्वारा की जा रही है। राजफैड द्वारा जिलेवार खोले गये प्याज खरीद केन्द्रों का विवरण निम्नानुसार है :-

जोधपुर	मथानियां, भोपालगढ़, पिपाडसिटी, बिलाडा, फलौदी
पाली	जैतारण
अजमेर	अजमेर
नागौर	नागौर, कुचामनसिटी, मेड़तासिटी
सीकर	सीकर, दातारामगढ़
झुंझुनूं	उदयपुरवाटी
जयपुर	कुकरखेडा

परिशिष्ट-1

जिलेवार प्याज का अनुमानित उत्पादन वर्ष 2003-04

क्र.सं.	जिला	उत्पादन (मै. टन)
1	2	3
1.	अजमेर	25140
2.	चूरू	3000
3.	दौसा	6875
4.	जयपुर	63800
5.	झुंझुनूं	3000
6.	सीकर	65300
7.	अलवर	64620
8.	भरतपुर	3570

1	2	3
9.	धौलपुर	90
10.	करौली	3380
11.	स. माधोपुर	6900
12.	बीकानेर	130
13.	श्रीगंगानगर	240
14.	हनुमानगढ़	3255
15.	बाड़मेर	14400
16.	जैसलमेर	440
17.	जालौर	6150
18.	जोधपुर	41500
19.	नागौर	41680
20.	पाली	5080
21.	सिरोही	612
22.	बारां	5450
23.	बूंदी	1600
24.	झालावाड़	2696
25.	कोटा	1000
26.	टोंक	3500
27.	बांसवाड़ा	1075
28.	डूंगरपुर	100
29.	उदयपुर	3000
30.	राजसमन्द	420

1	2	3
31.	भीलवाड़ा	2050
32.	चित्तौड़गढ़	3150
	योग	383203

असिंचित क्षेत्र की फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि

70. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य की कुल कृषि भूमि में से कितनी प्रतिशत भूमि असिंचित है तथा असिंचित क्षेत्र की प्रमुख फसलें कौन-कौन सी हैं?

(2) असिंचित क्षेत्र में इन फसलों को पैदा करने में कितनी लागत आती है तथा प्रति एकड़ किसान को क्या इससे कोई बचत होती है?

(3) क्या यह सही है कि असिंचित क्षेत्र से किसान को हानि हो रही है? यदि हां, तो क्या किसानों को उचित बाजार मूल्य प्रदान करवाने की सरकार की कोई योजना है?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 2001-02 में कुल कृषि भूमि 2,07,98,311 हैक्टेयर में से 1,40,53,850 है. क्षेत्रफल असिंचित है जो कुल कृषि भूमि का 67.57 प्रतिशत है। असिंचित भूमि की प्रमुख फसलें बाजरा, मक्का, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, देशी कपास, ग्वार, खरीफ दलहन, तिल, चना एवं सरसों हैं।

(2) असिंचित क्षेत्र में खरीफ व रबी की फसलों को पैदा करने में आने वाली लागत व बचत (शुद्ध लाभ) विभागीय अनुमानों एवं विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के अनुसार निम्नानुसार है।

क्र. सं.	फसल	अनुमानित लागत (रु. प्रति एकड)	अनुमानित शुद्ध लाभ (रु. प्रति एकड)
1	2	3	4
अ	खरीफ		
1.	बाजर	[illegible]	758
2.	मक्क	2602	1355

(कृषि मंत्री)

1	2	3	4
3.	ज्वार	3201	1147
4.	सोयाबीन	3430	3102
5.	मूंगफली	4613	2409
6.	कपास देसी	2638	2559
7.	ग्वार	2075	1437
8.	खरीफ दलहन	2500	477
9.	तिल	1810	919
ब	रबी		
1.	चना	2207	2263
2.	सरसों	2602	2117

शुद्ध लाभ उत्पाद के बाजार भाव पर भी निर्भर करेगा।

(3) असिंचित क्षेत्र में बिन्दु संख्या 2 के अनुसार कृषकों को हानि नहीं हो रही है।

चम्बल लिफ्ट परियोजना से सवाईमाधोपुर एवं करौली को जलापूर्ति

71. श्री सुरेश मीणा (करौली) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला सवाई माधोपुर एवं करौली में सिंचाई हेतु चम्बल नदी से चम्बल लिफ्ट परियोजना स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो कब?

(2) उक्त परियोजना में अब तक क्या-क्या कार्य हुये? उक्त परियोजना का कार्य सरकार कब तक पूर्ण करने का विचार रखती है?

(श्री सुरेश मीणा

(3) उक्त परियोजना से जिले के किन-किन गांवों को पानी सुलभ हो सकेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) उपरोक्तानुसार

जायल एवं नागौर के विद्यालयों में रिक्त पद

72. श्री मदन लाल मेघवाल (जायल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला नागौर एवं विधान सभा क्षेत्र जायल में वर्तमान में कितने उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं? उक्त विद्यालयों में वर्तमान में अध्यापकों एवं अन्य संवर्गों के कितने-कितने पद कहां-कहां पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला नागौर में 693 रा.उ. प्राथमिक, 177 माध्यमिक एवं 100 उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। उनमें से विधान सभा क्षेत्र जायल में 61 राजकीय उच्च प्राथमिक, 8 माध्यमिक एवं 12 उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। उक्त विद्यालयों में रिक्त पदों एवं अन्य संवर्ग के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) राजस्थान लोक सवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों हेतु आयोग को अथनायें प्रस्तुत की जा चुकी है। तथा विभागीय पदोन्नति समिति के

(शिक्षा मंत्री)

माध्यम से भरे जाने वाले पदों हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करवाया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2003-04 में वरिष्ठ अध्यापकों के पदों को भरने हेतु नियुक्ति की कार्यवाही प्रारम्भ की थी परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई। माननीय न्यायालय के अन्तिम निर्णयानुसार कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जवाजा (ब्यावर) पंचायत समिति के विद्यालयों में रिक्त पद

73. श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के जवाजा पंचायत समिति क्षेत्र में सभी विद्यालयों में विभिन्न संवर्गों के कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं? शालावार एवं संवर्गवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के जवाजा पंचायत समिति क्षेत्र के विद्यालयों के विभिन्न संवर्गों के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" में सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(2) व्याख्याताओं के रिक्त पदों को एवं तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों हेतु अर्थनाऐं राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रेषित की जा चुकी है। तथा वरिष्ठ अध्यापक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वरिष्ठ अध्यापकों की सीधी भर्ती पर माननीय न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले अग्रिम निर्णयानुसार ही कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा। वेतन श्रृंखला 1 से 6 तक नियुक्ति पर प्रतिबन्ध हटने पर ही अन्य संवर्गों के पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट-"क"

[illegible]

क्र.सं.	शाला का नाम	रिक्त पद संवर्ग [illegible] ग्रेड	कब से रिक्त हैं
1	2	3	4
1.	राउप्रावि. लूणेता	01	सेवानिवृत्ति से अप्रैल, 03
2.	राउप्रावि. माथुवाडा	01	" मार्च, 2003
3.	राउप्रावि. बाघ्माल	01	अक्टूबर, 2003 से
4.	राउप्रावि. बूजारेल	01	दिसम्बर, 2003 से
5.	राउप्रावि, बाडियाअजबा	01	" "
6.	राबालिका उप्रावि काबरा	01	सेवानिवृत्ति अप्रैल,04 से
7.	राउप्रावि चीतो का बाडियां	01	1.3.2004 सेवानिवृत्ति
8.	रामावि माण्डेडा	01	20.9.2003 स्थाना.

रिक्त पद संवर्ग III ग्रेड

1.	राउप्रावि, लूणेता	03	अक्टूबर, 2002 से
2.	राउप्रावि, कानाखोजडी	03	अक्टूबर, 2002 से
3.	राउप्रावि. मालातोकीबर	03	अक्टूबर, 2002 से
4.	राउप्रावि. माथुवाडा	02	अक्टूबर, 2002 से
5.	राउप्रावि. आसन	03	अक्टूबर, 2004 से
6.	राउप्रावि. बाघ्माल	02	अक्टूबर, 2002 एवं जुलाई, 2004
7.	राउप्रावि. बामनहेडा	05	अक्टूबर, 2002 से
8.	राउप्रावि. गाफा	04	अक्टूबर. 2002 एवं अप्रैल, 2004 से
9.	राउप्रावि [illegible]	04	अक्टूबर, 2002 से जुलाई, 2004
10.	राउप्रावि. बनजारा	03	अक्टूबर, 2002 एवं 2003 से
11.	राउप्रावि [illegible]	04	जुलाई, 2002 से

1	2	3	4
12.	राउप्रावि, नयाखेडा	04	जुलाई, 2002 से अक्टूबर 2003
13.	राउप्रावि, रावतमाल	04	अक्टूबर, 2002 से
14.	राउप्रावि, सूरजपुरा	05	अक्टूबर, 2002 से
15.	राउप्रावि, जालियारुपावास	03	अक्टूबर, 2002 एवं जुलाई, 2004
16.	राउप्रावि, सोनियाना	04	अक्टूबर, 2002 से
17.	राउप्रावि, अनाकर	04	अक्टूबर, 2002 एवं अक्टूबर, 2004
18.	राउप्रावि, कालिकांकर	01	अक्टूबर, 2002 से
19.	राउप्रावि, नाहरपुरा	01	अक्टूबर, 2002 से
20.	राउप्रावि, देवखेडा	04	अक्टूबर, 2002 एवं मार्च, 2004
21.	राउप्रावि, ढोसला	01	अक्टूबर, 2002 से
22.	राउप्रावि, रामपुरादूदा	01	अक्टूबर, 2002 से
23.	राउप्रावि, नन्द्रीमालदेव	03	अक्टूबर, 2002 से
24.	राउप्रावि, बालिका काबरा	03	अक्टूबर, 2002 से
25.	राउप्रावि, बराखन	04	अक्टूबर, 2002 एवं अक्टूबर, 2003
26.	राउप्रावि, राजियावास	01	अक्टूबर, 2002 से
27.	राउप्रावि, बाघ्माल	01	अक्टूबर, 2002 से
28.	राउप्रावि, बाघ्माल	02	अक्टूबर, 2002 से
29.	राउप्रावि, बाघ्माल	02	अक्टूबर, 2002 से
30.	राउप्रावि, बाघ्माल	02	मार्च, 2003 से
31.	राउप्रावि, बाघ्माल	02	अक्टूबर, 2002 से
32.	राउप्रावि, बाघ्माल	02	अक्टूबर. 2002 से
33.	राउप्रावि, बाघ्माल	02	अक्टूबर, 2002 से
34.	राउप्रावि. बाघ्माल	02	अक्टूबर, 2002 से

1	2	3	4
35	राउप्रावि बाघ्माल	02	अक्टूबर, 2002 से

शारीरिक शिक्षक III ग्रेड

1.	राउप्रावि, लूणेता	01	जुलाई, 2002 से
2.	राउप्रावि, माथुवाडा	01	मार्च, 2004
3.	राउप्रावि, बनजारी	01	अक्टूबर, 2003 से
4.	राउप्रावि, सोनियाना	01	दिसम्बर, 2002 से
5.	राउप्रावि, बालिका बराखन	01	सितम्बर, 2002 से

पंचायत राज के अध्यापकों के रिक्त पदों की स्थिति

संवर्ग III ग्रेड

1.	राप्रावि, टाटगढ़ (कन्या)	01	जुलाई, 2002 से
2.	राप्रावि, टाटगढ़ (बालक)	01	अक्टूबर, 2002 से
3.	राप्रावि, गुजरगम्मा	03	मई, 2001 एवं अक्टूबर, 2002
4.	राप्रावि, आखरिया	02	अक्टूबर, 2002 से
5.	राप्रावि, खैराटा	01	मार्च, 2000 से
6.	राप्रावि, बडीकावोडा	01	मार्च, 2000 से
7.	राप्रावि, मेडिया	02	मार्च, 2000 से अक्टूबर, 2002
8.	राप्रावि, ददालिया	01	मार्च,2000 से
9.	राप्रावि, बराखन (बालक)	02	मार्च, 2000 एवं अक्टूबर 2002
10.	राप्रावि, नेगडिया	03	अक्टूबर, 2003 से
11.	राप्रावि, गोगेला	01	नवम्बर, 2002 से
12.	राप्रावि, रोडियाना	01	अक्टूबर, 2003 से
13.	राप्रावि, रावली	01	अक्टूबर, 2003 से
14.	राप्रावि, गणेशपुरा (आसन)	02	अगस्त, 2001 एवं अक्टूबर, 2002
15.	राप्रावि, हीरोताका बाडिया	02	अक्टूबर, 2002 एवं जुलाई, 2004

1	2	3	4
16.	राप्रावि, बडाखेडा (बालक)	01	अक्टूबर, 2003 से
17.	राप्रावि, बडाखेडा (कन्या)	03	सितम्बर, 2001, अक्टूबर 02 जुलाई, 2004
18.	राप्रावि, कडियापा	01	अगस्त, 2001 से
19.	राप्रावि, देवलता	01	अगस्त, 2001 से
20.	राप्रावि, दपाली	01	सितम्बर, 2001 से
21.	राप्रावि, लबूरी	02	अक्टूबर, 2002 से अक्टूबर, 2003
22.	राप्रावि, मेवासा	01	अगस्त, 2001 से
23.	राप्रावि, सरवान	01	मार्च, 2000 से
24.	राप्रावि, देवलफतहपुर	01	मार्च, 2000 से
25.	राप्रावि, खोडमाल	01	अक्टूबर, 2002 से
26.	राप्रावि, सरूपा	02	अक्टूबर, 2001 से अक्टूबर, 2002
27.	राप्रावि, आपातोकाबाडिया	01	मार्च, 2000 से
28.	राप्रावि, समापा	01	अक्टूबर, 2001 से
29.	राप्रावि, चरपला	02	दिसम्बर, 2003 एवं जुलाई 2004
30.	राप्रावि, रामपुरा	01	मार्च, 2000 से
31.	राप्रावि, तारागढ़	01	अक्टूबर, 2002
32.	राप्रावि, दांदोला	01	अक्टूबर, 2002
33.	राप्रावि, भाकरडा	02	अक्टूबर, 2002
34.	राप्रावि, मालकावोडा	01	मार्च, 2000
35.	राप्रावि, अगोरलोटियाना	01	दिसम्बर, 2003
36.	राप्रावि, जवाजा (बालक)	01	अक्टूबर, 2001
37.	राप्रावि, जवाजा (कन्या)	02	अक्टूबर, 2001
38.	राप्रावि, बडकोचरा	03	अक्टूबर, 200[illegible]

1	2	3	4
39.	राप्रावि. देवाता	01	सितम्बर. 2001 एवं जुलाई, 2004
40.	राप्रावि, बाडियानंगा	01	सितम्बर. 2001
41.	राप्रावि, सांगरवास	01	सितम्बर, 2001 से
42.	राप्रावि, काबरा	01	सितम्बर, 2001 से
43.	राप्रावि, बीयाखेडा	01	दिसम्बर, 2003 से
44.	राप्रावि, पुवाडिया	02	सितम्बर, 2001 से
45.	राप्रावि, कोटडा (बालक)	01	सितम्बर, 2001
46.	राप्रावि, कोटडा (बालिका)	01	सितम्बर, 2001 से
47.	राप्रावि, किशनपुरा	03	सितम्बर, 2001 एवं अक्टूबर,2002
48.	राप्रावि, बस्सी	01	सितम्बर, 2001 से
49.	राप्रावि, भेसापा	01	सितम्बर, 2001 से
50.	राप्रावि, लालपुराराधानार	01	सितम्बर, 2001 से
51.	राप्रावि, दुर्गावास	01	सितम्बर, 2001 से
52.	राप्रावि, धोलादाला-1	01	सितम्बर, 2001 से
53.	राप्रावि, मालीपुरा	01	सितम्बर, 2001 से
54.	राप्रावि, जेतगढबामणिया	02	सितम्बर, 2001 से
55.	राप्रावि, गणेशपुरा	01	सितम्बर, 2001 से
56.	राप्रावि, शिवनाथपुरा	01	सितम्बर, 2001 से
57.	राप्रावि, गोविन्दपुरा	01	सितम्बर, 2001 से
58.	राप्रावि, भरियाखेडा कला	01	जुलाई, 2004 से
59.	राप्रावि, अमरपुरा	01	जुलाई, 2004 से
60.	राप्रावि, बाडियागेना	01	जुलाई, 2004 से
61.	राप्रावि, कालादांता	01	जुलाई, 2004 से
62.	राप्रावि, जोहरखेडा	01	जुलाई, 2004 से
63.	राप्रावि. निम्बोला	01	जुलाई, 2004 से
64.	राप्रावि, वाडिया मोटा	01	जुलाई, 2004 से

1	2	3	4
65.	राप्रावि, हथानखेडा	01	जुलाई, 2004 से
66.	राप्रावि, ब्यावरखास	02	सितम्बर, 2001 से अगस्त, 2003
67.	राप्रावि, सराधना	01	अक्टूबर, 2002 से
68.	राप्रावि, देलवाडा	01	सितम्बर, 2001 से
69.	राप्रावि, सेन्सपुरा	01	सितम्बर, 2001 से
70.	राप्रावि, फतहपुर-1	01	सितम्बर, 2001 से
71.	राप्रावि, नरबदखेडा	02	सितम्बर, 2001 से
72.	राप्रावि, भोजपुरा	01	सितम्बर, 2001 से

जवाजा पंचायत समिति के विद्यालयों में रिक्त पदों की सूचना

क्र. सं.	जिला	पद का नाम	रिक्त पद छात्र	रिक्त पद छात्रा	पद जहां रिक्त है	विषय	कब से रिक्त	कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		प्रधानाचार्य	1	0	राउमावि., तारागढ़	—	6.2.03	नवसृजित
1.		व्याख्याता	1	0	राउमावि., राजियावास	सशा.	14.2.03	स्था.
2.			1	0	राउमावि., टाटगढ़	वाणिज्य	23.12.02	स्था.
3.			1	0		वाणिज्य	3/03	सेनि.
4.			1	0		वाणिज्य	10.10.02	स्था.
5.			1	0		सशा.	2.7.01	स्था.
6.			1	0		भूगोल	1.2.02	स्था.
7.			1	0	राउमावि.. कोटडा	हिन्दी	10.10.02	स्था.
8.			1	0		अंग्रेजी	10.10.02	स्था
9.			1	0		अ.शास्त्र	10.03.04	डीपीई चयन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.			1	0	राउमावि.. जवाजा	हिन्दी	10.10.02	स्था.
			1	0		भौतिक	1.3.03	सेनि.
11.			1	0	राउमावि, बडाखेडा	वाणिज्य	12.10.02	पदो.
12.			1	0		वाणिज्य	18.12.02	स्था.
13.			1	0		वाणिज्य	1.8.02	सेनि.
14.			1	0		वाणिज्य	1.8.02	सेनि.
15.			1	0		भूगोल	30.9.03	सेनि.
16.			1	0		हिन्दी	1.3.03	प्रतिनि.
17.			1	0	राउमावि., तारागढ़	सशा.	1.7.03	नवसृजित
1.	व.अ.		1	0	राउमावि., टाटगढ़	सामान्य	28.2.02	सेनि.
2.			1	0	-	सामान्य	23.10.02	स्था.
3.			1	0	राउमावि., तारागढ़	सामान्य	1.3.02	सेनि.
4.			1	0	रामावि., काबरा	सामान्य	31.12.01	सेनि.
5.			1	0	रामावि., रूपनगर	उर्दू	1.10.02	नवसृजित
6.			1	0	रामावि., माण्डेडा	सामान्य	19.12.02	नवसृजित
7.			1	0	राउमावि.. जवाजा	सामान्य	31.8.03	सेनि.

	2	3	4	5	6	7	8	9
8.				)	रामावि., बड़कोचरा	पदो.	19.9.03	पदो.
9.				)	रामावि., खोडमाल	गणित	19.10.02	स्था.
10.				)	रामावि., बडाखेडा	गणित	12.7.02	सेवापरि.
[illegible]				)	रामावि., लोटियाना	गणित	2.10.02	स्था.
12.				0		गणित	27.1.04	स्था.
13.				)	राउमावि., टाटगढ़	गणित	2.10.02	स्था.
14.				)	रामावि., नाड़कला	गणित	1.4.01	नवसृजित
15.				)	रामावि., सुरडिया	गणित	14.7.01	स्था.
16.				)	रामावि., बराखन	गणित	19.10.02	स्था.
17.				)	रामावि., सरवीना	गणित	6.2.03	नवृजित
[illegible]				)	रामावि., जालिया	गणित	27.2.04	पदो.
19.			)	1	राबामावि, टाटगढ़	विज्ञान		
1.	अजमेर	वरि. पुस्त.		—	राउमावि, टाडगढ़		202/03	स्था.

1	2		4	5	6	7	8	9
					राउमावि. कोटडा		28.2.04	पदो.
1.		प्रशा.सहा	1	0	राउमावि. जवाजा		30.4.03	त्यागपत्र
1.		अध्यापकIII	1	0	रामावि.. रूपनगर		4.8.01	स्था.
2.			1	0	रामावि.. ब्यावरखास		1.2.01	सेनिवृत्ति
3.			1	0			31.12.01	सेनिवृत्ति
4.			3	0	रामावि., सरवीना		6/2003	नवसृजित
5.			3	0	रामावि., फतहपुरिया-II		6/2003	नवसृजित
6.			1	0	रामावि., काबरा		31.10.00	सेनिवृत्ति
7.			1	0	रामावि.. नार्यवाला		1.4.2002	सेनिवृत्ति
8.			1	0	रामावि., माचेड़ा		19.12.02	नवसृजित
9.			1	0	रामावि., जालिया-प्रथम,		17.12.02	नवसृजित
10.			1	0	रामावि., बराखन		14.2.2003	स्था.
11.			1	0	रामावि.. सुर[illegible]		2.2.2002	पदो.
12.			1	1	राबाउमा[illegible] जवा[illegible]		31.6.03	सेनिवृत्ति

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		बलि.	1	0	राउमावि., टाडगढ़		7/03	स्था.
2.			1	0	रामावि., फतेहपुरिया		21.2.03	नवसृजित
3.			1	0	रामावि., सरविना		21.2.03	नवसृजित
1.		सहायक कर्म	1	0	राउमावि., कोटडा		1.12.2002	सेनि.
2.			1	0	राउमावि., कोटडा		31.10.02	सेनि.
3.			1	0	राउमावि., कोटड़ा		29.2.2004	सेनि.
4.			1	0	रामावि., किशनपुरा		11.1.2004	मृत्यु
5.			2	0	राउमावि, जवाजा		6.3.2003	पदो.
6.			1	0	रामावि, बडकोचरा		19.9.2003	मृत्यु

बयाना के विद्यालयों में रिक्त पद

74. श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बयाना में किस-किस श्रेणी में के विद्यालय किन-किन स्थानों पर हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के कितने-कितने पद सृजित हैं और कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षत्र बयाना में प्रारम्भिक शिक्षा के राजकीय विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट "क" पर एव माध्यमिक शिक्षा के राजकीय विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट "ख" पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा का विवरण क्रमश: परिशिष्ट "क" एवं परिशिष्ट "ख" पर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) प्रारम्भिक शिक्षा के रिक्त पदों में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अर्थनाएं राज. लोक सेवा आयोग को प्रेषित की जा चुकी है। व्याख्याताओं/प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों/वरिष्ठ अध्यापकों हेतु विभागीय चयन समिति का आयोजन करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। माध्यमिक शिक्षा के पदों में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने हेतु विभिन्न विषय के 1407 पदों की अर्थनायें राज. लोक सेवा आयोग को प्रेषित की जा चुकी है तथा व्याख्याताओं एवं व. अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट-1

क्र. सं.	वि.स. क्षेत्र	नाम विद्यालय	स्थान स्थान	स्वीकृत पद			रिक्त पद		
				II	III	शाशि.	II	III	शाशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	बयाना	राउप्राविसिटी कोर्ट	कैम्प्स	1	7	1	—	1	—
2.	"	" रेलवे	रेल्वेबयाना	1	7	1	—	—	—
3.	"	" लाल बस्ती	लालबस्ती	1	4	1	—	—	—
4.	"	" भीतरवाडी	भीतरवाडी	1	4	1	—	—	—
5.	"	" धाधरैन	धाधरैन	1	5	1	—	1	—
6.	"	" बागरैन	बाग		5	1	—	—	--
7.	"	" अडड.	अडड		3	1	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	" "	सिकन्दरा	सिकन्दरा	1	[illegible]	1		—	—
9.	" "	थानाडांग	थानाडांग	1	4	1	—	—	—
10.	" "	मौरोली	मौरोली	1	3	1	—	—	—
11.	" "	महरावर	महरावर	1	4	1	—	—	—
12.	" "	नधूत	नधूत	1	4	1	—	—	—
13.	" "	कारवारी	कारवारी	1	3	1	—	—	—
14.	" "	दमदमा	दमदमा	1	6	1	—	—	—
15.	" "	भागौरी	भागौरी	1	5	1	—	—	—
16.	" "	बागरैन खुर्द	बागरैनखुर्द	1	3	1	—	—	—
17.	" "	कपूरामलूका	कपूरामलूका	1	3	1	—	—	—
18.	" "	ठईटखोडा	ठईटखोड़ा	1	4	1	—	1	—
19.	" "	परौआ	परौआ	1	5	1	—	1	—
20.	" "	सोनपुरतमो.	सोनपुरतमो.	1	4	1	—	—	—
21.	" "	सिंघाडा	सिंघाडा	1	3	1	—	—	—
22.	" "	हरनगर	हरनगर	1	4	1	—	—	—
23.	" "	मामरी	मामरी	1	4		—	1	—
24.	" "	न. बृजलाल	न. बृजलाल	1	4		—	—	—
25.	" "	शेरगढ	शेरगढ़					2	—
26.	" "	नह. गूजर	नह. गूजर				—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	"	"	काचेरा	काचेरा	1	4	1	—	—	—
28.	"	"	बाग गरेजा	बाग गरेजा	1	6	1	—	—	—
29.	"	"	गाजीपुर	गाजीपुर	1	5	1	—	1	—
30.	"	"	जैसौरा	जैसौरा	1	2	1	—	—	—
31.	"	"	शाहपुर	शाहपुर	1	2	1	—	—	—
32.	"	"	धरैरी	धुरैरी	1	3	1	—	—	—
33.	"	"	रसेरी	रसेरी	1	3	1	—	—	—
34.	"	"	चीखरू	चीखरू	—	1	—	—	—	—
35.	"	"	रारौदा	रारौदा	1	1	—	—	—	—
36.	"	"	कोट	कोट	1	1	—	—	—	—
37.	"	"	न.होता	न.होता	1	1	—	—	—	—
38.	"	"	दरबुर्हाना	दरबुर्हाना	1	—	—	—	—	—
39.	"	"	वजामौरोली	ध्वजा मौ.	1	3	—	1	1	—
40.	"	"	गुर्धाडांग	गुदांडांग	1	—	—	1	—	—
41.	"	"	मनका	न. मनका	1	—	—	—	—	—
42.	"	"	सीदपुर	सीदपुर	1	3	1	—	—	—
43.	"	"	बयाना	गांधीचौक	1	5	1	—	—	—
44.	"	"	ब्रहबाद	ब्रहबाद	1	3	1	—	—	—
45.	"	"	खारैरी	खारैरी	1	5	1	1	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46.	"	" खानखांड	खानखांड		2	1	1	3	—
47.	"	राप्राविबेसिक	तहसील बयान	—	2	—	—	—	—
48.	"	" मालीपुर	मालीपुर	—	2	—	—	—	—
49.	"	" टंक बयाना	महादेवगली	—	3	—	—	1	—
50.	"	" भावड गली	भावडागली	—	2	—	—	1	—
51.	"	" बजरिया	गांधीसदन	—	2	—	—	1	—
52.	"	" ब. बापेंड	सरायगली	—	5	—	—	1	—
53.	"	" गांधी चौक	तहसील बयान	—	5	—	—	—	—

परिशिष्ट-स

विधान सभा क्षेत्र	विद्यालय का नाम	स्थान	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5
बयाना (भरतपुर)	राप्रावि भीमनगर	भीमनगर	06	—
" "	—"— कनावर	कनावर	05	—
" "	—"— नगला चिम्मन	नगला चिम्मन	03	—
" "	—"— सरायभम्बू	सरायभम्बू	02	—
" "	—"— लहचोरा खुर्द	लहचोरा खुर्द	03	—
" "	—"— न. भगोरी	न. भगोरी	02	—
" "	—"— महलौनी	महलौनी	06+01	—
" "	—"— झमलिया	झमलिया	03	—
" "	—"— देवासराय	देवासराय	07+01	—
" "	—"— खिड्यारी	खिड्यारी	04	—

1		2	3	4	5
"	"	—"— न भांड	न. भांड	02	—
"	"	—"— समोगर	समोगर	06	—
"	"	—"— मुर्रकी	मुर्रकी	34+01	—
"	"	—"— न. छीतरिया	न. छीतरिया	02	—
"	"	—"— संतोकपुरा	संतोकपुरा	02	—
"	"	—"— पुराबईखेडा	पुराबईखेडा	02	—
"	"	—"— न. झाबरा	न. झाबरा	06	—
"	"	—"— बुढवार	बुढवार	03	—
"	"	—"— तुर्तीपुरा	तुर्तीपुरा	06	—
"	"	—"— बृहम्बाद	बृहम्बाद	03	—
"	"	—"— कोढीखेड़ा	कोढीखेड़ा	03	—
"	"	—"— न. खटका	न. खटका	02	—
"	"	—"— न. सिधाडा	न. सिंधाडा	03	—
"	"	—"— बाईखेड़ा	बाईखेड़ा	03	01
"	"	—"— बागरा	बागरा	02	—
"	"	—"— रामपुरा	रामपुरा	03	01
"	"	—"— कानी	कानी	02	—
"	"	राप्राथि सामन्तगढ़	सामन्तगढ़	02	01
"	"	—"— सिंधरावली	सिंधरावली	00	01
"	"	—"— जस[illegible]	जैसा[illegible]	02	—
"	"	—"— जंजारीपुर	जंजारीपुरा	02	—

1		2	3	4	5
"	"	—"— बाजना	बाजना	02+01	01
"	"	—"— वैदपुरा	वैदपुरा	03	01
"	"	—"— डुमरिया	डुमरिया	03	01
"	"	—"— गदैहखार	गदैहखार	02	—
"	"	—"— अलापुरी	अलापुरी	02	—
"	"	—"— एतमादपुर	एतमादपुर	03	—
"	"	—"— नगला अरौदा	नगला अरौदा	02	—
"	"	—"— कटकर	कटकर	02	—
"	"	—"— मुआवली	मुआवली	03	—
"	"	—"— जरूवर	जरूवर	02	—
"	"	—"— पुराहरलाल	पुराहरलाल	03	—
"	"	—"— नगला अर्जुन	नगला अर्जुन	02	—
"	"	—"— नहरौली ब्राह्मण	नहरौली ब्राह्मण	02	—
"	"	—"— मालीपुरा	मालीपुरा	04	—
"	"	—"— मदनपुर	मदनपुर	03	01
"	"	—"— खूंटेखेडा	खूंटेखेडा	03	01
"	"	—"— अढ़ढा	अढ़ढा	02	—
"	"	—"— नगला फागुना	नगला फागुना	02	—
"	"	—"— नगला चौधरिया	नगला चौधरिया	02	—
"	"	—"— झटोला	झटोला	02	—

1		2	3	4	5
"	"	—"— नगला जेता	नगला जेता	02	—
"	"	—"— खरैरी	खरैरी	02	01
"	"	—"— वैरखो	वैरखो	07	02
"	"	—"— रेवाडपुरा	रेवाडपुरा	02	01
"	"	—"— नगला शीशरान	नगला शीशरान	02	—
"	"	—"— श्यामपुरा	श्यामपुरा	02	01
"	"	—"— नगला कुन्दन	नगला कुन्दन	02	01
"	"	—"— नगला सेवा	नगला सेवा	03	—
"	"	—"— पीपर्रा	पीपर्रा	02	01
"	"	—"— टुंडपुरा	टुंडपुरा	02	—
"	"	—"— नगला तेजा	नगला तेजा	02	01
"	"	—"— राप्रावि कैर	कैर	03	—
"	"	—"— जोगीपुरा	जोगीपुरा	02	—
"	"	—"— भोगीपुरा	भोगीपुरा	02	—
"	"	—"— नगला मनका	नगला मनका	02	—
"	"	—"— निठारी	निठारी	03	—
"	"	—"— नारौली	नारौली	04+01	—
"	"	राउप्रावि सादपुरा	सादपुरा	01	—
"	"	—"— नगला होता	नगला होता	02	—
"	"	—"— धाधरैन	धाधरैन	01	01

1		2	3	4	5
"	"	—"— सिकन्दरा	सिकन्दरा	01	—
"	"	—"— ध्वजा मोरोली	ध्वजामोरोली	04	01
"	"	—"— शेरगढ़	शेरगढ़	02	01
"	"	—"— हरनगर	हरनगर	01	—
"	"	—"— बंगसपुरा	बंगसपुरा	04	03
"	"	—"— दर्रबहाना	दर्रबहाना	02	—
"	"	—"— कोट	कोट	06	01
"	"	—"— रादौदा	रारौबा	03	03
"	"	—"— चीखरू	चीखरू	03	03

परिशिष्ट- "ग"

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	स्वीकृत पद			रिक्त पद		
		व्या.	वरि.अ.	अ.	व्या.	वरि. अ.	अ.
1.	रा.उ.मा.वि. बयाना	24	20	—	2	—	—
2.	रा.उ.मा.वि. बयाना	11	11	3	2	—	—
3.	रा.उ.मा.वि. कलसाडा	4	6	2	3	—	—
4.	रा.उ.मा.वि. खरेरी	3	6	2	2	—	—
5.	रा.उ.मा.वि. ब्रह्मवाद	4	6	2	—	—	—
6.	रा.उ.मा.वि. समोगर	4	6	2	2	—	—
7.	रा.उ.मा.वि. कनावर	—	6	1	—	—	—

1	2	3				4	5
8.	रा.उ.मा.वि. मदनपुर	—	6	1	—	—	—
9.	रा.उ.मा.वि. विडियारी	—	6	1	—	—	—
10.	रा.उ.मा.वि. पुरावाई खेड़ा	—	6	1	—	1	1
11.	रा.उ.मा.वि. गढ़ीबाजना	—	6	1	—	3	—
12.	रा.उ.मा.वि. नगलामनका	—	5	1	—	2	1
13.	रा.उ.मा.वि. नारौली	—	4	3	—	1	—
14.	रा.उ.मा.वि. तरसूमा	—	2	3	—	2	3
	योग	**50**	**96**	**23**	**11**	**14**	**07**

डूंगरगढ़ के विद्यालयों में रिक्त पद

75. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के सभी राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कब से व कितने?

(2) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापकों के अभाव के कारण छात्र संख्या कम हुई है? यदि हां, तो पूर्व में चालू शिक्षण व्यवस्था बन्द क्यों की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नया शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व सभी राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों व हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों हेतु आयोग को अर्थनाऐं प्रस्तुत की जा चुकी हैं तथा विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से भरे जाने वाले पदों हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करवाया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2003-2004 में वरिष्ठ अध्यापकों के 1904 पदों को भरने हेतु नियुक्ति की कार्यवाही प्रारम्भ की थी परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगादी गई। माननीय न्यायालय के अन्तिम निर्णयानुसार ही कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट-"क"

विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के राजकीय प्रा.वि., उ.प्रा.वि. में अध्यापकों के रिक्त पदों की विद्यालयवार संख्या

क्र.सं.	नाम विद्यालय	रिक्त पद		कब से रिक्त
		द्वि.वे.श्रृ.	तृ.वे.श्रृ.	
1	2	3	4	5
1.	रा.प्रा.वि. नं. 17, श्रीडूंगरगढ़	—	02	विद्यालय क्रमोन्नत/पद सृजन तिथि से
2.	—"— बा., मोमासरबास, श्रीडूंगरगढ़	—	01	——"——
3.	—"— नं.-2. श्रीडूंगरगढ़	—	01	——"——
4.	—"— नं.-5. मीहरगढ़	—	01	——"——

1	2	3	4	5
5.	—"— आडसर छात्र	—	02	——"——
6.	—"— आडसर कुआ	—	01	——"——
7.	—"— आडसर बास	—	01	——"——
8.	—"— बाना छात्र	—	02	——"——
9.	—"— बरजांगसर	—	03	——"——
10.	—"— बिग्गा	—	·01	——"——
11.	—"— बेनीसर	—	03	——"——
12.	—"— बड़ा बास, बिग्गा	—	02	——"——
13.	—"— कन्या, बापेऊ	—	01	——"——
14.	—"— कन्या, देराजसर	—	01	——"——
15.	—"— कन्या, धीरदेसर पुरो.	—	01	——"——
16.	—"— कन्या, धीरदेसर आदि.	—	01	——"——
17.	—"— दुसारणा पीपा.	—	02	——"——
18.	—"— दुसारणा पाण्डरीकान	—	01	——"——
19.	—"— इन्दपालसर राड़कान	—	01	——"——
20.	—"— हन्दपालसर बडाबास	—	01	——"——
21.	—"— गुसाईसर बड़ा	—	01	——"——
22.	—"— गुसाईसर छात्र	—	02	——"——
23.	—"— गोपालसर	—	01	——"——
24.	—"— हरिजन मौ. मोमासर	—	02	——"——

1	2	3	4	5
25.	—"— हथलाना जोहड़	—	01	——"——
26.	—"— जाखासर पुराना	—	01	——"——
27.	—"— कालूवास	—	01	——"——
28.	—"— टेल पुरानी	—	01	——"——
29.	—"— देउ नई	—	01	——"——
30.	—"— धोलिया	—	01	——"——
31.	—"— कितासर कन्या	—	01	——"——
32.	—"— कितासर नवीन	—	01	——"——
33.	—"— खिंयाणी, रिड़ी	—	01	——"——
34.	—"— लालासर	—	01	——"——
35.	—"— लाधडिया	—	01	——"——
36.	—"— मोमासर छात्र	—	01	——"——
37.	—"— मिंगसरिया	—	01	——"——
38.	—"— छात्रा, मोमासर	—	01	——"——
39.	—"— हन्दपालसर हीरावसान	—	01	——"——
40.	—"— नरमीसर	—	01	——"——
41.	—"— लाघडिया	—	01	——"——
42.	—"— मोमासर छात्र	—	01	——"——
43.	—"— मिंगसरिया	—	02	——"——
44.	—"— नारसीसर	—	01	——"——

1	2	3	4	5
45.	—"— रिडी छात्र	--	01	——"——
46.	—"— खोडा	—	01	——"——
47.	—"— रामपुरा	—	01	——"——
48.	—"— राणासर हंसावसान	—	01	——"——
49.	—"— नरूकान	—	01	——"——
50.	—"— सोनियासर गौवारान	—	01	——"——
51.	—"— शिवदासान	—	01	——"——
52.	—"— ऊबाहेड़ा	—	01	——"——
53.	—"— गोगरियान	—	01	——"——
54.	—"— परीरान	—	02	——"——
55.	—"— सांवतसर	—	01	——"——
56.	—"— सत्तासर	—	01	——"——
57.	—"— शीतलनगर	—	01	——"——
58.	—"— मालासर	—	01	——"——
59.	—"— टेक कन्या	—	01	——"——
60.	—"— ऊमनी	—	01	——"——
61.	—"— उदाणा जोहड	—	01	——"——
62.	—"— उदरासर	—	01	——"——
63.	—"— ठुकरियासर	—	01	——"——
64.	—"— उदासर चारनान	—	01	——"——

क्र.सं.	नाम विद्यालय	रिक्त पद		कब से रिक्त
		II	III	
1	2	3	4	5
1.	रा.उ.प्रा.वि. डागा, श्रीडूंगरगढ़	—	01	3/2000 से
2.	—"—	—	02	—"—
3.	रा.उ.प्रा.वि., बा. कालूबास	01	02	—"—
4.	रा.उ.प्रा.वि., मोमासरबास	0	01	—"—
5.	—"— बाडला	—	02	—"—
6.	—"— बीझांसर	—	03	—"—
7.	—"— बीग्गाबास	01	02	नवक्रमोन्त (मा.वि.)
8.	—"— देरासर	—	01	—"—
9.	—"— धनेस	01	—	—"—
10.	—"— धीरदेसर घोनीदान	01	—	—"—
11.	—"— जालबसर	01	—	—"—
12.	—"— कुन्तासर	01	04	—"—
13.	—"— लखासर	—	01	—"—
14.	—"— लिखमीदेसर	—	02	—"—
15.	—"— लोढेरा	01	—	—"—
16.	—"— नोसरिया	01	02	—"—
17.	—"— राजेड़ू	01	02	—"—
18.	—"— सुरजनसर	01	—	—"—
19.	—"— सूड़सर	—	02	—"—

1	2	3	4	5
20. —"—	बन्टपालसर सांखलान			—
21. —"—	अभसिंहपुरा(सांखलान)	01	-	क्रमोन्नत 3/2000
22. —"—	कल्याणसर नया	01	01	——"——
23. —"—	बा. बिग्गा	—	02	——"——
24. —"—	बा. रिडी	01	02	क्रमोन्नत 3/2000
25. —"—	भोजास	01	02	——"——
26. —"—	बापेऊ	01	02	——"——
27. —"—	दुगारना बडा	—	03	——"——
28. —"—	डेलवा	—	01	——"——
29. —"—	धर्मांश	—	02	——"——
30. —"—	जाखासर	01	03	——"——
31. —"—	जैजासर	—	01	——"——
32. —"—	कल्याणसर पुराना	01	03	क्रमोन्नत 3/2000
33. —"—	कुनपालसर	01	03	3/2000
34. —"—	लाखनसर	01	03	क्रमोन्नत
35. —"—	लिखमीसर उत्तरादा	01	02	——"——
36. —"—	माणकरासर	01	02	——"——
37. —"—	पुन्दलसर	—	01	——"——
38. —"—	[illegible]	0[illegible]	0[illegible]	——"——
39. —"—	सात[illegible]	02	03	क्रमोन्नत

1	2	3	4	5
40.	—"— हेमासर	01	—	——"——
41.	—"— लिखमीसर	01	—	——"——
42.	—"— कुमुनवासी	01	—	क्रमोन्नत
43.	—"— दसलसर	—	02	——"——

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	रिक्त पदों की संख्या					रिक्तता की अवधि
		प्रधानाचार्य	व्याख्याता	व.अ.	शाशि-II	अध्या-III	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	राउमावि, मोमासर	1	5	2	1		12, 3, 6, 3, 12, 98, 9, 3, 11. 3. 5, 7. 3. 5. 99. 7. 3. 6. 01, 8, 99, 2003, 10, 03
2.	राउमावि, रूपनी	1	5	2	1		8.02, 2.01, 2.01, 2.01, 2.01. 2.01. 2001. 2000. 2000,
3.	राउमावि, गुसाईसरबडा		3	2	1	1	3.02, 3.02, 3.02, 10.01. 10.03, 3.02, 8.03
4.	राउमावि, बाना		4	3			7.03, 2003, 7.03, 7.03, 7.03. 2004. 4.01. 7.01
5.	राउमावि, डूंगरगढ़		5	3	1	1	8.01, 1.01, 6.03, 6.03. 6.03, 10.02. 2.03. 2004. 8.01, 7.01
6.	राउमावि, रिडी		3	3			7.03, 7.03, 7.03, 10.02, 7.02, 7.01
7.	राउमावि, दुलचासर		2	1	1	2	9.94, 9.03,2.03, 9.02, 7.04, 6.01
8.	राबाउमावि, डूंगरगढ़		4	2			10.02, 11.95, 8.03, 8.02, 2.99, 2002
9.	रामावि, सांवतसर			3			2.03. 7.01, 3.02

1	2	3	4	5	6	7	6	8
10.	रामावि, आडसर			3			6.03, 7.02, 7.01	
11.	रामावि, पूनरासर			3			7.99, 4.03, 6.03	
12.	रामावि. उदरासर			3			10.02, 12.99, 12.99	
13.	रामावि. तोलियासर			3			3.03, 10.02, 9.02	
14.	रामावि, सोनियासर			3			8.02, 10.02, 3.02	
15.	रामावि, बिग्गा			1		1	11.02, 7.08	
16.	रामावि. ठुकरियासर			3			99, 8.03, 9.02	
17.	रामावि. बरजांगसर			4		1	12.03, 8.02, 6.03, 8.01, 4.03	
18	रामावि. कितासर			1		1	11.03, 9.03	
19.	रामावि. बेणीसर			1			10.02,	
20.	रामावि. रूपादेवी मोहता डूंगरगढ़						2 10.03, 3.04	
21	राबामावि, मोमासर			4			2.99, 99, 2000, 7.99	
22.	राबामावि. दुलचासर			2		3	7.03, 7.03, 7.03, 7.03, 7.03	

बस्सी के विद्यालयों में रिक्त पद

76. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति बस्सी एवं पंचायत समिति चाकसू के कौन-कौन से राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में छात्र अनुपात में अध्यापक/ अध्यापिकाओं की कितनी कमी कब से है? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विद्यालयों में छात्र/छात्रा अनुपात में अध्यापक/अध्यापिकाओं के पद स्थापन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह भी सही है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाढ़ बांकल्या, गढ़ का पाड़ा, झांपदा कलां गौड का बास व कुशलपुरा गत लगभग एक वर्ष से बन्द पड़े हुए हैं? यदि हां, तो क्यों अब कब तक इन्हें सुचारू रूप से संचालित किया जावेगा? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभ क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में छात्र अनुपात में अध्यापक/ अध्यापिकाओं की कमी का विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग से अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर/समानीकरण/ शिक्षण व्यवस्था द्वारा छात्र अनुपात में अध्यापक/अध्यापिकाओं का पदस्थापन किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाढ़ बांकल्या दो वर्ष पूर्व अनार्थिक हो जाने के कारण बन्द की गयी। शेष सभी विद्यालय संचालित हैं।

परिशिष्ट- "क

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में आने वाले राप्रावि, में छात्र अनुपात से अध्यापक/अध्या. की कमी की सूची

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	छात्र अनुपात में अध्या. की कितनी कमी हैं।	छात्र अनुपात में अध्या. की कमी कब से हैं।
1	2	3	4
	राप्रावि प. सं. बस्सी		
1.	(बा) सांभरिया	1	18.8.2003 से
2.	किशनपुरा	1	18.9.2003 से
3.	चतरपुरा	1	11.9.2003 से
4.	अचलपुरा	1	10.5.2003 से
5.	देवगांव	1	11.8.2003 से
6.	सवाई जयसिंहपुरा	1	21.8.2003 से
7.	खेडा मलूकपुरा	1	11.8.2003 से
8.	ब्रह्मपुरी	1	10.9.2003 से
9.	विमलपुरा	1	10.9.2003 से
10.	घासीपुरा	1	10.3.2003 से
11.	पीलीया	1	10.9.2003 से
12.	रामसिंहपुरा	1	10.9.2003 से
13.	रूपपुरा	1	10.8.2003 से
14.	चैनपुरा	2	10.8.2003 से
15.	राजौलाई	2	14.9.2003 से
16.	माल्याडाला	1	13.8.2003 से
17.	बडवा	2	10.9.2003 से
18.	पाटन	2	10.8.2003 से

1	2	3	4
19.	दूभली	2	10.7.2003 से
20.	भूधरपुरा	1	24.8.2003 से
21.	लालपुरा	1	2.9.2003 से
2.	पं. स.—चाकसू		
22.	ठीकरिया मिणान	1	गत सत्र से
23.	रामनगर	2	—"—
24.	गोड का बास	1	—"—
25.	महादेवपुरा (छात्र)	2	—"—
26.	—"— (छात्रा)	2	—"—
27.	ताज खां का बास	1	—"—

बाली के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

77. **श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली की पंचायत समिति बाली में कितने राजकीय प्राथमिक विद्यालय कहां-कहां पर स्थित हैं? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विद्यालयों में छात्र/छात्राओं के अनुपात में अध्यापक/अध्यापिकाओं की संख्या कम है?

(3) क्या सरकार उक्त प्राथमिक विद्यालयों में छात्र/छात्राओं के अनुपात में अध्यापकों की नियुक्ति करने, शुद्ध पेयजल व्यवस्था एवं चार दीवारी निर्माण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली की पंचायत समिति बाली में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों की सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) उक्त प्राथमिक विद्यालयों में छात्र छात्रा अनुपात में अध्यापक नियुक्त हैं। तथा पेयजल व्यवस्था एवं चार दीवारी निर्माण राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय उपलब्धता के आधार पर करवाये जा सकेंगे।

परिशिष्ट-क

पंचायत राज विद्यालयों की सूची मय छात्र एवं पदों सम्बन्धी सूचना

क्र. सं.	नाम विद्यालय	ग्राम पंचायत तहसील	वि.स. क्षेत्र	कक्षा 1 से 5 छात्र सं.	स्वीकृत पद	कार्यरत पद
1	2	3	4	5	6	7
1.	रा.प्रा.वि. जादरी	बेडल, बाली	बाली	113	3	3
2.	रा.प्रा.वि. कागडी	धणी "	"	71	2	2
3.	रा.प्रा.वि. चामुण्डेरी मेडति.	धणी "	"	58	4	4
4.	रा.प्रा.वि. फालना गांवढाणी	फा.गा. "	"	81	2	2
5.	रा.बा.प्रा.वि. फालना गांव	फा.गा. "	"	184	4	4
6.	रा.प्रा.वि. खीमेल	खीमेल "	"	259	7	7
7.	रा.बा.प्रा.वि. खीमेल	खीमेल "	"	111	3	3
8.	रा.प्रा.वि. चौथरियों की ढाणी	खीमेल "	"	36	2	2
9.	रा.बा.प्रा.वि. धीणी	खीमेल "	"	162	4	3
10.	रा.बा.प्रा.वि. मोकमपुरा	धणी "	"	115	2	2
11.	रा.प्रा.वि. फतापुरा	मोकमपुरा "	"	95	2	2
12.	रा.प्रा.वि. धाणदा	गुडालास "	"	61	2	2
13.	रा.प्रा.वि. बमणिया	मोकमपुरा "	"	100	4	4
14.	रा.प्रा.वि. बिसलपुर	बीसलपुर "	"	337	13	13

1	2	3	4	5	6	7
15.	रा.बा.प्रा.वि. पेरवा	पेरवा "	"	112	4	4
16.	रा.प्रा.वि. कोटडा	बोया "	"	48	2	2
17.	रा.प्रा.वि. मीणों की ढ़ाणी	"	"	34	2	2
18.	रा.प्रा.वि. लुणावा	लुणावप "	"	183	8	8
19.	रा.प्रा.वि. पुनाडिया	कोटबालि. "	"	109	3	3
20.	रा.बा.प्रा.वि. बारवा	बारवा "	"	147	5	4
21.	रा.बा.प्रा.वि. सेसली	सेसली "	"	139	4	4
22.	रा.प्रा.वि. माताजी ढाणी बारवा	बारवा "	"	69	2	2
23.	राप्रावि रडियो की ढाणी मिरगेश्वर	मिरगेश्वर "	"	52	3	3
24.	रा.प्रा.वि. शिवतलाब	शिवतलाब "	"	217	5	5
25.	रा.प्रा.वि. मालारी	शिवतलाब "	"	54	3	3
26.	रा.प्रा.वि. लाटाडा	लाटाडा "	"	153	7	7
27.	रा.प्रा.वि. कृषि विस्तार लाटाडालाटाडा	लाटाडा "	"	49	2	2
28.	रा.प्रा.वि. कृषि विस्तार डूंगरली	शिवतलाब "	"	52	3	3
29.	रा.प्रा.वि. नं. 2, मुण्डारा	मुण्डारा	"	271	11	11
30.	राप्रावि माताजी रोड मुण्डारा	मुण्डारा	"	174	3	3
31.	रा.प्रा.वि. कोट बालियान	कोटिबालि.	"	160	4	4
32.	रा.बा.प्रा.वि. कोटाबालियान	कोटिबालि.	"	127	4	4

1	2	3	4	5	6	7
33.	रा.प्रा.वि. रेबारियो की ढाणी कोट	कोटबालियान	--	112	3	3
34.	रा.बा.प्रा.वि. भीटवाडा	भीटवाडा	--	20	2	2
35.	रा.प्रा.वि. केरापुरा	कोटबालि.	"	10	2	2
36.	रा.प्रा.वि. रमणिया	गुडालास	"	48	2	2
37.	रा.बा.प्रा.वि. सेवाडी	सेवाडी	"	265	8	8
38.	रा.प्रा.वि. कृषि विस्तार सेवाडी	सेवाडी	"	213	7	7
39.	रा.प्रा.वि. भाटुन्द	भाटुन्द	"	186	7	7
40.	रा.प्रा.वि. खिन्दावा	पादरला	"	85	3	1
41.	रा.प्रा.वि. कोपरणी भाटुन्द	भाटुन्द	"	164	2	2
42.	रा.प्रा.वि. गुडामानसिंह	पादरला	"	47	2	2.
43.	रा.प्रा.वि. टांकरिया ढाणी	बीजापुर	"	39	2	2
44.	रा.प्रा.वि. बेडा	बेडा	"	266	8	8
45.	रा.प्रा.वि. मोरी स्टेशन	दूदनी	"	84	2	2
46.	रा.प्रा.वि. वरावल	दूदनी	"	63	2	2
47.	रा.प्रा.वि. छोटी दूदनी	दूदनी	"	58	2	2
48.	रा.प्रा.वि. जूना बेडा	बेडा	"	97	2	2
49.	रा.बा.प्रा.वि. कुमटिया	कुमटिया	"	69	2	2
50.	रा.प्रा.वि. रोनवाडा	बेडा	"	40	2	1
51.	रा.प्रा.वि. सेन्दलाढाणी पनेतरा	बेडा	"	59	2	2

1	2	3	4	5	6	7
52.	रा.प्रा.वि. रेला	बेडा	"	59	2	2
53.	रा.प्रा.वि. भन्दर	भन्दर	"	131	6	6
54.	रा.प्रा.वि. लालपुरा	मालनू	"	75	2	2
55.	रा.प्रा.वि. चिमनपुरा	लुन्दाडा	"	92	6	6
56.	रा.प्रा.वि. नाणा स्टेशन	चामु. राणा	"	32	2	1
57.	रा.प्रा.वि. डूंगरजी भागल	लुन्दाडा	"	19	2	1
58.	रा.प्रा.वि. पटेल कम्पा	चामु. राणा	"	21	2	2
59.	रा.प्रा.वि. मालदर ढाणी	मालनू	"	25	2	2
60.	रा.प्रा.वि. भीलबस्ती नाणा	नाणा	"	30	2	2
61.	रा.प्रा.वि.गोरधनपुरा	नाणा	"	51	2	2
62.	रा.प्रा.वि. रेलिया भागल	भीमाणा	"	54	2	2
63.	रा.प्रा.वि. भीमाणा	भीमाणा	"	119	2	2
64.	रा.प्रा.वि. ऊरणा	भीमाणा	"	65	2	2
65.	रा.प्रा.वि. तणी	भीमाणा	"	35	2	2
66.	रा.प्रा.वि. कालीबोर	कोयलवाव	"	23	2	1
67.	रा.प्रा.वि. चिंगटाभाटा	कोयलवाव	"	26	2	2
68.	रा.प्रा.वि. पाटरिया ढाणी	नाणा	"	26	2	2
69.	रा.प्रा.वि. बराडिया	भीमाणा	"	70	2	2
70.	रा.प्रा.वि. तलाबफली कूरका	धणी	"	32	2	2
71.	रा.प्रा.वि. करलाई	धणी बाली	"	नवीन स्वीकृति वि.		"

1	2	3	4	5	6	7
72.	रा.प्रा.वि. जांगलफली	कुमटिया	”	”		”
73.	रा.बा.प्रा.वि. कोठार	कोठार	”	”		”
74.	रा.प्रा.वि. कासरोटा	भीमाणा	”	”		”
75.	रा.प्रा.वि. कोठार स्टेशन	कोठार	”	”		”
76.	रा.प्रा.वि. रेबारियो की ढाणी	पेरवा	”	”		”
77.	रा.बा.प्रा.वि. दूदनी	दूदनी	”	”		”
78.	रा.प्रा.वि. रेल्वे लाईन से पूर्व मेंमोरी	दूदनी	”	”		”
79.	रा.प्रा.वि. बोरावाली ढाणी	चामु. रा.	”	”		”
80.	रा.प्रा.वि. नाणा	नाणा	”	”		”
81.	रा.प्रा.वि. गांगलो की भांगल	नाणा	”	”		”
82.	रा.प्रा.वि. सरजूवाली	आमलिया	”	”		”
83.	रा.प्रा.वि. थरीवाली	लुणावा	”	”		”
84.	रा.प्रा.वि. देवावाला	लुंणावा	”	”		”
85.	रा.बा.प्रा.वि. बेडा	बेडा	”	”		”
86.	रा.बा.प्रा.वि. सेन्दला	कुमटिया	”	”		”
87.	रा.बा.प्रा.वि. चामुण्डेरी राणा	चा. रणा.	”	”		”
88.	रा.प्रा.वि. कनावा बस्ती भन्दर	भन्दर ”	”	”		”

झुंझुनूं जिले के विद्यालयों में शिक्षा सहयोगियों, पैराटीचर्स का नियमितिकरण

78. श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला झुंझुनूं में राजीव गांधी पाठशालायें, वैकल्पिक विद्यालय एवं शिक्षा बोर्ड की कुल कितनी संस्थायें, कहां-कहां कब से संचालित हैं एवं इनमें कितने-कितने बच्चे एवं अध्यापक हैं?

(2) क्या यह सही है कि विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षा सहयोगी/शिक्षाकर्मी कम हैं? यदि हां, तो शिक्षा कर्मियों की आपूर्ति हेतु सरकार की क्या योजना है?

(3) क्या यह सही है कि कुछ संस्थाओं में शिक्षा सहयोगियों का चयन नहीं होने के कारण शिक्षा सहयोगी एवं शिक्षा कर्मियों ने कार्य करना बन्द कर दिया है? यदि हां, तो क्या सरकार संस्थाओं में चयन प्रक्रिया शुरू करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार जिला झुंझुनूं में नये विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पैराटीचर/शिक्षा सहयोगी/शिक्षा कर्मियों को निश्चित समयावधि के बाद नियमित करने के आदेश जारी किये गये थे? यदि हां, तो इन पर कार्यवाही कब तक कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) जिला झुंझुनूं में राजीव गांधी पाठशालाऐं, वैकल्पिक विद्यालय एवं शिक्षाकर्मी बोर्ड की कुल 414 संस्थाऐं संचालित हैं। संचालित संस्थाओं का विवरण उनमें अध्ययनरत बच्चों एवं कर्मियों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। चयन नहीं होने के कारण शिक्षा सहयोगियों एव शिक्षा कर्मियों ने कार्य करना बन्द नहीं किया है।

(शिक्षा मंत्री)

(4) जिला झुंझुनूं में सत्र 2004-2005 से 29 नये प्राथमिक विद्यालय खोल दिये गये हैं।

(5) वर्तमान में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं 1996 में संशोधन करके 100% तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन कर भरने का प्रावधान किया गया है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कार्यरत व्याख्याता

79. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश के विभिन्न जिलों के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कितने व्याख्याता माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि शहर एवं गांव में कार्यरत व्याख्याताओं के वेतन एवं अन्य भत्तों में अन्तर है? यदि हां, तो कितना?

उत्तर

(1) प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत 6991 व्याख्याता ग्रामीण क्षेत्र में तथा 5483 व्याख्याता शहरी क्षेत्र में संचालित विद्यालयों में कार्यरत हैं। जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में कार्यरत व्याख्याता की नियुक्ति समान वेतन श्रृंखला 6500-10500 में प्रदान की जाती है। परन्तु वित्त विभाग के आदेशानुसार शहर में कार्यरत व्याख्याताओं का मकान किराया भत्ता एवं शहरी भत्ता निम्नानुसार तुलनात्मक विवरण के अनुसार किया जाता है—

(शिक्षा मंत्री)

मकान किराये भत्ते की प्रभावी दरें

(1.1.1998 से)

नगरों का वर्गीकरण	मकान किराये भत्ते की दर
बी-I	15% मूल वेतन का
बी-II	15% मूल वेतन का
सी	7.5% मूल वेतन का

अवर्गीकृत नगर व कस्बे व ग्राम 5%

(ब) नगर क्षतिपूर्ति भत्ता 1.1.1998 से वर्तमान प्रभावी दरें

मूल वेतन सीमा	जयपुर	जोधपुर, कोटा, बीकानेर एवं अजमेर
3000 प्रतिमाह	65/-	25/-
3000 से 4499 तक	95/-	35/-
4500 से 5999 तक	150/-	65/-
6000 से उधर तक	240/-	120/-

क्र.सं.	जिले का नाम	व्याख्याताओं की संख्या	
		ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
1	2	3	4
1.	चूरू	157	149
2.	बीकानेर	209	
3.	गंगानगर	167	147
4.	हनुमानगढ़	139	132

1	2	3	4
5.	झुंझुनूं	291	190
6.	जयपुर	780	611
7.	भरतपुर	282	247
8.	अलवर	531	346
9.	सीकर	327	220
10.	दौसा	190	124
11.	धौलपुर	115	
12.	जोधपुर	283	260
13.	पाली	189	144
14.	सिरोही	87	72
15.	जालौर	84	54
16.	बाडमेर	147	76
17.	जैसलमेर	37	24
18.	कोटा	239	217
19.	झालावाड़	119	88
20.	बूंदी	140	109
21.	बारां	98	69
22.	करौली	164	110
23.	सवाईमाधोपुर	132	119

1	2	3	4
24.	उदयपुर	339	281
25.	बांसवाडा	176	142
26.	डूंगरपुर	146	86
27.	राजसमन्द	115	01
28.	चित्तौड़गढ़	242	191
29.	अजमेर	380	341
30.	नागौर	238	197
31.	भीलवाड़ा	296	198
32	टौंक	152	120
	योग	**6991**	**5483**

कठूमर में छात्रवृत्ति राशि वितरण में अनियमितता

80. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति एवं विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है?

(2) ब्लाक शिक्षा अधिकारी कठूमर के लिए वर्ष 1999 से 2003 तक प्रति वर्ष कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई? वर्षवार व मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त छात्रवृत्ति ब्लाक शिक्षा अधिकारी कठूमर द्वारा सम्बन्धित विद्यालयों को समय पर वितरित कर दी गई? यदि हां, तो किस-किस विद्यालय को कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में दी गई? वर्षवार व मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि ब्लाक शिक्षा अधिकारी कठूमर से रोकड़ व छात्रवृत्ति

(श्री रमेश खींची)

सम्बन्धित रेकार्ड चोरी हुआ है? यदि हां, तो किस तारीख को तथा रेकार्ड में क्या-क्या चोरी हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि चोरी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई? यदि हां, तो किस तारीख को व उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(6) क्या यह सही है कि चोरी की सूचना उच्चाधिकारियों को दी गई? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(7) क्या यह सही है कि कठूमर से रोकड़ सम्बन्धी रेकार्ड छात्रवृत्ति गबन करने हेतु किया गया? यदि हां, तो क्या सरकार सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को निलम्बित करने का विचार रखती है?

(8) क्या यह सही है कि एरियर व अन्य राशि का सम्बन्धित अध्यापकों को भुगतान नहीं कर रोकड़ में इन्द्राज कर दिया गया? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(9) क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच किसी विशेष लेखा जांच दल से कराये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, कठूमर को वर्ष 1999 से 2003 तक आवंटित राशि वर्षवार व मदवार विवरण इस प्रकार है:-

सत्र	अनु. जाति	अनु. जनजाति	विकलांग
1999-2000	1,56,400	1,41,450	21,320
2000-2001	2,02,200	1,83,550	31,24
2001-2002	2.08,050	1.79,450	53,90
2002-2003	2,30,750	2,05,500	-

(शिक्षा मंत्री)

(3) ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, कठूमर का छात्रवृति से सम्बन्धित रेकार्ड चोरी हो जाने के कारण वितरण की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है।

(4) जी हां। दिनांक 20.01.2004 को चोरी हुवे रेकार्ड में सरकारी चालू केश बुक, पी.डी. केश बुक संख्या-03, छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर एवं कुछ वेतन बिल आदि चोरी हुवें।

(5) जी हां। चोरी की रिपोर्ट दिनांक 29.01.2004 को पुलिस थाना कठूमर में दर्ज कराई गई। पुलिस के बाद तफ्तीश एफ.आर. लगाकर न्यायालय में प्रस्तुत की। जिस पर ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, कठूमर ने प्रोटेस्ट किया है।

(6) जी हां। विभाग द्वारा जांच के आदेश दिये गये। जांच प्रक्रियाधीन है।

(7) जांच प्रक्रियाधीन है, जांचोपरान्त-तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(8) प्रश्नोत्तर के भाग संख्या-07 के अनुसार।

(9) प्रश्नोत्तर के भाग संख्या-07 के अनुसार।

इन्दिरा गांधी नहर के क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के पुनर्निर्माण पर व्यय

81. श्री अमराराम (धोद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनवरी, 2004 से अब तक इन्दिरा गांधी नहर किस-किस स्थान पर कब-कब टूटी तथा इसके टूटने के क्या कारण रहे इससे कितने समय तक विभिन्न नहरों को बन्द रखा गया?

(2) इस टूट के कारण नहर के पुनर्निर्माण पर कितनी राशि व्यय हुई तथा किसानों को इससे कितनी हानि हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर जनवरी, 2004 से अब तक किसी भी स्थान पर नहीं टूटी है।

(2) उपरोक्तानुसार. टूटी ही नहीं अत: कोई व्यय नहीं हुआ।

सरहिन्द फीडर से जलापूर्ति

82. **श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में भाखड़ा क्षेत्र के लिये राज्य के निर्धारित हिस्से का पानी सरहिन्द फीडर के माध्यम से नहीं लिया जा रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य के भाखड़ा क्षेत्र के लिए निर्धारित हिस्से को इन्दिरा गांधी नहर फीडर के माध्यम से लेने के कारण लिंक हैड पर भाखड़ा की नहरों में पानी लेने से राजस्थान के कुछ हिस्से का पानी सरहिन्द फीडर के माध्यम से वापिस पंजाब चला जाता है?

(3) क्या यह सही है कि पुरानी भाखड़ा नहर के माध्यम से अवैध रूप से लगभग 150 क्यूसेक पानी हरियाणा को दिया जा रहा है?

(4) राजस्थान के हिस्से का पानी दूसरे राज्यों द्वारा उपयोग किये जाने से रोकने हेतु सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) वर्तमान में भाखड़ा नहर प्रणाली के निर्धारित हिस्से का पानी आंशिक रूप से सरहिन्द फीडर के माध्यम से लिया जा रहा है।

(2) कभी-कभी सरहिन्द फीडर में पानी की मात्रा शून्य होने पर कुछ पानी वापिस सरहिन्द फीडर (पंजाब) में चला जाता है।

(3) पुरानी भाखड़ा नहर के माध्यम से लगभग 90 क्यूसेक्स पानी हरियाणा को पंजाब के हिस्से से जा रहा है।

(4) इस सम्बन्ध में उच्चतम स्तर पर प्रयास जारी हैं।

भेड़ प्रजनन फार्म फतेहपुर का भूमि प्रकरण

83. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर की तहसील फतेहपुर में भेड़ प्रजनन फार्म फतेहपुर की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना किन उद्देश्यों हेतु की गई थी? उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा अब तक क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) भेड़ प्रजनन केन्द्र में वर्तमान में कितनी भेड़ें हैं?

(3) भेड़ प्रजनन केन्द्र फतेहपुर को वन विभाग द्वारा कितनी भूमि लीज पर दी गयी है? लीज की शर्तों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरकार उक्त भूमि वापस वन विभाग को लौटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं,तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला सीकर की तहसील फतेहपुर में भेड़ प्रजनन फार्म फतेहपुर की स्थापना वर्ष 1972-73 में हुई थी। इस फार्म की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भेड़ पालकों को उन्नत नस्ल के मेढ़े प्रदाय कर ऊन की किस्म एवं मात्रा में बढ़ोत्तरी करना है।

उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा गत पांच वर्षों में उन्नत नस्ल के कुल 2585 मेढ़े भेड़ पालकों को रियायती दर पर वितरित किये गये।

(2) वर्तमान में भेड़ प्रजनन केन्द्र, फतेहपुर में 3628 भेड़े हैं।

(3) भेड़ प्रजनन केन्द्र, फतेहपुर को वन विभाग द्वारा 9337 एकड़ भूमि लीज पर दी गई है। लीज की शर्तों का विवरण प्रदर्श-1 पर है।

(4) जी नहीं। भेड़ प्रजनन फार्म द्वारा भेड़ पालकों को नस्ल सुधार हेतु मेढ़े रियायती दर पर दिये जाने की योजना चलाई जा रही है।

प्रदर्श-1

विषय:-फतेहपुर (जिला-सीकर) में केन्द्रीय विशाल भेड़ प्रजनन कार्य हेतु व भूमि के आबंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस विभाग के सम संख्यक पत्रों दिनांक 7.7.1972 एवं 27.10.1972 के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि इस मामले को सरकार ने पुन: विचारकर निम्नलिखित निर्णय लिये है:-

1. सीकर स्थित वन विभाग को फतेहपुर बीड़ जिसकी अब तक 8700 वन भूमि भेड़ व ऊन विभाग को लीज पर दी जा चुकी है। अब इस बीड़ की सम्पूर्ण वन भूमि जिसमें वह भूमि भी है जहां पर बुद्धगिरीजी की मंढ़ी (खसरा नं. 32 रकबा 172 बीघा) है, भेड़ व ऊन विभाग को दे दी जावे।
2. बुद्धगिरीजी के मन्दिर को जो सुविधायें वन विभाग द्वारा दी जाती रही है, उन्हें भेड़ व ऊन विभाग यथावत देता रहेगा।
3. भेड़ व ऊन विभाग बीड़ में खड़े पेड़ों आदि की सुरक्षा का उचित प्रबन्ध करेगा व फार्म के प्रोजेक्ट अधिकारी को बीड़ की सुरक्षा सम्बन्धी समस्त शक्तियां प्रदान कराई जो वन अधिकारी को प्राप्त हैं।
4. बीड़ में खड़ी सम्पदा के ठेके से जो आय भेड़ व ऊन विभाग को हुई है वह वन विभाग को हस्तान्तरित कर दी जावे व वन विभाग भेड़ व ऊन विभाग को बजट शीर्षक सूचित करे जिससे यह राशि भेड़ व ऊन विभाग द्वारा जमा करा दी जावे।
5. भविष्य में इस बीड़ में खड़ी वन सम्पदा से जो आय हो वह भेड़ व ऊन विभाग, वन विभाग को जमा करायेगा।

क्रमांक-पी.ए./निभेड़/75/2482 जयपुर, दिनांक 11.12.1975

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु परियोजना अधिकारी, वृहद स्तरीय भेड़ प्रजनन फार्म-फतेहपुर (सीकर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

ह.

निदेशक

अजमेर जिले में पशु चिकित्सक एवं अन्य पदों पर पदस्थापन

84. डा. श्री गोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर जिले में पशु चिकित्सक, पशुधन सहायक तथा अन्य स्टाफ के कितने पद स्वीकृत हैं उनमें से किस-किस संवर्ग के कितने पद रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में पशु चिकित्सक, पशुधन सहायक एवं अन्य स्टाफ के स्वीकृत तथा रिक्त पदों की संवर्गवार स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1.	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी	15	—
2.	पशु चिकित्सा सहायक	52	13
3.	पशु चिकित्सा सहायक	34	11
4.	पशुधन सहायक	125	10
5.	स्कन्ध सहायक	10	02
6.	सईस	122	39
7.	जलधारी	20	02
8.	ड्रेसर	10	04
9.	सफाईकर्ता	52	05

(2) उपरोक्त संवर्गों में नियमित भर्ती नहीं होने से, इन पदों को वर्तमान में भरा जाना सम्भव नहीं है।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के दौरान निर्मित परिसम्पत्तियां

85. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण के दौरान राज्य में अनेक स्थानों पर आवास. गोदाम एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सम्पत्तियों का निर्माण किया गया था? यदि हां, तो कहां-कहां?

(2) क्या यह भी सही है कि इन में से अधिकांश सम्पत्तियों परियोजना कार्य पूर्ण हो जाने के कारण अब विभाग के लिये उपयोगी नहीं हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर? स्थान सहित मूल्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सार-सम्भाल के अभाव में नष्ट हो रही सम्पत्तियों या अन्य अनुपयोगी सम्पत्तियों को किराये पर देने या बेचने का विचार रखती है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त सम्पत्तियों को किराये पर लेने या क्रय करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या सरकार इन प्रस्तावों पर कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण के दौरान राज्य में अनेक स्थानों पर आवास, गोदाम एवं अन्य सम्पत्तियों का निर्माण करवाया गया है। विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-"क")

(2) जी हां। विवरण परिशिष्ट अ, ब, स में दर्शाया गया है।

(3) जी हां। इन सम्पत्तियों के निस्तारण/हस्तान्तरण के प्रयास किये जा रहे हैं।

(4) जी हां। विवरण परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र फलौदी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिलाभों का भुगतान

86. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

(1) क्या यह सही है कि परियोजना के वृत्त कार्यालय फलौदी जिला जोधपुर में दिनांक 30 जून, 2003 से 31 जुलाई, 2003 तक की अवधि में कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं? यदि हां, तो कौन-कौन कर्मचारी किस-किस तिथि को? पदनाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अवधि में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन एवं अन्य परिलाभों (ग्रेच्युटी, उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान, जी.पी.एफ., राज्य बीमा) का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कब व कितनी-कितनी राशि का और यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को उनकी पेंशन एवं अन्य परिलाभों का निस्तारण ज्यादा से ज्यादा तीन माह की अवधि में किये जाने सम्बन्धी निर्देश सभी विभागाध्यक्षों को भिजवाये गये थे? यदि हां, तो क्या उक्त मामलों में उक्त निर्देशों की पालना की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार के निर्देश की पालना नहीं करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार अब उक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन एवं अन्य परिलाभों का भुगतान करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) हां। इस वृत के अन्तर्गत केवल पूगल शाखा खण्ड प्रथम के अधिनस्थ दिनांक 30 जून, 2003 से 31 जुलाई, 2003 तक की अवधि में केवल एक कर्मचारी श्री ललित किशोर वरिष्ठ लिपिक दिनांक 31 जुलाई, 2003 को सेवानिवृत्त हुए हैं।

(2) दिनांक 31 जुलाई, 2003 को सेवा निवृत्त हुए श्री ललित किशोर व. लि. को पेंशन एवं अन्य परिलाभों के तहत बकाया उपार्जित अवकाश के बदले नकद भुगतान जीपीएफ तथा राज्य बीमा का भुगतान किया जा चुका है। लेकिन पेंशन व ग्रेच्यूटी अभी तक नहीं किया गया है। किये गये भुगतानों का विवरण निम्नानुसार है:—

(इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री)

क्र.सं.	आईटम	भुगतान की राशि	भुगतान की दिनांक
1.	राजकीय बीमा	34358/-	7.4.2003
2.	उपार्जित अवकाश का नकदीकरण	17024/-	6.9.2003
3.	जी.पी.एफ.	87174/-	29.9.2003

पेंशन व ग्रेच्यूटी अभी तक स्वीकृत नहीं की जा सकी है। कर्मचारी का दिनांक 7.6.1982 से 8.7.1983 (397 दिन) तक का अनुपस्थिति प्रकरण पत्राचार में है। कर्मचारी द्वारा उक्त अवधि में समय पर अवकाश आवेदन नहीं दिये गये एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र भी समय पर प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त अवधि के कर्मचारी द्वारा दिनांक 11.7.1983 का कार्य पर उपस्थित होने पर चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये। कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत सभी चिकित्सा प्रमाण पत्र निजी आयुर्वेद चिकित्सक के हैं तथा चिकित्सा प्रमाण पत्रों में अवधि भी अंकित नहीं है। अत: नियमानुसार कर्मचारी का यह अनुपस्थिति प्रकरण है एवं कर्मचारी द्वारा नियमानुसार चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण ही उक्त अवकाश स्वीकृत नहीं हुआ है। जिसके लिए स्वयं कर्मचारी द्वारा न तो पत्र का कोई प्रत्युत्तर ही दिया गया एवं न ही संयुक्त फोटो प्रस्तुत किये गये। अत: कर्मचारी के पक्ष में प्रोविजनल पेंशन स्वीकृत न होने के लिए भी स्वयं कर्मचारी ही उत्तरदायी है।

(3) यह सही है कि सरकार द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी पेंशन व अन्य परिलाभों का निस्तारण ज्यादा से ज्यादा तीन माह की अवधि में करने के निर्देश जारी किये गये हैं। उपरोक्त बिन्दू संख्या 2 में अवगत कराए गए अनुसार कर्मचारी का अनुपस्थिति प्रकरण निर्णित होने पर पेंशन व ग्रेच्यूटी पर कार्यवाही सम्भव होगी।

(4) उपरोक्त बिन्दू संख्या 2 में अवगत कराए गए अनुसार पेंशन प्रकरण के निस्तारण के लिए कर्मचारी स्वयं पूरी तरह उत्तरदायी है। अत: किसी भी अधिकारी/अन्य कर्मचारी के विरूद्ध इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(5) जी हां। उक्त कर्मचारी को पेंशन एवं परिलाभों का भुगतान करने का विचार रखती है। कर्मचारी के पक्ष में दिनांक 7.6.1982 से 8.7.1983 की अवधि का अनुपस्थिति प्रकरण को 3 माह में निर्णित कराकर वेतन स्थिरीकरण व पेंशन प्रकरण स्वीकृत करवाया जाएगा।

दूदू पंचायत समिति में अकाल राहत के तहत स्वीकृत कार्य

87. **श्री बाबूलाल नागर** (दूदू) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर जिले की पंचायत समिति दूदू में जनवरी, 1999 से नवम्बर, 2003 तक विभिन्न कार्य एजेंसियों द्वारा ग्राम पंचायतवार कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के अकाल राहत के तहत स्वीकृति किये गये? स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समय अवधि में कौन-कौन से कार्य अपूर्ण रहे? इन अपूर्ण कार्यों को सरकार कब तक पूरा करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) पंचायत समिति दूदू में जनवरी, 1999 से नवम्बर, 2003 की अवधि में स्वीकृत कार्य का विवरण निम्न प्रकार है:-

कार्य अभिकरण	सम्वत् 2055		सम्वत् 2056		सम्वत् 2057		सम्वत् 2059	
कार्य अभिकरण	कार्य	राशि	कार्य	राशि	कार्य	राशि	कार्य	राशि
पंचायत समिति	107	272	416	341	31	33	860	1693
सा.नि. विभाग	41	317	68	393	199	1571	440	1272
सिंचाई विभाग	41	206	20	46	—	—	10	14

उपरोक्त वर्णित स्वीकृतियों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में अपूर्ण रहे कार्यों की संख्या निम्नानुसार है :-

नाम अभिकरण	सम्वत् 2055	सम्वत् 2056	सम्वत् 2057	सम्वत् 2059
पंचायत समिति	—	—	—	609
पंचायत विभाग	33	50	165	377
सिंचाई विभाग	22	—	—	03

(अकाल राहत मंत्री)

अपूर्ण रहे कार्यों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। अपूर्ण रहे कार्यों की भविष्य में इस क्षेत्र में अभाव की स्थिति होने तथा राहत कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति दी जाने की दशा में प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराये जा सकेंगे।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

आसीन्द तहसील में अकाल राहत के तहत श्रमिकों की बकाया का भुगतान

88. श्री हंगामी लाल मेवाड़ा (आसीन्द) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि गत वर्ष तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा में अकाल राहत के तहत काम करने वाले श्रमिकों को गेहूं का भुगतान अभी तक नहीं किया गया? यदि हां, तो कितने गेहूं का भुगतान किस कारण बाकी है? सरकार अब बकाया गेहूं का भुगतान कब तक करने का विचार रखती है?

उत्तर

तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा में अकाल राहत के तहत काम करने वाले श्रमिकों को गेहूं का भुगतान कर दिया गया है, किन्तु व्यक्तिगत लाभ योजना के 4 प्रकरणों का 9884 किलो गेहूं की शिकायत होने से जांच कार्य पूर्ण होने पर भुगतान किया जा सकेगा।

कोटा व झालावाड़ जिले में पत्थर पालिश उद्योग से व्यास पर्यावरण प्रदूषण

89. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा व झालावाड़ जिले में पत्थर पालिश के कुल कितने उद्योग हैं तथा इनमें से कितनों को पर्यावरण विभाग से प्रमाण-पत्र जारी हुआ है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन जिलों में पत्थर के पालिश की सफेद परत से स्थान-स्थान पर प्रदूषण किया जा रहा है? यदि हां, तो इस पर नियंत्रण हेतु अब तक किन-किन के विरुद्ध सरकार द्वारा कार्यवाही की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री भरत सिंह)

(3) क्या यह सही है कि खनिज उद्योग को पर्यावरण संरक्षण के नाम पर प्रमाण-पत्र प्रदान करना महज कागजी कार्यवाही ही है? यदि नहीं, तो क्या सरकार पत्थर पालिश व अन्य मलबे से हो रहे अतिक्रमण व प्रदूषण पर नियंत्रण करने हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) कोटा जिले में पत्थर पालिश के कुल 708 एवं झालावाड़ जिले में कुल 275 उद्योग कुल 983 उद्योग पंजीकृत हैं।

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा कोटा एवं झालावाड़ जिलों में चिन्हित पत्थर पालिश के उद्योगों की संख्या 963 है। इन उद्योगों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्मति प्राप्त करना आवश्यक होता है। राज्य मण्डल द्वारा उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत उपरोक्त में से 467 उद्योगों को सम्मति प्रदान की गई है।

(2) जी हां। उक्त उद्योगों द्वारा निस्त्रावित स्लरी के निस्तारण हेतु जिला प्रशासन एवं रीको द्वारा स्थल का चयन किया हुआ है व उद्योगों को नियत स्थल पर ही स्लरी के निस्तारण हेतु निर्देश दिये गए हैं। स्लरी के चयनित स्थान पर निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु जिला प्रशासन एवं रीको द्वारा अग्रिम कार्यवाही की गई है, जिसका विवरण परिशिष्ट "ब (1)" एवं "ब(2)" में दिया गया है।

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने हेतु 496 इकाइयों को नोटिस जारी किये गये है। इन उद्योगों की सूची परिशिष्ट "अ" पर क्रम संख्या 168 से 334, 450 से 502 एवं 688 से 963 पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार, जिला प्रशासन, रीको एवं राजस्थान प्रदूषण

(पर्यावरण मंत्री)

नियंत्रण मण्डल के संयुक्त प्रयासों के फलस्वरूप अधिकांश उद्योगों के द्वारा स्लेरी निर्धारित स्थल पर ही डाली जा रही है दोषी उद्योगों के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने के फलस्वरूप प्रदूषण नियंत्रण में सुधार हो रहा है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय सीकर में कक्षों एवं प्रयोगशालाओं का निर्माण

90. श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सीकर शहर स्थित श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय में कक्षा-कक्षों, फर्नीचर, प्रयोगशालाओं व पुस्तकालय आदि की स्थिति संतोषप्रद नहीं है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त महाविद्यालय में नये-नये कक्षा-कक्षों एवं प्रयोगशालाओं के निर्माण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय महाविद्यालय, सीकर में कक्षा-कक्षों, फर्नीचर, प्रयोगशालाओं व पुस्तकालय आदि पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इन बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने के लिये स्थानीय स्तर पर राजनेताओं, दानदाताओं से सम्पर्क कर सुविधायें जुटाने का प्रयास किया जाता रहा है व इनसे धनराशि भी प्राप्त हुई है। साथ ही विश्वविद्यालय विकास मद व यू.जी.सी. से भी पुस्तकालय भवन एवं अन्य सुविधाओं के लिए राशि उपलब्ध हुई है।

(2) राज्य सरकर के बजट वर्ष 2004-05 में महाविद्यालय में कक्षा-कक्षों व प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए कोई प्रावधान नहीं है। उक्त सुविधायें जन सहयोग, यू.जी.सी., विधायक/सांसद कोष व छात्रकोष से पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-38 की सूची)

परिशिष्ट "ब"

राज्य में स्थापित वृहद मध्यम एवं लघु कुल रुग्ण एवं बन्द उद्योगों की स्थिति निम्न प्रकार है:-

	स्थापित इकाइयां	बन्द इकाइयां
1. वृहद एवं मध्यम उद्योग	622	268
2. लघु उद्योग	84256	37878

रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास हेतु सहायता पूंज

राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.26 (2) उद्योग/1/87 दिनांक 17.8.1990 एवं परिपत्र क्रमांक प.1(49) उद्योग/2/93 दिनांक 2.7.1994 के अनुसार पुनर्वास की इच्छुक रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को राज्य सरकार की ओर से निम्न सहायता/सुविधाएें दी जाती है

1. विद्युत शुल्क (इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी) की वसूली पुर्नस्थापना/पुनरुत्थान अवधि से पांच वर्ष के लिये स्थगित। स्थगित राशि पर ब्याज जुर्माना व दण्डनीय ब्याज की वसूली से मुक्ति।

2. पुनर्चालन के पूर्व विक्रय कर/क्रय कर/विद्युत शुल्क की बकाया राशि के भुगतान का पुनर्निधारण व ब्याज/जुर्माना दण्डनीय ब्याज से मुक्ति।

3. रुग्ण औद्योगिक इकाई की भूमि को वित्तीय संस्थानों/बैंकों जिनसे इकाई द्वारा ऋण प्राप्त किया गया है के पास गिरवी रखने हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति शीघ्र प्रदान किया जाना।

4. रुग्ण औद्योगिक इकाइयों पर राजकीय विभागों/निगमों की बकाया का भुगतान करने के सम्बन्ध में बैंकों/वित्तीय संस्थानों की प्रत्याभूति दिये जाने पर वल नहीं दिया जाना।

5. रुग्ण इकाइयों से बिजली प्रदाय के सम्बन्ध विच्छेद की तिथि से विद्युत सम्बन्ध पुनः जोड़े जाने की तिथि की अवधि में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रसारित प्रमाण-पत्र के आधार पर न्यूनतम प्रभार (मिनिमम चार्जेज) की वसूली से मुक्ति।

6. विद्युत प्रदाय कनेक्शन पुनः जोड़े जाने पर ऐसी इकाईयों से, यदि वह एच.टी. कन्ज़्यूमर है तो विद्युत प्रदाय सम्बन्ध विच्छेद के समय बकाया देय राशि पर लेट पेमेन्ट सरचार्ज के स्थान पर 15 प्रतिशत ब्याज की दर से ही वसूली।

7. रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्चालन पर दो वर्ष की अवधि के लिये बिजली कटौती से मुक्ति की सुविधा/यदि किसी कारणवश यह सम्भव नहीं हो तो बिजली कटौती (पावरकट) सामान्य इकाइयों की तुलना में 50 प्रतिशत तक सीमित।

उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुनर्वासित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2002 में निम्न अतिरिक्त सुविधाओं की घोषणा की थी जो रुग्ण इकाइयों को उनके द्वारा आवेदन करने पर उपलब्ध करवाई जाती है :-

15. वित्तीय समस्याओं से जूझ रही औद्योगिक इकाइयों के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा 1% कम ब्याज दर पर ऋण एवं बकाया का रीशिड्यूलमेन्ट किया जाता है।

16. राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा रुग्णता समाप्ति के लिए अन्य उपयुक्त उपाय यथा प्रबन्धकीय परिवर्तन, एक बारीय योजना (ओ.टी.एस.) आदि अपनाये जाते हैं।

17. जो रुग्ण इकाइयों बन्द होने के कगार पर हैं, उनके लिए बकाया राशि पर ब्याज की राशि को पूर्णतया माफ तथा बकाया राशि का रीशिड्यूलमेन्ट किया जाता है।

18. बिक्रीकर प्रोजेक्ट योजना 1998 में रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास हेतु कुछ विशेष प्रावधान किये गए थे जो निम्नानुसार हैं :

- ❖ नई औद्योगिक इकाइयों के समकक्ष रुग्ण इकाइयों को बिक्रीकर में छूट/आस्थगन का लाभ।

- ❖ प्रबन्धन में परिवर्तन के माध्यम से नये विनियोजन के साथ यदि रुग्ण इकाई पुनर्जीवित होती है तो उसे नई इकाई के समान बिक्री कर छूट दी जाती है बशर्ते कि ऐसी इकाई ने पूर्व में बिक्री कर का लाभ न लिया हो।

- ❖ ऐसी रुग्ण इकाईयां जो प्रबन्धन में परिवर्तन के साथ-साथ नये पूंजी विनियोजन से पुनर्जीवीकरण हेतु प्रयासरत हो उनको नई इकाईयों के समकक्ष बिक्रीकर मुक्ति/आस्थगन की पात्रता। राज्य सरकार/रीको/राज.वित्त निगम से नये प्रबन्धन द्वारा लीज पर ली गई रुग्ण इकाई को भी नई ईकाई के समान कर मुक्ति/आस्थगन का लाभ मिलता है।

- ❖ योजनान्तर्गत अपात्र उद्योगों की श्रेणी में आने वाली रुग्ण इकाईयों को भी बिक्रीकर मुक्ति/आस्थगन का लाभ।

परिशिष्ट

तारांकित प्रश्न संख्या 3 का विवरण

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान में खोज गये खनिज तेल के भण्डारों का विवरण

क्र.सं.	स्थान	भण्डार	विशेष विवरण
		बाड़मेर जिला	
1.	गुढामलानी	रिजर्व आंकलन प्रगति पर	
2.	कोसलू	20 से 40 मिलियन बैरल	
3.	धांधलावास	155 मिलियन बैरल	
4.	सरनों का तालाब	रिजर्व आकलन प्रगति पर	
5.	नगाना जौगासर	450 से 1100 मिलियन बैरल	
6.	छतरवालों का सूरा छितर का पाल		
7.	सानी माडपुरा	20 से 80 मिलियन बैरल	
8.	राउजी की ढाणी	-	
9.	जटरा कुम्हारों की ढाणी	400 मिलियन बैरल	
		जालौर जिला	
10.	तस्तरा एतदा	रिजर्व आकलन प्रगति पर	
		जैसलमैर जिला	
11.	बागेवाला	14.6 मिलियन मैट्रिक टन	भारी तेल
12.	बागेवाला	17.45 मिलियन मैट्रिक टन	बिटुमिन
13.	तवरीवाला	6.3 मिलियन मैट्रिक टन	बिटुमिन
		बीकानेर जिला	
14.	कलरग[illegible]	9.45 मिलियन मैट्रिक टन	बिटुमिन

क्र.सं.	स्थान	भण्डार	विशेष विवरण
		जैसलमेर जिला	
1.	मनहरा टिब्बा	518.5 मिलियन घनमीटर	
2.	घोटारू	421.0 मिलियन घनमीटर	
3.	सादेवाला	42.1 मिलियन घनमीटर	
4.	चिन्नेवाला टिब्बा	151.6 मिलियन घनमीटर	
5.	तन्नोट	2432.12 मिलियन घनमीटर	
6.	डांडेवाला	6165.06 मिलियन घनमीटर	
7.	बागी टिब्बा	299.74 मिलियन घनमीटर	
8.	जलाल वाला	224.02 मिलियन घनमीटर	
9.	गमने वाला	37.49 मिलियन घनमीटर	
10.	गुलाब वाला	23.07 मिलियन घनमीटर	
		बाड़मेर जिला	
11.	नगर	3000 से 6000 मिलियन घनमीटर	

परिशिष्ट "ब"

मुख्य मंत्री

ASHOK GEHLOT

राजस्थान

DO No. DP/F35/9744
September 14. 1999

Dear Sir,

As you are aware, we have found good deposits of high grade crude oil in Barmer district of Rajasthan. Preliminary reports indicate that the extent of this deposit is of about 700 Sq. Kms. Thus, prime facie, there is enough crude oil to sustain a refinery to process this crude.

I am making this proposal because the crude we have struck is fit for making aviation fuel, which, I understand, is at present being imported from the Middle East. By setting up our own refinery in Rajasthan, we would become self reliant in aviation fuel and that would be a crucial strategic achievement for the country.

I would like to assure you, that the Government of Rajasthan would give full support to the refinery project in the State.

Yours sincerely,

(Ashok Gehlot)

Shri A.B. Vajpayee,
Prime Minister of India,
New Delhi.

परिशिष्ट "ब"

DO No. DP/F111/99
October, 29, 1999

Dear Sir,

The Government of India in the liberalized scenario has opened the refinery sector to joint/private sector for achieving further growth so as to meet the .nticipated demand of petroleum products. However, most of the new refineries have been locted on the coasts while major centers of demand for petroleum products are in hinter land.

I understand that on the basis of economic & technical considerations a refinery was earlier proposed in Rajasthan. Now with discovery of good quality crude oil in Barmer region, prima facie, there is enough justification for setting up an oil refinery in Rajasthan.

Accordingly, I would request you to advise India Oil Corporation to initiate implementation of the refinery project in Rajasthan for which feasibility study has already been done. I would like to assure you that the State Government would give full support for the establishment of refinery in Rajasthan.

Yours sincerely,

(Ashok Gehlot)

Shri S. Narayanan
Secretary
Minister of Petroleum & Natural Gas
Government of India, Shastri Bhawan,
New Delhi.
Fax No. 011-3383585

परिशिष्ट-3

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव जो पढ़े हुए माने गये

विधान सभा कार्यवाही संचालन प्रक्रिया नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना बाबत

[श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुवा)]

मैं विधान सभा क्षेत्र महुवा जिला दौसा में नवीन कृषि यार्ड निर्माण की ओर ध्यान आकर्षित कर अवगत कराना चाहता हूं कि महुवा मुख्यालय पर अनाज मण्डी में अनाज की बहुत आयत है, लेकिन अनाज लेकर आने वाले कृषकों/आढ़तियों की सुविधा का अभाव है।

महुवा स्थित कृषि उपज मण्डी पर चन्द लोगों ने कब्जा जमा रखा है। जो अपनी दुकानों का मनमाना किराया वसूलते है जबकि नवीन कृषि यार्ड निर्माण हेतु नेशनल हाइवे 11 पर ग्राम हडिया (महवा) में करीबन 14 हैक्टर सरकारी भूमि उपलब्ध है। इसके निर्माण हेतु पूर्व में भी आबंटन/निर्माण सम्बन्धी कार्यवाही चली थी; लेकिन तत्कालीन विधायक द्वारा न नवीन कृषि यार्ड के निर्माण में रुकावट डालकर अपने चन्द चेहते लोगों को लाभ देने के कारण निर्माण नहीं होने दिया।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार से इस लोक महत्व के नवीन कृषि यार्ड का निर्माण नेशनल हाइवे 11 पर हडिया (महुवा) में स्थित 14.00 हैक्टर भूमि पर करवाने का कष्ट करें।

नियम एवं प्रक्रिया के नियम 295 विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से पुलिस एवं कारागार के सम्बन्ध में जानकारी देने बाबत

[श्री देवीसिंह भूतड़ा (ब्यावर)]

नियम प्रक्रिया 295 विशेष उल्लेख के जरिये में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र ब्यावर शहर व आस-पास के ग्रामीण क्षेत्र हेतु थाना सदर की स्थिति अत्यन्त खराब है। जिस अनुपात में जनसंख्या व अपराध की घटनाऐं दिनों-दिन बढ़ रही है उसी अनुपात में थाने के स्टाफ में कोई वृद्धि नहीं होने से थाने पर प्रत्येक पुलिस कर्मी के चेहरे पर कार्य की अधिकता आसानी से मालूम पड़ती है। सदर थाने का क्षेत्र शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में फेला है जिससे नगर के बाहरी क्षेत्र के अलावा आस-पास के 81 गांव भी सम्मिलित है जिसमें शहर का साकेत नगर, फतेहपुरिया दोयम, रीको प्रथम, द्वितीय, तृतीय, नृसिंहपुरा, देलवाड़ा रोड़, मसूदा रोड़, इन्दिरा कालोनी, बाकोलिया कालोनी, हीरा नगर, गायत्री नगर, गणेशपुरा, गोविन्दपुरा, लिंक रोड़, मयूर कालोनी, गंगा कालोनी, मोती नगर, गहलोत कालोनी, अली नगर, पीपलाज रीको, श्रीसीमेन्ट आदि क्षेत्र के अलावा 81 गांव शामिल है।

सीमा के अन्तर्गत अजमेर रोड़ पर खरवा पेट्रोल पम्प, उदयपुर रोड़ पर केसरपुरा, पाली रोड़ पर बनेवड़ी गांव, मसूदा रोड़ पर श्यामगढ़, पुष्कर वाया विलातो का वाडिया, खरवा से मसूदा रोड़ पर सारणिया तक ब्यावर सदर थाने की सीमा है। इतने बड़े क्षेत्र को सर्किल इंस्पेक्टर के साथ तीन उप निरीक्षक, तीन सहायक उप निरीक्षक 17 कांस्टेबल सहित 24 पुलिस कर्मी इतने बड़े क्षेत्र को सम्भालते है। यह थाना वर्तमान में शहर के मध्य छावनी में स्थित है। अत: थाने का भवन बनाने में शहर में 12 किलोमीटर दूर पीपलाज में बनाये जाना प्रस्तावित है।

ऐसी दशा में शहर की जनता बेहाल हो जाएगी इस क्षेत्र की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए बाहर की कालोनियों के लिए नया थाना खोला जाना अत्यन्त आवश्यक है। ताकि ग्रामीण क्षेत्र हेतु बाहर बने नये भवन में थाने में चला जाये व नया थाना वर्तमान में चल रहे सदर थाने में ही खोला जा सकता है। इससे सरकार को नया थाना खोलने पर नये स्थान व भवन पर धन राशि का भार वहन नहीं करना पड़ेगा।

अत: शहर में नया थाना खोलने की मांग करता हूं तथा साथ ही शहर के अन्दर के भाग हेतु वर्तमान सिटी थाने में अपर्याप्त स्टाफ है इसको बढ़ाने का आग्रह करता हूं। तथा कसाई मोहल्ले में अस्थाई पुलिस चौकी को स्थायी कर 1/8 स्टाफ की मांग करता हूं। क्योंकि यह क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील है इसी तरह साकेत नगर में भी 1/8 की चौकी खोली जाये।

मैं ब्यावर की सब जेल के बारे में भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ब्यावर सब जेल में एक हेड कांस्टेबल व छह कांस्टेबल है एक समय में दो कांस्टेबल रहते है जबकि मुजरिमों की संख्या 100 के आस-पास हमेशा रहती है। इन मुजरिमों के पहरे के लिए वर्तमान पुलिस की संख्या अपर्याप्त है। तथा इस संख्या से निगरानी सम्भव नहीं हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस लिए सब जेल में स्टाफ बढ़ाने की मांग करता हूं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

[श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़)]

ग्राम उदासर तह. बीकानेर में खसरा 289 रकबा 163 बीघा 17 बिस्वा की खातेदारी धारा 19 के तहत ग्राम पंचायत उदासर द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 1962 को अनुसूचित जाति के हक में की गई थी उक्त भूमि बीकानेर शहर के समीप नेशनल हाइवे नं. 11 पर स्थित होने के कारण इसकी कीमत करोड़ों रुपये में हो गई है। दिनांक 29 दिसम्बर, 1993 को करीब 33 वर्ष बाद भू-माफिया के षडयंत्र से जिला कलक्टर बीकानेर से उक्त भूमि स्वर्णजाति के नाम से करवा दी।

मान्यवर, उक्त भूमि को राजस्व नियमों के विरुद्ध स्वर्ण जाति को दर्ज करना व धारा 19 के तहत अनुसूचित जाति को दी गई खातेदारी को निरस्त करना यह सिद्ध करता है कि यह नियमों के विरुद्ध है।

मान्यवर, उक्त भूमि के राजस्व खसरा नं. 289 व उपनिवेशन खसरा नम्बर-324 व 326 रकबा 163.17 बीघा पूर्ण भूमि का 1962 से आज दिनांक तक भिन्न-भिन्न काश्तकारों के हक में किये गये नामान्तरण व फैसले व अपील की प्रति का विवरण सदन के पटल पर मंगवाया जाय।

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव की सूचना

[श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई)]

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में पिछले दो-तीन माह से विद्युत की व्यवस्था बिलकुल लड़खड़ा रही है। शहरी क्षेत्र बांदीकुई में रोज करीब 5-6 घण्टे लाईट गायब रहती है। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली के तार जगह-जगह नीचे लटके हुये पुरानी लाईनें होने के कारण प्रत्येक आधा-एक घण्टे में विद्युत लाईनों में फाल्ट आता रहता है। इस कारण किसानों को सरकार द्वारा घोषित 6 घण्टे लाईट भी न मिलकर मात्र एक-दो घण्टे ही विद्युत आपूर्ति हो पाती है।

ग्राम मोटूका में पूर्वी क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था को सुधारने वास्ते एक 33 केवी सब ग्रिड स्टेशन बनना अति आवश्यक है, क्योंकि इस क्षेत्र में विद्युत सप्लाई की लाईनें 15-20 कि.मी. लम्बी है जिससे विद्युत छीजत होती है तथा बार-बार फाल्ट आते हैं। साथ ही विद्युत विभाग में सहायक अभियन्ता, बसवा का एक पद व एक कनिष्ठ अभियन्ता का पद भी काफी समय से रिक्त चल रहा है, जिस कारण भी विद्युत व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा है।

अतः ग्राम मोटूका में 33 केवी सब ग्रिड सब स्टेशन, पुरानी लाईनों का रखरखाव तथा अभियन्ताओं के रिक्त पदों को शीघ्र भरने का श्रम करें।

मैं माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव

[श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर)]

मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत राज्य सरकार एवं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आर.यू.पी. (रोड़ अपग्रेडेशन प्रोग्राम) के तहत सड़क सुधार हेतु दी जाने वाली राशि नहीं जारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहती हूं।

महोदय, राज्य में सड़क सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्येक माननीय सदस्य को डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये की राशि अपने निर्वाचन क्षेत्र में सड़क सुधार के कार्य करवाने हेतु जारी की जाती थी, जिसके अन्तर्गत जो सड़कें पहले से खराब हैं अथवा नई बनाना अत्यन्त आवश्यक है, उनको प्राथमिकता देते हुए निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी अनुशंसा पर ठीक करवाता है या नई सड़क बनवाता है। इस योजना के अन्तर्गत दो चरणों की राशि जारी हो चुकी है परन्तु तृतीय चरण की राशि का आबंटन अभी तक नहीं किया गया है जिससे मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़क सुधार कार्य बीच में ही अधूरा रह गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों से जानकारी चाहने पर यह अवगत कराया गया है कि आर.यू.पी. फेज-तीन की राशि राज्य सरकार द्वारा रिलीज नहीं की गई है इसलिए यह कार्य अटका हुआ पड़ा है।

अत: मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से विनम्र निवेदन करती हूं कि कृपया उक्त आर.यू.पी. (3) की राशि आबंटन अतिशीघ्र करवाया जाये ताकि सड़कों की स्थिति में सुधार हेतु प्रयास किये जा सकें।

प्रस्ताव अन्तर्गत नियम 295

|श्री रामनारायण मीणा (बूंदी)|

स्टेट के समय निर्मित दुगारी बांध (जिला बूंदी) के कैचमेन्ट एरिया में कोठी तथा गजावर बांध बन जाने से पानी की आवक कम होने के कारण अधिकतर वर्षों में खाली रहता है। उक्त बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए आव का खेड़ा नामक स्थान पर एक एनीकट का निर्माण किया गया था, जिसमें से एक फीडर कैनाल बनाकर पानी दुगारी बांध में डाला जाना था, किन्तु आव का खेड़ा एनीकट की ऊंचाई कम होने से बरसाती पानी दुगारी बांध में नहीं डाला जा सका। दुगारी बांध का निर्माण सन 1950 के लगभग अर्थात् 70 वर्ष से भी अधिक पुराना है। बांध में पानी की आवक कम हो जाने से तथा बरसात कम होने के कारण बांध खाली रहने से बांध की नहर के अन्तिम छोर तक पूरा पानी नहीं पहुंचता है, जिससे टेल एरिया के गांवों के किसानों को नुकसान होता है।

जनहित में आवश्यक है कि आव का खेड़ा एनीकट की ऊंचाई 5 फीड बढ़ाई जाकर फीडर कैनाल के जरिये पानी बांध में पहुंचाने की व्यवस्था की जावे। रोनिजा बांध के भराव के बाद व्यर्थ बहने वाले पानी तथा रोनिजा बांध के नीचे के क्षेत्र का पानी एनीकट बनाकर फीडर कैनाल के जरिये दुगारी बांध में डालने से बांध पूरी तरह भर सकेगा तथा इस मध्यम सिंचाई योजना का पूरा लाभ किसानों एवं क्षेत्र को मिल सकेगा।

उक्त कार्य प्राथमिकता के आधार पर करवाये जाने की कृपा करें।

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण

[श्री गोविन्दराम मेघवाल (नोखा)]

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 12 गांव ऐसे हैं जहां टी.एस.एस. स्कीम के तहत कुएं चल रहे हैं। वहां यदि कोई मोटर खराब हो जाती है तो पी.एच.ई.डी. वाले ठीक नहीं करते हैं, क्योंकि यह स्कीम पंचायतों के अधीन चलती है। जहां टी.एस.एस. स्कीम लागू है, वहां कुओं का रख-रखाव इस कारण सही नहीं होता है, जिसके कारण पेयजल की दोहरी समस्या ग्रामीणों को झेलनी पड़ रही है। यह स्थिति दोहरी व्यवस्था के कारण है। अत: मेरा अध्यक्ष महोदय के माध्यम से पी.एस.ई.डी. मंत्री से आग्रह है कि टी.एस.एस. स्कीम को खतम करने का प्रस्ताव मंत्री मण्डलीय समिति की बैठक में रखा जाकर पारित किया जावे एवं पेयजल व्यवस्था पी.एस.ई.डी. के द्वारा ही की जावे।

बीकानेर में एम. पी., एम.एल.ए. एवं डी.आर.डी.ए. के माध्यम से विभिन्न गांवों में करीब 50 से 70 के बीच जल हौद पिछले 5-7 वर्षों से बने हुए हैं, लेकिन पाईप लाईन से नहीं जुड़ने के कारण इन जल हौदों का कोई उपयोग नहीं हो रहा है, ना ही ग्रामीणों को लाभ हो रहा है। सचिव पी.एच.ई.डी. ने पूर्व में ऐसा आदेश भी जारी किया था कि जहां जलहौद बने वहां डी.आर.डी.ए. उसके साथ पाईप लाईन लगाने का आदेश भी करे, लेकिन यह नीति लागू नहीं की गई। जिले में 250-300 जलहौद इस स्थिति में बेकार बड़े हैं। इन पर लगभग 2 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। इनका ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है।

अत: मेरा अध्यक्ष महोदय के माध्यम से पी.एस.ई.डी. मंत्री से अनुरोध है कि इन हौदों को तुरन्त कन्टीजेन्सी प्लान में लेकर पाईप लाईन डलवाई जावे एवं भविष्य में ऐसी नीति बनाई जावे कि जलहौदों की स्वीकृति के साथ पाईप लाईनों की स्वीकृति भी जारी हो।

जैतारण डेर, भादला, खरजाणयाया नाडी हिम्मटसर, बनिया, चरकडा गोयलों की ढाणी, जैसलमेर, पीपलाई नाडी, धर्मायत नाडी सहित करीब 10 ट्यूबवैलों की नोखा में सख्त आवश्यकता है। इनके लिए प्रस्ताव निचले स्तर से भेजे जा चुके हैं।

अत: मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम स पी.एस.ई.डी. मंत्री से मांग करता हूं कि इन ग्रामों में ट्यूबवैल तुरन्त लगाए जावे।

मेरे क्षेत्र की नौ पंचायतों में गांव खाटिया. पतावतान. उदर, हंदा, नैणिया बाला, मियांकौर. दासूडी इत्यादि में पानी खारा है एव बहुत कम ट्यूबवैल बने हुए हैं।

अत: मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से पी.एच.ई.डी. मंत्री से आग्रह करता हूं कि इन गांवों के निकटवर्ती गांव जहां मीठा पानी उपलब्ध है, से ट्यूबवैल खोदकर पानी उपलब्ध कराया जावे अथवा नलकूपों हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी की जावे।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत राज्य के चिकित्सा विभाग में दवाइयां खरीदने की प्रक्रिया में परिवर्तन करने और चिकित्सकों को मरीजों को ब्रान्डेड दवा के स्थान पर जैनेरिक दवा लिखने हेतु निर्देश जारी करने के सम्बन्ध में

[श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल)]

राज्य में सरकार चिकित्सालयों में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की दवाइयां खरीदी जाती है और इससे अधिक राशि की दवाइयां विभिन्न चिकित्सकों के द्वारा मरीजों को लिखी जाती है। अत्यन्त सोचनीय विषय है कि जिस कम्पनी के ब्राण्ड नाम से दवा जैसे दस रुपए की आती है वही उसकी जैनेरिक दवा दो रुपए की उपलब्ध हो सकती है। लेकिन चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की मिली-भगत के कारण जैनेरिक नाम से दवा की खरीद नहीं की जाती है और ब्राण्ड के नाम पर दवा खरीदी जाती है जिसकी कीमत जैनेरिक नाम की दवा से लगभग चार से आठ गुणा अधिक होती है और ऐसी कम्पनियां सरकारी विभाग में दवा सप्लाई करते समय अपने अधिकतम मूल्य पर नहीं देकर 25 से 30 प्रतिशत कम मूल्य पर ही उपलब्ध करा देती है, लेकिन फिर भी दवा के जैनेरिक से विभाग निश्चित तौर पर 4 से 6 गुणा महंगी ही दवा खरीदी जाती है। यह गांव का विषय है कि चिकित्सा विभाग द्वारा गत वर्षों में किन-किन कम्पनियों द्वारा मनायी गयी। दवाइयां खरीदी गई। यदि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की जैनेरिक दवाइयां खरीदी जाती तो कम मूल्य पर दवा उपलब्ध होती जो खरीदी गई दवाईयों की तुलना में अत्यन्त सस्ती और गुणवत्ता में बिल्कुल ठीक प्राप्त हो सकती थी तो विभाग द्वारा जैनेरिक नाम से दवा क्यों नहीं खरीदी गई। निश्चित तौर से अधिकांश दवाइयों साधारण कम्पनियों द्वारा निर्मित कम्पनियों से खरीद की गई जिनकी गुणवत्ता पर भी प्रश्नचिन्ह है और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की बाजार में प्रचलित दवाइयों के अधिकतम मूल्य से अधिक दर पर अंकित रहता है और फिर यह कम्पनियां एम.आर.पी. से सस्ते दामों पर सरकार को दवा उपलब्ध कराती है जो जैनेरिक दवा से बहुत महंगी खरीदी जाती है। इसलिए गुणवत्ता के दृष्टिकोण से सरकार को यह निर्देश जारी करने चाहिए कि भविष्य में दवा के ब्राण्ड नाम से नहीं खरीदकर उसके जैनेरिक नाम से ही दवा खरीदी जाए और राजकीय चिकित्सालयों के डाक्टर भी मरीजों को दवा ब्राण्ड नाम से नहीं लिखकर उसका जैनेरिक नाम ही लिखें जिससे आम उपभोक्ता को सस्ता और गुणवत्ता के दृष्टिकोण से उचित इलाज मुहैया हो सके। यदि सरकार चिकित्सा विभाग के अधीनस्थ समस्त अस्पतालों में चिकित्सकों द्वारा दवा का नाम न लिखकर उसका जैनेरिक लिखने का आदेश जारी कर दे तो निश्चित रूप से करोड़ों रुपए की राज्य

सरकार को बचत हो सकती है और जन साधारण के इलाज में दवाइयों पर होने वाला खर्चा निश्चित रूप से एक चौथाई ही रह जाएगा। वर्तमान मे प्रचलित प्रथा से आम उपभोक्ता पर भारी राशि खर्च करने की मजबूरी रहती है और दवा कम्पनियां इस स्थिति से लाखों रूपए का मुनाफा कमा रही हैं जो सर्वथा अनुचित है इस स्थिति पर विचार कर अविलम्ब इस सम्बन्ध मे कार्यवाही की जानी चाहिए।

प्रक्रिया के नियम 295 क अन्तर्गत माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि सरकार इस प्रस्ताव में उल्लिखित बिन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित कर समुचित कार्यवाही करने का श्रम करें।

प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत (ए.डी.एम.) मण्डी विकास समिति बीकानेर की भूमि पंचायत मुख्यालय घड़साना व रावला में हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव

[श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़)]

मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के अन्तर्गत घड़सानामण्डी (पंचायत मुख्यालय 24 एं.एस. (सी.) व रावलामण्डी 8 पी.एस.डी. (बी.) पंचायत मुख्यालय है जिसमें घड़साना मण्डी में उपखण्ड कार्यालय भी है। यह दोनों मण्डिया ए.डी.एम.मण्डी विकास समिति बीकानेर के अधीन आती है। ए.डी.एम. मण्डी विकास समिति पूर्व में हनुमानगढ़ में भी कार्यरत थी जिसे बीकानेर में ही मर्ज कर दिया गया था। ए.डी.एम. मण्डी विकास समिति बीकानेर ने अपनी भूमि जो कि नगर पालिका अनूपगढ़, सूरतगढ़, पीलीबंगा, सादुलशहर, रावतसर, हनुमानगढ़ व अन्य जो भी नगरपालिका सीमा में थी नगर पालिकाओं को हस्तान्तरित कर दी थी। उसी को मध्य नजर रखते हुए इन दोनों पंचायत मुख्यालयों की भूमि भी पंचायतों को हस्तान्तरित कर दी जाती है तो पंचायतों को इससे विकास कार्य कराने में इसके अन्तर्गत जो कच्ची बस्ती बसी हुई है जिनमें शत-प्रतिशत एस.एस.टी. के लोग निवास करते हैं उन्हें पट्टे जारी करके एस.सी.एस.टी. के लोगों को लाभान्वित किया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदया मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस और दिलाना चाहूंगा कि पूर्व में जो नगर पालिका को भूमि हस्तान्तरित की गई थी उन्हीं नियमों के तहत ए.डी.एम. मण्डी विकास समिति को भूमि भी इन पंचायतों को हस्तान्तरित कराने की कृपा करें ताकि बची हुई भूमि विक्रय करके पंचातयों को सुदृढ़ किया जा सके व सरकार को भी राजस्व प्राप्त हो सके।

प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत भरतपुर जिले में सम्भागीय आयुक्त कार्यालय खुलवाने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव

|श्री विजय बंसल (भरतपुर)|

पूर्वी राजस्थान के लोग काफी समय से भरतपुर जिले में सम्भागीय आयुक्त कार्यालय खुलवाने की मांग करते चले आ रहे हैं। पूर्वी राजस्थान जिसमें धौलपुर, भरतपुर, करौली एवं सवाई माधोपुर जिले आते हैं वे निवासियों को सम्भागीय आयुक्त कार्यालय जयपुर में होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्वी राजस्थान में भरतपुर जिला इन सभी जिलों के मध्य में पड़ता है एवं भरतपुर में अभी आई.जी. पुलिस कार्यालय, एडिशनल चीफ, पी.एच.ई.डी., एस.ई.आर.एस.ई.बी., एस.ई.पी.डब्ल्यू.डी., एस.ई. सिंचाई विभाग कार्यरत है।

पूर्व में मुख्य सचिव स्तर पर भरतपुर में सम्भागीय आयुक्त कार्यालय खोलने की सिफारिश कांग्रेस सरकार से की जा चुकी है लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।

मेरा सदन की नेता से अनुरोध है कि जिनसे पूर्वी राजस्थान की जनता ब अपेक्षा रखती है। वे इस और अपना व्यक्तिगत ध्यान देते हुए भरतपुर में सम्भ आयुक्त कार्यालय इसी वर्ष बजट में प्रोविजन कर खुलवाने की व्यवस्था करें राजस्थान की जनता आपकी बहुत आभारी रहेगी।

परिशिष्ट-27 जुलाई, 2004-परिशिष्ट

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

राज्य से बाहर गये मजदूरों की सुरक्षा विषयक

(श्री मोहन लाल (सुरसागर))

मैं राजस्थान राज्य से मजदूरी के लिए बाहर जाने वाले गरीब किसानों/मजदूरों के साथ उत्तर प्रदेश व बिहार राज्य में हो रही लूटपाट व हत्याओं के बारे में सरकार का ध्यान विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिए आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय अभी हाल ही में मेरे जोधपुर जिले से 20-25 ग्रामीण जो ट्रांसपोर्टेसन का कार्य करते हैं, एवं ट्रक लेकर उत्तर प्रदेश गए थे। ये सभी ट्रक ड्राइवर मय खलासियों के दिनांक 16.7.2004 को ग्राम इटावा ढाबा पुलिस थाना सैनिक कोतवाली जिला इलाहबाद में रात्रि करीब 10 बजे खाना खा रहे थे तभी वहां के स्थानीय लूटेरों ने उन पर हमला बोलते हुए इनके साथ मारपीट करते हुए सभी रुपए को किराये के रूप में उनके पास थे लूट लिए व बेरहमी से इनके साथ मारपीट की यह खेल यहीं खतम न हुआ और उन्होंने इन निर्दोष व्यक्तियों पर फायरिंग भी की जिस से श्री किसनाराम व एक अन्य प्रेमाराम घायल हो गए। स्थानीय पुलिस थाने में श्री पिन्टू पुत्र चन्द्रलाल गुलाटी ने मुकदमा दर्ज करवाया। उक्त दोनों घायलों को साथियों ने येनकेन प्रकरेण एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर में उपचार हेतु लाये जहां श्री किसना राम की मृत्यु हो गई।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि चिम राजस्थान विशेषतः जोधपुर जिले से ज्यादातर लोग आस पास के राज्यों में दूरी हेतु जाते रहते हैं। जिले के निवासियों की पूर्व में भी बहार व उत्तर प्रदेश राज्यों रपीट, लूटपाट व हत्याएं हुई है। जो अभी तक रुकी नहीं है। मैं यहां यह भी उल्लेख चाहता हूं कि अभी हाल ही में दिनांक 23.01.2004 को ग्राम दांतीवाडा जिला के श्री ओमाराम पुत्र सरजाराम बेनवाल की बिहार राज्य में हत्या कर दी गई ा सरकार ने इस परिवार को 1.50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर ा का परिचय दिया जो सरकार को उदार हृदय का परिचायक है।

तः मेरा निवेदन है कि पड़ौसी राज्यों में जाने वाले राजस्थानियों को वहां की ा कोई ठोस सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई जाती है एवं न की उनकी वहां कोई ी है। राज्य सरकार इन पड़ौसी राज्यों के मुख्यालयों से वार्ता कर सुरक्षा स्थाएं करवाये साथ ही अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में मारे गए श्री ासी ग्राम कानावास का पाना जिला जोधपुर के परिजनों को पूर्व में ा के निरन्तर में कम से कम 2.00 लाख रुपए की एवं घटनाक्रम में तयों को 50-50 हजार रुपए की सहायता स्वीकृत की जावें ताकि ार्थिक सम्बल मिल सके।

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत नये कनेक्शन हेतु बनाई गई नई नीति के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख बाबत

[श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर)]

निवेदन है कि किसी विभाग द्वारा नई बिजली कलेक्शन नीति बनाई है उसमें हमारे क्षेत्र के किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ उसका ध्यान आपके माध्यम से किसी मंत्री को दिलाना चाहता हूं। नई कनेक्शन नीति में जिस किसान से आज से पन्द्रह-सोलह वर्ष पहले प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन हेतु प्रार्थना पत्र दिया था उसके प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर जो दिया था उसमें सरकार द्वारा छुट थी कि वह इस कनेक्शन को उसके जिस खेत में कुएं में पानी है वहां लगा सकता था लेकिन नई नीति में अब किसान पहले उसी खसरा नम्बर में कनेक्शन ले और उसके बाद वह 17500 रुपये भरकर कनेक्शन को शिफ्ट करवाये। यह बिल्कुल उसके साथ अन्याय है। अत: आपके माध्यम से विद्युत मंत्री का ध्यान दिलवाना चाहते है कि किसान को जिस गांव में कनेक्शन के लिए प्रार्थना पत्र दिया था उसमें वह अपने किसी भी खसरा नम्बर में उसको लेना चाहे उसको मिलना चाहिए। दूसरी बात पहले किसान कुएं में पानी नहीं होने की स्थिति में अपने कनेक्शन को डी.सी. करवा लेता था। उसका समय पांच वर्ष था अब इसको घटाकर दो वर्ष कर दिया है इसलिए इसे भी वापसी 5 वर्ष कर दिया जाये। जिससे इस अकाल के समय में किसानों को राहत देनी चाहिए। इसमें ना तो बिजली विभाग का पैसों का नुकसान नहीं है और किसान को राहत मिलेगी। मेरा आपके माध्यम से बिज़ली मंत्री को कर बद्ध निवेदन है कि किसानों की इन दोनों मांगों का पूरा करने का कष्ट करेंगे।

परिशिष्ट-4

कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-36 सहकारिता

मांग संख्या-36 मुख्य शी ्क सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :-

श्री जुबेर खान (रामगढ़)

1. राज्य में सहकारी संस्थाओं के शीघ्र चुनाव कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम)

2. राज्य में सहकारी संस्थाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला)

3. सरकार द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को राज्य कर्मचारी घोषित न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा)

4. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा (झालावाड़) के ग्राम पंचायत मुख्यालय सिरपोई, बोलिया बुंजुर्ग व पछलाव में सहकारी समिति के गठन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा)

5. केन्द्रीय सहकारी बैंक की ब्याज दर वर्तमान में अन्य बैंकों से ज्यादा होने के कारण काश्तकारों द्वारा बैंकों से हिस्सा राशि निकालने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

6. केन्द्रीय सहकारी बैंकों में अन्य बैंकों के बजाय अधिक ब्याज दर होने से काश्तकारों को हो रही हानि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा)

5. सहकारी बैंकों द्वारा काश्तकारों की उनकी जमा हिस्सा राशि पर ब्याज नहीं दिये जाने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)

8. विभाग द्वारा सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाने में जानबूझकर विलम्ब कर, चुनाव नहीं कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

9. सहकारी विभाग के बन्द पड़े उद्योगों के कर्मचारियों को समायोजित करने एवं केशोरायपाटन सहकारी शुगर मील को पुन: चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)

10. विभिन्न सहकारी संस्थाओं में चुनाव कराने एवं लोगों के जन कल्याण में भागीदारी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

11. नये सहकारी कानून पर अमल नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

12. सरकार द्वारा सहकारी संस्थाओं के निर्वाचित पदाधिकारियों को अनावश्यक परेशान करने से व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिये।

13. काफी लम्बे समय से सहकारी संस्थाओं के चुनाव नहीं कराने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (जमवारामगढ़)

14. डेयरी सोसाइटियों के सही लेखे जोखे रखने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

15. श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मील को प्रारम्भ करने पर सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

16. केन्द्रीय सहकारी बैंकों को घाटे से उभारने के लिये आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (जमवारामगढ़)

17. व्यावसायिक बैंकों के मुकाबले सहकारी बैंकों के कर्जे की ब्याज दर अधिक होने पर चर्चा के लिये।

18. सहकारी व्यवस्थापकों की सेवाओं को विभाग के अधीन लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर)

19. सहकारी संस्थाओं में राजनैतिक हस्तक्षेप के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर)

20. राज्य में सहकारिता के क्षेत्र में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

प्रो. बीरू सिंह राठौड़ (बनीपार्क)

21. विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में वर्ष 2002 से अब तक जारी किये गये खाद्य भण्डारण हेतु ऋण जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में वर्ष 2002 से अब तक सहकारी बैंकों द्वारा विभिन्न प्रयोजनार्थ आवेदकों को ऋण स्वीकृत नहीं करने पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क की आवासीय कालोनीज की विकास समितियों के शीघ्र पंजीयन पर चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंज मण्डी)

24. सहकारिता आन्दोलन को प्रभावी बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़)

25. किशनगढ़ (अजमेर) स्थित सिटी डिस्पेंसरी एवं मैन चौराहा रोड़ पर सहकारी उपभोक्ता मेडिकल भण्डार की दुकानें खोलने की आवश्कता पर चर्चा के लिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)

26. सहकारी संस्थाओं के शीघ्र चुनाव कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर)

27. बानसूर विधान सभा क्षेत्र में भूमि विकास बैंक की शाखा नहीं होने से किसानों को हो रही समस्या पर चर्चा के लिये।

28. जिला अलवर में किसानों द्वारा सहकारी कर्जों एवं सरकारी कर्जों के अकाल की वजह से चुकता नहीं करने पर कुर्की आदेशों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)

29. विभाग द्वारा सहकारी महिला नागरिक बैंक प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज)

30. बारां में सेन्ट्रल काअपरेटिव बैंक स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

31. शाहबाद तहसील जिला बारां में सेन्ट्रल काअपरेटिव बैंक की ब्राईट खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)

32. पंचायत मुख्यालय चित्रावास (गोगुन्दा) में सहकारिता समिति भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल (बनेड़ा)

33. सहकारिता विभाग की कार्य प्रक्रिया में सुधार एवं सहकारी दुग्ध संचालक मण्डल को भंग कर चुनाव कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)

34. ग्राम सेवा सहकारी समिति, मार्केटिंग कापरेटिव सोसाइटीज एवं कापरेटिव बैंक पाली के चुनाव कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)

35. पाली अरबन का-आपरेटिव बैंक संचालक मण्डल का कार्यकाल पूर्ण होने से प्रशासक लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना)

36. स्वेजफार्म, सिद्धेश्वर हनुमान मन्दिर चौराहा, वार्ड नं. 16, रामनगर, सोड़ाला, जयपुर में का-आपरेटिव बैंक की शाखा खोलने की आवश्यक्ता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर)

37. धौलपुर जिले की सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

38. धौलपुर की सहकारी संस्थाओं द्वारा किसानों को ऋण देने में अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

39. भूमि विकास बैंक धौलपुर द्वारा किसानों के ऋण देने में जानबूझकर देरी कर परेशान करना तथा ऋण वसूली में किसानों के साथ अमानवीय व्यवहार करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री सांग सिंह भाटी (जैसलमेर)

40. पंचायतवार सहकारी समितियों बनाकर शीघ्र चुनाव कराने एवं किसानों की ऋण सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल)

41. विधान सभा क्षेत्र खैरथल के बीबीरानी में सहकारी बैंक खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र खैरथल में बहादरपुर में सहकारी बैंक खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन)

43. राशन सामग्री सम्बन्धी एवं किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा)

44. बांसवाड़ा जिले की अधिकांश लेम्पस में समय पर ऋण नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

45. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा की आनन्दपुरी पंचायत समिति की लेम्पसों के समय पर पर्याप्त ऋण नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर)

46. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

47. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में महिला समूह योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर महिला समूह संस्था खोलने हेतु विभाग को पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर दुग्ध के क्रय केन्द्र खोले जाने हेतु विभाग की पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलुम्बर)

49. सहकारिता के अन्तर्गत "मेडिकल प्लांट" फल सब्जी आदि के लिये सहकारी समितियों के गठन हेतु चर्चा के लिये।

श्री नवनीत नीनामा (घाटौल)

50. विधान सभा क्षेत्र घाटौल में सेनावासा हैडक्वाटर पर सहकारी समिति के लेम्पस अध्यक्ष व व्यवस्थापकों द्वारा लाखों रुपयों की सम्पत्ति व किसानों की राशि का दुरूपयोग करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के गांव बिजोर ग्राम पंचायत पडोली गोवर्धन क्षेत्र में सहकारिता भवन की जमीन पर व्यक्तियों द्वारा कब्जा करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत नीनाम (घाटोल)

52. जिला बांसवाड़ा में सहकारिता भवन, ग्रामीण क्षेत्रों में जीर्ण-शीर्ण हालत में होने से आदिवासी किसानों को गोदाम के अभाव में खाद बीज समय पर नहीं मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़)

53. सहकारी संस्थाओं के चुनाव निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर)

54. सहकारी संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया (भीलवाड़ा)

55. गंगापुर कोऊपरेटिव स्पिनिंग मिल एवं गुलाबपुरा कोऊपरेटिव स्पिनिंग मिल के संचालन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा)

56. सहकारिता आन्दोलन के तहत गांवों में एससी/एसटी के लिये हुये विकास कार्यों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जगसीराम (रेवदर)

57. नागौर सेन्ट्रल काऊपरेटिव बैंक के मौजूदा प्रबन्ध संचालक द्वारा पूर्व में इसी ब्रांच में किये गये भ्रष्टाचार पर कार्यवाही नहीं करने व जांच रिपोर्ट दबाये जाने पर चर्चा के लिये।

58. नागौर सेन्ट्रल काऊपरेटिव बैंक के प्रबन्ध संचालक ने हुडास ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक को बिना अधिकार के निलम्बित कर अपने पद का दुरूपयोग करने पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

59. लम्बे समय से सहकारी संस्थाओं के चुनाव नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़)

60. सहकारिता में कई वर्षों से चुनाव नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)

61. सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित हल्के किस्म की दवाइयां एवं पेंशनर्स के साथ अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जगसीराम कोली (रेवदर).

62. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के सहकारी बैंकों द्वारा ऋण वसूली में अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों पर की जा रही ज्यादतियों पर चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र रेवदर जिला सिरोही के सहकारी ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों द्वारा किसानों के साथ अभद्र व्यवहार एवं ऋण जारी करने में अनियमितता बरते जाने पर चर्चा के लिये।

64. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में खाद्य भण्डारागारों के लिये वर्ष 2002 से अब तक जारी ऋण के अन्तर्गत भण्डारागार भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई)

65. विधान सभा क्षेत्र निवाई में किसान क्रेडिट कार्ड दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र निवाई की क्रय विक्रय सहकारी समितियों द्वारा कृषि जीन्स खरीदने में भेदभाव बरते जाने पर चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र निवाई में सहकारी बैंकों द्वारा गरीब काश्तकारों से ऋण वसूली में अनावश्यक सख्ती बरतने पर चर्चा के लिये।

68. सहकारी बैंकों द्वारा विधान सभा क्षेत्र निवाई में वर्ष 2002 से अब तक के ऋण आवेदकों एवं वास्तविक रूप से ऋण प्राप्त कर चुके आवेदकों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई)

69. विधान सभा क्षेत्र निवाई में कार्यरत रैगर अनुसूचित जाति उत्थान सभा द्वारा सहकारिता के नियमों की अवहेलना करने पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी)

70. जयपुर क्रय विक्रय संघ के संचालनकर्त्ताओं द्वारा जानबूझ कर घाटे की स्थिति उत्पन्न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

71. तहसील बस्सी जिला जयपुर की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में प्रारम्भ से अब तक व्यवस्थापकों द्वारा किये गये गबन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

72. जयपुर सेन्ट्रल का-आपरेटिव बैंक के अधिकारियों की मिलीभगत से सरकार को होने वाले घाटे के क्रम में चर्चा के लिये।

73. नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक कोटखावदा द्वारा व . 2003 से अब तक किसान क्रेडिट कार्ड व ऋण नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

74. अपेक्ष कापरेटिव बैंक जयपुर द्वारा व . 2003 से अब तक दिये गये ऋणों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुभा . चन्द्र शर्मा (कोटपूतली)

75. सहकारिता आधारित उद्योगों की जानकारी गावों तक नहीं पहुंचाये जाने पर चर्चा के लिये।

76. सहकारिता पर आधारित सामूहिक सहकारी समितियों के गठन पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं)

77. राज्य में अधिक संख्या में सहकारी बैंक खोलने की आवश्कता पर चर्चा के लिये।

78. क्रय-विक्रय सहकारी नीति द्वारा किसानों की बीज व अन्य खेती के काम में आने वाले खाद व रासायनिक उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

79. चौमूं विधान सभा क्षेत्र में क्रय-विक्रय सहकारी समिति पंचायत स्तर पर खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली)

80. विधान सभा क्षेत्र बाली में वर्ष 2000 से अब तक जारी किये गये सहकारी ऋणों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

81. सहकारी बैंकों द्वारा हिस्सा राशि एवं ब्याज दर घटाने तथा पैनल इन्ट्रेस्ट (ब्याज) दर न्यून किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. विधान सभा क्षेत्र बाली में लगातार अकाल/सूखे की स्थिति के चलते सहकारी ऋणों की वसूली में रियायत दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. विधान सभा क्षेत्र बाली के बीजापुर क्रय विक्रय सहकारी समिति के बकाया ऋणों पर चर्चा के लिये।

84. विधान सभा क्षेत्र बाली की क्रय विक्रय ग्रामीण सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के अभाव से व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई)

85. राजकीय चिकित्सालय, बसवा (बांदीकुई) में सहकारी उपभोक्ता संघ की मेडिकल दुकान खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

86. राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बांदीकुई में सहकारी उपभोक्त संघ की मेडिकल की दुकान खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)

87. आवश्यक नियंत्रित वस्तुओं का सिर्फ सहकारी समितियों द्वारा ही वितरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को नियमित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

89. सभी किसान क्रेडिट कार्ड सहकारी बैंकों से जारी करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को सहकारी बैंको से ही लोन दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पुनिया (सादुलपुर)

91. सभी सहकारी समितियों का कार्यालय भवन एवं गोदाम बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी)

92. चित्तौड़गढ़ जिले एवं सम्पूर्ण राज्य में गाडियां लौहरों को सहकारी बैंको द्वारा कच्चा माल क्रय करने पर सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति देय अनुदान 500 रुपये को बढ़ाकर 2000 रुपये नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़)

93. सहकारी भूमि विकास बैंको द्वारा किसानों को ऋण वितरण में अनियमितता एवं ऋण वितरण की जटिल प्रक्रिया के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

94. निर्वाचित बोर्डो को भंग कर उनके स्थान पर प्रशासक नियुक्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टीब्बी)

95. सहकारी संस्थाओं के चुनाव करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

96. सहकारी संस्था के कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

97. सहकारी संस्था से अनुसूचित जाति के सदस्यों को दी जा रही सहायता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

98. सहकारी संस्था में मूलधन से ब्याज अधिक होने पर छूट देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. हनुमानगढ़ जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

100. ग्राम सेवा सहकारी समिति हुडास (जिला नागौर) के व्यवस्थापक को निलम्बित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज)

101. बारां कापरेटिव बैंक अलग करने पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)

102. विभागीय एवं गैर-सहकारी कार्यकताओं के प्रशिक्षण पर चर्चा के लिये।

103. क्षेत्रीय सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध विषय पर चर्चा के लिये।

श्री कान्ती प्रसाद मीणा (थानागाजी)

104. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के सहकारी बैंको द्वारा जारी किये जा रहे कृषक ऋर्णों/किसान क्रेडिट कार्ड वितरण के लिये वर्ष 2000 से अब तक वर्षवार के लक्ष्य प्राप्त के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

105. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के पंचायत समिति मुख्यालय पर सहकारी बैंको के लिये भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा)

106. सहकारी समितियों पर सरकार के नियन्त्रण पर चर्चा के लिये।

107. निम्बाहेड़ा-छोटी सादड़ी तहसिलों में सहकारी बैंको, समितियों व सोसाइटियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

108. ग्राम पंचायत मुख्यालय मेलाना पंचायत समिति निम्बाहेड़ा में ग्राम सेवा सहकारी समिति खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव)

109. जिला बाड़मेर के केन्द्रीय सहकारी बैंक में करोड़ों के भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

110. सहकारिता विभाग के अधिकारियों का भ्रष्टाचारों में लिप्त होने पर भी उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर पुन: लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर)

111. राज्य में सहकारी चुनाव कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

112. नागौर सेन्ट्रल कापरेटिव बैंक द्वारा ऋण वसूली के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

113. सहकारी बैंको द्वारा बैंक ऋण देने में परेशान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

114. विधान सभा क्षेत्र परबतसर में भूमि विकास बैंक का भवन निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा)

115. फुलेरा विधान सभा क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों का आडिट एवं घाटे में चल रहे सहकारी समितियों को लाभ में लाने हेतु विभाग को पहल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

116. फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के सांभर व किशनगढ़ रेनवाल कस्बे में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की मेडिकल की दुकानें खोलने के सम्बनध में चर्चा के लिये।

117. राजस्थान अरबन को-आपरेटिव बैंक लि., जयपुर में वर्ष 2001 व 2002 में ऋण वितरण में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

118. केन्द्रीय सहकारी बैंकों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये नव वेतनमान समझौते को लागू करने एवं उनकी सेवा शर्तों में सुधार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

119. राज्य की प्रमुख सहकारी प्रोसेसिंग इकाइयों को लाभ में लाने एवं उन्हें पुनर्जीवन प्रदान करने हेतु आर्थिक पैकेज तैयार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ)

120. सहकारी बैंक व अन्य बैंकों द्वारा किसानों को दिये जाने वाले क्रेडिट कार्डस की साख (क्रेडिट) में अन्तर होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

मांग संख्या-33 मुख्य शीर्षक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :-

श्री जुबेर खान (रामगढ़)

1. जिला अलवर एवं भरतपुर के मेव जाति के लोगों के शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

2. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रावास निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर)

3. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में अनुसूचित जाति छात्रावास खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम)

4. राज्य में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)

5. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र के लम्बित पेंशन प्रकरणों के निपटारे करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी)

6. महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर)

7. राज्य में 65 वर्ष से अधिक सभी गरीब वृद्धों को पेंशन योजना में लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर)

8. जालौर विधान सभा क्षेत्र में स्थित छात्रावास भवनों के निर्माण एवं रख-रखाव में विलम्ब से हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली)

9. विभाग द्वारा बाली विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बेडा में वनवासी छात्रावास हेतु भवन निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बाली (पाली) के ग्राम सेवाडी के अनुसूचित जाति वर्ग के लिये समाज कल्याण छात्रावास भवन का विस्तार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबू लाल खराड़ी (फलासिया)

11. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर के ग्राम कोटड़ा में स्थित समाज कल्याण बालक छात्रावास में बालकों की अधिक संख्या को देखते हुये 3 कमरों का और निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर के ग्राम कोटड़ा में स्थित समाज कल्याण बालिका छात्रावास भवन की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार)

13. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बस्सी में छात्रावास खोलने, विधान सभा क्षेत्र गंगरार के राजस्थान अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, साडास भवन निर्माण एवं राजस्थान विमुक्त एवं घुमन्तु जाति बालक छात्रावास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)

14. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विभाग को गतिशील बनाने एवं विभाग में व्याप्त अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर)

15. जिला बीकानेर के समाज कल्याण छात्रावासों पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार)

16. खण्डार क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की विशेष कार्य योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)

17. सामाजिक सुरक्षा की योजना के जन-जन के जानकारी तथा विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

18. विधवा पेंशन का शीघ्र भुगतान करने तथा पेंशन के प्रार्थना पत्रों का सरलीकरण व शीघ्र निपटारा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम व अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम की राशि में बढ़ोतरी कर इन वर्गों के गरीब, बेरोजगार लोगों को शीघ्र ऋण सुलभ कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. प्रदेश में सामुहिक विवाहों को बढ़ावा देने शादियों में फिजूल खर्चों को रोकने हेतु सामुहिक विवाह के लिये सरकारी सहायता राशि को बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. प्रदेश में हजारों लोगों को स्वीकृत वृद्धावस्था पेंशन का विगत कई माह से भुगतान नहीं करने से उत्पन्न जन असन्तोष पर चर्चा के लिये।

22. समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों की खराब हालत में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)

23. छात्रावासों में विकलांगों को प्रदेश के लिये प्राथमिकता देने में सरकारी विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)

24. करवर तथा नैनवां (बूंदी) में अनुसूचित जनजाति छात्रावास खोलने में सरकारी विफलता पर चर्चा के लिये।

25. ग्राम रामगंज (नैनवां) के अनुसूचित जाति बैरवा परिवार के लड़के के साथ अमानुषिक बलात्कार कर हत्या कर देने के बाद भी विभाग द्वारा निर्धारित राशि अदा करने में रही विफलता पर चर्चा के लिये।

26. विधवा एवं विकलांग पेंशन स्वीकृति में सरकारी विफलता पर चर्चा के लिये।

27. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में अदा करने में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

प्रो. बीरू सिंह राठौड़ (बनीपार्क)

28. विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में वर्ष 2000 से अब तक अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के पोषण पर प्रतिवर्ष किये गये वास्तविक खर्च एवं स्वीकृत राशि पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में वर्ष 2000 से अब तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं ओ.बी.सी. वर्ग के लिये श्रम एवं रोजगार हेतु किये गये कार्यों के वार्षिक प्रतिवेदनों पर चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी)

30. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के कार्यक्रम को प्रभावी बनाये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)

31. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रमों के मूल्यांकन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज)

32. देवरी, समरानिया जिला बारां में अनुसूचित जाति के छात्रावास स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (सीकर)

33. मकराना (नागौर) कस्बे के औद्योगिक मार्बल क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों की अकाल मृत्यु होने पर उनके परिवार को मुआवजा तथा मजदूरों के लिये विशेष अंशदायी बीमा योजना शुरूकर मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)

34. अशक्त वृद्धजनों को पेंशन सुविधा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

35. बूंदी जिले की विभिन्न तहसील क्षेत्रों में विचाराधीन पेंशन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करने पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर)

36. वृद्धजनों के पुत्रों द्वारा उनका भरण पोषण नहीं किये जाने की स्थिति को देखते हुये सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन नियमों में शिथिलता प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. धौलपुर जिले में वृद्धावस्था पेंशन एवं विकलांगों को पेंशन उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी)

38. विंधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी (चित्तौड़गढ़) में गाड़िया लुहार परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कल्याण कार्यक्रंम के तहत वृद्धावस्था पेंशन, महिला बाल विकास के द्वारा पोषाहार कार्यक्रम संचालित करना था उनको मकान बनाने हेतु भूखण्ड एवं पट्टे नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी (चित्तौड़) में चयनित परिवारों के बेरोजगार युवकों को जो कि दसवीं, बारहवीं तथा स्नातक कक्षा उत्तीर्ण है को सहायता राशि (वृतिका) नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी मुख्यालय पर छात्राओं के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति वर्ग के छात्रावास न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)

41. सामाजिक सुरक्षा और समाज कल्याण हेतु जन भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा के लिये।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन)

42. अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु कल्याण योजना पर चर्चा के लिये।

43. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रावास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा)

44. बांसवाड़ा जिले की अधिकांश वृद्धावस्था के भरे हुये फार्मों की स्वीकृति नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

45. बांसवाड़ा जिले के अधिकांश अनुदानित छात्रावासों की स्थिति दयनीय व भवनों की मरम्मत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

46. बांसवाड़ा जिले में समाज कल्याण छात्रावासों के भवनों की स्थिति ठीक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

47. बांसवाड़ा जिले के समाज कल्याण छात्रावास बागीदौरा छात्र संख्या नहीं बढ़ाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

48. बांसवाड़ा जिले के समाज कल्याण छात्रावासों में अधीक्षकों के रिक्त पद नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर)

49. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में विधवा, अपंग, अपाहिज व वृद्धावस्था पेंशन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में कच्चे घरों में आगजनी की समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलुम्बर)

51. कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय पर चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी)

52. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत नीनामा (घाटौल)

53. जिला बांसवाड़ा में प्रशासन द्वारा अनपढ़ किसान व आदिवासियों को परेशान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़)

54. लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों हेतु छात्रावास खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर)

55. सीकर शहर में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावासों में छात्रों को देय सुविधायें समय पर उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

56. अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र एवं छात्राओं को सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति राशि व अनुदान में वृद्धि की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा)

57. वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन की स्वीकृति में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा)

58. सामाजिक सुरक्षा व कल्याण के लिये सरकार की व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

59. दलित समुदाय के लोगों के उत्पीड़न के बाद सहायता समय पर नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

60. वृद्ध, विधवा एवं विकलांग लोगों को पेंशन नहीं मिलने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

61. एस.सी./एस.टी. एवं ओ.बी.सी. विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)

62. महिला सदनों, शिशु गृह, छात्रावासों की दयनीय स्थिति में सुधार करने एवं असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगसीराम कोली (रेवदर)

63. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में अनुसूचित जाति वर्ग की बाहुल्यता को देखते हुये ग्राम पंचायत मण्डार, दातराई व भटाणा में नवीन समाज कल्याण छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई)

64. समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. किराये के भवनों में संचालित छात्रावासों हेतु राजकीय भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. समाज कल्याण छात्रावासों में 600 रुपये प्रतिमाह मानदेय पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

67. अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम में टोंक जिला मुख्यालय पर अधिकारियों/कर्मचारियों की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (बस्सी)

68. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित बालक/शिशुगृहों में बालकों की मृत्यु एवं पलायन व दुर्दशा तथा महिला सदनों की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी)

69. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में बालिका आश्रम (छात्रावास) झर में हो रही अव्यवस्थाओं पर चर्चा के लिये।

70. समाज कल्याण छात्रावास, बस्सी, तूंगा, चाकसू में छात्रों को दी जा रही अपर्याप्त सुविधाओं पर चर्चा के लिये।

71. पंचायत समिति बस्सी में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के बी.पी.एल. चयनितों को इन्द्राआवास आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के विकलांग अपाहिजों को वाहन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में सूखे की विकट हालात से फैली श्रम रोजगार की विकट समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली)

74. सामूहिक बीमा योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों तक नहीं पहुंचाये जाने पर चर्चा के लिये।

75. समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान एवं उसके हितों की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली)

76. सिरोही, जालौर, पाली की आदिवासी अनुसूचित जनजातियों यथा भील, गरासिया, मीणा को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का उचित लाभ दिये जाने में विभागीय पहले करने पर चर्चा के लिये।

77. विधान सभा क्षेत्र बाली के समाज कल्याण छात्रावास सेवाडी में पर्याप्त भवन सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)

78. राजगढ़ (चूरू) समाज कल्याण छात्रावास की स्थिति में सुधार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

79. वृद्ध, विकलांग एवं विधवा पेंशन बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के ग्राम पंचायत सुरतपुरा,राधा छोटी ग्राम पंचायतों में बन्द की गई वृद्धावस्था पेंशन पुन: चालू कराने पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल)

81. जालुपुरा, जयपुर स्थित बापू छात्रावास के भवन की जीर्ण-क्षीर्ण स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई)

82. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के ग्राम रूपवास पंचायत रलावता में माडा छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर)

83. राज्य में बढ़ते महिला अत्याचार और बाल अपराधों को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टीब्बी)

84. विधान सभा क्षेत्र टिब्बी में रावतसर में एस.सी./एस.टी. कन्या छात्रावास बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. अनुसूचित जाति के वृद्ध महिला-पुरुष एवं विधवाओं के कल्याण पेंशन की विभागीय योजनाओं पर चर्चा के लिये।

86. अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये अधिक रोजगार मुहैया कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. विधान सभा क्षेत्र टीबी में नगर पालिका एव पंचायत क्षत्र में अनुसूचित जाति की आबादी में सड़कें, पेयजल, शिक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)

88. निराश्रित बाल गृह एवं अनाथालय निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. विभाग द्वारा विधवाओं की पुत्रियों के विवाह पर सहायता राशि बढ़वाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कान्ती प्रसाद मीणा (थानागाजी)

90. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के बेरोजगार श्रमिकों हेतु विभाग द्वारा आवश्यक उपाय करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

91. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में समाज कल्याण विभाग के भवन विहीन छात्रावासों के लिये भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के समाज कल्याण छात्रावासों में छात्रों को दी जा रही सुविधा को पर्याप्त रूप में किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा)

93. समाज कल्याण की योजनाओं को प्रभावी ढंग से संचालित करने पर चर्चा के लिये।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव)

94. राज्य में समाज की सुरक्षा व्यवस्था हेतु कारगर कदम उठाये जाने पर चर्चा के लिये।

95. अनुसूचित जाति व जनजाति की सुरक्षा एवं शिक्षा पर कारगर कदम उठाये जाने पर चर्चा के लिये।

96. अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रावास में सुविधा बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा)

97. फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के विद्यमान आंगनबाड़ी केन्द्रों के विकास एवं विस्तार तथा मानदण्डों के अनुसार नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

99. फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में विधवा महिलाओं की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान योजना का पर्याप्त प्रचार-प्रसार न होने की वजह से सभी पात्र विधवा महिलाओं को लाभ न मिलने व बकाया आवेदकों को अनुदान स्वीकृत करने में विलम्ब के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ)

'00. बैराठ विधान सभा क्षेत्र के शाहपुरा कस्बे में छात्रावास की स्थिति सुधारने व नये छात्रावास खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

'01. राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति के बेरोजगार विद्यार्थियों को आर.ए.एस./आई.ए.एस. की परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने पर प्रोजेक्ट राशि दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

मांग संख्या-37-कृषि

मांग संख्या-37 मुख्य शीर्षक कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :-

श्री जयराम जाटव (खैरथल)

1. विधान सभा क्षेत्र खैरथल के मुण्डावर, तिजारा, बानसूर आदि क्षेत्रों में लाल प्याज/सरसों/गेहूं की बीमार फसलों को बचाने हेतु अनुसन्धान केन्द्र बास कृपालनगर में खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दिगोद)

2. कृषि उपज का उचित मूल्य दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

3. बागवानी के विकास हेतु पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

4. कृषि विस्तार कार्यक्रम को और अधिक उपयोगी बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़)

5. रबी की फसलों के लिए बीमा योजना लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

6. कृषि अनुसन्धान केन्द्र नौगांवा (अलवर) को कृषि महाविद्यालय बनाकर प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)

7. राज्य में शुष्क खेती के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बत्ती लाल (टोडाभीम)

8. कृषि, किसान एवं खेतीहर मजदूरों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर)

9. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में नकली बीज के वितरण तथा खेती की उन्नत तकनीक की जानकारी के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी)

10. किसानों के दस हजार तक के कर्जे माफ नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

11. फसल बीमा योजना का किसानों को लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी)

12. विधान सभा क्षेत्र फागी के काश्तकारों को कृषि विभाग द्वारा गुणवत्ता वाले खाद, बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. विधान सभा क्षेत्र फागी में कृषि उपज मण्डी समिति को जयपुर कृषि मण्डी में सम्मिलित करने पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा)

14. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा (झालावाड़) में बहने वाली झाडू नदी पर कृषि प्रयोजन हेतु सिरपोही, अलावा, भिलवाड़ी में एनीकट बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना)

15. विधान सभा क्षेत्र मकराना में किसानों को अच्छी किस्म के खाद, बीज, एवं कीटनाशक दवाईयों का वितरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर)

16. कृषि उपज मण्डी समिति सुमेरपुर द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा)

17. कृषि विभाग द्वारा काश्तकारों को सब्सिडी पर दिये जाने वाले खाद, बीज आदि का समय पर वितरण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

18. कृषि विभाग द्वारा काश्तकारों को सब्सिडी पर दिये जाने वाले स्प्रे पम्प व डोलकी प्लास्टिक स्प्रे की दर, बाजार दर से अधिक होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

19. कृषि विभाग द्वारा काश्तकारों को कृषि वस्तुओं पर दिये जाने वाली सब्सिडी में अनियमितता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)

20. कृषि विपणन बोर्ड के चुनाव नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)

21. ग्रामीण अंचल में वैज्ञानि टेक्नालाजी एवं उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश खींची (कठूमर)

22. विधान सभा क्षेत्र कठुमर एवं खेडली में स्थापित सीड ग्रेडिंग सेंटरों में कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा किसानों को जानकारी नहीं देने एवं अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी)

23. ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के गिरते स्तर के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

24. उद्यान विभाग द्वारा किसानों को उच्च कोटि के ग्राफ्टेड फलदार पौधे उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

25. प्रदेश के किसानों को समयद पर बीज, खाद व कीटनाशक नहीं मिलने तथा इनकी कालाबाजारी को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. कृषि उपज मण्डियों को वर्तमान परिस्थितियों में श्रेणीकरण नहीं करने तथा मण्डी समितियों के चुनाव नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

27. प्रदेश के किसानों को ओलावृष्टि, सूखे आदि खराबे का पर्याप्त मुआवजा नहीं दिये जाने से व्याप्त जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

28. सभी फसलों के लिए फसल बीमा योजना का प्रावधान नहीं होने से किसानों को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)

29. शुष्क खेती की सम्पूर्ण योजना-बीज उपलब्धि से लेकर विपणन तक की समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)

30. फसल बीमा का दायरा बढ़ाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र नैनवां में नवीन कृषि अनुसन्धान केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. बूंदी मण्डी में कृषि उपज मैदान पर पनप रही दलालों की भूमिका से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

33. विभाग द्वारा कृषि को बढ़ावा देने के लिए छोटी जोतों को लाभकारी बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर)

34. राज्य में कृषि के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिये।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह)

35. कृषि क्षेत्र में इजराइल तकनीक का इस्तेमाल किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंज मण्डी)

36. कृषि विभाग के कार्य में विस्तार हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरीसिंह रावत (भीम)

37. कृषि में वन औषधियों को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर)

38. बहरोड़ कस्बे में अभी तक कृषि उपज मण्डी समिति की स्थापना नहीं होने से किसानों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

39. प्रदेश की कृषि उपज मण्डियों में अलाभकारी मुख्य नीति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)

40. विभाग द्वारा किसानों को बूंद-बूंद सिंचाई योजनान्तर्गत ऋण आबंटन में सरलीकरण कर सर्वसाधारण, जरूरतमंद को ऋण उपलब्ध करवाने पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची)

41. कृषि विभाग में कृषि अधिकारियों की अधिकता होने के बावजूद भी कृषकों को पूरा लाभ नहीं मिलने से इनकी अधिकता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

42. किसानों को समय पर खाद्य, बीज फसल/उपज का उचित मूल्य समय पर निर्धारित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)

43. पंचायत मुख्यालय चित्रावास (गोगुन्दा) में कृषि पर्यवेक्षक केन्द्र स्थापित कर किसानों को उन्नत बीज, खाद हेतु राहत दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)

44. सुमेरपुर क्षेत्र में कृषि हेतु सिंचाई कमाण्ड क्षेत्र बढ़ाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना)

45. विधान सभा क्षेत्र मकराना के रानी गांव में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर)

46. राज्य में व्यापारियों की मिलीभगत से खाद व बीज में मिलावट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

47. धौलपुर में कृषकों को उचित मूल्य पर विभिन्न जिंसों का अच्छा बीज नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

48. धौलपुर कृषि उपज मण्डी द्वारा धन का दुरूपयोग कर अनावश्यक कार्यों पर खर्च करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

49. धौलपु विधान सभा क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत, नई सड़कों के लिये बजट में प्रावधान करने तथा कृषि उपज मण्डी में हो रही अव्यवस्था से किसानों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़)

50. विधान सभा क्षेत्र की डूंगरगढ़ में कृषि की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सांग सिंह भाटी (जैसलमेर)

51. किसानों को काश्त करने, पौधा रोपण करने की आधुनिक तकनीकी शिक्षा, एवं खाद बीज आदि हेतु ऋण सीमा में वृद्धि की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी)

52. राजकीय गांधी कृषक साथी योजनान्तर्गत आकस्मिक मृत्यु होने पर विभाग द्वारा दी जाने वाली राशि के लिये आवेदन की वर्तमान अवधि में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी (चित्तौड़) तथा चित्तौड़ से कृषि जिन्सों का बाहर जाने वाले माल पर कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा दोहरा टैक्स लागू करने एवं लम्बित प्रकरणों का निष्पादन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

54. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़ में ग्राम पंचायत मुख्यालय कीरतपुरा, भाटोली, पाल, कचुमरा तथा पालोट से मोरवण, सरतला से चिकाडा को कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निर्मित की जाने वाली सम्पर्क सड़कों का निर्माण कर पंचायत मुख्यालयों से जोड़ने बाबत चर्चा के लिये।

श्री हरी सिंह रावत (भीम)

55. कृषि सम्बन्धी कार्यों में वन औषधि को प्रोजेक्ट देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल)

56. खैरथल विधान सभा क्षेत्र में बासकृपालनगर में कृषि अनुसन्धान केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. कृषि भूमि में जमीन की गुणवत्ता सुधारने हेतु उर्वरक खादों के उपयोग पर चर्चा के लिये।

श्री ब्रदीलाल जाट (कपासन)

58. फसल बीमा योजना पर चर्चा के लिये।

59. कृषि सम्बन्धी अनुदान व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर)

60. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में नई-नई फसलों की किस्मों की बुवाई के सम्बन्ध में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

61. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में उन्नत किस्मों के बीजों के विवरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलुम्बर)

62. राज्य में कृषि नीति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

सुर ल कटारा (चौरासी)

63. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में कृषि के विकास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

केसरदेव बर (लक्ष्मणगढ़)

64. राज्य में कृषि फसलों की खरीद बहुराष्ट्रीय कम्पनी को देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

65. राज्य में कृषि फसलों के साथ-साथ किसानों हेतु पशुधन का बीमा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर)

66. सीकर स्थित कृषि उपज मण्डी में पानी व बिजली की पर्याप्त व्यवस्था करवाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा)

67. ग्रामीण क्षेत्रों में जैविक खाद के प्रचलन को बढ़ाने के लिये कृषकों को प्रशिक्षित करने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा)

68. कृषि सुधार के लिये सरकार द्वारा किसानों को बीज, खाद उचित मूल्य पर दिलाने की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर)

69. जीवाणु खाद की अनुदान राशि का कुछ अधिकारियों एवं अन्य लोगों द्वारा साँठ-गाँठ करके दुरुपयोग करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

70. संयुक्त निदेशक कृषि (उर्वरक) कृषि निदेशालय-राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 6_?5-627? दिनांक 19.6?.?0? की पालना नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)

71. जीवाणु खाद के अमानक पाये गये नमूनों के आधार पर सम्बन्धित निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किये जान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

72. जीवाणु खाद के अमानक पाये गये नमूनों के आधार पर सम्बन्धित निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

73. राज्य में मिट्टी एवं पानी के परीक्षण की सही जानकारी किसानों तक नहीं पहुंचने पर चर्चा के लिये।

74. राज्य में शंकर बाजरे का बीज उत्पादन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़)

75. काश्तकारों को समय पर उच्च श्रेणी के खाद, बीज देने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री जगसीराम कोली (रेवदर)

76. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के टमाटर व सौंफ के अति उत्पादन को देखते हुये कोल्ड स्टोरेज, भण्डारगृह तथा उचिंत विपणन व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी)

77. फसल बीमा के जरिये प्रति किसान प्रति एकड़ फसल के हिसाब से मिलने वाले मुआवजे पर चर्चा के लिये।

78. बस्सी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में टमाटर की फसल उत्पादन होने की दशा में टमाटो केच-अप उद्योग की स्थापना तथा वेयर हाउस (कोल्ड स्टोरेज) भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लियं।

79. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कृषि महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. विभाग द्वारा किसानों की कृषि उत्पादन गुणवत्ता बढ़ाने हेतु निःशुल्क कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. कृषि फार्म दुर्गापुरा, जयपुर द्वारा किसानों को दिये जाने वाले विभिन्न लाभदायक कार्यक्रमों की क्रियान्विति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली)

82. सिंचाई जल की कमी को देखते हुए बून्द-बून्द सिंचाई की तकनीक किसानों तक पहुंचाने पर चर्चा के लिये।

83. कृषि क्षेत्र में किसानों को नई तकनीक द्वारा कृषि कार्य करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं)

84. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में अस्थायी सब्जी मण्डी के केन्द्र खोलने के क्रम में चर्चा के लिये।

85. चौमूं तहसील में फल सब्जी औद्योगिक इकाई के खोलने के क्रम में चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम पंचायत कुशलपुरा में कृषि उपज मण्डी की उप -शाखा खोलने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली)

87. विधान सभा क्षेत्र बाली में विभाग द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ कुओं को गहरा करवाने की योजना प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

88. बाली विधान सभा क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आदिवासी किसानों को लाभान्वित किये जाने की प्रस्तावित योजनाओं पर चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र बाली में किसानों को जारी किये क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. वर्तमान द्वितीय वर्ष के दौरान बाली विधान सभा क्षेत्र के कृषकों को कृषि बीमा योजना का लाभ दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई)

91. कृषि उपज मण्डी, बांदीकुई में अतिक्रमण हटाकर चार दीवारी बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)

92. राजगढ़ (चूरू) में कृषि ज्ञान केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. राजगढ़ (चूरू) में कृषि कुओं के लम्बित पड़े कनेक्शन देने में विभागीय पहल बाबत चर्चा के लिये।

94. विभाग द्वारा समय पर बीज उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

95. कृषि कुओं के पम्प सैट एवं फवारों पर अनुदान बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. राजगढ़ (चूरू) में कृषि कुओं के घटते जल स्तर के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव)

97. केर, सांगरी, कुम्बरिया की जोधपुर में विभाग द्वारा बनाई गई विधि को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर)

98. नागौर जिले के काश्तकारों की समस्याओं पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टीबी)

99. कृषि भूमि के उपयोग में आने वाले प्रमाणिक बीज, खाद, पेस्टी साईड बाजार में नकली बेचे जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

100. गंगानगर-हनुमानगढ़ जिले की उपज पड़ौसी राज्य पंजाब, हरियाणा में विक्रय हेतु जाने से रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. कपास, नरमा, सरसों, गेहूं पर लागू फसल बीमा योजना के मानदण्ड पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

102. बहुराष्ट्रीय कम्पनी को अनाज खरीद का अधिकार देने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री कान्ती प्रसाद मीणा (थानागाजी)

103. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के किसानों को "कृषि विभाग" द्वारा वर्ष 2000 से अब तक की गई सुविधाओं व प्रस्तावितं सुविधाओं की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के पंचायत समिति मुख्यालय पर कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के किसानों को वर्ष 2002 से अब तक दिये गये प्रशिक्षण की पंचायतवार समीक्षा की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में फसल बीमा योजना अविलम्ब प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा)

107. कृषि उपज मण्डी समिति, निम्बाहेड़ा द्वारा ग्रामीण सड़कों एवं अन्य निर्माण कार्यों पर चर्चा के लिये।

108. बैंकों द्वारा कृषि कार्यों के लिये किसानों को ऋण एवं किसान क्रेडिट कार्ड लेने में अनावश्यक परेशान करने पर चर्चा के लिये।

109. फसल बीमा योजना की क्रियान्विति पर चर्चा के लिये।

110. कृषि उपज के निम्बाहेड़ा मण्डी क्षेत्र से बाहर मध्यप्रदेश की मण्डियों में विक्रय हेतु जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव)

111. ग्रामीणों को कृषि की जानकारी के लिये महत्वपूर्ण प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर)

112. कृषि नीति के तहत नागौर जिले हेतु विशेष पैकेज जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा)

113. कृषि अनुसन्धान केन्द्र, दुर्गापुरा, जयपुर को फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के जोबनेर कस्बे में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

114. फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा गत वर्षों में किये गये अपर्याप्त सड़क निर्माण व मरम्मत कार्यों व आगामी वर्ष में प्रस्तावित सड़कों के निर्माण व मरम्मत कार्यों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

115. फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के जोबनेर, किशनगढ़-रेनवाल, फुलेरा, सांभर व इसके आस पास के गांवों में कृषि विस्तार कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा के लिये।

116. कृषि महाविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के विकास एवं विस्तार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ)

117. कृषि उपज मण्डी समिति की सड़कों पर प्रस्तावित अनुमानों से अधिक राशि खर्च किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन)

118. विभाग द्वारा कृषकों के लिये खाद व बीज वितरण व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

सदस्य सूची

मंगलवार, 27 जुलाई, 2004

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-बयाना के विद्यालयों में रिक्त पद	338
श्री अध्यक्ष	
अनुदान की मांग	
पारण	
-कृषि-मांग संख्या 37	215
-सहकारिता-मांग संख्या 36	214
-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-मांग संख्या 33	215
बधाई	
-सदन की नेता को उनके पौत्र होने पर बधाई	63
मुखबन्द	
पारण	
-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजनाएं-मांग संख्या-51	225
-अन्य कर-मांग संख्या-12	218
-आबकारी-मांग संख्या-13	218
-आवास-मांग संख्या-20	219
-कोषागार व लेखा प्रशासन-मांग संख्या-25	220
-क्षेत्र का विकास-मांग संख्या-22	220
-जनजाति क्षेत्रीय विकास-मांग संख्या-30	221
-जन सम्पर्क-मांग संख्या-18	219
-जिला प्रशासन-मांग संख्या-4	216
-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास-मांग संख्या-29	221

नाम	पृष्ठ संख्या
-नागरिक आपूर्ति-मांग संख्या-32	221
-निर्वाचन-मांग संख्या-7	217
-पर्यटन-मांग संख्या-47	224
-पशुपालन एवं चिकित्सा-मांग संख्या-39	223
-पुनर्वास एवं सहायता-मांग संख्या-31	221
-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ-मांग-संख्या-15	219
-पेयजल योजना-मांग संख्या-27	220
-प्रशासनिक सेवाएं-मांग संख्या-5	216
-प्राकृतिक आपदाओं से राहत-मांग संख्या-34	222
-बिक्री कर-मांग संख्या-14	218
-मंत्री परिषद्-मांग संख्या-2	215
-राजकीय उपक्रम-मांग संख्या-40	223
-राजस्व-मांग संख्या-8	217
-राज्य कर्मचारियों को ऋण-मांग संख्या-45	223
-राज्य विधान मण्डल-मांग संख्या-1	215
-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण-मांग संख्या-38	222
-लेखन सामग्री एवं मुद्रण-मांग संख्या-44	223
-विद्युत-मांग संख्या-48	224
-विविध सामाजिक सेवाएं-मांग संख्या-11	218
-विविध सामान्य सेवाएं-मांग संख्या-10	217
-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं-मांग संख्या-35	222
-श्रम और रोजगार-मांग संख्या-23	220
-सचिवालय-मांग संख्या-3	216
-सिंचाई-मांग संख्या-46	224
-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के मुआवजे और समनुदेश-मांग संख्या-49	224
व्यवस्था	
-बिना पूर्व सूचना दिये आरोप नहीं लगाने विषयक	65

नाम	पृष्ठ संख्या

स्थगन प्रस्ताव

-मोहम्मद माहिर आजाद एवं 11 अन्य सदस्यों की ओर से भरतपुर जिले में अपहरण की घटनाओं के सम्बन्ध में 36

-श्री रामसिंह विश्नोई एवं 4 अन्य सदस्यों की ओर से आर सी डी एफ में भारी अनियमितताओं व दूध के क्रय मूल्य में कमी के सम्बन्ध में 36

-श्री संयम लोढ़ा एवं 4 अन्य सदस्यों की ओर से पैलेस आन व्हील की बार एवं रेस्टोरेन्ट को कथित लीज पर देने के सम्बन्ध में 36

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

गृह

-पुलिस कर्मियों के विरुद्ध लम्बित प्रकरण 294

श्री अमराराम (धोद)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सिंचाई

-इन्दिरा गांधी नहर के क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के पुनर्निर्माण पर व्यय 372

तारांकित प्रश्नोत्तर

शिक्षा

-विद्यालयों का क्रमोन्नत/स्थापना 17

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-भीम पंचायत में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार 89

सूचना प्राप्ति प्रश्न

-राजस्थान राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों की समस्या 132

स्थगन प्रस्ताव

-पैलेस आन व्हील की बार एवं रेस्टोरेन्ट को कथित लीज पर देने के सम्बन्ध में 56

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

गृह

-गंगरार (चित्तौड़गढ़) पुलिस चौकी का क्रमोन्नयन 317

नाम	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि विपणन	
-गंगरार में सड़क निर्माण	241
श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
इन्दिरा गांधी नहर परियोजना	
-इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र फलौदी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिलाभों का भुगतान	377
गृह	
-सलूम्बर उपखण्ड में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पदस्थापन	302
श्री अशोक बैरवा (खण्डार)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-खण्डार उपखण्ड में उप अधीक्षक पुलिस का पदस्थापन	303
वन	
-सवाईमाधोपुर जिले में इको डवलपमेन्ट योजनान्तर्गत व्यय	320
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	
-सवाईमाधोपुर व करौली जिले के राशन विक्रेताओं के विरुद्ध प्राप्त जन शिकायतें	254
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-भीम पंचायत में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार	90
श्री उपाध्यक्ष	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-माही परियोजना में बकाया सिंचाई कर माफी	96

नाम	पृष्ठ संख्या
श्रीमती उषा पूनिया (मूंडवा), राज्य मंत्री	
स्थगन प्रस्ताव	
-पैलेस आन व्हील की बार एवं रेस्टोरेन्ट को कथित लीज पर देने के सम्बन्ध में	53
डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
खनिज	
-अलवर जिले में खान आबंटन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें	282
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उद्योग	
-राज्य की रूग्ण औद्योगिक इकाइयां	29
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-भीम पंचायत में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार	92
व्यवस्था का प्रश्न	
-पोपाबाई का राज शब्द असंसदीय माने जाने विषयक	39
श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-बस्सी के विद्यालयों में रिक्त पद	357
श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-प्रस्तावित पुलिस आयुक्त प्रणाली	4
तकनीकी शिक्षा	
-निजी क्षेत्र की तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश	229
शिक्षा	
-विद्यालयों का क्रमोन्नत/स्थापना	12

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री कालूलाल गुर्जर (मांडल), मंत्री	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-भीम पंचायत में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार	88
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर दीपा (नदबई)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	
-नदबई के गांवों में पेयजल व्यवस्था	251
श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
वन	
-अरावली प्रोजक्ट हेतु ज्ञापन से प्राप्त राशि का दुरुपयोग	317
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-भीम पंचायत में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार	90
श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सिंचाई	
-सरहिन्द फीडर से जलापूर्ति	373
श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-प्रस्तावित पुलिस आयुक्त प्रणाली	2
स्थगन प्रस्ताव	
-भरतपुर जिले में अपहरण की घटनाओं के सम्बन्ध में	48
श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-पैराटीचर्स पर लाठी चार्ज में घायल होमगार्ड की सेवा समाप्ति	315

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-विद्यालयों का क्रमोन्नत/स्थापना	6
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-भीम पंचायत में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार	90
स्थगन प्रस्ताव	
-पैलेस आन व्हील की बार एवं रेस्टोरेन्ट को कथित लीज पर देने के सम्बन्ध में	55
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-दवाइयों पर लागू कर भार से बढ़ते बोझ विषयक	80
डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-चूरू जिले के थानों में दर्ज प्रकरण	315
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि	
-तारानगर में बीज वितरण	229
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-दवाइयों पर लागू कर भार से बढ़ते बोझ विषयक	77
डा. जालम सिंह रावलोत (शिव)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-बाड़मेर लिफ्ट वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट पर व्यय	281
श्री जीतमल खांट (बागीडोरा)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-माही परियोजना में बकाया सिंचाई कर माफी	94

नाम	पृष्ठ संख्या
व्यवस्था का प्रश्न	
-पोपाबाई का राज शब्द असंसदीय माने जाने विषयक	38
श्री जुबेर खान (रामगढ़)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-विद्यालयों का क्रमोन्नत/स्थापना	10
श्रम एवं नियोजन	
-अलवर जिले में श्रम न्यायालय	226
व्यवस्था	
-बिना पूर्व सूचना दिये आरोप नहीं लगाने विषयक	69
व्यवस्था का प्रश्न	
-अखबार में छपी खबर के आधार पर आरोप लगाने विषयक	160
श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर)	
अनुदान की मांग	
विचार	
-कृषि-मांग संख्या 37	102
-सहकारिता-मांग संख्या 36	102
-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-मांग संख्या 33	102
व्यवस्था का प्रश्न	
-पोपाबाई का राज शब्द असंसदीय माने जाने विषयक	42
श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खनिज	
-पेट्रोलियम उत्पादों के दोहन हेतु रिफाइनरी स्थापना	34
डा. दिगम्बर सिंह (कुम्हेर), मंत्री	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-दवाइयों पर लागू कर भार से बढ़ते बोझ विषयक	81

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खनिज	
-राज्य में खनन पट्टों के आबंटन हेतु दिशा निर्देश	247
श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-जवाजा (ब्यावर) पंचायत समिति के विद्यालयों में रिक्त पद	328
श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि	
-राजगढ़ (चूरू) में कृषक सहायता से वंचित कृषकों को अनुदान	260
श्री नरपत सिंह राजवी (चित्तौड़गढ़), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उद्योग	
-राज्य की रूग्ण औद्योगिक इकाइयां	22
श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उच्च शिक्षा	
-फुलेरा में महिला महाविद्यालय	263
श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-बाली के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद	360
श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-झुंझुनूं जिले के विद्यालयों में शिक्षा सहयोगियों, पैराटीचर्स का नियमितिकरण	366

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उद्योग	
-राज्य की रूग्ण औद्योगिक इकाइयां	30
शिक्षा	
-विद्यालयों का क्रमोन्नत/स्थापना	15
श्री प्रभुलाल सैनी (उनियारा), मंत्री	
अनुदान की मांग	
प्रस्तुति	
-कृषि मांग संख्या 37	102
श्री प्रमोद जैन 'भाया'(बारां)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-बारां जिले में शस्त्र क्रय करने हेतु जारी अनुज्ञा पत्र	293
श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी)	
अनुदान की मांग	
विचार	
-कृषि-मांग संख्या 37	144
-सहकारिता-मांग संख्या 36	144
-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-मांग संख्या 33	144
तारांकित प्रश्नोत्तर	
तकनीकी शिक्षा	
-अभियान्त्रिकी महाविद्यालयों द्वारा शुल्क वसूली में भिन्नता	243
श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-माही परियोजना में बकाया सिंचाई कर माफी	96

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-राजकीय विद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों का समानीकरण	250
श्री बाबूलाल नागर (दूदू)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
अकाल एवं सहायता	
-दूदू पंचायत समिति में अकाल राहत के तहत स्वीकृत कार्य	380
तारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण के तहत दर्ज प्रकरण	249
शिक्षा	
-विद्यालयों का क्रमोन्नत/स्थापना	16
प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-बनीपार्क की पेयजल व्यवस्था	278
डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर), नेता, प्रतिपक्ष	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-भीम पंचायत में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार	92
बधाई	
-सदन की नेता को उनके पौत्र होने पर बधाई	63
व्यवस्था	
-बिना पूर्व सूचना दिये आरोप नहीं लगाने विषयक	67
व्यवस्था का प्रश्न	
-अखबार में छपी खबर के आधार पर आरोप लगाने विषयक	168

नाम	पृष्ठ संख्या

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजकीय उपक्रम

-राजकीय उपक्रमों की वित्तीय स्थिति 275

तारांकित प्रश्नोत्तर

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना

-इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु प्राप्त धनराशि 232

शिक्षा

-विद्यालयों का क्रमोन्नत/स्थापना 16

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण)

तारांकित प्रश्नोत्तर

गृह

-प्रस्तावित पुलिस आयुक्त प्रणाली 1

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

गृह

-पुलिस थाना भानीपुरा (सरदारशहर) में दर्ज प्रकरण 304

श्री भंवरू खान (फतेहपुर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

डेयरी एवं पशुपालन

-भेड़ प्रजनन फार्म फतेहपुर का भूमि प्रकरण 372

श्री भरत सिंह (दीगोद)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कृषि

-असिंचित क्षेत्र की फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि 325

नाम	पृष्ठ संख्या
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-आवां ग्राम, तहसील सांगोद (कोटा) में नवीन उच्च जलाशय	277
पर्यावरण	
-कोटा व झालावाड़ जिले में पत्थर पॉलिश उद्योग से व्यास पर्यावरण प्रदूषण	381
श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-डूंगरगढ़ (बीकानेर) में कार्यरत ट्यूबवैल	279
शिक्षा	
-डूंगरगढ़ के विद्यालयों में रिक्त पद	347
श्री मदन दिलावर (अटरू), मंत्री	
अनुदान की मांग	
प्रस्तुति	
-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-मांग संख्या 33	101
स्थगन प्रस्ताव	
-आर सी डी एफ में भारी अनियमितताओं व दूध के क्रय मूल्य में कमी के सम्बन्ध में	77
अनुदान की मांग	
प्रस्तुति	
-सहकारिता-मांग संख्या 36	101
श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)	
अनुदान की मांग	
विचार	
-कृषि-मांग संख्या 37	124
-सहकारिता-मांग संख्या 36	124
-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-मांग संख्या 33	124

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री मदन लाल मेघवाल (जायल)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-जायल एवं नागौर के विद्यालयों में रिक्त पद	327
श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक), मुख्य सचेतक	
व्यवस्था का प्रश्न	
-अखबार में छपी खबर के आधार पर आरोप लगाने विषयक	178
सदन की कार्यवाही	
-विधान सभा की बैठक में निर्धारित समय में वृद्धि	190
श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर)	
अनुदान की मांग	
विचार	
-कृषि-मांग संख्या 37	133
-सहकारिता-मांग संख्या 36	133
-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-मांग संख्या 33	133
श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-विद्यालयों का क्रमोन्नत/स्थापना	6
श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उद्योग	
-राज्य की रूग्ण औद्योगिक इकाइयां	28
मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)	
तारांकित प्रश्नोतर	

नाम	पृष्ठ संख्या

उद्योग

-राज्य की रूग्ण औद्योगिक इकाइयां 22

स्थगन प्रस्ताव

-भरतपुर जिले में अपहरण की घटनाओं के सम्बन्ध में 46

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा)

तारांकित प्रश्नोत्तर

सिंचाई

-सराड़ा में सौ दिवसीय कार्य योजना के अन्तर्गत सम्पादित कार्य 243

श्री रमेश खींची (कठूमर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

शिक्षा

-कठूमर में छात्रवृत्ति राशि वितरण में अनियमितता 370

तारांकित प्रश्नोत्तर

सिंचाई

-कठूमर में सिंचाई की प्रस्तावित योजना 265

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

उच्च शिक्षा

-श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय सीकर में कक्षों एवं प्रयोगशालाओं का निर्माण 383

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू), मंत्री

व्यवस्था का प्रश्न

-अखबार में छपी खबर के आधार पर आरोप लगाने विषयक 192

व्यवस्था

-बिना पूर्व सूचना दिये आरोप नहीं लगाने विषयक 72

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)

नाम	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-राज्य में शराब तस्करी की रोकथाम	242
शिक्षा	
-विद्यालयों का क्रमोन्नत/स्थापना	6
श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)	
व्यवस्था का प्रश्न	
-पोपाबाई का राज शब्द असंसदीय माने जाने विषयक	41
श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-नैनवां (बून्दी) तहसील क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था	20
श्री रामलाल शर्मा (चौमूं)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
अकाल एवं सहायता	
-चौमूं के अकाल राहत कार्यों की बकाया मजदूरी	234
श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उद्योग	
-राज्य के बन्द मिनी सीमेन्ट प्लांटों का पुनर्संचालन	246
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-भीम पंचायत में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार	91
स्थगन प्रस्ताव	
-आर सी डी एफ में भारी अनियमितताओं व दूध के क्रय मूल्य में कमी के सम्बन्ध में	73
श्री राव राजेन्द्र सिंह (वैराठ)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	

नाम	पृष्ठ संख्या

गृह

-राजस्थान पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति के लम्बित प्रकरण 263

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना)

तारांकित प्रश्नोत्तर

अकाल एवं सहायता

-डेगाना (नागौर) में अकाल राहत के तहत निर्मित सड़कें 266

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत)

तारांकित प्रश्नोत्तर

खनिज

-पेट्रोलियम उत्पादों के दोहन हेतु रिफाइनरी स्थापना 33

श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालरापाटन), मुख्य मंत्री

विधेयक का पुरःस्थापन

-राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2004 225

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना

-इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के दौरान निर्मित परिसम्पत्तियां 377

गृह

-शस्त्र अनुज्ञापत्र के लम्बित प्रकरण 290

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर)

तारांकित प्रश्नोत्तर

गृह

-प्रस्तावित पुलिस आयुक्त प्रणाली 1

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली)

तारांकित प्रश्नोत्तर

नाम	पृष्ठ संख्या
उद्योग	
-उदयपुर जिले की रूग्ण औद्योगिक इकाइयां	234
-राज्य की रूग्ण औद्योगिक इकाइयां	26
खनिज	
-पेट्रोलियम उत्पादों के दोहन हेतु रिफाइनरी स्थापना	34
बधाई	
-सदन की नेता को उनके पौत्र होने पर बधाई	64
डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
डेयरी एवं पशुपालन	
-अजमेर जिले में पशु चिकित्सक एवं अन्य पदों पर पदस्थापन	376
शिक्षा	
-राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कार्यरत व्याख्याता	367
तारांकित प्रश्नोत्तर	
वन	
-अजमेर जिले में वन भूमि पर वृक्षारोपण पर व्यय	267
श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-प्रस्तावित पुलिस आयुक्त प्रणाली	1
स्थगन प्रस्ताव	
-पैलेस आन व्हील की बार एवं रेस्टोरेन्ट को कथित लीज पर देने के सम्बन्ध में	49
श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खनिज	
-पेट्रोलियम उत्पादों के दोहन हेतु रिफाइनरी स्थापना	32

नाम	पृष्ठ संख्या
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-बकाया कृषि कनेक्शन विषयक	83
श्री सांवर लाल (भिनाय), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-नैनवां (बून्दी) तहसील क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था	21
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-माही परियोजना में बकाया सिंचाई कर माफी	97
डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-विद्यालयों का क्रमोन्नत/स्थापना	8
व्यवस्था	
-बिना पूर्व सूचना दिये आरोप नहीं लगाने विषयक	66
व्यवस्था का प्रश्न	
-अखबार में छपी खबर के आधार पर आरोपं लगाने विषयक	173
स्थगन प्रस्ताव	
-पैलेस आन व्हील की बार एवं रेस्टोरेन्ट को कथित लीज पर देने के सम्बन्ध में	57
श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उद्योग	
-राज्य की रूग्ण औद्योगिक इकाइयां	29
श्री सुरेश मीणा (करौली)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सिंचित क्षेत्र विकास	
-चम्बल लिफ्ट परियोजना से सवाईमाधोपुर एवं करौली को जलापूर्ति	326

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री हंगामी लाल मेवाड़ा (आसीन्द)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अकाल एवं सहायता

-आसीन्द तहसील में अकाल राहत के तहत श्रमिकों की बकाया का भुगतान 381

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कृषि

-प्याज की खरीद हेतु व्यवस्था 322

खनिज

-राज्य की बन्द खदानों से राजस्व हानि 283

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-दवाइयों पर लागू कर भार से बढ़ते बोझ विषयक 82

श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां)

तारांकित प्रश्नोत्तर

खनिज

-मानपुरा तहसील किशनगढ़ में अनुचित रॉयल्टी वसूली 255

श्री हरीसिंह रावत (भीम)

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-भीम पंचायत में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार 85

श्री हीरालाल (निवाई)

तारांकित प्रश्नोत्तर

अकाल एवं सहायता

-निवाई (टोंक) में अकाल राहत सामग्री वितरण में अनियमितता 245

कृषि

-सवाईमाधोपुर जिले में किसानों को ट्रेक्टर की खरीद हेतु अनुदान 248

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री हीरालाल (बामनवास)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
वन	
-वन रक्षक का बकाया वेतन भुगतान	319
श्री हेमराज मीणा (किशनगंज)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि	
-बारां जिले की क्षतिग्रस्त सड़कें	268
श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-भीम पंचायत में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार	93